Page No 1

# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ७ ] तृतीय विधान सभा के सप्तम् सत्र, १९६५ का ५२वां दिवस [ संख्या ३९



शुक्रवार, दिनांक १६ अप्रेल, १९६५

---

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.०१ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

---

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

---

## तारांकित प्रश्नोत्तर

[सिंचाई, स्वास्थ्य, जन-स्वास्थ्य, मंत्रि-मण्डल शाखा, स्वायत्त शासन, चिकित्सा, कृषि, गृह एवं अकाल सहायता—विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न। श्री कृष्ण कुमार गोयल।

### मोडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी से मशीनों की खरीद

९४२. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राणा प्रतापसागर डेम के निर्माण हेतु मोडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को मशीनों की खरीद के लिए कितना रुपया कब दिया गया ?

(२) मशीनरी की खरीद के सम्बन्ध में किस अधिकारी द्वारा कब फिजीकल वेरी-फिकेशन किया गया ? उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(३) उक्त कम्पनी द्वारा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कब प्रस्तुत किया ? क्या उसके साथ मूल बिल्स पेश किये गए हैं ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) मोडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को मशीनों की खरीद के लिए सरकार ने धनराशि नहीं दी है परन्तु शर्त के अनुसार जो मशीनें व इक्विपमेन्ट साइट पर लाया गया है, उसके ऊपर अब तक कुल २१०४९-००८) रु० अग्रिम धनराशि दी है।

(२) जिन मशीनों व इक्विपमेन्ट के ऊपर अग्रिम धनराशि दी है उसका विभाग अधिशासी अभियन्ता (यान्त्रिक) ने फिज़ी-

# Page No 2



(श्री दौलतराम सारण)

कल वेरीफिकेशन किया और मूल्य आंका, आंके हुए मूल्य की ७५ प्रतिशत राशि ठेकेदार को दी। कुल अग्रिम धनराशि ६ बिलों द्वारा समय समय पर मशीन लाने पर दी और हर चार यांत्रिक अभियन्ता ने निरीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट दी और उसी के आधार पर विभाग ने कम्पनी को अग्रिम धनराशि दी।

(३) चूंकि सरकार ने कम्पनी को मशीन खरीदने के लिए कोई रुपया नहीं दिया इसलिए कम्पनी का युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पेश करने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या यह सही है कि लाखों रुपयों की धन राशि आखिर आपने दी है, इस प्रकार के रुपये देने की बात टेन्डर में थी ?

श्री दौलतराम सारण: टेन्डर की बात नहीं है। यह तो पर्सनल एग्रीमेन्ट में था।

श्री उपाध्यक्ष: मैं आपको बीच में कुछ इन्टरफियर करके यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज बहुत बिजनेस है और कल भी कई माननीय सदस्यों को इस बात का एतराज रहा कि हमारे प्रश्न छूट गये। इसलिए मैं केवल इतना संयम के लिए निवेदन करूंगा कि एक एक प्रश्न पर तीन तीन से ज्यादा सप्लीमेन्ट्री नहीं हों तो ज्यादा ठीक रहेगा।

श्री भैरोंसिंह: यह तो कहीं कायदा नहीं है कि एक प्रश्न पर तीन तीन ही सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पूछे जावें।

श्री उपाध्यक्ष: कायदा तो नहीं है। लेकिन मैं आपको इसलिए निवेदन करूंगा कि जहां तक हो सके आप यह आशय रखें कि तीन से ज्यादा प्रश्न सप्लीमेन्ट्री के न हों तो उचित होगा।

श्री भैरोंसिंह: यह तो प्रश्न पर निर्भर है। कोई इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हो तो उस पर ५ सप्लीमेन्ट्री भी हो सकते हैं और किसी पर एक भी सप्लीमेन्ट्री नहीं हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष: That is different.

श्री भैरोंसिंह: आपने जो टेन्डर नोटिस निकाला और आमन्त्रित किया जिसको देख कर कान्ट्रेक्टर एट्रेक्टिव हुआ उसमें आपने कोई ऐसा प्रावधान रखा था कि २१ लाख रु० मशीन पर्चेज करने के लिए सरकार देगी।

श्री दौलतराम सारण: जो टेन्डर इन्वाइट किये और टेन्डर प्राप्त हुए और जिस कम्पनी का टेण्डर मंजूर हुआ उसमें यह शर्त रखी थी और सारी बातों को देखने और वेरीफिकेशन करने के बाद में यह उचित देखा गया और सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एग्रीमेन्ट किया गया और टेन्डर एक्सेप्ट किया गया।

श्री कृष्णकुमार गोयल: क्या यह सही है कि जब आपने टेन्डर एक्सेप्ट किये क्या उनको आपने एक्ट के अनुसार किये।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

जिनके कोटेशन हाई थे उनको दिये और गवर्नमेन्ट ने लोन्स एडवान्स देने का तय किया ।...

श्री **दौलतराम सारण** : इसकी जरूरत नहीं है । लोगों ने अपनी शर्तों के साथ टेन्डर दिये थे । जैसा मैंने कल निवेदन किया था एक्सपर्ट समिति द्वारा उनसे निगोशियेशन किया गया था और एक एग्रीमेंट हुआ उसके अनुसार कार्यवाही हुई ।

श्री **भैरोसिंह** : क्या यह सही है कि जनरल रूल्स के अनुसार कण्डीशनल टेन्डर्स स्वीकार नहीं किये जा सकते ।

श्री **दौलतराम सारण** : ठीक है, नहीं किये जा सकते । लेकिन सभी टेन्डर देने वालों ने अपनी कुछ कन्डीशन्स रखीं थीं । हमने कहा कि कन्डीशन्स वाजिब नहीं हैं । उनसे कहा गया कन्डीशन्स को छोड़ दो और जब हमने उनको हित में देखा तब टेन्डर एक्सेप्ट किया ।

श्री **भैरोसिंह** : इसका मतलब यह कि कन्डीशन्स सरकार ने स्वीकार नहीं की जो टेन्डर्स में लिखी थीं ।

श्री **दौलतराम सारण** : शर्तों को जांचने के लिए एक सब कमेटी बनाई थी उसने सब टेन्डर्स को स्क्रुटिनाइज किया और जांच के बाद वे जिस नतीजे पर पहुंचें उस नतीजे के अनुसार ही टेन्डर एक्सेप्ट हुए ।

श्री **भैरोसिंह** : मेरा प्रश्न यह है कि कन्डीशनल टेन्डर एक्सेप्ट किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता । सब कमेटी के सामने आपने जो जो कन्डीशन्स ठेकेदारों ने रखी थी रखी, एक कम्पनी और दूसरी ओर ठेकेदारों ने कन्डीशन्स रखीं । उसके बाद में फाइनल तय हुआ । उस समय सारी बातों को देखते हुए इस कम्पनी को एडवान्स देना हित में समझा गया ।

श्री **भैरोसिंह** : आपके यहां टेन्डर मेन्युअल की धारा १३ में लिखा हुआ है कि शर्तों के साथ टेन्डर पेश नहीं किया जावे और अगर किया जावेगा तो वह रिजेक्ट कर दिया जावेगा ।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (आसपुर) : क्या यह सही है कि उन्होंने आपके बनाये हुए रूल्स की अवहेलना नहीं की है और आपने इसमें पक्षपात और अन्यायपूर्ण नीति नहीं अपनाई है ।

श्री **दौलतराम सारण** : ऐसी बात नहीं है । प्रश्न यह है कि सशर्त टेन्डर रिजेक्ट करने के काबिल होते है मगर फिर भी फेवरेबल होते हैं तो उनको एक्सेप्ट करते हैं ।

श्री **भैरोसिंह** : क्या यह सही है कि रूल्स के अनुसार और धारा १३ के टेन्डर मेनुअल के अनुसार कन्डीशनल टेन्डर्स मंजूर नहीं हो सकते । और जनरल फाइनेन्शियल रूल्स के अनुसार भी आप इस प्रकार के टेन्डर्स को स्वीकार नहीं कर सकते ।

श्री **दौलतराम सारण** : यह आवश्यक नहीं है मेरे ख्याल से ।

# Page No 4



**श्री भैरोंसिंह** : टेन्डर को तो देखें। यों ही कह रहे हैं, सही नहीं है।

**श्री दौलतराम सारण** : टेन्डर इन्वाइट करने वाली ऑथोरिटी ने सब कमेटी बनाई, सब कमेटी ने सब टेन्डर्स को एग्ज़ामिन किया और एग्ज़ामिन होने के बाद सारी बातें देखने के बाद टेन्डर एक्सेप्ट हुए हैं, इसलिये उनको फेवरेबल कन्डीशन्स के माफिक ही एक्सेप्ट किया है।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या २० लाख रुपया लेना फेवरेबल कन्डीशन है ?

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंह नगर): क्या यह सही है कि ठेकेदारों की ठेकेदारी करने का आपने ठेका ले रखा है ?

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि जो मशीनरी इम्पोर्ट की जायगी उसके लिये आपने २१ लाख रुपये का लोन दिया है ?

**श्री दौलतराम सारण** : जी नहीं।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि जिस मशीनरी के लिये लोन दिया गया और जो मशीनरी यह कम्पनी लाई वह नागार्जुन सागर पर काम करने वाली पुरानी मशीनरी थी, जिसके अगेन्स्ट में आपने २१ लाख एड्वान्स दिया ?

**श्री दौलतराम सारण** : मशीनरी को खरीदने के अगेन्स्ट में लोन नहीं दिया, प्रोजेक्ट वर्क के लिये दिया था। मशीनरी के लिये जो एड्वान्स दिया गया उसमें नई पुरानी सभी तरह की मशीनरी थी। मशीनरी का फिज़िकल वेल्यूएशन किया गया, उसका ७५ प्रतिशत मूल्य का एड्वान्स किया गया।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : मशीनरी के लिये एड्वान्स किया गया, उसके लिये सेफ्टी मेजर्स क्या अडोप्ट किये गये ?

**श्री दौलतराम सारण** : हमारे मशीनरी के टैक्निकल एक्स्पर्ट थे उन्होंने देखा और वेल्यूएशन किया उसका ७५ प्रतिशत एड्वान्स करने को रिकमण्ड किया। इसके अलावा इन्श्योरेंस करवाई गई, जिससे कि सरकार का नुकसान नहीं हो, मशीनरी सरकार के रहन रही।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि रूल्स के अनुसार मशीनरी सरकार के मोर्टगेज की जानी चाहिये थी ?

**श्री दौलतराम सारण** : सरकार के अन्तर्गत रही।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : एग्रीमेंट के अनुसार मशीनरी हाईपोथेटिकेट हुई या नहीं ?

**श्री दौलतराम सारण** : जी हां, हुई है।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : नहीं हुई है।

**श्री भैरोंसिंह** : कभी हां करते है, कभी ना करते हैं।

**श्री दौलतराम सारण** : इनसे जो फार्म नं० ३१ भरवाया गया, उसमें सब

# Page No 5



(श्री दौलतराम सारण)

शर्तें थीं, उसके अनुसार कार्यवाही करवाई गई।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : क्या यह सही है कि एग्रीमेंट के अनुसार मशीनरीज का इन्श्योरेंस किया जायगा, उसकी रकम कौन देगा इसके लिये आपका एग्रीमेंट बिल्कुल साइलेंट है और इस कारण कम्पनी ने उस पैसे का क्लेम किया है ?

**श्री दौलतराम सारण** : क्लेम का इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं। कम्पनी को जो एडवान्स दिया गया था, उसमें पूरा एहतियात बरता गया। २१ लाख ४६ हजार ८ रुपया इसे एडवान्स किया गया उसमें से २० लाख वापिस पे हो चुका है। ५ जून तक सारा रुपया वापिस होना चाहिये, १ लाख रुपया बाकी रहा है वह भी आ जायगा। सरकार का रुपया सुरक्षित रहा।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : मेरा प्रश्न यह है कि एग्रीमेंट बिल्कुल साइलेंट है इन्श्योरेन्स मनी के बारे में।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न संख्या ६४३।

**श्री भैरोंसिंह** : दौलतरामजी जैसे आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिये।

**श्री दौलतराम सारण** : आप मेरे से बात कर लेवें। स्थिति समझ लेवें।

**श्री उपाध्यक्ष** : आॅर्डर प्लीज़ !

श्री ललित मोहन !

## ग्राम नान्देशमा तहसील गोगुन्दा के तालाब का सर्वे

६४३. श्री **ललितमोहन** (गोगुन्दा-सु.) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर के नान्देशमा ग्राम के पास तालाब बांधने की सरकार की योजना है ?

(२) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय होगा और कब तक इसका काम शुरू हो जायगा ?

(३) क्या यह सही है कि इस बांध की सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है ?

**उप-मंत्री, सिंचाई** (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां।

(२) इस योजना की अनुमानित लागत १,५०,००० रु० है। योजना का विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है जिसके बाद ही प्रारम्भ होने के विषय में कुछ कहा जा सकता है।

(३) जी नहीं।

**श्री ललितमोहन** : सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जायगा ?

**श्री दिनेशराय डांगी** : उपाध्यक्ष महोदय, इसके सर्वेक्षण के बारे में उम्मीद है कि इसी वर्ष पूरा हो जायगा।

**श्री ललितमोहन** : कब से जारी है ?

श्री दिनेशराय डांगी : गये साल से है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाचन्द सोन।

बारां के अस्पताल में डॉक्टरों और कम्पाउन्डर्स की कमी तथा पानी की व्यवस्था

६४४. श्री दयाचन्द सोन : (बारां-सु) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) बारां अस्पताल में कितने डाक्टर्स, लेडी डाक्टर, कम्पाउन्डर्स, नर्स एवं मिड्वाइफ के पद है और इस समय कितने डाक्टर्स, कम्पाउन्डर्स, नर्स एवं मिड्वाइफ काम कर रही हैं और बाकी के पदों पर कब तक नियुक्ति हो जावेगी ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त अस्पताल में रोगियों के लिये वाहन नहीं है ? यदि हां, तो कब तक वाहन की व्यवस्था हो जावेगी ?

(३) क्या यह सही है कि अस्पताल में मीठे पानी की व्यवस्था नहीं है ?

(४) क्या सरकार ने पानी की समस्या को हल करने के लिये कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या और कब तक पानी की समस्या हल हो सकेगी ?

उप-मंत्री स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) बारां (जिला कोटा) अस्पताल में जो स्टाफ कार्य कर रहा है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। केवल दो कम्पाउन्डर कम हैं जो उपलब्ध होने पर नियुक्त कर दिये जायेंगे। निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती।

(२) जी हां, नहीं है। अर्थाभाव के कारण अभी सम्भव नहीं है।

(३) जी हां।

(४) जी हां। बारां में नल योजना के सम्बन्ध में रु० १०,६१,००० की योजना बना कर केन्द्रीय सरकार के पास भेजी जा चुकी है। स्वीकृति प्राप्त होने पर आगे की कार्यवाही की जावेगी।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

**श्री दयाचन्द सोन** : नल योजना कब आयगी, वहां तो अभी पानी ही नहीं है ?

**श्रीमती प्रभा मिश्रा** : बिना योजना की स्वीकृति के तो शुरू किया ही नहीं जा सकता।

**श्री दयाचन्द सोन** : क्या यह सही है कि जिस कुए में नल लगा रहे हैं उस कुए में पानी ही नहीं है।

**श्रीमती प्रभा मिश्रा** : पानी की कमी है यह तो मैंने स्वयं ने कहा है।

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : प्रश्न (३) में पूछा गया है "क्या यह सही है कि अस्पताल में मीठे पानी की व्यवस्था नहीं है ?" इसका उत्तर आपने दिया है "जी हां।" तो वहां मरीजों के लिये पानी कहां से उपलब्ध कराया जाता है ?

**श्रीमती प्रभा मिश्रा** : मैंने योजना के लिये कहा कि सेंटर की सेंक्शन के लिये भेजी गई है।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने लगे)

**श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा)** : आज कल पानी कहां से आ रहा है ?

**श्रीमती प्रभा मिश्रा** : एक बार में ५ जने क्वेश्चन पूछें, मेरी समझ में नहीं आता।

**श्री उपाध्यक्ष** : पानी की व्यवस्था इस समय कहां से होती है ?

**श्रीमती प्रभा मिश्रा** : जो वहां एक्जस्टिंग फेसिलिटीज है, उनके द्वारा।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर)**: फेसिलिटीज तो ये हैं कि मरीज पानी पानी चिल्लाये हुए स्वर्गलोक को प्रस्थान कर जाते हैं।

**श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा)** : आज वहां मरीजों के लिये पानी की क्या व्यवस्था है, अस्पताल में मरीजों को घंटों तक पानी प्राप्त नहीं होता।

(विराम)

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर)** : क्या इस प्रकार की व्यवस्था आपके विभाग के लिये शर्मनाक नहीं है ?

(विराम)

**श्री दयाचन्द सोन** : कुछ न कुछ तो उत्तर दीजिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि मौजूदा व्यवस्था है वह किस प्रकार की है, कहां से पानी आ रहा है ?

**श्रीमती प्रभा मिश्रा** : वहां जो कुआं है उसी से पानी आ रहा है।

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** : वहां कुए में पानी ही नहीं है।

**श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा)** : प्रश्न यह है कि पानी की व्यवस्था इस समय वहां नहीं है, मैं मन्त्री महोदया से निवेदन करूंगी कि इस प्रकार का आश्वासन दें, यह व्यवस्था तुरन्त ही हो जानी चाहिये, रोगियों का प्रश्न है, पानी की तो व्यवस्था होनी ही चाहिये दूसरी व्यवस्थाएं तो होती रहेंगी, पानी की व्यवस्था कम से कम तुरन्त होनी चाहिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : इस विषय में जो कुछ भी पानी की दिक्कत के कारण वहां परिस्थिति हो रही है उस विषय में आप आश्वासन दे दें कि यथाशीघ्र जो कार्यवाही हो सकेगी, की जायगी।

**श्री भैरोंसिंह** : माननीय उपाध्यक्ष, यह तरकीब आप क्यों बता रहे हैं, यथा शीघ्र तो वे ही कह देंगी।

**श्रीमती प्रभा मिश्रा** : पानी की कमी के कारण नल योजना बनाई जा रही है। जैसा कि कहा गया कि वहां पानी की कमी है, मैं स्वयं महसूस करती हूं कि जो कुछ भी किया जा सकता है वह करने का प्रयत्न किया जायगा।

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** : वहां पानी की कमी कितने दिन से है ?

**श्री उपाध्यक्ष** : नेक्स्ट ! श्री मोहर-सिंह !

**पेय जल की समस्या और लिफ्ट योजना**

६४५. **श्री मोहरसिंह** (चरू) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि सिद्धमुख से पानी ऊंचा उठा कर (लिफ्ट सिस्टम), तारानगर व इस तहसील के उत्तरी हिस्से में बांय, कालवास, धीखासबड़ा, साहवा, सोमसीसर आदि गांवों को सिंचाई के लिये पानी ज्यादा से ज्यादा ७५ से १००फीट ऊंचा उठा कर दिया जा सकता है ?

(२) क्या सरकार उपरोक्त इलाके के पेय जल की समस्या के निवारणार्थ पानी लिफ्ट कर देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उप-मन्त्री सिंचाई** (श्री दौलतराम सारण) : (१) तारानगर, सोमसीसर व कालवास क्रमश: ८२५,८०० व ७७० फीट समुद्र सतह से ऊंचे हैं सिद्धमुख क्षेत्र ६७० है अत: ११५ फीट पानी उठने पर सम्बन्धित गांवों को मिल सकती है ।

(२) अभी तक कोई निश्चित विचार नहीं है ।

**श्री मोहरसिंह** : क्यों नहीं है ?

**श्री दौलतराम सारण** : इसलिये कि यह निश्चित नहीं हुआ है कि यह कैनाल जा सकती है या संभव भी है या नहीं है । प्रश्न बहुत विचाराधीन हैं ।

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** (मांडल) : केनाल तो बहुत बड़ी होगी ?

**श्री दौलतराम सारण** : जिस जगह से केनाल आवेगी बहुत ऊबड़ खाबड़ है । कई कारण हैं । निश्चित अभी नहीं कहा जा सकता ।

**श्री मोहरसिंह** : तीस मील से अधिक दूर नहीं है ।

**श्री दौलतराम सारण** : इस क्षेत्र का एक एक चप्पा २ मेरे पैरों से नापा हुआ है इसलिये मैं जानता हूं ।

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** : आपने पैरों से नापा होगा लेकिन आप इसको और जांच लें ।

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज !

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** : सरकार को ध्यान देना चाहिये । लोग प्यासे मरते हैं और २० मील दूर से ऊंटों पर और घड़ों में भर कर पानी लाते हैं ।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री हरिप्रसाद ।

**बूंदी शहर के बड़े सरकारी अस्पताल का भवन तथा रोगियों की संख्या**

६४६. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :....

Page No 9



(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

(१) क्या यह सही है कि बूंदी शहर के बड़े सरकारी अस्पताल में रोगियों को कमरों की कमी के कारण बरामदे में रखा जाता है ?

(२) क्या यह भी सही है कि इस अस्पताल में पलंग गद्दे बिछाने आदि खराब हालत में व पलंगों की कमी के कारण बरामदों में बीमारों को फर्श पर रख कर इलाज किया जाता है ?

(३) क्या यह सही है कि इस अस्पताल का राजस्थान के निर्माण के बाद किसी भी प्रकार का विकास व विस्तार नहीं किया गया है जब कि शहर की जन संख्या बढ़ी है ?

(४) इस अस्पताल में गत तीन वर्षों में कितने बीमारों का उपचार किया गया है और कितने बीमारों को विभिन्न वार्डों में भर्ती किया गया है ?

**उप-मन्त्री स्वास्थ्य** (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं। कभी कभी रोगियों की संख्या अधिक हो जाने के कारण स्थान के अभाव में रोगियों को बरामदों में रख कर इलाज किया जाता है।

(३) जी नहीं।

(४) इस अस्पताल में गत तीन वर्षों में उपचार किए गये रोगियों एवं अस्पताल के विभिन्न वार्डों में भरती किये गये रोगियों के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

| सन् | उपचार किये गये रोगियों की संख्या | विभिन्न वार्डों में भर्ती किये गये रोगियों की संख्या। सर्जिकल | मेडिकल | आइसोलेशन. |
|---|---|---|---|---|
| १९६२ | ५६,६२८ | ९५७ | ७४३ | ३३ |
| १९६३ | ६०,२०० | १,६४२ | ६७६ | २६ |
| १९६४ | ६६,६५० | १,२५३ | ७३४ | ३५ |

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** : आपने प्रश्न संख्या २ में यह स्वीकार किया है कि रोगियों को इलाज के लिये बरामदे में रखा जाता है और आपने यह भी स्वीकार किया है कि राजस्थान निर्माण के बाद विस्तार नहीं किया है, यह भी स्वीकार किया है। ज्यादा जन संख्या होने के बाद मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। १७ साल में मरीजों को बरामदों मे न रहना पड़े, इसके लिये आपने क्या सुविधा प्रदान की है ?

**श्रीमती प्रभा मिश्रा** : यह सारे राजस्थान की बात है। जितने बेड्स सेन्क्शन्ड थे उससे ज्यादा हैं। जितनी आर्थिक स्थिति है उतने ही तो बैड्स बढ़ाये जा सकते है इसलिए उनकी बढ़ोतरी करने की अभी कोई सम्भावना नहीं है। मानवता के नाते मरीजों को ट्रीटमेन्ट मिल जाय इसलिये बरान्डे में एमर्जेन्सी के केस को ले लिया जाता है।

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** : क्या राजस्थान के निर्माण के बाद राजस्थान में कहीं अस्पतालों में बेड्स की वृद्धि नहीं की है जैसा कि आपने स्वीकार किया है कि बूंदी के अस्पताल में राजस्थान के बाद कोई सुविधा नहीं बनायी है ?

# Page No 10



**श्रीमती प्रभा मिश्रा** : दूसरे प्रश्न के उत्तर में "जी नहीं" कहा है।

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** : कितना खर्च हुआ है ?

**श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : राजस्थान बनने से पूर्व वहां पर कितने बेड्स थे और राजस्थान बनने के बाद वहां पर कितने बेड्स की बढ़ोतरी की ?

**श्रीमती प्रभा मिश्रा** : बेड्स की संख्या नहीं बढ़ायी है। एक्सरे प्लान्ट, फेमिली प्लानिंग सेन्टर, स्कीम्ड मिल्क डिस्ट्रिब्युशन आदि की सुविधा प्रदान की गई है।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : बेड्स नहीं हैं। डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर तो अस्पताल में बेड्स की संख्या बढ़ानी चाहिए। आखिर डिस्ट्रिक्ट का हैडक्वार्टर है तो बाहर से भी मरीज आवेंगे ही, यह तो सरकार को ध्यान होना चाहिये। बाहर वालों को कोई फेसिलिटीज नहीं मिलती हैं और केवल शहर वालों को ही फायदा मिलता है।

**प्रश्न संख्या ६४७**

श्री उपाध्यक्ष : श्री चतुर्भुज उपाध्याय।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री हरलाल मीणा।

## प्रताप गढ़ के जनाना अस्पताल में लेडी डॉक्टर के खिलाफ स्थान की पूर्ति

६४८. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि प्रतापगढ़ जनाना अस्पताल में लेडी डॉक्टर की जगह खाली है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

(२) कब तक इस पद की पूर्ति की जायेगी ?

**उप-मन्त्री, स्वास्थ्य** (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां। ३०.१.६५ को लेडी डाक्टर की कमी होने के कारण खाली है।

(२) लेडी डॉक्टर के उपलब्ध होने पर पद की पूर्ति कर दी जावेगी। निश्चित नहीं कहा जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मजलिस खां।

## कस्बा कामां की जलप्रदाय योजना

६४६. **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कस्बा कामां, जिला भरतपुर के लिए जल प्रदाय योजना का ७२६,००० रुपया मंजूर हो चुका है ? यदि हां, तो यह रकम कब तक म्युनिसिपल बोर्ड कामां को अदा कर दी जायेगी ?

(२) क्या यह भी सही है कि म्युनिसिपल बोर्ड कामां ने उक्त योजना को चालू करने के लिये दिनांक १२.४.६४ को नं०

# Page No 11



(श्री मजलिस खां)

१११८ से कर्जे के लिए प्रार्थना-पत्र भी भेजा है ? यदि हां, तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से म्युनिसिपल बोर्ड कामां को क्या उत्तर दिया गया है ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना को चालू करने के लिये नलों के ठेके भी कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो आवश्यक सामान कब तक जुटाना शुरू कर दिया जायेगा?

(४) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना मंजूरी के लिये सितम्बर १९६४ में भारत सरकार को भेजी गई थी ? यदि हां, तो मंजूरी कब मिली ?

(५) क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में दिनांक ३. ८. ६४ को म्युनिसिपल बोर्ड कामां की ओर से डाइरेक्टर लोकल बोडीज को भी लिखा पढ़ी की गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(६) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के सम्बन्ध में कलेक्टर भरतपुर ने भी जून २६, १९६४ को अपने पत्र संख्या ५५६० में सेक्रेटरी मेडीकल एन्ड हैल्थ को लिखा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उपमन्त्री,स्वास्थ्य(श्रीमती प्रभा मिश्रा) (१) जी, यह सही नहीं है ।

(२) जी हां । सरकार ने कामां वाटर सप्लाई योजना भारत सरकार को स्वीकृति के लिये भेजी है । भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर कर्जे के प्रार्थना-पत्र पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(४) यह योजना भारत सरकार के पास जून ६४ में भेजी गई है; सितम्बर में नहीं, लेकिन मंजूरी अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

(५) जी हां, योजना की मंजूरी आने पर ही आगे कार्यवाही की जायेगी ।

(६) जी हां, योजना की मंजूरी आने पर तथा धनराशि उपलब्ध होने पर आगे कार्यवाही की जायेगी ।

**श्री मजलिस खां** : क्या इस मंजूरी के लिये आपने भारत सरकार को रिमाइन्डर दिया ?

**श्रीमती प्रभा मिश्रा** : यह सूचना मेरे पास नहीं है ।

**श्री मजलिस खां** : क्या आप इसके लिये रिमाइन्डर करेंगी ?

**श्रीमती प्रभा मिश्रा** : अवश्य दे दूंगी ।

**श्री उपाध्यक्ष** : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

**श्री भैरोंसिह** ।

## सैनिकों को सुविधायें

६५०. **श्री भैरोंसिंह** ( किशनपोल, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

# Page No 12



(श्री भैरोंसिंह)

(१) सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय द्वारा प्रकाशित पुस्तिका "डिफेन्स एफर्ट्स इन राजस्थान" के अनुसार फौजियों के लिये जो आश्वासन दिये गये उनका अब तक किस किस सीमा तक अमल किया गया है तथा इन कार्यवाहियों के अनुसार कितने लोगों को किस किस प्रकार की क्या क्या सहायता मिल चुकी है ?

(२) इस पुस्तिका में जिन घोषणाओं का उल्लेख किया गया है, क्या उसके अतिरिक्त भी सरकार द्वारा कुछ अन्य सुविधाओं की घोषणा की गई है ? यदि हां, तो कब कब और क्या क्या ?

(३) इन आश्वासनों को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा कौन कौन से नियम बनाये गये और कौन-कौन से सक्युलर्स जारी किये गये ? कृपया ऐसे नियमों तथा सक्युलर्स की प्रतियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(४) नेफा तथा लद्दाख के युद्ध में, राजस्थान के कितने फौजियों के मारे जाने, गुम हो जाने, वन्दी बना लिये जाने, तथा अपंग होने की सरकार को सूचना मिली और सरकारी घोषणाओं के अनुसार उनको कब कब तक कितनी सहायता दी गई ?

(५) सैनिकों के राजस्थान में किस किस प्रकार के कितने कितने फन्ड्स हैं ? इन फन्ड्स में पिछले ५ वर्ष में कितनी कितनी आय हुई और किस किस मद में कितना कितना खर्चा हुआ है ?

(६) क्या यह सही है कि राजस्थान में फौजियों को उनकी बढ़िया सर्विसेज़ के इनाम के फलस्वरूप मेडल्स वितरित करने के लिये राज्य सरकार को प्राप्त हुए थे ?

(७) यदि हां, तो यह मेडल्स कब कब कितने कितने आये और कब कब कितने सोल्जर्स को ये वितरण किये गये और अब कहां कहां कितने कितने बचे हैं ?

(८) कितने फौजियों को तथा उनके आश्रितों को अब तक उनके रिज़र्वेशन के अनुसार नौकरी में लिया गया है ? तथा किस किस विभाग में और कब कब ?

**उप-मन्त्री, राजस्व** (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : माननीय उपाध्यक्षजी, यह प्रश्न बहुत लम्बा है और इसमें काफी सूचना प्राप्त करनी है । हजारों आदमियों के लिए बीसियों सूचना उपलब्ध नहीं हो सकती है इसलिये अगली बार इसको रख दिया जाय ।

**श्री भैरोंसिंह** : प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेन्ट है । हजारों आदमियों की सूचना प्राप्त करने का यह कहते हैं, सरकार ने एक कमेटी बना रखी है । कमेटी के पास पूरी सूचना रहती है, उसको ही यदि सदन के अन्दर रख दिया जाता तो काफी होता । सैनिकों से सम्बन्धित प्रश्न है । कई बार चार्जेज़ यहां विधान सभा में लगे हैं और सरकार की ओर से घोषणायें की गई हैं कि सैनिकों को किस प्रकार की सुविधायें प्रदान नहीं की हैं इससे सैनिकों के अन्दर इस प्रकार की चर्चा है और उनके अन्दर एक प्रकार का इस बात को लेकर असंतोष है, उनमें असंतोष

(श्री भैरोंसिंह)

की भावना न बने इसलिये देश के हित में, सरकार के हित में और हम सब के हित में यह अच्छा होता कि सरकार के पास जितनी सूचनायें उपलब्ध हैं और जो वह कर पायी है उनकी जानकारी के लिये राजस्थान की विधान सभा में प्रस्तुत कर देती और वे सूचनायें राजस्थान के इस सदन के मार्फत उन सैनिकों को देती और उनके परिवारों को देती। कुछ इन्फोर्मेशन ऐसी हैं जो तुरन्त सरकार को इस विधान सभा में देना चाहिये थीं। माननीय मंत्री महोदय यह कहते हैं कि समय लगेगा। एक महीने पहले इस प्रश्न का मैंने नोटिस दिया है और सरकार चाहती तो इसका जबाब दे सकती थी। जो सूचनायें मांगी हैं वे दे सकती थीं। एट दी एण्ड ऑफ दी सेशन भी यदि सरकार इस प्रकार की सूचनायें उपलब्ध नहीं करा सकती तो यह सदन का घोर अपमान है और आपके अधिकारों को भी चुनौती है। चुनौती इस सेन्स में कि जितने प्रश्न पूछे जाते हैं पोस्टपोन कराने की आदत आज से नहीं हर सेशन में चली आ रही है। यदि माननीय मंत्रीजी आज उत्तर न दे सकें तो मुझे सात दिन के अन्दर व्यक्तिगत रूप से पत्र लिख कर जबाब भेज दें।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : माननीय उपाध्यक्षजी, जहां तक सैनिकों में असंतोष की बात कही है तो उस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप अखबार पढ़ते हों तो आपको मालूम हुआ होगा कि तीन दिन पहले ही डिफेन्स मिनिस्टर चौहान ने राजस्थान के द्वारा किये गये एफर्ट्स को एप्रिशियेट किया है।

**श्री भैरोंसिंह** : इन्फोर्मेशन तो 'डिफेन्स एफर्ट्स' नाम की पुस्तक पढ़ कर मिल गयी होगी और एप्रिशियेट कर लिया होगा।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : पूरी बात सुन लीजिये।

जहां तक इन सारे मुद्दों पर सूचना देने का प्रश्न है, ८ भाग में तो यह प्रश्न है और एक भाग में कई आदमियों के लिये सूचना एकत्रित करनी पड़ती है। मुकम्मिल रूप से सूचना एकत्रित करके सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता था वह नहीं कर सका इसलिये एड्जोर्नमेंट के लिये कहा है।

सात दिन में प्रश्न भेजने का सवाल है सात दिन में भी मुकम्मिल सूचना जिस तरह से चाही गयी है नहीं दी जा सकेगी। जब हम इसकी सूचना पूरी तरह से प्राप्त कर लेंगे तो विधान सभा में प्रस्तुत करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। माननीय सदस्य को भी भेजने में कोई आपत्ति नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह** : मेरा निवेदन करना यह है कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनकी सूचना मंगानी आवश्यक है। "इन आश्वासनों को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा कौन कौन से नियम बनाये गये और कौन कौन से सरक्युलर्स जारी किये गये ? कृपया ऐसे नियमों की महत्वपूर्ण सक्युलर्स की प्रतियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें"। आगे है "नेफा और लद्दाख के युद्ध में राजस्थान के कितने फौजियों के मारे जाने, गुम हो जाने, बन्दी बना लिये जाने, तथा अपंग होने की सरकार को सूचना मिली और सरकारी घोषणाओं के अनुसार उनको कब कब तक कितनी सहायता दी गई ?"

Page No 14



(श्री भैरोंसिंह)

इसमें भी कोई एक महीने का समय और कलेक्शन करने का सवाल नहीं है।

क्या सरकार इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर इसलिये नहीं दे रही है कि सरकार ने अपने आश्वासन के अनुसार अपनी आज्ञाओं के अनुसार कुछ नहीं किया उस कमजोरी के छिपाने के लिये उत्तर नहीं दे रही है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : यह बात नहीं है हर पोइन्ट पर जो आपने सूचना मांगी है वह उपलब्ध नहीं है। आपके किसी पॉइन्ट पर सूचना हो सकती है लेकिन उचित यही समझा गया कि जब तक पूरी सूचना नहीं मिलती उत्तर नहीं दिया जाय।

**श्री भैरोंसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जिस भाग का उत्तर दे सकते हैं उतना ही दिला दीजिये।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : इस समय मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह** : इसका मतलब हुआ आपकी नीयत खराब थी।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : सूचना प्राप्त होते ही सदन में रखवा दूंगा और माननीय सदस्य के पास भी भेज दूंगा।

**मुख्य मन्त्री** (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : मैं माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं पहले भी नियमों में सहूलियतें दी गई हैं, इस बारे में पुस्तिका छपी है वह पुस्तक सभी के पास वितरित की जा चुकी है। डैथ्स कितनी हुई, इसकी जानकारी देना मुश्किल नहीं, लेकिन सारी बातें जो प्रश्न में उठायी गई हैं उनका एक साथ जवाब दिया जाय, इसलिये जो सामग्री इस सम्बन्ध में थी वह साथ नहीं लाये। डैथ्स को छिपाने का सवाल नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न बड़े महत्व का है इस प्रश्न को इस दृष्टि से अनस्टार्ड ट्रीट किया जायगा और जो कुछ सूचना हो वह पहुंचाने की व्यवस्था की जाय।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल।

## नहरों में आई भूमि का मुआवजा

**९५१. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल** (सिकराय-सु.) क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या तहसील सिकराय में बन्ध माधोसागर ढोलिका कालोखो से जो नहरें निकाली गई हैं उनसे प्रभावित गांवों के काश्तकारों को सरकार मुआवजा दे चुकी है? अगर हां, तो कब और किस किस ग्रामों को, अगर नहीं तो क्यों?

**उप-मन्त्री, सिंचाई** (श्री दिनेशराय डांगी) : जी नहीं, राजस्व विभाग द्वारा भूमि अवाप्त की कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण अभी तक मुआवजा नहीं चुकाया जा सका।

**श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल** : पहले भी आपने आश्वासन दिया था जयपुर कलेक्टरी में पेन्डिग है पांच सात साल हो गये अभी तक सरकार मुआवजा नहीं दे सकी?

**श्री दिनेशराय डांगी** : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में जिन तीन बांधों के लिए कहा गया है करीब करीब सारे बांध ५० वर्ष पुराने हैं। जब तक हमारा मुआवजा कानून भी नहीं बना था उसके बाद में क्लेम किया गया है उसकी बुनियाद पर कार्यवाही चल रही है। हमारी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी अब तक मुआवजा के कागज तैयार नहीं हुए हैं।

**श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल** : बांध माधोसागर पुराना है, लेकिन नहरें जो नई बनी हैं, उनके लिये मुआवजा दिया गया। उसी प्रकार ढोली बांध आदि का भी मुआवजा जो नहरें निकली हैं उसका दिलाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

## अलवर में सिनेमा के लिये जमीन

६५२. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सही है कि नगर विकास मंडल अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, अलवर ने सड़क नम्बर २ पर स्कीम नम्बर १ में कुछ कृषि भूमि स्कीम के दक्षिण पश्चिम कोने पर स्कीम से बाहर छोड़ दी है।

(२) यदि हां तो इस जमीन के मालिक कौन कौन व्यक्ति हैं और इसका क्षेत्रफल क्या है ? तथा इस कृषि भूमि को इस स्कीम से बाहर छोड़ने का क्या कारण है ?

(३) क्या यह सही है कि यह कृषि भूमि बिल्कुल लम्बी सड़क है और शहर के मुख्य बाजार होप सर्कस से स्कीम की दूसरी जमीनों की अपेक्षा सब से नजदीक पड़ती है ?

(४) क्या यह सही है कि चीफ टाउन प्लानर राजस्थान ने नगर विकास मंडल, अलवर को इस कृषि भूमि के सम्बन्ध में एक पत्र लिखा है कि इस कृषि भूमि को स्कीम नम्बर १ में अवश्य शामिल करना चाहिये ? कृपया चीफ टाउन प्लानर का यह पत्र सदन की मेज पर रखें।

(५) क्या यह सही है कि इस कृषि भूमि के मालिकों ने इस जमीन को सिनेमा के लिये गैर कृषि कार्य के लिये तब्दील कराने के लिये दर्ख्वास्त दी है और कलेक्टर ने नगर विकास मंडल की इसमें राय मांगी है ? यदि हां, तो नगर विकास मंडल, अलवर ने इस सम्बन्ध में अपनी क्या राय दी है और उसके लिये क्या कारण दिये हैं ?

(७) क्या सरकार ने इस जमीन की कीमत कुंतवाई है ? यदि हां, तो कीमत का अनुमान क्या है ? यदि नहीं कुंतवाई, तो अब कुंतवा कर बताने का कष्ट करें।

(७) क्या सरकार को मालूम है कि इस जमीन के आसपास सड़क नम्बर २ पर आबादी की जमीन की कीमत लगभग २५) रु० प्रति वर्गगज है ?

**उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन** (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां।

(२) इस जमीन के मालिक श्री नारायणलाल पंजाबी है व भूमि का क्षेत्रफल

(श्री परसराम मदेरणा)

१५,१३३ वर्ज गज है। सिनेमाघर बनाने के लिये यह जमीन छोड़ दी गई है ?

(३) जी हां।

(३) जी हां। चीफ टाऊन प्लानर के पत्र संख्या टी ४४।६४६ दिनांक १२–७–६३ की आंशिक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ?

(५) इस विभाग को कोई ऐसा प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

(६) प्रश्न नहीं उठता।

(७) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : जिस कृषि भूमि को डेवलपमेंट स्कीम के लिये एक्वायर किया गया है तो उस भूमि में से कुछ भाग को सिनेमा के लिये छोड़ा गया ?

**श्री परसराम मदेरणा**: एक्वायर नहीं की गई है, छोड़ने का प्रश्न नहीं है। जमीन मालिक के पास जमीन है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : क्या यह सही नहीं है कि दूसरी प्राइवेट पार्टीज को यह कहा तुम ओरीजिनल पर्सन से जमीन खरीद लो, सिनेमा बनाने के लिये इसको एक्वायर नहीं किया गया है। ट्रस्ट ने आश्वासन देकर किसान से नारायणलालजी को खरीदने के लिये इजाजत दी।

**श्री परसराम मदेरणा** : स्कीम बनाने का काम यह अर्बन इम्प्रूवमेन्ट का है। वह स्कीम बना कर भेजता है। इसी तरह का एक डिसीजन ३०–३१–५३ को लिया गया कि इसको स्कीम के अन्तर्गत नहीं लियाजावे। सिनेमा के लिये ईयर मार्क करना जरूरी था। उस समय कलेक्टर के पास नारायणलालजी एप्रोच हुआ। कमेटी ने डिसीजन ले लिया था और व्यक्तिगत फायदे के लिये ट्रस्ट जमीन एक्वायर करके नहीं दे सकता है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : सारी जमीन तो एक्वायर की, यह जमीन इसलिए छोड़ दी गई कि प्राईवेट सिनेमा बनेगा, अगर सिनेमा ही बनाना था तो ट्रस्ट उस भूमि को एक्वायर करके नीलाम कर सकता था। उपाध्यक्ष महोदय,१५१३३ गज यह जमीन है,यह जमीन मालिक ने पांच हजार रुपये बीघे में खरीदी है। लगभग २५ रुपये गज के हिसाब से इस भूमि का ३ लाख ७८ हजार रुपया होता है, उस पार्टी ने केवल पांच बीघा जमीन २५ हजार में खरीदी है। उस जमीन को एक्वायर करके साढ़े तीन लाख रुपये का फायदा कमाने का ट्रस्ट ने मौका खो दिया। टाउन प्लानर ने अपने पत्र में लिखा है कि—

"In the course of discussion I was informed that the area of the...

**श्री परसराम मदेरणा** : I have already given it.

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : टाउन प्लानर ने कहा है कि इसको एक्वायर करनी चाहिए। आपने उसको एक्वायर क्यों नहीं की ?

**श्री परसराम मदेरणा** : टाउन प्लानर का लैटर ,१२–७–६३ का है एक्वा-

(श्री परसराम मदेरणा)

यर नहीं करने के बारे में। प्राइवेट पार्टीज़ ने पर्मिशन १६५७ में ले ली थी, उस वक्त जो स्कीम टाउन प्लानिंग कमेटी के पास थी वह केवल रेज़ीडेन्शियल पर्पज़ के लिये थी। उसे सिनेमा आदि दूसरे प्रकार के कॉमर्शियल वर्क्स के लिये नहीं ले सकते थे, इसको इसलिए एक्सक्लूड किया गया। अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट का जहां तक सवाल है, वह जो भी इस प्रकार की स्कीम बनाता है वह 'no profit no loss' बेसिस पर होती है। लेकिन इस बारे में टाउन प्लानिंग कमेटी ने डिसीज़न १६५७ में ले लिया था।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : क्या यह सही है कि सरकार की नीति है कि जहां भी टाउन इम्प्रूवमेन्ट के लिये स्कीम बनाती है वहां पर प्राइवेट इन्डिवीजुअल्स को जमीन किसी काम के लिये देने की नीति नहीं है ?

**श्री परसराम मदेरणा** : मैंने निवेदन किया जिस समय यह जमीन उनको दी गई, उस समय ट्रस्ट कमेटी थी। उसके कलेक्टर चेयरमैन थे उन्होंने स्कीम बनायी और डिसीज़न ले लिया और वह स्कीम गवर्नमेन्ट के पास भेज दी। स्कीम एग्ज़ीक्यूट हो रही थी उस वक्त कमेटी के डिसीज़न को अनडू करना ठीक नहीं। जमीन को सिनेमा बनाने के लिये ईअर-मार्क कर दी।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : कन्वर्शन करने के बारे में नीति नहीं है क्या ? प्राइवेट लोगों को कन्वर्शन के लिये न देकर कॉर्पोरेट बॉडीज़ जैसे पंचायतें, म्युनिसिपैलिटीज़, नगरपालिकायें हैं वे यदि इस प्रकार से कन्वर्शन दें तो विकास का लाभ उनको मिल सकता है ? क्या यह नीति नहीं है क्या ?

**श्री परसराम मदेरणा** : इसमें दो राय नहीं हो सकती। स्कीम के अन्तर्गत ट्रस्ट के पास बहुत बड़ा एरिया है उसमें एग्रीकल्चर लेन्ड आ जाती है और वह एरिया स्कीम में नहीं आ रहा है तो उस जमीन की ट्रस्ट को स्कीम के अन्तर्गत जरूरत नहीं, फिर भी ट्रस्ट उसको एक्वायर करे और बेचे यह पॉलिसी नहीं हो सकती।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : जो स्कीम बनाने से पहले प्राइवेट लोगों के पास एग्रीकल्चरल लैण्ड है, उसको सरकार प्राइवेट तौर पर प्राइवेट पार्टीज के लिए प्राइवेट पर्पज़ेज़ के लिए कनवर्ट करने का इरादा रखती है ?

**श्री परसराम मदेरणा** : यह हाइपोथेटिकल प्रश्न है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : यह हाइपोथेटिकल कैसे है ? कुछ को तो आप इजाजत देते हैं, चूंकि ५७ में हमने स्वीकृति दे दी थी तो आप ले सकते हो। जिसके लिए टाउन प्लानर ने भी कहा है कि उसे सरकार या नगरपालिका स्वयं एक्वायर कर ले। पर इसकी राय के बावजूद आप एक्वायर नहीं करने एक तरफ तो और दूसरी तरफ लोगों के पास इस तरह की जमीन पड़ी हैं, उनको आप लेने की इजाजत नहीं देना चाहते तो आखिर आपकी नीति क्या है ? सरकार की इस बारे में क्या कोई निश्चित

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नीति है या नहीं या व्यक्तिगत आधार पर जैसा ठीक समझती है, जिसको चाहे दे दे पर्मीशन और जिसको न चाहे न दे।

श्री उपाध्यक्ष : नीति के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं पूछा जा सकता।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : आज आया सरकार प्राइवेट लोगों को प्राइवेट कार्य के लिए कनवर्शन करने की नीति रखेगी ऐसी लैण्ड के बारे में या कॉर्पोरेट बोडी के जरिये ही कराने की रक्खेगी ?

**श्री परसराम मदेरणा** : ट्रस्ट एक्वायर करती है या नहीं करती, वह स्वयं स्वायत्त संस्था है। वह अपनी स्कीम बनाती है, सरकार के पास भेजती है, सरकार स्फटिनी करने के बाद स्वीकार करके भेज देती। अब यह तो कब कैसी स्कीम आती है उस पर निर्भर करता है। यहां प्रश्न यह है कि ५७ में एक स्कीम बनी थी और उस वक्त उसको पर्मीशन दे दी थी। अब इसमें भी यह है कि नगर परिषद खरीद फरोख्त तो करती नहीं और केवल खरीद फरोख्त की नीति हीं रहे यह ठीक भी नहीं। अब चूंकि ५७ में स्वीकृति दी थी तो उसको अब कैसे अवोइड कर सकते हैं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : आपकी क्या नीति नहीं है, विकास योजनाओं में जमीनों को आप एक्वायर करते हैं, नीलाम करते हैं, प्लॉट एलाट करते हैं, तो इसी तरह से उसको भी लें, क्या यह नीति नहीं है सरकार की ?

**श्री परसराम मदेरणा** : मास्टर प्लान बना रहे हैं हम। उसके अन्दर सब प्रकार के सेक्टर बना रहे हैं। पर्टीक्यूलर सेक्टर में क्या चीज है इतनी डिटेल मैं नहीं जानता। यह कॉमर्शियल, यह इन्डस्ट्रियल, यह रेजीडेन्शियल, यह स्कूल और यह हॉस्पिटल आदि के लिए है। अब एक पर्टीक्यूलर मामला ६३ में लाया जाता है। टाउन प्लानर ने एक चिट्ठी लिख दी। पर गवर्नमेन्ट ने तो ६० में ही सेंक्शन दे दी थी तो प्लानर की चिट्ठी पर कैसे वे कुछ करती ? उन्होंने उसे स्कीम के अन्दर कन्सीडर कर लिया। अब अगर उस पत्र पर उस सारी स्कीम को बदलते तो जो कमेटी ने उस स्कीम के तहत प्लॉट एलाट कर दिये थे, ऑक्शन भी कर दिये थे इजाजत कन्स्ट्रक्शन वगैरह की भी दे दी थी, और भी बहुत से काम कर लिये थे, तो उस सबको अनडू थोड़े ही किया जा सकता था ?

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : इस तरह से सारे मामले को दबाने की क्यों कोशिश की जाती है ? क्या यह सही है कि ५७ में उस वक्त इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष जो थे, श्री छोटूसिंहजी एक्स एम. एल. ए. इस जमीन के जो अभी मालिक नारायणदासजी को होना बताया है वे उस जमीन में हिस्सेदार है और इम्प्रूवमेन्ट बोडी के रिश्तेदार होने के नाते बाहर रखाया और एक्वायर नहीं कराया। क्या आप इसकी इन्कवायरी करायेंगे ? मैं यह पूछना चाहता हूं। आप इस सबकी जांच करवाइये।

**श्री परसराम मदेरणा** : जमीन का कौन मालिक है, कौन नहीं है–इस स्टेज पर इस सबकी जानकारी करने की आवश्यकता नहीं है। और जिन सदस्य को आप ला रहे रहे हैं एक्स एम. एल. ए. थे, अब उस कमेटी

(श्री परसराम मदेरणा)

के कौन कौन क्या थे, मैं नहीं कह सकता। पर कलेक्टर चेयरमैन थे। उन्होंने चिट्ठी लिखी कि आप पर्सनल एफर्ट्स से एक्वायर कर लीजिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो आप जांच कराइये न। जांच करेंगे तो पता लगेगा।

## जिला जैसलमेर में एकत्रित सुरक्षा कोष की धनराशि

९५३. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(१) जिला जैसलमेर में सुरक्षा कोष का कुल कितना धन एकत्रित किया गया।

(२) क्या इस जिले के नागरिकों व अधिकारियों द्वारा कुछ व्यक्तियों में सुरक्षा कोष का धन बकाया रहने की शिकायत व कार्यवाही की गई थी? यदि हां, तो क्या बकाया धनराशि जिन व्यक्तियों में थी उन्होंने जमा करा दी? यदि नहीं, तो उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) ३१६१४)३ पैसे मात्र।

(२) जी हां, यह मामला भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौंपा गया है, जिसकी जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है।

श्री मुरलीधर व्यास : मामला कब सौंपा गया?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तारीख तो याद नहीं है पर इसकी शिकायत हुई थी और उसके तत्काल बाद ही यह सौंप दिया गया था।

श्री मुरलीधर व्यास : यह कितने रुपयों का मामला है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कहा जाता है कि ८३०) रसीद बुक से और १७४०) रुपया एक लिस्ट के आधार पर एकत्रित किया गया है, जिसके बारे में प्रधान, उप प्रधान की जिम्मेदारी थी। यह अब मामला सारा एन्टीकरप्शन विभाग को जांच के लिये सौंपा गया है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह शिकायत किन व्यक्तियों के विरुद्ध है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : प्रधान और ग्राम सेवक, नाची।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इसमें रुपयों के अतिरिक्त सोना भी जमा कराया गया था?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : २४ तोले सोना भी आया था।

श्री मुरलीधर व्यास : सोना खरीद करके दिया गया या उन्होंने चैरिटी कोष में खुद ने ही जमा करके दिया है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा ; इतनी डिटेल मेरे पास नहीं है इस समय। पर २४ तोले सोना देना बताया है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह सोना १२६) के भाव से खरीदकर दिया गया

# Page No 20



(श्री मुरलीधर व्यास)

था जब कि उस समय स्वर्ण नियन्त्रण था और ऐसी हालत में ब्लैक से कैसे खरीद कर दिया गया ?

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : मैंने कहा कि खरीद कर दिया गया या घर से निकाल कर लिया गया; it is immaterial यह दिया गया है, यह कह सकता हूं ।

श्री **भैरोंसिंह** : क्या मन्त्री महोदय जानते हैं कि इस प्रकार के गबन के मामलों की जांच एन्टीकरप्शन विभाग नहीं कर सकता ?

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : क्यों नहीं ?

श्री **भैरोंसिंह** : क्योंकि उसको पॉवर नहीं है । आपने यह मामला उसको सौंप कैसे दिया ? वे नहीं कर सकते इस प्रकार के मामले की इन्वेस्टिगेशन । आपके सर्कूलर हैं, आॅर्डर हैं । और आपकी इस तरह की कन्वेन्शन है ।

आप पुलिस को सौंपते इसे ।

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : एन्टीकरप्शन को भी सौंप सकते हैं । उनकी रिपोर्ट पर विचार करके आगे क्या करना है, इसका निर्णय लेंगे ।

श्री **भैरोंसिंह** : पर आप उसको नहीं सौंप सकते । उसके पर्व्यू में ये मामले नहीं आते । इस हाउस में आपने कई बार कहा है । सर्कूलर और आपके आॅर्डर्स में उनकी पॉवर डिफाइन कर रक्खी हैं आपने । यह सुरक्षा कोष का मामला है, काफी सीरियस मामला है । आपने इसे क्यों नहीं पुलिस को दिया ?

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : हम एन्टीकरप्शन विभाग की रिपोर्ट का इन्तजार कर रहे हैं ।

श्री **भैरोंसिंह** : एन्टीकरप्शन विभाग इसके लिये उपयुक्त एजेन्सी नहीं है । वह प्रधान के विरुद्ध ऐक्शन नहीं ले सकता । ४०६ के मामले एन्टीकरप्शन को रेफर नहीं किये जा सकते । गवर्नमेन्ट के क्लीयर कट आॅर्डर्स हैं इसके लिये । फिर पुलिस को क्यों नहीं दिया आपने यह मामला ?

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री गंगासिंह, जायल । Next.

श्री **भैरोंसिंह** : जवाब आना चाहिये, साहब इसका । सुरक्षा कोष के मामलों में इस तरह की ढिलाई उचित नहीं है । हम कई बार सदन में यह कह चुके हैं । इस बारे में सख्ती बरतनी चाहिये । ढिलाई इसमें खतरनाक है । सुरक्षा कोष में, प्रान्त और देश की रक्षा के कोष में जो रुपया दिया जाता है, उसमें इस तरह की ढिलाई बरतना खेदजनक है । सरकार को तेज़ी और सख्ती से इस में कार्यवाही करनी चाहिये ।

## मच्छियों के चौक, नागौर के शफाखाने में डॉक्टरों की कमी

६५४. श्री **गंगासिंह** (जायल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री गंगासिंह)

(१) क्या यह सही है कि नागौर शहर में मच्छियों के चौक में जो सरकारी शफाखाना है वहां केवल एक ही कम्पाउन्डर व एक चपरासी है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त शफाखाने में आने वाले मरीजों की संख्या बहुत है और जनता की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए सरकार इस शफाखाने में एक डॉक्टर की नियुक्ति करने की सोच रही है ?

(३) यदि सरकार नई पोस्ट कायम करने की स्थिति में नहीं है तो क्या सरकार नागौर के बड़े अस्पताल में से जहां काफी डॉक्टर्स हैं एक डाक्टर को फिलहाल सरकारी शफाखाना मच्छियों के चौक, नागौर में नियुक्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो उक्त शफाखाने में कब तक डाक्टर की सेवाएं मिलनी शुरू हो जायेंगी ?

उपमंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं, क्योंकि यह एक एड पोस्ट शफाखाना है और एड पोस्ट शफाखाना के लिये केवल एक कम्पाउन्डर की व्यवस्था है, डॉक्टर की नहीं।

(३) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री गंगासिंह : नागौर हॉस्पिटल से कुछ ही दूरी पर यह डिस्पेन्सरी है और उधर के हिस्से के शहर के लोग काफी तादाद में वहां जाते हैं, तो ऐसी सूरत में जनता की सहूलियत को देखते हुए वहां एक डाक्टर नहीं रखा जा सकता ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह सम्भव नहीं है।

## तहसील कनवास की सिंचाई योजनाएं

९५५. श्री जुझारसिंह (चचट) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि भूतपूर्व तहसील कनवास की सीमा में नदी, नाले व तालाब प्रचुरता से होने के उपरान्त भी सरकार द्वारा अभी तक इस क्षेत्र में कोई मध्यम अथवा छोटी सिंचाई परियोजना की स्वीकृति या सर्वेक्षण नहीं किया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि घूलेट के निकट ग्राम दांता का तालाब बहुत वर्ष पहले आसपास के गांवों की भूमि सिंचित करता था और इस तालाब से सिंचाई की सम्भावनाओं के सर्वेक्षण या जांच के बिना यह बहुत लम्बे समय से बेकार पड़ा हुआ है ?

(३) क्या सरकार भविष्य में सिंचाई हेतु उपयोग करने की दृष्टि से तहसील कनवास में दांता तालाब और नदी पोखलिया नाला तथा अन्य स्थानों का उचित सर्वेक्षण करने पर विचार करेगी ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी नहीं, योजनाएं बनाई गई, किन्तु स्वीकृति योग्य नहीं पाई गई।

(श्री दिनेशराय डांगी)

(२) जी हां, सर्वेक्षण व जांच के पश्चात् इस विषय में कुछ कहा जा सकता है।

(३) जी हां।

श्री जुझारसिंह : आपने योजना किसकी बनाई थी, सावण भादवा की बनाई थी जो मीडियम थी। मेरा प्रश्न स्माल इरिगेशन स्कीम के बारे में है। इस बारे में योजना बनाई है क्या आपने कोई पहले ? सावण भादवा की मीडियम स्कीम अनइकोनोमिकल होने से ड्रॉप किया आपने। मेरा प्रश्न छोटे-छोटे नालों और तालाबों के बारे में है।

श्री दिनेशराय डांगी : आपने अपने प्रश्न में जिन जिन योजनाओं के बारे में लिखा है उनकी प्रिलिमिनेरी सर्वे कराई गई है। पर उसमें मालूम हुआ कि सर्वे कराने के पश्चात् भी योजना ठीक नहीं रहेगी।

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी चाहता हूं कि आपने जब सर्वे की बात कही तो यह बताइये कि किन किन का कराया आपने, नाम बताइये। मेरी जानकारी जहां तक है किसी की भी सर्वे आपने नहीं कराई सिवाय सावण भादवा के। और अगर सर्वे आपने नहीं कराई तो अब दुबारा कराने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : Next.

श्री जुझारसिंह : इसका जवाब तो दिलाइये, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्सट क्वेश्चन।

## चिकित्सा विभाग में खरीद

९५६. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चिकित्सा विभाग द्वारा सन् ६४-६५ के लिए की गई खरीद में किन-किन आइटम्स पर सबसे नीचे की दरों के टेन्डर मंजूर नहीं किये जाकर, उससे ऊपर टेन्डर मंजूर नहीं किये जाकर, उससे ऊपर का टेण्डर मंजूर किया गया ? कृपया तालिका तुलनात्मक दरों तथा कारणों सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) जिन फर्म्स से यह माल खरीदा गया उनमें कितनी ब्लैक लिस्टेड हैं या ऐसी हैं जिनका इस विभाग तथा अन्य विभागों में माल की सप्लाई में व्यवहार ठीक नहीं रहा ?

(३) जयपुर की किन किन फर्म्स से माल खरीदा गया और प्रत्येक के कितने-कितने आइटम्स हैं ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) चिकित्सा विभाग द्वारा सन् १९६४-६५ के लिए खरीदी में जिन आइटम्स पर सबसे नीचे की दरों के टेन्डर मंजूर नहीं किये जाकर उससे ऊपर के टेन्डर मंजूर किये गये हैं जिसकी चाही गई तालिका तुलनात्मक दरों तथा कारणों सहित सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) किसी ब्लैक लिस्टेड फर्म से माल नहीं खरीदा गया। १९६३-६४ में जिन फर्मों

# Page No 23



(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

का माल की सप्लाई में व्यवहार ठीक नहीं रहा उनका नम्बर ४१ है ।

(३) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई )।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि ६३-६४ में जिन फर्मों का माल की सप्लाई में व्यवहार ठीक नहीं रहा उन फर्मों के सम्बन्ध में विभाग ने यह निर्णय लिया था कि भविष्य में इनसे खरीद नहीं की जाय ।

**श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : (श्री बरकतुल्ला खां, स्वास्थ्य मंत्री के उत्तर देने के लिए उठने पर) आप ६ बजे उठते हैं, अभी तक नींद आई हुई है । हाउस में आने के बाद भी नहीं जगे हैं ।

**स्वास्थ्य मंत्री** (श्री बरकतुल्ला खां) : आपके लिए तो हमेशा नींद लेते रहेंगे । आप जायेंगे तो भी नहीं जागूंगा ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** (रायसिंह-नगर) : वैसे तो आप हमेशा नींद की खुमारी में रहते हैं ।

**श्री बरकतुल्ला खां** : दो तरह की शिकायतें होती हैं, एक तो शिकायत यह है कि........

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : आवाज नहीं आ रही है ।

**श्री बरकतुल्ला खां** : एक शिकायत तो यह होती है कि दवाइयाँ सब स्टैण्डर्ड की है । दूसरी शिकायत यह होती है कि दवाई वक्त पर नहीं पहुंचाई गई तो सब स्टैण्डर्ड की शिकायतें होती हैं, तो उन दूकानों से नहीं ली जाती हैं, लेकिन जिनके बारे में यह शिकायत होती है कि वक्त के ऊपर दवाई सप्लाई नहीं की गई तो उसका फॉर्मूला यह है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट के अन्दर पर्चेज करने वाले डॉक्टर हैं और जिनके पास वे दवाइयां पहुंचनी चाहिए थीं, वे दवाइयां नहीं पहुंचती हैं तो मार्केट से दूसरी दवाइयां खरीद कर तो जो डिफरेन्स होता है जो कुछ महंगी दवाई खरीदी जाती है डिस्ट्रिक्ट के अन्दर किसी स्टोर्स से, तो वह एक्स्ट्रा कीमत इन फर्मों से चार्ज की जाती है । इसलिए इनको ब्लेकलिस्टेड नहीं किया जाता है ।

**श्री भैरोंसिंह** : मेरा सवाल दूसरा है और आपका जवाब दूसरा है ।

**श्री बरकतुल्ला खां** : मैं यह जवाब दे रहा था कि जो कमेटी ने डिसाइड किया था वह यह किया था कि सब-स्टेण्डर्ड उनसे नहीं लिया जाय, लेकिन जिनकी शिकायत यह है कि उन्होंने वक्त पर माल सप्लाई नहीं किया तो उनके बारे में यह डिसीजन नहीं था कि उनसे नहीं ली जाय, लेकिन एक पैनल्टी क्लॉज लगाई गई थी कि उनको सजा दी जाय और उन पर सबसे बड़ा जुर्माना यह है कि जो उन्होंने सप्लाई मांगी थी वह वक्त पर नहीं पहुंची और दूसरी दवा खरीदी तो उसके डिफरेन्स का पेमेन्ट कर दें ।

**श्री भैरोंसिंह** : वह तो सुन लिया, लेकिन जिन ४१ फर्मों के बारे में यह कहा

(श्री भैरोंसिंह)

गया कि माल सप्लाई करने में ठीक प्रकार का व्यवहार नहीं किया गया तो क्या उन ४२ आदमियों को, पूरी की पूरी फर्मों के बारे में विभाग ने इस प्रकार के आदेश निकाले थे कि भविष्य में इनसे सामान नहीं खरीदा जाय ?

**श्री बरकतुल्ला खां** : ऐसा नहीं निकाला।

**श्री भैरोंसिंह** : यह आप कह रहे हैं कि नहीं निकाला ।

**श्री बरकतुल्ला खां** : मुझे जो सूचना दी गई है डिपार्टमेंट से...

**श्री भैरोंसिंह** : मैं फिर कहता हूं कि आपकी सूचना को कन्फर्म कर लें ।

**श्री बरकतुल्ला खां** : सूचना डिपार्टमेंट की तरफ से यह दी गई है कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं निकाला कि इनसे व्यवहार नहीं किया जाय । मुझे डिपार्टमेंट से यह सूचना मिली है ।

**श्री भैरोंसिंह** : किन फर्मों ने सब-स्टैण्डर्ड का माल सप्लाई किया है उन फर्मों से माल नहीं खरीदा जाय इस प्रकार की व्यवस्था है क्या ?

**श्री बरतुल्ला खां** : जी हां । इस तरीके की सब-स्टैण्डर्ड वाली फर्मों से डीलिंग नहीं करते हैं । जो सूची मैंने सदन की मेज पर रखी है उसमें यह कहा गया है कि इनकी लेट सप्लाई हुई, इनकी सप्लाई हुई नहीं और इनका सब-स्टैण्डड है तो सब-स्टैण्डर्ड वाली फर्म के लिए ये इन्स्ट्रक्शन्स हैं कि उनसे व्यवहार नहीं किया जाय ।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या माननीय मन्त्रीजी यह बतायेंगे कि इन ४१ फर्मों में से सब-स्टैण्डर्ड के माल वाली कितनी फर्में हैं कि जिनसे माल नहीं खरीदा जाय इस प्रकार के आदेश विभाग ने निकाले हैं ?

**श्री बरकतुल्ला खां** : तीन हैं जिनसे माल नहीं खरीदा जाय क्योंकि ये सब-स्टैण्डर्ड सप्लाई करने वाली हैं ।

**श्री भैरोंसिंह** : इन तीन फर्मों के नाम क्या हैं ?

**श्री बरकतुल्ला खां** : सूची जो सदन की मेज पर रखी गई है उसमें मैंने बताया है। आप यदि चाहें तो इसमें से देखकर नाम बता दूं ।

**श्री उपाध्यक्ष** : सूची है तो फिर...

**श्री भैरोंसिंह** : मेरे पास सूची नहीं है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप नाम से क्या मतलब लेंगे ?

**श्री भैरोंसिंह** : नाम से मतलब है । मैं अभी बतलाना हूं ।

**श्री बरकतुल्ला खां** : (१) मोडर्न हास्पिटल सप्लायर्स, (२) सर्जीकल मेन्युफेक्चरिंग इन्डस्ट्रीज, लखनऊ, (३) सर्जीकल एण्ड ड्रेसिंग कम्पनी, मेरठ ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रार्यासहनगर): (वित्त मन्त्री, श्री कौल के आने पर) बधाई है आपको । आप उपनेता तय हो गये हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बजार, जयपुर) : Most unfortunat.

श्री उपाध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत ।

**पंचायत समिति सोजत को बीज खरीद के लिए ऋण तथा खराब बीज की खरीद**

६५७. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सोजत पंचायत समिति में राज्य सरकार द्वारा खरीफ के बीज के लिए दिये गये ऋण से अप्रेल, १९६४ से जुलाई, १९६४ तक ज्वार का बीज खरीदा गया ?

(२) क्या यह सही है कि बीज खराब होने तथा अधिक दर पर खरीदा जाने के कारण शिकायत होने पर इवेल्यूएशन कोटी के प्रस्ताव के अनुसार उप-संचालक कृषि विभाग, पाली को पत्र लिखा गया ? यदि हां, तो कब व उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(३) क्या बीज की खरीद में विभागीय आदेशानुसार बीज का सेम्पल सील किया गया व खरीदते वक्त हर बोरी के सेम्पल की जांच की गई व उनकी सील कर रिजर्व रखा गया ?

(४) क्या यह सही है कि उप-संचालक कृषि विभाग, पाली ने दिनांक ७-७-६४ को व ता० १०-७-६४ को उक्त बीज के बारे में विकास अधिकारी को पत्र भेजे ?

(५) क्या यह सही है कि उप-संचालक, कृषि विभाग पाली ने ज्वार के बीज की खरीद के घोटाले की जांच की ? यदि हां, तो कब व उनकी जांच के अनुसार खराब बीज की खरीद के लिए कौन जिम्मेवार पाया गया व क्या उप-संचालक,कृषि विभाग पाली ने जो रिपोर्ट राज्य सरकार को २-८-६४ को भेजी उसमें शिकायतकर्त्ता को भी पूछा ? नहीं तो, क्यों नहीं ?

(६) क्या जो बीज जवार का खराब पाया गया वह किसानों को नहीं दिया गया ? यदि दिया गया तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है ? कृषि विभाग के डी० ए० ओ० व डिप्टी डाइरेक्टर एग्रीकलचर पाली ने उन्नत बीज के नाम पर खराब बीज नहीं बांटा जावे, इसके लिये क्या २ कदम उठाये ?

(७) डिप्टी डाइरेक्टर एग्रीकल्चर, पाली व एग्रीकल्चर ऑफिसर, पाली ने जवार बीज सम्बन्धी शिकायतों पर कृषकों से क्या जांच की व खराब बीज का नतीजा फसल के वक्त जानने की क्या कोशिश की व क्या जो शिकायतें उनके पास आईं उन पर कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ?

उप-मन्त्री, कृषि (श्री भीमसिंह) : (१) अप्रेल १९६४ से जून १९६४ तक ज्वार खरीद की गई उसकी सूची संलग्न है । जुलाई में ज्वार का बीज नहीं खरीदा गया यह बीज सहकारी समिति व पंचायत समिति द्वारा खरीदा गया ।

(२) इवेल्युएशन कमेटी के प्रस्ताव की प्रतिलिपि संलग्न है । इस प्रस्ताव के अनुसार विकास अधिकारी ने उप-संचालक को पत्र

(श्री भीमसिंह)

लिखा और पत्र प्राप्त होते ही पाली के बीज विकास अधिकारी एवं सहायक पौध संरक्षण अधिकारी ने उसी रोज मौके पर पहुंच कर बीज का निरीक्षण किया और उसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर उप-संचालक कृषि, पाली ने पत्र संख्या १३६६६ दिनांक १०–७–६४ के द्वारा विकास अधिकारी सोजत को सुझाव दिया कि ४३ बोरियों में से केवल १६ बोरी बीज के काम में ली जाय और २७ बोरियों की जवार बीज के योग्य नहीं है।

(३) बीज के नमूने खरीद के पहले लिये गये थे पर विभाग के आदेशानुसार हर बोरी से सैंपल नहीं लिया गया और न ही नमूने सील किये गये।

(४) जी हां, प्रतिलिपि संलग्न है।

(५) जी हां, जांच अगस्त १९६४ में की। इस रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सरकार के पास अक्टूबर, १९६४ में आई। और सरकार ने यह शिकायत संयुक्त संचालक को सुपुर्द की।

(६) यह प्रश्न एन्क्वायरी के बाद ही ठीक ठीक पता लग सकता है।

(७) उप-संचालक, कृषि, पाली व जिला कृषि अधिकारी, पाली को खराब बीज बोने से हुई हानि की कोई शिकायत नहीं मिली।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**श्री तेजाराम गहलोत** : प्रश्न के भाग (४) में आपने यह बताया है कि जांच की है तो क्या जांचकर्ता ने शिकायतकर्त्ता को जांच के बारे में पूछा ? और पूछा तो कब पूछा ?

**श्री भीमसिंह** : जांच की और जांच में जिन्होंने शिकायत की उनको जांच में शामिल नहीं किया इसलिए दुबारा उनको लिखा है कि प्रश्नकर्त्ता को साथ में लेकर फिर जांच की जाय।

**श्री तेजाराम गहलोत** : शिकायतकर्त्ता को पूछा ही नहीं तो फिर जांच कैसे की ?

दूसरा यह है कि प्रश्न के भाग (६) में आपने बताया कि है कि खराब बीज के बारे में डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर और डिप्टी डाइरेक्टर एग्रीकल्चर ने क्या क्या कदम इस प्रकार के खराब बीज को काम में नहीं लेने के बारे में उठाये तो आपने यह कहा कि यह एन्क्वायरी से पता पड़ेगा तो एन्क्वायरी में क्या पता पड़ेगा ? कृषि विभाग की यह ड्यूटी होती है कि वह कदम उठाये कि खराब बीज नहीं बांटा जाय। मौके पर उसको शिकायत मिली तो क्या कदम उठाये ?

**श्री भीमसिंह** : शिकायतकर्त्ता चार थे तो जो कमेटी बनी तो उसने उन चार आदमियों में हो सकता है बाकी तीन को जांच में शामिल कर लिया हो और आप स्वयं भी शिकायतकर्त्ता थे उसमें नहीं किया हो तो आपको एतराज हो तो फिर हमने लिखा है कि आपको शामिल करके दुबारा जांच की जाय।

(श्री भैरोंसिंह)

उसके अलावा पार्ट (६) के बारे में कहा कि खराब बीज नहीं बांटा जाय तो इसके बारे में क्या कार्यवाही की तो इस प्रश्न का उत्तर भाग (२) के उत्तर में आ चुका हैं।

श्री तेजाराम गहलोत : दो में उत्तर नहीं आता है। उसके पहले मैं आपको बताऊ कि ७ तारीख को डिप्टी डाइरेक्टर एग्रीकल्चर, पाली, ने जो पत्र निकाला है कि बीज ठीक है और आप ३० तारीख को मौके पर गये और यह कहा कि १६ बोरियां ठीक है फिर प्रश्न नं० (५) मे बताया है कि २० तारीख को लेटर निकाला है कि बीज ठीक है और उसी रेफरेन्स में १० तारीख को एक पत्र निकाला है कि बीज खराब है। इस तरह का गड़बड-घोटाला है तो इसकी जांच कराकर बतायें।

श्री भीमसिंह : यह आपका कहना, उपाध्यक्ष महोदय, गलत है। डिपार्टमेंट के अधिकारी १३-७-६५ को यह लिखा गया था कि बीज खराब है और ४३ बोरियां पहुंच गई तो उन्होंने लिख दिया कि १२ बोरियां ठीक है। बाकी ठी नहीं हैं।

श्री तेजाराम गहलोत : ७ तारीख को एक लेटर उसी ऑफिस से निकलता है और उसमें कहते है कि बीज ठीक है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंह नगर) : ७ तारीख को बीज ठीक था और १० तारीख को कैसे खराब हो गया ?

श्री भीमसिंह : ७ तारीख का इसमें नहीं लिखा है कि ठीक है।

श्री उपाध्य : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री विजयसिंह झाला : ६५८।

(१२.०८ मध्याह्न)

श्री भीमसिंह : उसने लिखा है कि एप्रोप्रियेटली जब तक एक्ज़ामिन नहीं कर लिया, तब तक सीड यूज़ कर लिला। जब उन्होंने उसको इन्सपेक्ट कर लिया तो इमीजियेटली लिख दिया। इतना ठीक है और इतना खराब है। एपेरेन्टली वह मान लिया कि सारा खराब नहीं है और सारा अच्छा नहीं है। जब चैक किया तो ११ बोरियां अच्छी निकलीं और २७ बोरियां खराब निकलीं।

श्री तेजाराम गहलोत : प्रश्न यह है कि जिस बीज के लिए कह दिया कि यह ठीक नहीं है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कैसे भेज दिया ?

श्री भीमसिंह : उन्होंने नहीं भेजा। उन्होंने मना किया लेकिन पंचायत समिति ने नहीं माना और १६ बोरी जो अच्छी थीं, वह बांट दी और २७ बोरी नहीं बांटी। एग्रीकल्चर विभाग की बांटने की जिम्मेदारी नहीं थी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऐसा ७ तारीख के लेटर में नहीं है जो माननीय सदस्य ने पढ़ कर सुनाया है।

श्री भीमसिंह : आपको जानकारी नहीं है, हांडा साहब !

श्री तेजाराम गहलोत : मैंने निवेदन किया कि कृषि विभाग से पूछा गया, आप

(श्री तेजाराम गहलोत)

जांच करके बीज के बारे में टैक्निकल राय दें कि यह बीज बांटने के लायक है या नहीं। ३० तारीख को विभाग को लिखा और उन्होंने देख लिया और कह दिया कि बीज खराब है। उसके बाद ७ तारीख का लैटर भेजा।

श्री उपाध्यक्ष : Order please? Nex

श्री तेजाराम गहलोत : मेरा निवेदन है कि इस तरह...

श्री उपाध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर समाप्त करता हूं।

श्री विजयसिंह झाला : मेरा प्रश्न ६५८ है।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : यह प्रश्न बहुत जरूरी है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : झाला साहब को सवाल पूछ लेने दीजिये।

श्री विजयसिंह झाला : इस सवाल का जवाब देने के लिए आप कह दीजिये। मैंने पूछ लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री रघुनाथ विश्नोई (संचोर) : एक पूछा जायगा तो दूसरे प्रश्न भी पूछे जाने चाहिए।

श्री विजयसिंह झाला : मैंने क्वेश्चन पूछ लिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : यह क्वेश्चन कॉल कर दिया है। जो पूछने वाले हैं उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न बीच में समाप्त हो चुका है।

श्री विजयसिंह झाला : आपने नेक्स्ट कहा था, उसके बाद कॉल किया था।

श्री उपाध्यक्ष : I will allow only Mr. V. S. Jhala and then I will enter into another business.

(विराम)

श्री विजयसिंह झाला।

## मंत्रियों तथा गजटेड ऑफिसरों की सम्पत्ति की सूचना

६५८. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान के कितने मंत्रियों ने अपनी सम्पत्ति की सूची अब तक प्रस्तुत कर दी है ? कृपया नाम भी बतावें। प्रत्येक की सम्पत्ति की सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) इस सूची में क्या मंत्रियों के कुटुम्ब की सम्पत्ति भी सम्मिलित है ?

(३) क्या सरकार इसी तरह गजटेड ऑफिसरों की सम्पत्ति की सूची भी लेना चाहती है ? यदि हां, तो इसमें क्या प्रगति हुई ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा):(१)राज्य सरकार ने अभी तक मंत्रियों के लिए ऐसे नियम नहीं बनाये हैं जिनके अन्तर्गत उन्हें अपनी अचल सम्पत्ति की सूची प्रस्तुत करने का प्रावधान हो।

(२) उपरोक्त उत्तर के संदर्भ में यह प्रश्न नहीं उठता।

(३) राजपत्रित अधिकारियों को अपनी अथवा कुटुम्ब के अन्य सदस्यों की अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में सूची प्रेषित करने का प्रावधान राज्य कर्मचारी आचरण नियम १० में पहले से है, जिसके अन्तर्गत सब राज्य कर्मचारियों की ऐसी सूची सरकार को देना अनिवार्य है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): इसमें क्या प्रगति हुई?

श्री विजयसिंह झाला: क्या यह सही है कि यहां के कुछ मंत्रियों ने अपनी सम्पत्ति की सूची केन्द्रीय सरकार को दी है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: देने का प्रश्न ही नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): क्या यह सही है कि बहुत से मंत्रियों ने कांग्रेस के हाई कमाण्ड को इस तरह की सूची दी है?

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़): यह कांग्रेस का मामला है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: पार्टी की अलग चीज है। पार्टी को देने या न देने से इस प्रश्न का सम्बन्ध है नहीं। हम देते हैं, एम. एल. एज़. देते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: क्या यह सही है.........

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज़!

श्री रामप्रसाद लड्ढा: हम हमारे संगठन को सूची देते हैं तो उस सूची को सदन की मेज पर रखना आवश्यक नहीं है और न हम उसको आवश्यक समझते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): इसमें क्या हर्ज है?

श्री रामानन्द अग्रवाल: इसको आवश्यक क्यों नहीं समझते हैं कि मिनिस्टर अपनी प्रोपर्टी डिसक्लोज़ करें और राजस्थान की जनता के सामने रखें जब कि एक पार्टी के तरीके से यह आवश्यक है। यह इसलिए भी जरूरी है कि जब चार्जेज़ ऑफ करप्शन आयें तो सम्पत्ति का चार्ज नहीं हो, यह चार्ज खत्म होगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: एक प्रश्न के उत्तर में माननीय सदस्यों को बताया था कि मंत्रिमण्डल ने अभी इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं लिया है और जब तक इस सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं हो जाय, जब तक कोई निर्णय नहीं ले लें तब तक सवाल पैदा नहीं होता।

श्री मानिकचन्द सुराणा: क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि निर्णय लेने में क्यों देरी हो रही है। केबिनेट जब इतने महत्वपूर्ण मामलों को तय करती है तो मैं कहना

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

चाहता हूं कि यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके कारण राजस्थान की जनता के अन्दर केबिनेट के बारे में कई भ्रम है, तो इस बारे में जल्दी निर्णय क्यों नहीं लेना चाहते हैं, यह हम जानना चाहते हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): मैं इसके बारे में कल यह स्पष्ट कर चुका हूं कि भारत में कुछ स्टेट्स ऐसी हैं कि गवर्नमेंट ने कोड ऑफ कन्डक्ट जो बनाया है और जिसके बारे में होम मिनिस्ट्री से एक सूचना आई थी उसको भारत की सब स्टेट्स में से कुछ स्टेट्स ने उस कोड ऑफ कन्डक्ट को एडॉप्ट नहीं किया है । मैंने कल यह भी बताया था कि राजस्थान में भी वह कोड ऑफ कन्डक्ट एडॉप्ट नहीं किया गया है और मैंने होम मिनिस्ट्री को इसके बारे में कुछ बातें करने के लिए, जब चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फरेन्स हो या और कोई मौका हो उस मौके के ऊपर और विस्तार से चर्चा की जा सकती हो, उसके लिए लिख कर भेजा है । साथ ही मैं निवेदन कर दूं कि जहां कोड ऑफ कन्डक्ट मंजूर भी कर लिया गया है, उसका मतलब यह नहीं निकलता है कि उसके बाद जो सूची होम मिनिस्ट्री को भेजी जायगी या चीफ मिनिस्टर को भेजी जायगी वह सूची सदन की मेज पर रखी जायगी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि कोड ऑफ कन्डक्ट के सम्बन्ध में यह बात होम मिनिस्ट्री ने कही है कि सब मंत्रिगण, मुख्य मंत्री सहित, अपनी अपनी सम्पत्ति की सूची सरकार को देंगे, केन्द्रीय सरकार को देंगे और मंत्रिगण मुख्य मंत्री को देंगे । ऐसे प्रावधान उसने एक मॉडल रूल्स के तौर पर करके भेजे हैं, कोड ऑफ कन्डक्ट रूप में, यह बात सही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह बात सब जानते हैं, उनके अन्दर है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह स्वीकार करते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : स्वीकार करने में क्या आपत्ति है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : विस्तार में जब कि लिखा है, होम मिनिस्टर को उसके बारे में डिटेल्स में एक बार बात करना चाहते हैं, उसके पहले डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप लोग अपनी सम्पत्ति की घोषणा करें तो केवल सदस्य ही नहीं बल्कि सारे राजस्थान की जनता को मालूम हो सकता है कि राज्य के मंत्रियों के पास कितनी सम्पत्ति है, उसमें वृद्धि होती है या कमी होती है । इसमें आपको कठिनाई क्या है ? आदर्शवादी विचार धारा के अनुसार आपको ऐसा करना चाहिये । यह स्वयं आपके लिए उचित है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : देश के अधिकतम राज्यों के मंत्रिमण्डलों ने उस कोड ऑफ कन्डक्ट को स्वीकार कर लिया है ?

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : नहीं !

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि १६ स्टेट्स में से केवल सात ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उन्होंने स्वीकार कर लिया है तो आपको स्वीकार करने में क्या आपत्ति है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप केन्द्रीय मंत्रियों से पीछे क्यों रहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मंत्री महोदय ने बताया कि सिद्धान्ततः वह जो कोड ऑफ कन्डक्ट है उसको स्वीकार करते हैं और मंत्रियों को अपनी सम्पत्ति की लिस्ट भारत के गृह विभाग को देनी चाहिये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया है ।

श्री भैरोंसिंह : फैसले का मैं नहीं पूछ रहा हूं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि न केवल एक प्रश्न इस पर फैसला करने का है बल्कि दूसरा प्रश्न इसमें कॉन्स्टीट्यूशनल भी है ।

श्री भैरोंसिंह : वह आप छोड़िये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके साथ ही लीगेलटी का भी पोइन्ट है । इसके इन्टरप्रिटेशन का सवाल भी है । ये सारी बातें नहीं हो जाती हैं तब तक फाइनली कुछ नहीं कह सकता ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न सीधा है कि मंत्री महोदय सैद्धान्तिक आधार पर इस बात को अनुचित समझते हैं । मंत्री लोग अपनी सम्पत्ति के बारे में केन्द्रीय सरकार के गृह विभाग को उसकी सूची प्रस्तुत करें, क्या सरकार इसे अनुचित समझती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह सैद्धान्तिक उचित है या अनुचित है, इस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह सही है कि १६ रियासतों में से ६ राज्यों ने इसे स्वीकार कर लिया है और केवल छः प्रान्त ऐसे हैं जिन्होंने स्वीकार नहीं किया है ? और आपको ६ प्रान्तों में सम्मिलित क्यों नहीं होना चाहिये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : छः प्रान्तों में आते हैं, यह आपकी जानकारी में नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह सही है कि १६ प्रान्तों में से ६ ने इसे स्वीकार कर लिया है और ६ ने नहीं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उप राजस्व मंत्री ने कहा कि इसकी कॉन्स्टीट्यूशनल प्रोपराइटी के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि यह कॉन्स्टीट्यूशन के कौन से प्रावधान के खिलाफ है ? मंत्रियों के द्वारा अपनी सम्पत्ति की सदन में पेश करना या बाहर पेश करना कौन से प्रावधान के खिलाफ है ? जब आप राज्य सरकार के कर्मचारियों से सूची मांग सकते हैं, मैं समझता हूं, आप राज्य के कर्मचारियों से उनकी सारी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सम्पत्ति की सूची मांग सकते हैं तो सारे राजनैतिक जीवन की बागडोर, शासन की बागडोर जिनके हाथ में है और उनके द्वारा भ्रष्टाचार होने की बात कांग्रेस के नेता कहते हैं....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह क्या भाषण हो रहा है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजनैतिक स्तर पर भ्रष्टाचार होने के कारण राजनैतिक जीवन के शुद्धिकरण, की आवश्यकता है। तो नैतिक दृष्टि से होने वाले काम में कॉन्स्टीट्यूशनल इम्प्लीकेशन कैसे आता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कॉन्स्टीट्यूशनल और लीगल-दोनों शब्द कहे थे, वे इसलिए कहे थे कि जो कुछ है, उसको लीगली एन्फोर्सेबल बनाने का सवाल हो सकता है तो वह लीगली एन्फोर्सेबल है या नहीं ? यह बात है, उसके बाद में सूची दें या नहीं दें, तो क्या वह लीगली एन्फोर्सेबल हो सकता है। यह प्रश्न सामने है, इन सारी चीजों को लीगली एन्फोर्सेबल बनाने और दूसरी चीजों की दृष्टि से सोच रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह सूची दें, नहीं तो मंत्रिमण्डल में से चले जायें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह लीगली एन्फोर्सेबल की बात है....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री भैरोंसिंह : मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : ये रोजमर्रा इस तरह के आरोप लगाते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री मानिकचन्द सुराणा : One Question.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उप-मंत्री महोदय ने कहा है कि यह लीगली एन्फोर्सेबल नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो क्या इसे भ्रष्टाचार को समाप्त करने के आधार पर नहीं करना चाहिये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं पहले भी इस सदन में निवेदन कर चुका हू, कल भी इस बात को कहा था कि मिनिस्टर्स की असेट्स की लिस्ट मांगने की बात नहीं आती है क्योंकि हम लोग, जो कांग्रेस के हाई कमाण्ड है, या कांग्रेस के प्रेसीडेंट हैं उनके पास अपने असेट्स की सूचना बराबर देते हैं और उनके पास अगर कोई बात जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उनको उसके बारे में जो कार्यवाही करने की बात है वह करने का अधिकार है।

# Page No 33



**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : होम मिनिस्ट्री से जो कोड ऑफ कण्डक्ट प्राप्त हुआ है उसके बारे में, ऑल इट्स इम्प्लीकेशन्स पर, हम भी पूरी तौर से विचार करना चाहते हैं, उनसे इस बारे में बात करना चाहते हैं और फिर ही कोई निर्णय करेंगे।

**श्री फूलचन्द जैन** : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और मुख्य मंत्रीजी से भी पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार यह आवश्यक नहीं समझती कि मंत्रियों के साथ साथ विधान सभा के सदस्यों को भी अपनी सम्पत्ति का ब्योरा देना चाहिए।

**कुछ माननीय सदस्य** : हम तैयार हैं, हम तैयार हैं।

( शोरगुल )

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : हम अपनी सम्पत्ति का ब्योरा देने को तैयार हैं।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसींद) : मुश्किल हो जायेगी। जो बाउण्ड्री पर रहने वाले हैं वे सूचियां देंगे तो मुश्किल हो जायेगी।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्यों को केवल एक संकेत करना चाहता हूं प्रश्न के विषय में.......

**कुछ माननीय सदस्य** : हम सूची देने के लिए तैयार हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज़ ! ऑर्डर प्लीज़ !!

( शोरगुल )

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्यों को केवल इसके विषय में, क्वेश्चन के विषय में कण्डीशन्स हैं उस विषय में अर्ज करना चाहता हूं ......

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : इसमें कण्डीशन्स का प्रश्न नहीं है।

**एक माननीय सदस्य** : कण्डीशन्स के बारे में हम जानते हैं।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** ( सांचोर ) : जानते हो तो फिर ऐसे क्यों बोलते हो ?

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि जब केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कोड ऑफ कण्डक्ट को आपने अभी स्वीकार नहीं किया है तो क्या वे इस हाउस के कोड ऑफ कण्डक्ट को मानने के लिए तैयार हैं ? जब सब माननीय सदस्य अपनी अपनी प्रोपर्टी की रिपोर्ट इस सदन में देने को तैयार हैं तो फिर मंत्रीगण अपनी सम्पत्ति का ब्योरा इस सदन में क्यों न दें ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** (उप-मंत्री, गृह) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर....

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मैं ऐसा मानता हूं कि डेमोक्रेसी के अन्दर इलेक्टेड रिप्रेजेण्टेटिव्ज़ में अविश्वास करके और उनकी प्रोपर्टी डिक्लेयर करवा कर ही हमेशा इस बात को सोचा जाय कि उसके बिना वे ईमानदारी से काम नहीं कर सकते, यह गलत आधार होगा। इसलिए मैं प्रोपर्टी डिक्लेअर करने के हक में नहीं हूं।

# Page No 34



**श्री उपाध्यक्ष** : Another business

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : आप अपने प्रति जनता में विश्वास पैदा करने के लिए ही अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा दें। आपके प्रति जनता में अविश्वास बढ़ता जा रहा है और एम. एल. एज़.के प्रति भी तो इसको दूर करने के लिए यह आपको मान लेना चाहिए।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (आसपुर) : मैं समझता हूं कि यहां बात का बतंगड़ हो गया है। जहां तक कि सम्पत्ति के ब्यौरे की जानकारी इस सदन में देने का प्रश्न है, जो सदस्य इस तरफ बैठते हैं उनको तो कोई इसके अन्दर आपत्ति नहीं है....

(विपक्ष की ओर से "हियर हियर")

**श्री फूलचन्द जैन** : हम भी अपनी पार्टी को देते हैं।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (आसपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कॉन्स्टीट्यूशनल और लीगल क्वेश्चन लेकर इस तरह यह मामला खटाई में जा रहा है, यह तो मैं ठीक नहीं समझता। मैं तो यह समझता हूं कि यह तो मोरल प्रश्न भी है। इसको मोरल रूप से भी यदि देखा जाय तो तरह २ की चर्चाएं मंत्रियों की सम्पत्ति के विषय में होती हैं। मेरे ख्याल में मंत्रियों के लिए उनकी ही बरकीयत के लिए और उनकी भलाई के लिए ही मैं समझता हूं कि यह आवश्यक है कि जब कांग्रेस के अध्यक्ष को आप सूची दे सकते हैं....

**श्री भैरोंसिंह** : यह आपका सुझाव मान लें तो उत्तर ही जावे।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : खुल्लम खुल्ला में क्यों नहीं देते ? जब आप कांग्रेस अध्यक्ष को ब्यौरा दे सकते है तो फिर इस सदन को नहीं देना चाहते, यह मेरे ख्याल से आश्चर्यजनक बात है।

**श्री उपाध्यक्ष** : नेक्स्ट बिज़नेस।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर...

**श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय श्री फूलचन्दजी ने यह कहा था कि विधायकों को भी सम्पत्ति का ब्यौरा देना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसके बाद हाउस में इस प्रकार का वातावरण बना कि विधायक अपनी सूची देने को तैयार नहीं हैं.......

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : This is no point of order.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : You are not to decide it.

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : There is a settled point of law involved in the ruling.

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : That is not point of order under the rules.

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द) : That is no point of order.

**श्री उपाध्यक्ष** : Order please ! Order Order !!

( व्यवधान ) .

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : The Chair is on its legs.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : एक्स डिप्टी स्पीकार प्रेजेंट डिप्टी स्पीकर पर हावी नहीं हो सकते ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : इस प्रकार के सदस्य को वाहर कर देना चाहिए जो बीच में खड़ा होकर व्यवधान करता है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : आॅर्डर! आॅर्डर !! (श्री विजयसिंह झाला की ओर मुखापेक्ष) आप संक्षेप में अपना पोइन्ट आॅफ आॅर्डर कह दें ।

**श्री विजयसिंह झाला** : उपाध्यक्ष महोदय, हम पर यह आक्षेप लगाया गया है कि इस तरफ बैठने वाले सदस्य........

**श्री उपाध्यक्ष** : This is no point of order.

**श्री विजयसिंह झाला** : मुझे पूरा कहने दें ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : अपनी बात कहने से पहले भूमिका बनायेंगे, फिर कहेंगे ।

**श्री विजयसिंह झाला** : हम यहां इस तरफ बैठने वाले विधायक अपनी प्रोपर्टी की सूची राज्य सरकार को देने के लिए तैयार नहीं है तो इस प्रकार का आक्षेप लगाकर जो हमने प्रश्न पूछा है मंत्रियों को अपनी प्रोपर्टी की सूची देने सम्बन्धी....

**श्री उपाध्यक्ष** : ऐसा कोई आक्षेप नहीं था ।

**श्री विजयसिंह झाला** : इस प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, हम अपनी सम्पत्ति की सूची देने को तैयार हैं तो फिर इस प्रकार का आक्षेप लगा कर....

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : सवाल यहां यह नहीं है। इतना इसमें, मैं यह क्लेरीफिकेशन करना चाहूंगा, कि माननीय सदस्य श्री फूलचन्दजी ने जो यह सवाल उठाया है वह बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। उन्होंने कहा है कि मंत्रियों से ही क्यों सूची मांगी जावे, सदन के सदस्य क्यों नहीं देवें ? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह बड़ा इम्पोर्टेंट और रिलेवेंट प्रश्न है, लेकिन मैं उनसे यह भी निवेदन करूंगा कि जो उन्होंने सुझाव दिया है उसको इधर के बैठे हुए सदस्य स्वीकार करते हैं, उधर के बैठे हुए सदस्यों में से भी, कम से कम कांग्रेस में तो कुछ लोग हो सकते हैं जो इसे स्वीकार करेंगे, लेकिन विरोधी पक्ष में बैठने वाले सारे एम० एल० एज० इस सुझाव को स्वीकार करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि हम सब अपनी सम्पत्ति की सूची आप जब चाहें २४ घण्टे, ४८ घण्टे में जब चाहें तब देने को तैयार है ।

( श्री योजना मंत्री खड़े हुए )

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : माथुर साहब तो तैयार हो गए हैं ।

# Page No 36



**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जैसा कहा कि इलैक्टेड रिप्रेजेण्टेटिव्ज पर क्यों नहीं विश्वास किया जाता और उनसे प्रोपर्टी डिक्लेअर करने के लिए कहना ठीक नहीं है तो इसमें क्या बात है ? प्रेसीडेण्ट के सैक्रेट्रियेट का भी ऑडिटर जनरल अकाउण्ट ऑडिट करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रेसीडेंट पर विश्वास नहीं है। यह तो परम्परा का सवाल है।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : On a point of order, Sir......

**विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य** : बैठ जाओ, बैठ जाओ।

**श्री उपाध्यक्ष** : Order please !

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : ये माननीय आचार्यजी किसी को बोलने नहीं देना चाहते और बारबार खड़े होकर सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाते हैं और यह इनका हमेशा का रिवाज रहा है ; तो फिर इनको बाहर निकाल दिया जावे।

**श्री उपाध्यक्ष** : Order please!

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आप अपनी प्रोपर्टी की सूची न देकर भ्रष्टाचार बढ़ाने में मदद दे रहे हैं। हम सब अपनी सम्पत्ति की सूची देने को तैयार है। लेकिन सरकार इसको मनाने के लिए तैयार नहीं है; तो मैं अपने सभी साथियों के साथ सरकार के इस रवैये के खिलाफ सदन से वाक आउट करता हूं।

(जन संघ के सदस्यों का बहिर्गमन)

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, हम यह महसूस करते हैं कि...

**श्री उपाध्यक्ष** : अब भाषण देने की आवश्यकता नहीं है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, जनता में यह आरोप लगाये जा रहे हैं कि जिन मंत्रियों की हैसियत सन् ४७ में ऐसी थी कि जो २०–२० रुपयें के किराये के मकान में रहते थे उन्हीं मंत्रियों के पास दो-दो तीन-तीन बंगले कहां से आ गए ? यह सारा काला धन, सारी सम्पत्ति कहां से आ गई ? इस सब का ब्योरा आना चाहिए। हम विरोधी दल के सदस्य अपनी सम्पत्ति का ब्योरा देने को तैयार है। जिस तरह से ब्योरा देने चाहें देने को तैयार हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रामानन्द ! श्री रामानन्द !!

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : × × ×

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रामानन्द बैठ जावें।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : × × ×

**श्री उपाध्यक्ष** : That is expunged.

(श्री रामानन्द अग्रवाल द्वारा बहिर्गमन)

**श्री उपाध्यक्ष** : जो कुछ माननीय सदस्य श्री रामानन्द ने कहा, that is expunged.

---

× × × अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : On a point of order, Sir...

यह एक व्यवस्था का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय। जब कोई शब्द एक्सपंज किया जाता है प्रोसीडिंग्स के अन्दर से, तो या तो वह अनापालियामेंट्री हो या डिफेमेटरी हो या किसी तरीके से कोई गलत या असत्य आरोप लगाया गया हो तो उन शब्दों को ही एक्सपंज किया जा सकता है। अभी आपने श्री रामानन्दजी के जिस पोर्शन को एक्सपंज किया है वह इसमें से किसी भी तारीफ में नहीं आता।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं निवेदन करना चाहूंगा और सूचित करना चाहता हूं कि यहां की पालियामेंट्री परम्परा के अनुसार यदि कोई आसन की अवहेलना करे और आसन के आदेश के बाद में भी बोलता रहे, तो इस प्रकार माननीय सदस्य का बोलना अनुचित है और इसीलिए इसे एक्सपंज करना लाजमी है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : हमारी पार्टी भी वाकआउट करना चाहती है...

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : जब वाकआउट करते हैं, तो उससे पहिले कुछ निवेदन करना चाहते हैं।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : On a point of order, Sir....

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : जब वाकआउट करते हैं तो पार्टी के लीडर कुछ न कुछ निवेदन सदन के सामने रखना चाहेंगे...

**श्री उपाध्यक्ष** : That is...

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : On a point of privilege, Sir.

**श्री उपाध्यक्ष**: There is a point a of privilege...

(सर्व श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, मुरलीधर व्यास और गिरधारीलाल व्यास एक साथ बोलने लगे-शोरगुल)

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे पालियामेंटरी पद्धति को तो निभावें।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : On a point of privilege, Sir...

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : इससे पहले पोइन्ट ऑफ ऑर्डर था।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : On a point of privilege, Sir.......

**श्री उपाध्यक्ष** : There is a point of privilege.

(सर्व श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, विजयसिंह झाला, गिरधारीलाल व्यास आदि माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य-शोरगुल)

**श्री विजयसिंह झाला** : उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज है तो वह लिखित में आना चाहिये।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके स्पष्ट

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

आदेशों और व्यवस्था के बाद भी माननीय सदस्यों ने जिनका नाम मैं यहां संकेत नहीं करना चाहता...

एक माननीय सदस्य : कर दीजिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बाद में कहूंगा।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : Why not now ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज चल रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of order, Sir, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पोइन्ट ऑफ ऑर्डर और पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज में किसको प्राथमिकता मिलेगी, यह मैं जानना चाहता हूं। आप इसके लिये व्यवस्था कर दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, आप अपनी व्यवस्था इस सम्बन्ध में दीजिये कि किसको प्राथमिकता मिलेगी।

(शोरगुल)

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष : There is a point ot order. अभी इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज किया है, उसको रेज करने का अवकाश दिया गया है। इसके बाद आप कहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि पोइन्ट ऑफ ऑर्डर के मुकाबले में पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज को प्राथमिकता दी जावेगी या पोइन्ट ऑफ ऑर्डर को प्राथमिकता दी जावेगी। इस सम्बन्ध में आप अपना निर्णय दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अगर आपको चैलेंज करना है तो आप करिये, वर्ना आपको जो व्यवस्था दी गई है उसका पालन करना चाहिये, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Whether a point of privilege should have the priority or a point of order ? You give a ruling and let it be decided first.

श्री उपाध्यक्ष : Are you raising a point of privilege or anything else ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : Point of privilege.

श्री उपाध्यक्ष : Well, that will not be allowed.

(शोरगुल)

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! मैं निवेदन करूंगा कि आप शांत रहें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Point of order, Sir……

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अगर इस प्रकार से सदन कार्यवाही में अवरोध करेगा तो मुझे बाध्य होना पड़ेगा कि थोड़ी देर के लिये हाउस को एडजोर्न करना पड़े।

श्री निरंजननाथ आचार्य : Through my point of privilege I wanted to put…

आपने मुझे तथ्यों को रखने की आज्ञा दी।

श्री उपाध्यक्ष : अगर आप प्रिविलेज का प्रश्न उठाते है तो मैं आपको इसके लिये इजाजत नहीं देता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने व्यवस्था दी है, उसके सम्बन्ध में मैं प्रिविलेज का प्रश्न रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : That has been heard already. When there is a point of order, let that be put first.

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि....

(शोरगुल)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे अध्यक्ष की आज्ञा का आप उल्लंघन करना चाहते हैं। आप मन्त्री हैं, इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इनको आज के दिन भर के लिये सदन के बाहर निकाल दिया जावे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं इनको सपोर्ट करता हूं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मेरा प्रस्ताव यह है कि आचार्यजी उप-मन्त्री हैं और उन्होंने अध्यक्ष की आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिये इनको सदन से बाहर किया जावे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं यह निवेदन करूंगा कि इनको १५ दिन के लिये सदन से बाहर निकाला जावे क्योंकि ये उप-मन्त्री हैं और सदन को बराबर १५ दिन तक और चलाया जावे और इनको सदन के बाहर रखा जावे।

श्री उपाध्यक्ष : Will you now kindly let procedings go further ?

सदन के सामने कुछ स्थगन-प्रस्ताव हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इससें पहले कि स्थगत प्रस्ताव लिया जाय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जो श्री रामानंदजी अपना भाषण कर रहे थे और स्पष्टीकरण कर रहे थे, उनके बीच में ही पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज प्रस्तुत किया और उसके कारण यह कार्यवाही इसी तरह रुकी है, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि उनको बयान देने दिया जावे और श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ने पोइन्ट

(श्री मानिकचन्द सूराणा)

ऑफ ऑर्डर रेज़ किया था उनको पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ करने दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : कोई भी पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ कर सकता है। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से सहयोग की प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह से पोइन्ट ऑफ ऑर्डर हों वे रूल्स के तहत हों। हमें निश्चित आगे की कार्यवाही में जाना है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप इसमें सहयोग दें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इसमें कई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर इन्वोल्व्ड हैं। अगर कोई प्रश्न के सम्बन्ध में...

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सदन मेरे पोइन्ट ऑफ ऑर्डर को सुने और उसको सुने बिना डिस्पोज़ ऑफ कैसे किया जा सकता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर की तहत आपके द्वारा डिस्पोज़ ऑफ करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप फरमाइये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : श्री रामानन्द जी ने वाक आउट करने से पहले वाक आउट का कारण बताने के लिये एक स्पीच सदन में प्रस्तुत की चार शब्दों में। वाक आउट करने का क्या मकसद था किन कारणों से वाक आउट कर रहे हैं...

(एक साथ कई सदस्य बोलने लगे-शोरगुल)

आपने उसको एक्सपन्ज कर दिया...

श्री गिरधारीलाल व्यास : कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं पूरा कर दूं। अभी तो भूमिका ही कही है...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़। पोइन्ट ऑफ ऑर्डर के लिये कोई भूमिका की आवश्यकता नहीं है। आपका पोइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि जो कुछ माननीय सदस्य श्री रामानन्दजी ने वाक आउट करने के सम्बन्ध में कहा, उसके बारे में जो कुछ एक्सपन्ज करने का आदेश हुआ, उसके विषय में आपका एतराज है। मैं स्पष्टीकरण में निवेदन करना चाहता हूं कि एक्सपन्ज करने का आदेश इस प्रकार के शब्दों के साथ हुआ था। चेयर ने जिस वक्त प्रतिबन्ध लगाया, उसके बाद जो कुछ कहा वह एक्सपन्ज होगा। इसका मतलब यह नहीं कि रामानन्द जी ने जो कुछ कहा वह सारा का सारा एक्सपन्ज होगा। जब चेयर ने घन्टी बजाई और जहां यह संकेत दिया कि वाक आउट करने के समय लम्बा भाषण देने की आवश्यकता नहीं है, उस जगह से एक्सपन्ज किया जायगा। इस कारण से this point of order is disposed of.

श्री मुरलीधर व्यास : इस सिलसिले में आपने शब्द एक्सपन्ज करने के बारे में आदेश दिया था वह तो स्वीकार करते हैं। कांग्रेस दल की तरफ से प्रस्ताव था सारे सदस्य अपनी प्रोपर्टी जो कुछ है वह रखें और इस प्रस्ताव को विरोधी पक्ष के, जनसंघ के सतीशचन्द्रजी के द्वारा और

(श्री मुरलीधर व्यास)

स्वतन्त्र पार्टी ने भी स्वीकार किया, रामानन्दजी ने भी स्वीकार किया....

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : What is this point of order ?

**श्री मुरलीधर व्यास** : मन्त्री महोदय के पास भी जो कुछ प्रोपर्टी है, उसकी लिस्ट रखनी चाहिये। यह सवाल ऐसा नहीं है जिसे राजनैतिक दृष्टिकोण से देखा जाय। सारे सदस्यों के द्वारा प्रोपर्टी देने का सवाल है। इस मामले में यदि उनका प्रस्ताव है हम उसको स्वीकार करेंगे और हम कहते हैं कि २४ घन्टों में हम भी जो कुछ प्रोपर्टी हमारे पास है उसकी लिस्ट देने को तैयार है। मैं मन्त्रियों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे भी अपनी तरफ से दे दें। इस बात को कह कर हमारा दल भी वाक आउट करना चाहता है।

(प्रजा समाजवादी सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

(शोरगुल)

**श्री उपाध्यक्ष** : Order please. !

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : On a point of clearificatian. आपने जो व्यवस्था दी उससे यह संदेह पैदा है कि वाक आउट करने का हमें अधिकार है और संसदीय प्रणाली में हम क्यों वाक आउट करना चाहते हैं, किस बारे में हमारा प्रोटेस्ट है उसके बारे में बयान सदन के सामने रखने का हमारा अधिकार है जिसे रखने के लिये चेयर को हमें इजाजत देनी चाहिये। इस बात पर मैं व्यवस्था चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : I am giving 'Vyavastha'.

श्री रामानन्दजी ने पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया है; वाक आउट करने से पहले जो कुछ हम कहना चाहते हैं वह कहने की इजाजत मिलनी चाहिये। साधारणतः वाक आउट करने से पहले कुछ कहा जाता रहा है और कह भी दिया गया है, उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है; केवल इतना आसन से संकेत किया गया है कि जब कभी वाक आउट किया जाता है, उसके बारे में संक्षेप में कहा जा सकता है न कि लम्बा चौड़ा भाषण दिया जाय क्योंकि इससे सारी कार्यवाही अवरुद्ध हो जाती है। वाक आउट का सिद्धान्त इसलिये है कि किसी चीज का घोर विरोध व्यत किया जाय, घोर विरोध स्वयं वाक आउट से इंगित हो जाता है और इतना समय भी दिया जाता है, आपको भी दिया गया आपका भाषण लम्बा हो रहा था, उससे कार्यवाही में अवरोध हुआ इसलिये व्यवस्था दी गई थी।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय....

**श्री हरिश्चन्द्र** (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में...

**श्री उपाध्यक्ष** : order please.

Should I not enter into another business ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश की कि हम हाइड करना चाहते हैं....

# Page No 42



श्री उपाध्यक्ष : That is net the point now. This is an old question now.

श्री हरिश्चन्द्र : i would request you to give me an opportunity to speak...

श्री उपाध्यक्ष : That climate was created but...

श्री हरिश्चन्द्र : We must clear the position.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इस प्रश्न के सम्बन्ध में जहां तक मेरे दल का सवाल है मैं नहीं समझता कि हम वाक-आउट करें। किसी मिनिस्टर को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वे सम्पत्ति की लिस्ट दें....

श्री हरिश्चन्द्र : यह सम्पत्ति की बात फिर आ गई ...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : I must catch your eye, Mr. Dy. Speaker. I must have my say.

( व्यवधान )

श्री हरिश्चन्द्र : I must be given chance to explain.

( व्यवधान )

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : This is no democracy...

श्री उपाध्यक्ष : Order please! Order Order !!

( शोरगुल )

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : This disruption is anarchy.

( व्यवधान )

श्री हरिश्चन्द्र : Let me have my Say, Sir

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : On a point of order, Sir माननीय उपाध्यक्ष, हाउस की परंपरा की दृष्टि से...

श्री भैरोंसिंह : कौन से रूल के मातहत पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज कर रहे हैं ? यह कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है । रूल बतावें ।

( शोरगुल )

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यदि शासनारूढ़ दल की यह नीति है कि हमको नहीं बोलने दें तो मैं रोष प्रकट करके बहिर्गमन अवश्य करूंगा । जहां तक मेरे दल के सिद्धान्त का संबंध है मैं समझता हूं कि किसी मंत्री विशेष को मजबूर नहीं किया जा सकता । लेकिन मंत्रीजी के हित में जब विरोधी पक्ष के लोग तैयार हैं लिस्ट देने के लिए, उस पर भी यदि ये नहीं देते हैं तो इनकी मर्जी लेकिन इस । संबंध में जो सरकार के द्वारा मुख्य मंत्रीजी के द्वारा उत्तर दिया गया है, उसके प्रति मैं असंतोष और रोष प्रकट करता हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब बोला हमारे विरोधी दल का बूढ़ा शेर!

# Page No 43



श्री हरिश्चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चुल्लू भर पानी में डूब जाओ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा...

श्री हरिश्चन्द्र ( सार्वजनिक निर्माण मंत्री ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि यहां पर कोड ऑफ कन्डक्ट के बारे में मुख्य मंत्रीजी ने फरमाया...

श्री मानिकचन्द सुराणा : Are you giving your own view or of the Cabinet ?

श्री हरिश्चन्द्र : Yes, I am giving my own view.

मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह मामला जिस तरीके से उठाया गया है, यह वातावरण बनाने की कोशिश की गई है कि जो हम यहां बैठे हैं, कोड ऑफ कन्डक्ट में विश्वास नहीं करते, यह सत्य से बहुत परे है। हमारा यह फीलिंग है, हम यह विश्वास करते हैं कि जो सरकार में रहते हैं उनका कोड ऑफ कन्डक्ट ऐसा होना चाहिए जो जनतन्त्र की परिभाषा में, जनतन्त्र में विश्वास पैदा करे, जनतन्त्र को सन्मान दें। पर सवाल सबसे मोटा यह है कि स्वयं अगर चीफ मिनिस्टर साहब कोई भी मिनिस्टर से, पर्सनली जो भी उनके असेंट्स हैं अगर वे खुद मांगें तो कोई भी ऐसा मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर उनकी केबिनेट में नहीं है जो उनको पेश नहीं करे। अगर नन्दाजी हमसे कोई भी कोड ऑफ कन्डक्ट या और चीज मांगना चाहें तो उसके लिए ए. आइ. सी. सी. मांग सकती है जहां हम भेज दें या डाइरेक्टली मांग सकते हैं। लेकिन हमको इसमें बड़ा एतराज होगा, चूंकि आज हम भी एम. एल. ए. की हैसियत से इधर बैठे हैं। आज हम हैं, जनतन्त्र में आप लोग भी आकर बैठ सकते हैं, पर हमें एतराज है, और वह स्पष्ट कहना चाहता हूं, हमारे जो भी असेंट्स के संबंध में, यहां पर कोई भी स्टेटमेंट पेश करे।

माननीय मुख्य मंत्रीजी खुद या नन्दाजी खुद उसके ऊपर चर्चायें करें, कौरेस्पोन्डेन्स करें, पर हमारा स्टेटमेंट किसी क्लर्क के पास, किसी अन्डर सेक्रेटरी के पास, किसी डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाय और वह किसी न किसी रूप में हमारे ऊपर चर्चा करें, तो वह हमारे प्रति, सदन के प्रति व जनतन्त्र के प्रति घोर अपमानजनक चीज होगी। क्योंकि हम इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव्ज हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव्ज होने के नाते नन्दाजी हैं, कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता हैं वे वरिष्ठ नेता के नाते ऐसा स्टेटमेंट मांग सकते हैं और हमसे एक्स्प्लेनेशन कॉल कर सकते हैं, यह उनको अधिकार है पूरा कि हमें चैक करें। वह अधिकार उन्हीं तक सीमित, रहे न कि किसी अन्डर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी या क्लर्क तक पहुंच जाय। यह बात हमने चीफ मिनिस्टर साहब से अर्ज की कि यह हमारा व्यू पोइन्ट है। इस बात पर आप दिल्ली में जाकर चर्चा करें और जो राय बनती है वह हमें भी

Page No 44



( श्री हरिश्चन्द्र)

बतायें। हम मिनिस्टर हैं, We are also elected representatives. We have been elected as M. L. As and we have come to this Assembly like so many other Hon'ble Members.

तो आप लोगों की प्रतिष्ठा रखने के लिए हमने यह बात उठाई है, उसका क्या जवाब आता है। उसके बाद भी हम निर्णय लेंगे, लेकिन हम यह नहीं चाहते।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए पूछता हूं कि प्रश्न संख्या ६५८ के ऊपर सदन ने यह जानना चाहा था कि मंत्रियों ने अपनी संपत्तियों की सूची भेजी है या क्या किया गया। उसी प्रश्न से यह सारा विवाद खड़ा हुआ और यह विवाद वास्तव में हमारे रूल्स के अन्तर्गत खड़ा होना था, तो हाफ एन ऑवर डिस्कशन के रूप में या और तरीके से होना चाहिये था। मैं यह नहीं कहता कि सदन में किसी समय विवाद हो या न हो, मैं यह संकेत करना चाहता हूं कि यदि हमें सदन की व्यवस्था, परम्पराएं, और प्रतिष्ठा को बनाये रखना है और सदन के सामने जो कुछ लिस्ट ऑफ बिज़नेस आवे उसके अनुसार चलना है तो उसी क्रम से हर एक विषय को लिया जाना चाहिये। पर यह क्योंकि ऐसा सवाल था जो एक तरफ से एक बात कही गई, दूसरी ओर से उस पर रोष उठा, स्पष्टीकरण भी हुए, वाक आउट का प्रश्न भी आया और उस तरीके से यह एक अलग ही लिस्ट ऑफ बिज़नेस के अलावा जैसा विषय बन गया। अब अगर माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि इसके ऊपर डिबेट चालू रहे, तो इसमें मुझे आपत्ति नहीं है, यद्यपि मैं यह कहना चाहता हूं कि यह हमारे नियमों के अनुकूल नहीं होगा, पर सदन की इच्छा सार्वभौम है, सबसे बड़ी है। अगर सदन यह चाहता है कि सब नियमों का अतिक्रमण करके विवाद चालू रहे तो वह अलग बात है।

जितना वाद-विवाद हुआ है, उसको देखते हुए कुछ कहना हो तो संक्षेप में कहें। इसके पश्चात् मैं निवेदन करूंगा कि अगर १०-१५ मिनट में इस विषय को समाप्त कर लें तो स्थगन-प्रस्ताव भी है श्री भैरोंसिंह जी का बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव हकीकत फिल्म के सम्बन्ध में है, उसके लिए भी सबकी इच्छा है। आगे फिर कोऑपरेटिव का बिल आदि हैं। तो जितना संक्षेप में रखा जाय अच्छा है।

एक और निवेदन कर दूं कि बार बार यहां...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यहां आज आप ही सारे दिन निवेदन कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : यह भी आवश्यकता पड़े तो हो सकता है।

सदन में बार बार पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाये जाते हैं और कई ऑर्डर उठाये जाते है। पोइन्ट ऑफ ऑर्डर का प्रिसिडेन्स देखा जाता है, पर पोइन्ट ऑफ ऑर्डर का प्रावधान २७७ के अन्तर्गत है, उसके लिए ध्यान में

(श्री उपाध्यक्ष)

रखा जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि यहां की प्रोसीडिंग्ज़ की अनियमितता के लिए उठाया जा सकता हैं पर अकसर भाषण आदि पर पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठा दिये जाते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आज तो प्रोसीजर पर आपका डिटेल्ड लैक्चर हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष : यह होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी माननीय सदस्य हम अन्यत्र सम्मिलित हो जायेंगे और सभी बोलेंगे।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही खेद का विषय है कि सत्तारूढ़ दल की ओर से बार बार इन्टरप्ट किया जाता है। मै एक निवेदन करना चाहूंगा कि यदि सत्तारूढ़ पार्टी सदन के माननीय सदस्यों के बोलने में इस प्रकार रुकावट डालेगी तो क्या परिणाम होंगे ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : डरने वाले नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : तो मैं चुनौती देकर कहता हूं कि बोलिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप भी बोल लीजिये।

(शोर-गुल)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को अवकाश दिया गया है, आप बोलने दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of order, Sir, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है, जो व्यवस्था है...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके लैक्चर का कोई असर नहीं हुआ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मुझे सबसे बड़ा अफसोस यह है कि जिस बात को जनसंघ के नेता ने कहा कि विरोधी दल को बोलने देना नहीं चाहते, जब हम बोलते हैं तो विरोधी दल हंसता है...

श्री भैरोंसिंह : केवल विरोधी दल ही नहीं, दुनिया हंसती है आपकी तरफ।

(शोर-गुल)

श्री उपाध्यक्ष : आप जिस तरह इन्टरफियर कर रहे हैं, न तो इस प्रकार के इन्टरफियरेंस से सदन का कार्य चल सकता है और न कोई हल ही निकल सकता हैं।

श्री भैरोंसिंह : सदन का कार्य चलाने की जिम्मेदारी सत्तारूढ़ दल की है। सत्तारूढ़ दल ही इस तरह से इन्टरप्ट करेगा तो सदन की कार्यवाही किस तरह से चलेगी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हमारी ज्यादा जिम्मेदारी है तो कुछ आपकी भी जिम्मेदारी है। आप नहीं निभाते....

(शोर-गुल)

# Page No 46



**श्री फूलचन्द जैन** : दोनों के सहयोग से काम चल सकता है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : आप हमारा गला घोंट कर जिम्मेदारी निभाने की बात करें तो दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : इसका कारण एक ही है, उपाध्यक्ष महोदय, आप हमको दबाते हैं, इन्डल्जेंस देते हैं।

(शोर-गुल)

**श्री भैरोंसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, यह चेअर पर एस्पर्शन है।

(शोर-गुल)

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, यह सीधा चेअर पर आक्षेप है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : यह भयंकर आक्षेप है इस चेअर पर।

(शोर-गुल)

**श्री उपाध्यक्ष** : Order please !

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** : यह सब खड़े होकर कहते हैं। यह सब बोल सकते हैं तो हम भी बोल सकते हैं।

(शोरगुल-निरन्तर व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : Order Please ! Order please !!

(शोर-गुल)

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : आपको यह अधिकार है कि हमको न बोलने दें।

(शोर-गुल)

**श्री उपाध्यक्ष** : Order please !

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : हम भी बोल सकते हैं।

(शोरगुल-अश्रव्य)

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : इनको घाट दरवाजे पहुंचाया जाय।

(शोरगुल-अनवरत)

**श्री उपाध्यक्ष** : Order please !

(व्यवधान)

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शासना रूढ़ दल से करबद्ध यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन्हीं के आचरण के द्वारा इस प्रकार के उदाहरण विरोधी दल की ओर से भी होते हैं, तो यह शोभाजनक नहीं है; इसको प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिये।

(शोरगुल-अनवरत व्यवधान)

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : आपकी तरफ से शुरू हुआ है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : नहीं होता है। आप लोग स्टार्ट करते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपकी तरफ से होता है।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order please !!

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप इस सदन की शान को बनाने के लिये एक ऐसा उदाहरण रखने का कष्ट करिये जिससे सदन की कार्यवाही.........................

(शोर-गुल)

सुचारु रूप से चल सके : शासनारूढ़ दल का यह कर्त्तव्य है कि अपने आचरण के द्वारा उदाहरण रखे। हम सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने के लिये तैयार हैं। हम आपको सहयोग देंगे। अवश्य देंगे। लेकिन इस हो-हुल्लड़ से काम नहीं चलेगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप जिम्मेदारी लेते हैं।

(शोर-गुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

(शोर-गुल)

माननीय श्री गिरधारीलाल ! Order please !

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस विषय में पढ़ कर और उसमें उलझ कर फिर नहीं कार्य कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : हम तो नहीं करते हैं, वे दखल देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आगे की कार्यवाही चलने देने के लिए मैं आप सब से सहयोग की प्रार्थना करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : आपने एक बार आदेश दे दिया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रखा था, उसका क्या हुआ ? उसका तो जबाब दीजिये..

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री ज्वाला-प्रसादजी। Order please !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मुझे इन्डल्ज किया तो मेरी जो भावना थी वह मैंने कही है।

(शोर-गुल)

श्री विजयसिंह झाला : इस प्रकार पोइन्ट ऑफ आॅर्डर शाम तक होते रहेंगे। हमें भी आता है पोइन्ट ऑफ ऑर्डर इस तरह से उठाना।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आपका पोइन्ट ऑफ ऑर्डर स्पष्ट नहीं आया है। अब रखिये, आप क्या चाहते हैं ?

(शोर-गुल)

Order please !

(शोरगुल)

# Page No 48



श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरा व्यवस्था का सवाल यह है कि एक वक्तव्य हुआ। उस वक्तव्य के बाद आपके मार्फत कुछ मिनिस्टर महोदय ने बात कही उसके बाद आपने यह जो व्यवस्था दी है कि १५ मिनट और भी रात की जा सकती है। वे १५ मिनट उनको देंगे तो इधर के लोगों को भी बोलने का समय देना पड़ेगा, इसलिये व्यवस्था का सवाल है कि दुबारा आप अपनी व्यवस्था को चेन्ज कर सकते हैं या नहीं, दूसरों को चांस दे सकते हैं या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री ज्वाला-प्रसादजी जो चीज जिस भावना से कह रहे हैं उसके विषय में पहले ही कह चुका हूं कि इस सम्बन्ध में स्पष्टी करण कर दिया था कि इस सम्बन्ध जो क्वेश्चन था उसी से यह सारा वाद-विवाद प्रारम्भ हुआ और इस प्रकार प्रारम्भ हुआ कि हाफ एण्ड आवर डिस्कशन कहें या क्या कहें, उसके अन्त में केवल सदन से यह जानना चाहता था कि केवल इसी प्रकार से जो रूल्स के अनुसार बिजनेस हो तो वह तो यथासमय ली जा सकती है परन्तु सदन दूसरे बिजनेस को स्टार्ट करता है और फिर भी पूर्व बिज़नेस चालू रखना चाहा जाय; यह हो तो नहीं सकता। इसके लिये तो, उसके पहले की दूसरे बिजनेस में एन्टर हों, तो दस-पन्द्रह मिनट इसके लिए दिये जा सकते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सदन से यह पूछ लिया जाय।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

I am asking it, अब इस विषय में यह प्रश्न रखता हूं कि क्या इस सदन की यह मंशा है कि प्रस्तुत विषय को चलने दिया जाय...

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने पहले पर्मीशन मुझे दे दी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पर्मीशन पहले दे चुके हैं।

On a point of order............

श्री विजयसिंह झाल : On a point of order............

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : There is no point of order.

(शोरगुल)

Order please ! Order please ! Order please !

श्री राधाकृष्ण गोयल : प्रोसीडिंग्ज देखेंगे तो आसन की ओर से यह आदेश हुआ था कि संक्षेप में बोलें।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

सदन की मंशा जानना चाहता हूं।

# Page No 49



**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : एक मिनट के लिये सुन तो लीजिये ...

**श्री उपाध्यक्ष** : Order please !

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : इस क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है; एक मिनट तो सुन लें ।

**श्री उपाध्यक्ष** : Order please !

**श्री मोतीलाल चौधरी** : Is it the decorum of the House ? चेयर का आदेश तो मानिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : I have already put the question.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : यह क्वेश्चन आवर नहीं है । इसको बन्द कर दीजिये ।

**श्री उपाध्यक्ष** : The Question hour is finished.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : मैं यह कह रहा हूं कि क्वेश्चन आवर फिनिश कर दीजिये ।

(शोरगुल)

**श्री उपाध्यक्ष** : The Quetion hour is over.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आप सुन तो लीजिये । कौनसा क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, जब क्वेश्चन आवर ही नहीं है । क्वेश्चन पुट करने की आवश्यकता नहीं है ।

(शोरगुल)

**श्री उपाध्यक्ष** : Order please !

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : क्वेश्चन आवर का प्रश्न नहीं है । इसको समाप्त कर दीजिये ।

**श्री राधाकृष्ण गोयल** : आप कार्यवाही देख लें ।

**श्री उपाध्यक्ष** : Order please !

क्वेश्चन आवर फिनिश हो चुका और उसके बाद इतना व्यक्त कर चुका हूं कि क्वेश्चन आवर के बाद यह डिस्कशन चालू होता है । मैं सदन से जानना चाहता हूं कि क्वेश्चन आवर चालू रहे या न रहे ?

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : क्वेश्चन आवर का वाद-विवाद का एक घन्टा है । वह फिनिश हो गया । आप नेक्स्ट बिजनेस टेक-अप, जो आपने नहीं किया, कर लीजिये । सारा झगड़ा खत्म हो जायगा ।

**श्री राधाकृष्ण गोयल** : नेक्स्ट बिज़नेस ले लीजिये ।

( शोरगुल )

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : इससे अधिक आपके अन्दर कोई दूसरा समझने वाला नहीं है तो मुझे दया आती है आप लोगों पर....

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपका यह भ्रम है, whether I entered into another business or not. I had already

# Page No 50



(श्री उपाध्यक्ष)

declared that I am going to enter into another business. उसके बाद वाक आउट इत्यादि का कार्यक्रम हो गया। उसके अन्दर जो कुछ कहा गया वह सुना गया है। इसलिये यह कहा जाय कि क्वेश्चन आवर चालू है । चालू होता तो वही बात होती। इसलिये मैंने संकेत किया कि लिस्ट ऑफ बिज़नेस के अलावा यह कार्य चालू है तो उसको कितने समय तक चलने दिया जाय।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्य मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, मुझे क्षमा करें आप सदन की राय यह जान रहे हैं कि बिज़नेस को बिना जाने कार्यक्रम चल रहा है कि कितने समय तक इसको लिया जाय ?

**श्री भैरोंसिंह** : चेयर के सम्मान के लिये मैं एक बात कहना चाहता हूं। ट्रेजरी बैंचज, सरकारी पक्ष की ओर से चेयर को ट्रैप में लिये जाने की कोशिश की जा रही है।

(शोरगुल-व्यवधान)

आप मुझे पहले एक बार सुन लीजिये।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : He should not impute motives on the Chair.

**श्री भैरोंसिंह** : ये बीच में बोलेंगे, मैं नहीं बैठूंगा।

(शोरगुल)

मैं जो अर्ज कर रहा हूं उसको पहले ध्यान से सुन तो लीजिये। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि ट्रेज़री बैन्चेन्ज़ की ओर से आपको ट्रैप में लिये जाने की कोशिश की जा रही है।

**श्री उपाध्यक्ष** : Order please !

(शोरगुल)

**श्री भैरोंसिंह** : मैं नहीं बैठूंगा। आप करते जाइये हो-हल्ला। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह झगड़ा करके मुझे बिठना चाहते हैं तो मैं नहीं बैठूंगा।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : उनको सुन तो लीजिये।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** : दूसरे भी नहीं बैठेंगे। आखिर यह क्या बात हुई ?

(शोरगुल)

**श्री उपाध्यक्ष** : Order please !

**श्री भैरोंसिंह** : ये हो-हल्लड़ करेंगे तो फिर हम भी ज्यादा करेंगे। आप बोलेंगे तो मैं भी ज्यादा बोलूंगा।

(१.०० म० प०)

मैं निवेदन यह कर रहा था...

**श्री उपाध्यक्ष** : Order ! Order !!

**श्री भैरोंसिंह** : आप सुनिये तो सही ! आपने एक बार व्यवस्था दी थी, पन्द्रह

(श्री भैरोंसिंह)

मिनट तक का समय रखा जाता है। दूसरी व्यवस्था आपने सदन से अनुमति लेने की की। यदि सदन की अनुमति आपके पन्द्रह मिनट बढ़ाने से पहले ली जाती तो ठीक थी, लेकिन उसको आपने रिजेक्ट कर दिया। ऐसी हालत में अब सरकारी पक्ष आसन को ट्रैप में लेने की कोशिश कर रहा है, अतः मेरा निवेदन है कि आप ट्रैप से बचने की कोशिश करें।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री ने जिस समय प्रश्न उठाया और जो भैरोंसिंहजी ने इस विषय में कहा उसमें भ्रान्ति है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि सदन की मन्शा में परिवर्तन होता है, सदन की इम्प्लाइड मन्शा से ही पहले कार्य हुआ है। उसी प्रकार से यह बहस शुरू हो गई, और जब एक परिस्थिति में चालू हो गई तो उसको किसी तरह से हम नियमित नहीं कर सकते थे, वैसी हालत में मैंने सदन की अनुमति चाही कि जिस प्रकार से कार्यवाही चली है वह साधारणतः रूल्स के अन्तर्गत नहीं चालू रह सकती। फिर भी अगर इसी प्रकार से चल गई और उसमें सदन के कतिपय सदस्य यह इनसिस्ट करते हों कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो इस कार्यवाही को कहां तक चलाया जाय; इसके लिये सदन की मंशा लेना जरूरी था।

दूसरा जो भैरोंसिंहजी ने सवाल उठाया कि चेयर को किसी प्रकार से ट्रैप में लेने की बात है, ऐसा मैं नहीं मानता। केवल एक स्पष्टीकरणात्मक बात थी। स्पष्टीकरण के लिये पूछा गया उसके लिये यह स्पष्टीकरण किया गया। List of business is entirelyin the hands of the House. जब कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यह हाउस मुकर्रर करता है और उस कमेटी की सिफारिश का भी यह हाउस अतिक्रमण कर सकता है, परिवर्तन करने का भी उसमें हाउस को अधिकार है। अन्ततोगत्वा आशय जानना चाहता था कि क्या सदन की मन्शा है कि इसको चालू रखा जाय ?

श्री भैरोंसिंह : आपकी ऐतिहासिक रूलिंग सुनने के बाद आपके आदेशों का पालन करने के लिये तैयार हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपका निर्णय है टैक्निकली प्रश्न आवर समाप्त नहीं हुआ है। आपने घोषणा की प्रश्न आवर समाप्त किया जाय और फिर अनुमति ली जाय, ६५८ प्रश्न पूछा जाय। अगर दूसरा आइटम लेना था तो प्रश्न आवर का आइटम समाप्त हो जाता। इसी एक मुद्दे पर बहस चल रही है। मेरी तुच्छ बुद्धि के अनुसार टेक्निकली क्वेश्चन आवर समाप्त नहीं हुआ। नेक्स्ट आइटम लिया जाय, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है।

श्री उपाध्यक्ष : अगर यह मान्यता है कि इस बात को चालू रखा जाय, सदन की यह मान्यता हो, तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

कुछ माननीय सदस्य : सदन को मान्य नहीं हो रहा है।

(शोरगुल)

# Page No 52



श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कल का मेरा स्थगित प्रश्न है उसका जवाब दिलवा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी ही अनुमति से मैंने अगला कार्यक्रम लिया है अतः उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती ।

( शेष तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट २ देखिये )

## अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

### तहसील राशमी गणेशपुरा का अधूरा तालाब

६४७. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़-गढ़ ) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील राशमी गणेशपुरा का तालाब भूतपूर्व मेवाड़ स्टेट के वक्त से अधूरा बना हुआ है ?

(२) क्या यह भी सही है कि इसके बनाये जाने से हजारों एकड़ जमीन पर पानी पहुंच सकेगा ? अगर हां, तो इसे अब तक क्यों नहीं बनाया गया ? और अब इसके लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(१) जी नहीं । मेवाड़ स्टेट ने तालाब पूरा तो करवा दिया था किन्तु वह प्रथम वर्ष ही टूट गया था ।

(२) जी नहीं, इसके ऊपर व नीचे की मिट्टी क्षार युक्त हैं । अतः इसको पूर्ण करवाया जाना उचित नहीं समझा गया ।

## अतारांकित प्रश्नोत्तर

### खनिज विभाग की प्राइवेट पार्टीज़ पर बकाया धनराशि की वसूली

१०३. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) खनिज विभाग की किन किन प्राईवेट पार्टीज़ में किस किस बात की कितनी कितनी सरकारी रकम किस किस वर्ष से बाकी है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) इसमें से किन किन पार्टियों को बकाया रहने के बाद में माइनिंग लीज़ेज़ या कॉन्ट्रेक्ट्स दिये गये हैं ? या कॉन्ट्रेक्ट्स या लीजेज़ किस किस अमाउण्ट के किस किस वर्ष में, किस किस कार्य के लिये दिये गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(३) क्या रकम बाकी रहने के कारण कुछ पार्टीज़ को विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट किया गया है ? यदि हां, तो किन किन को और कब कब से ?

(४) क्या इन ब्लैक लिस्टड पार्टीज़ में कइयों को माइनिंग बिज़नेस विभाग द्वारा दिया गया है ? यदि हां, तो कब कब और क्यों ?

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

(५) प्रश्न के भाग (१) में अंकित बकाया की वसूली के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जिन पार्टियों से सरकारी धनराशि लेनी है उन्हें आम तौर पर नयी लीजे नहीं दी जाती हैं। किन्तु कुछ पार्टियों को विशेष परिस्थितियों में लीजेज दिये गये हैं, उनकी सूची कारणों सहित सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) खनिज विभाग में पार्टीज़ को ब्लैक लिस्ट करने का कोई रिवाज नहीं है।

(४) जब कि खनिज विभाग से किसी पार्टी को ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में यह प्रश्न नहीं उठता है।

(५) इस सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही प्रश्न के भाग (१) के उत्तर में दी गयी सूची के कालम ६ में अंकित कर दी गयी है। भीलवाड़ा सवाई माधोपुर व जयपुर को कुछ पार्टियों की बकाया की वसूली के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही की जानकारी की जा रही है।

( सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई )

तहसील निम्बाहेड़ा में मूंगफली कपास व गन्ने की फसल

१०४. श्री अब्दुलजब्बार ( निम्बाहेड़ा ) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील निम्बाहेड़ा में साल १९६४-६५ में कुल कितनी फसल मूंगफली, कपास व गन्ना की बोई गई ? तादाद एकरेज जिन्सवार सहित सदन की मेज पर रखें ?

(२) क्या सन् १९६३-६४ के मुकाबले में उक्त एकरेज बढ़े हैं ? यदि हां, तो कितने तथा उपज घटी या बढ़ी ?

उत्तर

(१) सन् १९६४-६५ में मूंगफली, कपास तथा गन्ना का अनुमानित क्षेत्रफल क्रमशः १३४३६, ४४५२ तथा १६२३ हैं।

(२) कपास तथा गन्ने का क्षेत्रफल क्रमशः अनुमानित ३०२ एकड़ तथा ५०० एकड़ बढ़ा है तथा मूंगफली का क्षेत्रफल १४१६ एकड़ घटा है।

तहसील पीपल्दा के ग्राम अरन्या के समीप की नहर पर पुलिया का निर्माण

१०५. श्री लक्ष्मीचन्द (पीपल्दा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि कोटा जिले की तहसील पीपल्दा में ग्राम अरन्या के समीप जो नहर निकली है और उस पर

( श्री लक्ष्मीचन्द )

पुलिया नहीं है जिससे किसानों को काफी परेशानी रहती है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार इस ग्राम के सामने ही नहर पर पुलिया बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक बनवा दी जावेगी और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(१) अरन्या ग्राम के पास अरनिया माइनर निकली है उस पर पुलिया बननी शुरू हो गई है।

(२) पुलिया बननी शुरू हो गई है और करीब करीब तैयार है। जो थोड़ा काम बाकी है वह अप्रेल सन् १९६५ के अन्त तक पूर्ण हो जायेगा।

## चूरू जिले में पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन कृषि सुधार पर व्यय

१०६. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

चूरू जिले में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में कितना २ रुपया कृषि सुधार हेतु खर्च किया गया ? इसकी विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

## एनीकट्स में सीपेज

१०७. **श्री ललित मोहन** (गोगुन्दा-सु०) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति क्षेत्र गोगुन्दा एवं कोटड़ा, जिला उदयपुर में कितने एनीकट्स कितनी लागत पर बंध कर तैयार हो गये हैं और कितनों का निर्माण कार्य जारी है ?

(२) क्या यह सही है कि अधिकांश एनीकट्स में सीपेज के कारण पानी नहीं ठहरता है ?

उत्तर

(१) इस प्रकार के कोई कार्य इस विभाग द्वारा इन क्षेत्रों में नहीं किये गये।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

## सिंचाई तालाबों का सर्वे

१०८. **श्री देवीलाल मीणा** (सराड़ा-सु०) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सिंचाई विभाग द्वारा जिला उदयपुर की तहसील सराड़ा तथा खैरवाड़ा में कौन से सिंचाई के तालाबों की सर्वे की गई है, कौन से तालाबों की सर्वे की जा रही है और कौन कौन से तालाबों की सर्वे की जाने की योजना है ?

उत्तर

किसी तालाब की सर्वे नहीं हुई है अभी तक। केवल स्थानों का निरीक्षण किया गया है तथा निकट भविष्य में इस क्षेत्र में सर्वे जल्दी प्रारम्भ होने की आशा है।

( १. १८. म. प. )

## टोंक जिले व मालपुरा सब-डिविजन में कृषकों की बेदखली विषयक स्थगन-प्रस्ताव

**श्री उपाध्यक्ष** : टोंक जिले में, विशेषकर मालपुरा सब-डिविज़न में राज्य सरकार द्वारा काश्तकारों को बेदखली के नोटिस दिये जाने के सम्बन्ध में १५ सदस्यों, सर्व श्री मानसिंह महार, राधाकृष्ण गोयल, अमरासिंह आदि आदि ने एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है।

यह मामला इतने अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित कर इस पर आज विचार किया जाय।

अतः मैं इसे सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह चाहूंगा कि स्थिति को स्पष्ट करते हुए माननीय राजस्व मंत्री इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** (उप-मंत्री, राजस्व) : मैं अभी तो वक्तव्य नहीं दे सकता।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (आसपुर) : मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में वक्तव्य अवश्य दे।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : उपाध्यक्षजी इस समय वक्तव्य देने की स्थिति में नहीं हूं, पूरी सूचना मेरे पास नहीं है। लेकिन इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा का सत्र समाप्त हो रहा है, फिर भी मैं तथ्यों की जानकारी करके जो उचित कार्यवाही करने की आवश्यकता होगी वह की जायगी।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : मैंने भी एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है।

**श्री मानसिंह महार** (आमेर) : इस तरह से आप इसको टाल नहीं सकते।

**श्री उपाध्यक्ष** : सूचना आ जाय, उसके बाद ही दे सकते है। (उप-मंत्री राजस्व से) क्या आप हाउस खत्म होने से पहले दे सकते हैं ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : मैं लिख कर माननीय सदस्य के पास भेज दूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपके पास लिखित सूचना भिजवा देंगे। अभी मंत्री महोदय के पास सूचना तैयार नहीं है, इसलिये जो कुछ सूचना होगी लिखित में आपके पास भेज दी जायगी।

**श्री राधाकृष्ण गोयल** (टोंक) : उपाध्यक्षजी, पांच हजार लोगों को बेदखली के नोटिस जारी हुए हैं, सैकड़ों आदमियों की गिरफ्तारी हुई है, एक कार्यकर्त्ता भी गिरफ्तार हुआ है। क्या राजस्व मंत्री कुछ भी नहीं बता सकते ? स्थगन-प्रस्ताव में सभी बातों की सूचना थी।

**श्री मानसिंह महार** : यह बहुत अहम मसला है। तीन साल तक खामोश रहे लेकिन अब फिर....

**श्री राधाकृष्ण गोयल** : यह बहुत अहम मसला है. इसको टालमटोल न किया

( श्री राधाकृष्ण गोयल )

जाय। मालपुरे का मामला है इसमें पिछले कुछ अर्से से सरकार एक व्यक्ति के इशारे पर चल रही है....

(शोर-गुल)

**श्री मानसिंह महार** : यह स्थगन-प्रस्ताव के तीन दिन पहले पर्सनली मैंने मुख्य मंत्रीजी से बात चीत की है, पर्सनली उनसे मिला हूं उसके बाद में टोंक गया। टोंक जिले की हालत देखी वहां पर जो आतंक है उसको देखते हुए हमने स्थगन-प्रस्ताव रखा है। इसमें केवल एक-दो हजार काश्तकारों के बेदखली का सवाल नहीं है, टोंक जिले के प्रमुख वकील भी इसमें शामिल हैं। श्री मुजफ्फरहुसैन को जयपुर से हथकड़ी डाल कर ३ वर्ष पूर्व के किसी मुकदमे में लपेट कर मालपुरा ले गये। तीन वर्ष पूर्व के एक मुकदमे में जिसमें ४२० के मुखिया थे, एक झंड् कम्पनी के जो चौधरी कुम्भारामजी के किसी रिश्तेदार की बनाई हुई है, उस झंडू कम्पनी के जो मालिक हैं, उसको सरकार ने गिरफ्तार नहीं किया। उसके बारे में तलाशी नहीं ली गई। कुछ मालूम नहीं सरकार को। वे लोग खुल्लम-खुल्ला घूम रहे हैं। देवली में किसानों को लूट लाट रहे हैं। पर चूंकि यह प्रश्न मालपुरा का है...

**श्री उपाध्यक्ष** : इस विषय में जो कुछ भी सूचना है यह कहा जा चुका है कि उसके बारे में जब सरकार जानकारी एकत्रित कर लेगी तो आपके सामने पहुंचा दी जावेगी, क्योंकि अभी पूरी सूचना नहीं है इसलिये वह सूचना जब तक नहीं होगी तो क्या पूछ सकते हैं ?

**श्री मानसिंह महार** : सूचना मुख्य मंत्रीजी को हमने पर्सनली दी है।

**श्री उपाध्यक्ष** : पर अगर उसकी तहकीकात करके सारे तथ्य नहीं इकट्ठे हों तो।

**श्री मानसिंह महार** : अगर तीन दिन में भी आपने सूचनाएं नहीं मंगाई तो इसमें हम क्या करें ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : जिस वक्त उन्होंने मेरे से जिक्र किया उनके सामने ही मैंने आई० जी० और डी० आई० जी० को कहा, अब कहें कि इन्साफ नहीं हो रहा है, तो इससे ज्यादा क्या प्रोम्प्ट एक्शन हो सकता है ?

**श्री मानसिंह महार** : आप उनको हुक्म कुछ भी दें। आप मालपुरा के मामले में कुछ नहीं कहेंगे, यह हम जानते हैं।

(शोर-गुल)

हम कहेंगे और हजार बार कहेंगे और आपके बहरे कान खोलेंगे। आप टिक्लिश प्रोब्लेम इसे समझते हैं आप ! इसे यह कह कर इवेड नहीं कर सकते। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह किस तरह से हुआ, यह भी मालूम होना चहिये मुख्य मन्त्रीजी ? महाराजकुमार जयसिंहजी की इलेक्शन पिटीशन चल रही है। इस सम्बन्ध में रतलाम जा रहे थे कमीशन से बयान कराने को। उनकी गिरफ्तारी किस तरह से हुई, मैं बताऊं।

**श्री उपाध्यक्ष** : पर जो कहना चाहें आप संक्षेप में कह दें। यह स्पष्ट बात है कि आप जो कुछ बतावेंगे उसका स्पष्टीकरण सरकार तब तक करने की हालत में नहीं होगी जब तक जानकारी न प्राप्त कर ले और तब तक उसको किस प्रकार यहां लें।

**श्री मानसिंह महार** : शाम तक दे दें।

**श्री उपाध्यक्ष** : शाम तक जितने तथ्य हैं वे एकत्रित नहीं किये जा सकते हैं। इसलिये बजाय इस समय भाषण देने के ज्यादा अच्छा यह रहेगा कि उक्त तथ्यों की जानकारी करके यहां देने के बाद अगले सैशन में या जिस दिन...

(शोर-गुल)

**श्री मानसिंह महार** : उपाध्यक्ष महोदय, श्री मुजफ्फरहुसैन को किन हालतों में गिरफ्तार किया, वह बताना चाहता हूं।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्य मंत्री) : एडजोर्नमेन्ट मोशन, जिसको यहां मूव किया गया उसमें मुजफ्फरहुसैन कहां से आ गये ? बेदखली का मामला और मुजफ्फरहुसैन !

**श्री मानसिंह महार** : और दूसरी गिरफ्तारियों के ऊपर प्रकाश नहीं डाल सकता।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : मैं निवेदन करना चाहता हूं...

**श्री मानसिंह महार** : लड्ढा साहब, यों नहीं चलता है उठ उठ कर कहने से। जरा पकड़ में आये हो। जरा अब तो कान खोलो। यह नादिरशाही नहीं चलेगी आज के युग में। यह डैमोक्रैसी है।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं निवेदन करूंगा कि आपका जो इश्यू है, एडजोर्नमेन्ट मोशन है, बेदखलियों के विषय में है, जो बेदखलियां हुई हैं।

**श्री राधाकृष्ण गोयल** : दूसरे पेरेग्राफ में है। आप उसे देखिये। १०७ के मुकदमे चलाये, फौजदारी मुकदमे चलाये।

**श्री उपाध्यक्ष** : मेन विषय जो आपका है वह बेदखलियों के बारे में है। यदि आप इसके विषय में कहना चाहें।

**श्री राधाकृष्ण गोयल** : एक एक बात मैं बताऊं। नियमित रूप से सैकड़ों आदमियों पर १०७ के मुकद्दमे चलाये हैं, दीगर फौजदारी मुकद्दमे चलाये हैं। अदालतों ने बेगुनाह करार दिया है, तब भी झूठे मुकदमे बना कर फिर गिरफ्तार किया गया है। एक एक कार्यकर्त्ता को तीन-तीन, चार-चार बार गिरफ्तार किया है; यह एक महीने, दो महीने से नहीं, लगातार पिछले कई सालों से यह चल रहा है।

(शेम-शेम की ध्वनि)

पांच आदमी गवाही देने गये, उनको भी १०७ में गिरफ्तार कर लिया। और थाने में बिठा दिया। काफी दौड़ धूप करने पर आई० जी० के कहने से छोड़े गये। जो

(श्री राधाकृष्ण गोयल )

सामन्ती परम्परा पहले थी उसी को आप कायम रखना चाहते हैं। मेरे खिलाफ केस चलाया गया। मजिस्ट्रेट ने स्ट्रिक्चर्स पास किये डी वाई० एस० पी० पर। आप यह चाहते हैं कि हम सब जेलों में बैठे रहें। या राजस्थान छोड़ कर चले जावें। आपके रास्ते में न आवें, किसी चुनाव में खड़े न हों।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इधर ध्यान दें।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** यह क्या राज्यपाल महोदय के भाषण पर जनरल डिबेट हो रही है या बजट पर बहस हो रही है, मेरी समझ में नहीं आया। यह एडजोर्नमेंट मोशन है, वह भी रेवेन्यू विभाग द्वारा बेदखलियों के बारे में है। अब कैसे स्ट्रिक्चर्स पास किये, कैसे क्या किया, आखिर कहना ही है तो इस मोशन के पर्व्यू में तो कहना पड़ेगा।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह :** यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। हम कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते। हम जिम्मेदार लोग हैं। अगर स्थगन–प्रस्ताव देते हैं, दो-तीन साल तक इस तरह से तंग करें! Hell has been let loose, reign of terror has been let loose, democratic values have been brought to naught;

अगर ऐसी समस्या को लेकर एडजोर्नमेंट मोशन टेबल करें और अगर उस पर सदन, मैं मान सकता हूं कि सब जानकारी सरकार को नहीं होगी, जानकारी उपलब्ध सरकार करेगी उसके पश्चात् उत्तर दे सकती है। यह मैं समझ सकता हूं पर एडजोर्नमेंट मोशन टेबल करने वालों को भी उसकी भूमिका बना कर सदन के सदस्यों के समक्ष सारी बातें रखने का अधिकार है। सबसे पहले जिन माननीय सदस्यों ने एडजोर्नमेंट मोशन टेबल किया है, उनको आप पांच मिनट भी नहीं बोलने की इजाजत दें और सरकार से कहलवा दें कि हमारे पास जवाब तैयार नहीं है। मेरे ख्याल में यह दुर्भाग्यशाली व्यवस्था है। मैं आपको बहुत अदब के साथ और पुरजोर रूप से निवेदन करूं कि हमारी पार्टी बहुत ज्यादा एडजोर्नमेंट मोशन टेबल करने के अन्दर विश्वास नहीं करती है, पर जब आपकी डेमोक्रेटिक वेल्यूज आउट ऑफ जस्टिस होती हैं, इतनी परवर्जन पर पहुंच जाती है कि आप पब्लिक भावना को भूल जाते हैं तो डेमोक्रैसी के रास्ते आपको कुछ सुनाना चाहते हैं तो आप सुनना नहीं चाहते, यह डेमोक्रैसी होगी, यह तो हिटलेराइट मैथड होगा, इससे हमारा देश न जाने कहां चला जावेगा, इसलिए आपको मैं निवेदन करता हूं कि हम जनतन्त्र के सिद्धान्तों को मानने वाले हैं, जनतन्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार चलते हैं, हम लिबरल हैं। हमारा आउट लुक फुल ऑफ जस्टिस होना चाहिये। हम डेमोक्रैटिक वेल्यूज़ को अफोर्ड करते हैं तो यह एडजोर्नमेंट मोशन पर दो शब्द भी जो हैं आप सुनने की कृपा करें और सदन को बाध्य करें कि नेक्स्ट सैशन तक; That means we will have put up with all this during these months, nothing would be more unfortunate than this.

( महारावल श्री लक्ष्मणसिंह )

तो मैं आपको यह निवेदन करूं उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारी तरफ से जो एडजोर्नमेंट मोशन टेबल किया गया है उसके सम्बन्ध में आप पांच मिनिट के लिए जो सदन की व्यवस्था है उसमें जो उनको दुख है उसको तो रोने देने दीजिये।

**श्री मानसिंह महार** : उपाध्यक्ष महोदय,....

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं विरोधी दल के माननीय नेता महोदय मे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस विषय में जब एडजोर्नमेंट मोशन लाया गया है उसके मुतल्लिक सारे तथ्यातथ्य सरकार के पास में एकत्रित नहीं हुए। एक तरफ से बात कही जावेगी दूसरी तरफ से बात नहीं कही जा सकेगी तो उससे क्या आशय बनेगा, आप देख लें।

और इसमें यह आशंका करने की तो आवश्यकता है ही नहीं कि पांच मिनट बोलने दिया जावेगा या नहीं। प्रत्येक समय जो अवकाश विरोधी दल को दिया जाना चाहिए वह दिया गया है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि इधर माननीय सदस्यों ने कहा कि मैं उधर ज्यादा लेटी ट्यूड दे रहा हूं इससे अधिक और कोई प्रमाण नहीं हो सकता। इसलिए यह कहना तो असत्य होगा और बिल्कुल अन्याय होगा आसन के प्रति कि आसन समय नहीं देता।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** ( अलवर ) : आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** ( रायसिंहनगर ) : आपके लिए लड़ मरेंगे। अन्याय आपके साथ नहीं होने देंगे।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : आप सर्वोपरि हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : और यदि अपोजीशन ने निर्णय कर लिया हो कि आसन की मखौल उड़ाई जावे। जितना अपोजीशन को अकोमोडेट किया जाना चाहिये आसन के द्वारा किया जाता है और उसके लिये पूरा प्रयत्न किया जाता है। और मैं यह भी दर्ख्वास्त माननीय सदस्यों से करूंगा कि उसी भावना के साथ में इस आसन का साथ भी दें और सहयोग की भावना से हाथ बंटाये तो मैं समझता हूं कि यह कार्य आगे बढ़ सकेगा।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : अवश्य।

**श्री उपाध्यक्ष** : यदि आप यह समझते हों, यह आसन ठीक नहीं....

**कुछ माननीय सदस्य** : बहुत ठीक है, बहुत ठीक है।

**श्री उपाध्यक्ष** : या किसी प्रकार से कोई अनुचित आदमी इस आसन पर बैठा है तो उसको हटा दें।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : हम आसन को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं।

**श्री मानसिंह महार** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय सदन का नहीं लूंगा, लेकिन माननीय मंत्रीजी का

( श्री मानसिंह महार )

ध्यान एक पर्टीकूलर पोइंट पर पिन पोइंट करूंगा कि शाम को जवाब देंगे। तो श्री मुजफ्फरहुसैन...

श्री उपाध्यक्ष : अकार्डिग टू ऑनरेबल लीडर, ५ मिनट।

**श्री मानसिंह महार** : पोलिटिकल विविटमाइजेशन की बात मैं बता रहा हूं कि श्री मुजफ्फरहुसैन जो कि एक इलेक्शन पिटीशन महाराजकुमार जयसिंहजी के खिलाफ है, मालपुरा में उसमें उनके वकील हैं, वे रतलाम के एक हैडमास्टर का बयान कराना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि मुजफ्फरहुसैन ऐसे आदमी थे जो कि रतलाम गये थे और उस हैडमास्टर से सारी बातें पूछ कर....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): पोइन्ट ऑफ ऑर्डर...

**श्री मानसिंह महार** : मुझे ५ मिनट बोलने दें। मैं बैठ जाऊंगा। उसके बाद आपको कोई एतराज़ हो तो कहें।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा ही चाहते हैं कि ५ मिनट इनको बोलने दें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कोई भी मेम्बर बोलें तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं कि जो मामला कमीशन के सामने एडजुडीकेट है, तो इनको यहां हाउस में किसी का नाम लेने का अधिकार नहीं है। इस बारे में आपकी व्यवस्था १२ बार हो चुकी है। इसलिये इन सब चीजों को रखने की इजाज़त नहीं हो सकती है। आप व्यवस्था से कन्ट्रोल रखें, नहीं तो जो बात निकल जाती है तो उसको एक्सपन्ज कर दें। मगर ऐसी बात है तो इतना शुबाह हुआ तो मैंने आगाह किया है इस बात पर...

( १.२२ म. प. )

## सदन में अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर आपत्ति

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर प्लीज़ !!

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपका व्यवस्था का प्रश्न हो सकता है !

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में स्ट्रेन्जर्स घुस गये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी-बाजार, जयपुर) : दीगर आदमी आ गये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। पहले भी बाहर के आदमी आ चुके हैं। आज पहली बार ही नहीं है कि बाहर के आदमी घुस गये हों।

**श्री मानसिंह महार** : यह मालपुरे का मामला है। किसी को मुख्यमंत्रीजी ने बुलाया हो, इस वक्त स्ट्रेंजर्स का आना बड़ा खतरनाक है। माननीय मुख्य मंत्रीजी घबरा गये हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोई भी स्ट्रेन्जर यहां आ जाये और चले जायं ऐसा

# Page No 61



( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

कैसे हो सकता है ? चार-। आदमी। आ गये और। चले गये। और ऐसा आज नहीं। पहले भी एक बार हो चुका है सदन में कि कांग्रेस के एक सदस्य, पुरोहित स्वरूपनारायणजी के साथ आ गये और बातचीत की पास में बैठकर और बातचीत करके सदन से बाहर चले गये और कांग्रेस के मेम्बर्स परम्परा का सवाल नहीं खड़ा करते हैं। पोइन्ट ऑफ ऑर्डर का सवाल नहीं खड़ा करते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : नोटिस में नहीं आया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह क्या मखौल है। जो कांग्रेस शासन स्ट्रेन्जर्स को घुसने से रोक नहीं सकती वह राजस्थान की सीमा में पाकिस्तानियों के घुसने को क्या रोक सकेगी ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्या बात कही है !

श्री मानसिंह महार : तो, उपाध्यक्ष जी, मैं श्री मुजफ्फरहुसैन की गिरफ्तार के बारे में निवेदन कर रहा था....

श्री भैरोंसिंह : पोइंट ऑफ ऑर्डर सर, उपाध्यक्ष महोदय, मामला शायद हंसी और मजाक में उड़ाया जा रहा है। इस सदन में २-३...

श्री उपाध्यक्ष : मैंने उसके बारे में एन्क्वायरी के लिये, तहकीकात के लिए भेजा है कि कौन आये और क्या हुआ ?

श्री भैरोंसिंह : वह तो हमारे कांग्रेस के सदस्य जो पीछे बैठे थे उन्होंने भी देखा है। उनसे पूछ लें। कोई गलत बात नहीं है। मैं कहता हूं कि यह सदन की प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक है...

श्री मानसिंह महार : उनको सदन के सामने लाया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनके पास किनके पास हैं ?

श्री भैरोंसिंह : दो जने कह रहे थे कि लड्ढा साहब के पास आये हैं और दो जने कह रहे थे कि कुम्भारामजी के पास आये हैं। वे किसके पास आये हों चाहे कुम्भारामजी के पास आये हों या लड्ढाजी के पास आये हों कोई मतलब नहीं है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इस तरह से मोटिव इम्प्यूट करने से व्यवस्था खराब होती है। आप सरकार को...

श्री भैरोंसिंह : कोई उनको लाया नहीं होगा और गलत ढंग से लाबी में आ रहे होंगे हाउस या लाबी में घुस रहे होंगे। ग्रामीण आदमी हैं विशेष मोटिव की बात नहीं है, लेकिन हाउस में स्ट्रेन्जर्स का आना हाउस की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है। इसमें निवेदन करूंगा कि जो कुछ भी आवश्यक कार्यवाही करनी है वह अवश्य करेंगे, ताकि हमेशा के लिए परम्परा बनी रहे कि हाउस में स्ट्रेन्जर्स घुसते हैं तो उसका परिणाम क्या

# Page No 62



( श्री भैरोंसिंह )

निकलता है। उनको विशेष सजा दी जाय; इस बात के पक्ष में मैं नहीं हूं।

**श्री उपाध्यक्ष :** अभी तो इस विषय में सेक्रेटरी को आदेश दिये गये हैं और डिप्टी सेक्रेटरी को भेजा गया है कि कौन व्यक्ति वे थे। उसका पता लगाया जायगा तब मैं सूचित करूंगा।

## टोंक जिले व मालपुरा सब-डिविजन में कृषकों की बेदखली विषयक स्थगन-प्रस्ताव (पूर्व क्रम से)

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यही निवेदन है कि वे साधारण ग्राम के लोग हैं। उन लोगों को केवल इस बात की सूचना दी जाय कि इस तरह से नहीं आना चाहिये, लेकिन हमें अपना इन्तजाम अच्छा करना चाहिए बजाय इसके कि नाजानकार लोग आ जाये तो सीरियस व्यू लें। हमको अपनी व्यवस्था को देखना चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष :** इस विषय में स्पष्ट व्यवस्था है कि सदन के अन्दर किसी भी फारेनर का आना अनुचित है और वह बहुत ही एतराजजनक है। अगर इस प्रकार की बात हुई है तो उचित आदेश दिया जायगा।

**श्री मानसिंह महार :** तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि मालपुरे के श्री मुजफ्फरहुसैन वकील राजकुमार जयसिंह के थे वे रतलाम गये और वहां पर रतलाम के हैडमास्टर के यहां रेकॉर्ड देखा कि श्री दामोदरलाल वहां पढ़े थे, रतलाम में पढ़े थे तो उनका नाम देखा है। और एक कम्पाउन्डर जिसका कि स्टेटमेंट टेप रेकॉर्ड किया गया है जिसने यह कहा था कि मैं भी रतलाम में दामोदरजी के साथ पढ़ा हूं....

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा :** पोइंट ऑफ ऑर्डर, सर, यह ट्रिब्यूनल की बात आ रही है कि कोई टेप रेकॉर्ड का जिक्र आ रहा है तो उसका फैसला हुआ नहीं है तो यह जो कह रहे हैं वह गलत है। पहले आपकी व्यवस्था हो चुकी है और एक्सपन्ज करना चाहिये उस चीज को जो किसी मुकदमे के फैसले पर इम्पेक्ट रखने वाली हो।

**श्री भैरोंसिंह :** कोई मुकदमा नहीं है।

**श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद):** जब कि उसका ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है और उसके बारे में आप यहां जिक्र कर रहे हैं, वह मामला सबजुडिस है तो उसका जिक्र नहीं कर सकते हैं।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा :** इलेक्शन पिटीशन चल रही है और गवाह की बात कर रहे हैं। मास्टर की बात कर रहे हैं। जो कुछ भी गवाह है उसके बारे में इधर या उधर नहीं अलाउ करना चाहिये। ऐसी आपकी व्यवस्था है।

**श्री उपाध्यक्ष :** अगर माननीय सदस्य ऐसा हाउस में जो कि एडजुडिकेट की बात हो....

**श्री मानसिंह महार :** मैं ऐसी बात कहूंगा तो एक्सपन्ज कर दें। आप बीच बीच में उचकते हैं।

वे इसलिए गये थे कि रेकॉर्ड देखकर आये क्योंकि श्री दामोदरजी व्यास के साथ

# Page No 63



( श्री मानसिंह महार )

एक कम्पाउन्डर पढ़ा था उस कम्पाउन्डर का बयान टेप रेकॉर्ड किया है। -

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : This is point of Order.

**एक माननीय सदस्य** : क्या हुआ है।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : उसको डिस्कस किया जा रहा है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : ज्वाला प्रसादजी आपत्ति करें तो समझ सकता हूं लेकिन यदि श्री आचार्यजी आपत्ति करें तो इनको आपत्ति इसलिये नहीं करना चाहिए क्योंकि इलेक्शन पिटीशन चल रही है वह इनके साले की हुई है और साले की पैरवी इस तरह से...

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : आपके सालों को भी बहुत बचाया है उस जगह गया हुआ हूं, क्या साले साले करते हो....

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : साले क्या ? क्या कहा ?

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : कह दिया जो कहना था वह।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : आप हाउस की व्यवस्था की तरह से चलें। ऐसे काम नहीं चलेगा।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न इतना सा है, मैंने आपत्ति उठाई थी, ज्वालाप्रसादजी ने जो बात उठाई उसका ५० पर्सेन्ट मेरी समझ में आ सकता है। इलेक्शन ट्रिब्युनल के सामने जो गवाही पेश करने वाले हैं उसको पहले ही गिरफ्तार कर लिया है इसके बारे में माननीय सदस्य कह रहे थे उस पर श्री ज्वाला-प्रसादजी ने आपत्ति उठाई उस पर मुझे आपत्ति नहीं है क्योंकि आपका पोइन्ट रिले-वेन्ट है या नहीं यह सवाल आसन के देखने का है लेकिन आचार्यजी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको ऑब्जेक्शन करने की क्या आवश्यकता थी ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : मैं भी ऑनरेबल मेम्बर हूं इस सदन का। आपको आपत्ति करने की क्या जरूरत थी ? आप आपत्ति कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : साले की पैरवी करना चाहते हैं।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : मैं तो यू. पी. में आपके साले को भी बचा आया हूं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : यू. पी. में मेरा ससुराल है; आप यू. पी. के हैं, आप भी मेरे साले हो गये।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह व्यवस्था लेना चाहता हूं, इस सदन में माननीय मानसिंहजी वक्तव्य दे रहे थे उनको चार बार पोइन्ट ऑफ ऑर्डर के द्वारा इन्टरप्ट किया जा चुका है। श्री ज्वालाप्रसादजी ने सबजुडिस के बारे में प्रश्न उठाया था मैंने उनको समझाया कि सबजुडिस की परिभाषा

# Page No 64



( श्री मानिकचन्द सुराणा )

क्या है वे उसको मान गये और बैठ गये । आज फिर बार बार यह प्रश्न उठाया जाता है कि यह सबजुडिस है । मैं बताना चाहता हूं कि यह सबजुडिस नहीं है । किसी अदालत में कोई केस चल रहा हो और उसका हवाला यहां आ जाय फैसले के खिलाफ बात करे तब तो कहा जा सकता है कि अदालत के खिलाफ बात है लेकिन कोई आदमी अदालत में जा रहा है तो उसको रोक दिया जाय, उसके बारे में कहा जाय तो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया जाय और उस पर आपका निर्णय हो जाय उस पर कांग्रेस के ५० पर्सेन्ट मेम्बर यहां बैठे हैं उनको आपकी रूलिंग पर भरोसा नहीं है, प्रोसिडिंग्ज़ चल रही है....

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : This is the look-out of the Chair.

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : मिस-यूज है रूल्स ऑफ प्रोसिजर का ।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : It is for the Chair to look.

आप किस आधार पर खड़े हो !

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : मैं चेयर से कहना चाहता हूं कि ऐसे मेम्बर कोरोका जाय और जरूरत पड़े तो हाउस से सस्पेन्ड भी किया जाय ।

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज़ !

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : मेहरबानी करके मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर पहले डिस-पोज़ ऑफ करिये ।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपका हो चुका है ।

जो सबजुडिस के विषय में माननीय सदस्य ने पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया था उस बारे में मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो कार्यवाही अदालत में न्याय की मांग के साथ चल रही है, न्याय से संयुक्त चल रही है, किसी विषय में इस बात का निर्णय दिया जाने वाला है उसको प्रेजुडिस करने वाली यदि कोई कार्यवाही है और उससे संबंधित जो कार्यवाही है वह सबजुडिस है और उस निर्णय को यदि कोई प्रेजुडिस करने वाली चीज करते हैं वैसी चीज इस सदन में नहीं आनी चाहिये । लेकिन इसके इर्द गिर्द जो दूसरे विषय हैं जो सीधे किसी केस के विषय में न्याय और निर्णय से संबंधित नहीं हैं वे सबजुडिस नहीं कहे जा सकते उसको यहां लाया जाना अनुपयुक्त नहीं है एविडेन्स का जहां प्रश्न है एविडेन्स के ऊपर जजमेंट फोर्म होता है इसलिए एविडेन्स भी इस चीज में आती है लेकिन इसके अलावा जो कुछ चीज है उसको आप स्वयं सोच सकते हैं ।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : मैं आपके रूलिंग को एक्सेप्ट करता हूं पर....

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : Most hopeless, Sir.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : सुनने दीजिये ।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : मैं आपसे कम नहीं उतरूंगा ।

**श्री भैरोंसिंह** : यह तो जानते हैं कि आप नंबरी हैं ।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : दोनों के लिए काफी हूं ।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह थोड़ी देर के लिए बंद हो जाय और आगे की कार्यवाही चल सके तो क्या हर्ज है ?

**श्री मानसिंह महार** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि मैं रूलिंग या कोर्ट को किसी प्रकार से प्रिज्युडिस नहीं कर रहा हूं ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन कैसे होता है, पुलिस ऑफिसर मिल कर किस तरह निकम्मे हैं और व्यक्ति विशेष की खुशामद किस तरह करते हैं...

**एक माननीय सदस्य** : होम मिनिस्टर चले गये ।

**श्री मानसिंह महार** : चले गये तो चले गये । यह सरकार बहरी है, बैठे हुए हों तो पान चबा लेंगे । मैं निवेदन कर रहा था कि १२ तारीख को दामोदरजी ने राजाखेड़ा में नॉमीनेशन पेपर दाखिल किया, आज १६ तारीख को उनके खिलाफ रतलाम में एक कमीशन जायगा इलेक्शन पिटीशन की सुनवाई के लिये । इस सदन के एक माननीय सदस्य की तरफ से श्री मुजफ्फरहुसैन वकील बन कर जा रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है मैं वहां के सब-इन्सपेक्टर और डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस से मिला और उनसे पूछा कि क्या किस्सा है जरा बताइये । मैं खुद जाकर आया हूं, मैं सत्य कह रहा हूं, मैंने जब सब-इन्सपेक्टर से पूछा कि क्या किस्सा है तब सब-इन्सपेक्टर कहता है कि ऊपर के लेवल की बात है । उस सब-इन्सपेक्टर का नाम छत्रसिंह है वह कहता है ऊपर के इशारे की बात है ।....

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया ( मुख्य-मंत्री )** : ऊपर के लेवल का मतलब हो सकता है कुछ आदमियों पर कार्यवाही नहीं हुई इसलिए डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस और सुपरिन्टेन्डेन्ट ने कहा हो कि पूरी कार्यवाही नहीं हुई है इसलिए करना चाहते हैं आप ऊपर के इशारे की बात कह रहे हैं जरा स्पष्ट कर दें कि उसने क्या कहा है ।

**श्री भैरोंसिंह** : डिप्टी एस. पी. और एस. पी. की बात बता कर आप अपने आपको एग्जनरेट करना चाहते हैं ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : स्पष्टीकरण कर दें जिसके लिए कहा इसको भी बता दें ।

**श्री मानसिंह महार** : सब-इन्सपेक्टर ने क्या कहा ऊपर के लेवल की बात है, आप मुझसे क्या पूछते हैं ? मैं थाने से चला आया और डिप्टी एस. पी. के पास गया और उनसे कहा १२ तारीख को नोमीनेशन फाइल होता है १६ तारीख को कमीशन के बयान लेने मुजफ्फरहुसैन वहां जाने वाला है और अब आपने तीन वर्ष पुराने केस में उसको गिरफ्तार कर लिया कोई बात नहीं, यह तो बताइये कंपनी फ्लोट हुई उसकी पक्की रसीदें मुजफ्फरहुसैन ने दी, वह कंपनी रजिस्टर्ड है तो क्या आपने रजिस्ट्रार को पूछा कि कौनसी कंपनी है, कौन मालिक है, क्या कर रही है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : जल्दी खत्म करें ।

**श्री मानसिंह महार :** जल्दी ही खत्म कर रहा हूं। वे बोले दामोदरलालजी व्यास के छोटे भाई रामप्रसादजी १५-२० आदमियों को मेरे पास लेकर आये और कहा कि इनके खिलाफ ४२० और ४०६ का मुकदमा है, मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं, जो डिप्टी एस. पी. और उन्होंने कहा, इसलिए हमने उसको गिरफ्तार कर लिया। कंपनी वालों से पूछ ताछ और दूसरी बातें अब करेंगे। अब तक किसी कंपनी वाले को नहीं पूछा, हम यह नहीं कह सकते कि रसीद है या नहीं कोई तहकीकात नहीं की है इस प्रकार के सिमिलर केसेज सी. आई. डी. में चल रहे हैं, कोई चालान नहीं हुआ, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। लेकिन दामोदरलाल जी ने १२ तारीख को नोमीनेशन पेपर फाइल किया, मुजफ्फरहुसेन बयान कराने के लिए जा रहा था उसको गिरफ्तार करके उस वकील को हथकड़ियां डाल कर मालपुरा ले जाना और पब्लिकली प्रचार करना, उससे बढ़कर विक्टिमाइजेशन, सुखाड़ियाजी, दूसरा नहीं हो सकता। मैं सही कहता हूं हमें दुःख होता है जब हम यह कहते हैं। वैसे हमें कोई लेना-देना नहीं है। आप बहुमत हैं, आप राज्य कीजिये, लेकिन इस तरह से दुर्भावना से राज्य करते हैं तो हमें कहना पड़ता है कि आज राजस्थान में डेमोक्रेसी का हनन होने जा रहा है। आप देख रहे हैं, हमारे यहां पर....

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** हत्या होने जा रही है!

**श्री गिरधारीलाल व्यास :** बादल मंडरा रहे हैं।

**श्री मानसिंह महार :** दूसरे देशों का, हमारे दुश्मनों का हाथ हमारी ओर बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में आप हमारा कोऑपरेशन सीक कीजिये। यह मत कीजिये कि किसी जगह से अपोजीशन का कोई व्यक्ति जीत कर आ गया तो उस इलाके में अपोजीशन के प्रभाव को खत्म करने के लिए आप इस प्रकार की कार्यवाही करें।

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

अब मैं खत्म कर रहा हूं। आज आप विरोधी पक्ष में से कुछ माननीय सदस्यों को अपनी तरफ खींच कर खुश हो गये। हमारी स्वतंत्र पार्टी के पांच आदमियों को अपनी तरफ ले लिया। मैं आपको कहता हूं...

**श्री गिरधारीलाल व्यास :** असलियत पर आ गये अब।

**श्री मानसिंह महार :** आपका जो यह तरीका है It is a great disservice to democracy in India मैं यह आपको कह दूं कि यह पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। जो लिस्ट मैंने रखी थी उन हजारों लोगों को बेदखली के नोटिस देना, १०७ में चालान करना और हजारों आदमियों के कहने के बावजूद उस तहसीलदार को वहां पर आठ साल तक रखना, आठ साल में कई बार वहां से तबादला हो जाना और फिर उसे वहीं ले जाना....

**श्री उपाध्यक्ष :** पांच मिनट हो गये ?

**श्री मानसिंह महार :** और ट्रान्सफर ऑर्डर का कैंसिल हो जाना और तहसीलदार और एस. डी. ओ. को वहां बरकरार रखना....

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

श्री मानसिंह महार : यह एक तरह से व्यक्ति विशेष की डिक्टेटरशिप को कायम रखना-मैं समझता हूं कि शर्म की बात है। इस मुद्दे को अभी नहीं, हमने मुतवातिर उठाया है और आपको इसकी डिटेल्स देनी पड़ेंगी और इसकी डिटेल्स देने की जवाबदारी आप पर है। आप इस सदन को और हमको बतायें कि क्या रीज़न्स हैं कि तहसीलदार को आठ साल में कई बार तबादले होने पर भी वहां चिपकाये हुए हैं ?

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

और यह भी बतायें कि हमारी सरकार लाखों रुपये के दुरुपयोग को बचाने के लिए क्या कर रही है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बून्दी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जहां तक मेरी जानकारी है मैं भी इस केस में एडवोकेट हूं, मिस्टर मुजफ्फरहुसैन ने इस केस में पैरवी नहीं की और मुजफ्फरहुसैन इस केस में कभी वकील नहीं रहे। जो मुजफ्फरहुसैन की बात कहते हैं कि उनकी इस केस की वजह से गिरफ्तारी की गई है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस पिटीशन में कभी भी एक बार भी हाजिर नहीं हुए हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : डेढ़ एक महीने से महाराजकुमार के गवाहों को वह ब्रीफ कर रहे हैं और अभी इस केस के सिलसिले में रतलाम भी जाने वाले थे। यह आप गलत फर्मा रहे हैं। वैसे इस केस में चिरंजीलाल अग्रवाल वकील हैं, लेकिन उनके नीचे दस वकील हैं जो लोकल नॉलेज रखने वाले हैं और उनमें से एक मुजफ्फर हुसैन भी हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): बिल्कुल आप झूठ कह रहे हैं कि मुजफ्फर हुसैन वकील नहीं हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : वे रतलाम जाने वाले थे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह बिल्कुल गलत कहा है कि वे वकील हैं।

( शोर–व्यवधान )

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

श्री राधाकृष्ण गोयल : मेरा भी इसमें....

श्री गिरधारीलाल व्यास : इस पोइन्ट पर मुजफ्फरहुसैन के बारे में बहुत ज्यादा रंग देकर कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : अब मैं अलाऊ नहीं कर सकता।

(शोर–व्यवधान)

श्री राधाकृष्ण गोयल : मेरा भी इसमें निवेदन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : काफी टाइम हो गया है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं टोंक जिले से आया हूं और टोंक जिले में जो हालत है

(श्री राधाकृष्ण गोयल )

उसके बारे में आज से पहले मैंने कभी नहीं कहा है...

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : आपने इससे पहले भी कहा है।

**श्री राधाकृष्ण गोयल** : ट्रेजरी बेंचेज पर बैठे हुए माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि वहां पर जनतन्त्र की कोई परम्परायें नहीं रह गई हैं...

(शोर–व्यवधान)

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : बोल राधा बोल !

**श्री राधाकृष्ण गोयल** : मैं कहना चाहता हूँ कि जो आज वहां पर परम्पराय चल रही हैं...

(शोर–व्यवधान)

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : बोल राधा बोल !

**श्री राधाकृष्ण गोयल** : उपाध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति वहां भेजे जाते हैं वे वहां कुछ व्यक्तियों की सिफारिश पर भेजे जाते हैं। मैं जानता हूं वहां जो ऑफिसर हैं वह ज्यादातर रिश्वतखोर और भ्रष्टाचारी हैं और आप चाहें तो मैं इस तरह के लगातार सौ केस मुख्य मन्त्री को दे सकता हूं, लेकिन हम सोचते हैं कि...

**श्री उपाध्यक्ष** : संक्षेप में रखें।

**श्री राधाकृष्ण गोयल** : उनकी जांच नहीं होगी। वहां का कोई ऑफिसर कलेक्टर का हुक्म नहीं मानता है और झूठे मुकदमे चलाने में व्यस्त रहते हैं। अभी का उदाहरण है, राजा अमरसिंह....

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : इस वक्त जो माननीय सदस्य हैं ?

**एक माननीय सदस्य** : एक व्यक्ति को यों फंसा नहीं सकते।

**श्री राधाकृष्ण गोयल** : मैंने निरंजननाथ आचार्य डिप्टी मिनिस्टर से कहा कि आपके थानेदार राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे चला रहे हैं। लेकिन आपने उसे टाल दिया....

(शोर–व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : यदि इस प्रकार आसन की अवहेलना बराबर की जायगी तो....

(शोर–व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज़ !

**श्री राधाकृष्ण गोयल** : आज परिस्थिति वहां यह है...

**श्री उपाध्यक्ष** : पहले सुन लें।

**श्री राधाकृष्ण गोयल** : भ्रष्टाचार वहां पर हो रहा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आपको अवसर दिया

(श्री उपाध्यक्ष)

जाता है तो इसका मतलब यह है कि आसन की अवहेलना करके जो चाहें सो कहते रहें ? इस विषय में जो कुछ कहना है वह तीन मिनट में कहें। जो अपोजीशन के माननीय लीडर हैं उन्होंने फर्माया तो उनका आदर रखते हुए आपको तीन मिनट के लिए अलाऊ किया गया। अगर इन्ट्रप्शन्स भी हुए तो उनको नजर अन्दाज किया गया और पूरी तरह से माननीय सदस्य, जो स्वतन्त्र पार्टी के हैं, उनको वह जो कहना चाहते हैं वह कहने दिया गया है। इस परिस्थिति में जो आपको कहना है वह केवल आप दो ढाई मिनट में कहें।

**श्री राधाकृष्ण गोयल** : तीन मिनट से ढाई मिनट हो गये।

**श्री उपाध्यक्ष** : इसके अलावा दो-तीन मिनट का सौदा नहीं है। आप दो मिनट में कहें, अन्यथा मुझे कोई अप्रिय कार्यवाही करनी पड़े तो उसके लिए मुझे माफ करें।

**श्री राधाकृष्ण गोयल** : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टोंक जिले की जनता जो कांग्रेस में नहीं है, या जो जन-प्रतिनिधि है-उनका यह विश्वास बढ़ता जा रहा है कि टोंक जिले में निष्पक्ष प्रशासन नहीं हो रहा है। वहां जो कुछ भी प्रशासनिक कार्यवाही होती है, वह जयपुर में बैठे हुए एक या दो व्यक्तियों के इशारे पर या उनके टेलीफोन पर होती है, और जो उनके एजेंट हैं, जो उनके गुर्गे हैं, वे लोग उनके बंगले में आते हैं और वहां से सिविल लाइन्स में जाकर उनके प्रभाव के आधार पर कार्यवाही करवा लेते हैं। वहां जो ट्रान्फरस होते हैं, वे राजनैतिक आधार पर होते हैं और ट्रान्सफर कैंसिल होते हैं वे राजनीति के आधार पर होते हैं और जो गुप्त फाइलें हैं वे यहां लाकर बतलाई जाती हैं उन आदमियों को....

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या यह फैक्ट है ?

**श्री राधाकृष्ण गोयल** : और वह सरकारी आदमी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या वह आदमी जो सरकार में नहीं है वह आये दिन स्टेट के अन्दर सरकारी अधिकारियों को आदेश दे सकता है ? क्या उन अधिकारियों के पास अपने आदमियों को भेज कर लोगों पर अन्याय करवा सकता है ?

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : किसका रेफरेन्स दे रहे हैं ? वह कौन व्यक्ति है ? जो शासन में नहीं है ? वह व्यक्ति कौन है ? कौन टेलीफोन पर आदेश देता है एस० डी० ओ० को ?

**श्री राधाकृष्ण गोयल** : उनका टेलीफोन नम्बर है, २१५२; नाम है दामोदरलाल व्यास जो पहले राजस्व मन्त्री थे। मेरे ख्याल में कोई महीना जाता हो जिसमें दो-चार दफा उन्होंने राज्य के काम में हस्तक्षेप नहीं किया हो। जब वे टोंक जाते हैं तो राज्य के ऑफिसर उनके पास इस तरह आ जाते हैं जैसे उनकी तरफ से तनख्वाह मिलती हो और उनको सारा अधिकार मिला हुआ हो।

**श्री उपाध्यक्ष** : Order please !

**श्री राधाकृष्ण गोयल** : मैं निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मन्त्री से कि मैं यह आश्वासन चाहता हूँ कि वे वहां के प्रशासन में इस तरह के हस्तक्षेप को रोकें और दामोदरलाल व्यास प्रशासन के काम में हस्तक्षेप नहीं करें।

**श्री उपाध्यक्ष** : Order, please !

**श्री राधाकृष्ण गोयल** : उनके द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाय और आपके ऑफिसरों के ट्रान्सफर राज्य सरकार के सम्बन्धित अधिकारी जारी कर दें, उसको वे नहीं रोकें।

**श्री उपाध्यक्ष** : I shall not allow you now. That is according to your promise.

**श्री राधाकृष्ण गोयल** : और यह नहीं होना चाहिए कि उनके ट्रान्सफर ऑर्डर कैंसिल करके उसी स्थान पर वापिस भेज दिया जाय।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन कर दूं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि विरोधी दल के माननीय सदस्य टोंक जिले के और मालपुरा के और सारी जगह के अन्याय अत्याचार के बारे में आज इतने जोर शोर के साथ यहां पर बोले, मैं समझता हूं कि वे काफी अर्से से...

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (आसपुर) : उदयपुर का खुद का सवाल है, डूंगरपुर में जो कुछ हो रहा है और सब जगह यह हो रहा है-तो आपकी सारी गतिविधियों को पन्द्रह वर्ष से जनता सहन कर रही है, लेकिन the last straw breaks the camel's back हमारी सहनशीलता की भी पराकाष्ठा हो जाती है कभी कभी, क्योंकि मालपुरा की दुर्दशा आपने की है।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द) : राजाखेड़ा के चुनाव के खिलाफ कन्वेसिंग चल रहा है।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : और जनता का आपके प्रति बिल्कुल अविश्वास है।

**श्री राधाकृष्ण गोयल** : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल निराधार है यह मैं बता दूं। ऐसा ख्याल नहीं है बल्कि...

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : जब आप बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोला। मैं समझता हूं कि एक बात बहुत स्पष्ट है कि इस बारह तारीख को जब राजाखेड़ा के नोमीनेशन होने वाले थे और यहां पर श्री दामोदरलाल व्यास का नोमीनेशन हो गया, तो उसके बाद में मालपुरा में और टोंक जिले के अन्दर अन्याय और अत्याचार की बातें चारों तरफ चालू हो गई और उसके बाद सदन में जोर शोर से इस बात को कहा जा रहा है। केवल यह बात इसलिए उठाई जा रही है किसी प्रकार इस सदन के अन्दर हुई बहस का असर राजाखेड़ा के चुनाव पर पड़े।

**श्री भैरोंसिंह** : यह सेंट पर्सेन्ट गलत कह रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस प्रकार की किसी कार्यवाही में नहीं पड़ना चाहते कि जिससे किसी प्रकार का कोई विक्टिमाइजेशन का सवाल हो। और पहले भी जो केसेज आये हैं उनकी हमने जानकारी की है। कोई स्पेसिफिक केसेज़ टोंक जिले के और किसी प्रकार के विक्टिमाइज़ेशन के होंगे तो उसके बारे में जांच करके चला जायगा। यह मान कर नहीं चलना चाहिये कि हम कार्यवाही नहीं करते हैं। खास तौर पर जो मुजफ्फर हुसैन के केस को काफी प्लीड किया गया, उसके बारे में मैं समझता हूं कि उसके बारे में जानकारी जो कुछ प्राप्त की गई है, वह अभी सदन के समक्ष, उपाध्यक्ष महोदय, आप प्रस्तुत करेंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर)। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी जो कुछ कहा है और उसके साथ राजाखेड़ा के चुनाव के सम्बन्ध में कुछ कहा है वह तो असत्य है ही, लेकिन इस विषय को आप इस तरह से लेते हैं इसका उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैंने आज से करीब दो बर्ष पहले मालपुरा के १०८ किसानों की अलग-अलग दरख्वास्तों को अपने लेटर के साथ आपके पास भेजी थी, जिसके द्वारा बताया था कि उन लोगों पर तहसीलदार और एस. डी. ओ. के द्वारा किस किस प्रकार से अन्याय किया जा रहा है, उनका किस प्रकार से शोषण किया जा रहा है, इस सब की जानकारी कर के मैंने अपने पत्र के साथ वे १०८ दरख्वास्तें भेजीं थीं, लेकिन आपने इतनी भी जरूरत नहीं समझी कि आप उन दरख्वास्तों का क्या नतीजा निकाला, उसकी सूचना मुझे देते और जो कुछ कार्यवाही उन १०८ दरख्वास्तों पर की गई उससे मुझे अवगत कराते, लेकिन उन दरख्वास्तों को भी दबा कर बैठ गए। क्या यह साबित नहीं करता कि उन लोगों का वहां विक्टीमाइज़ेशन किया जा रहा है। सरकार कानों में तेल डाल कर बैठ गई, आज आप उनकी शिकायतें सुनने के लिए तैयार नहीं हैं और उन लोगों को सरकारी अफसर अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं उन लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। मैंने आप से निवेदन किया था कि आप मालपुरा के एक एक गांव में चलिए मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार पुलिस, तहसील- और एस० डी० ओ० मिल कर लोगों का शोषण कर रहे हैं। आपने मुझ से वाद भी किया था कि एक महीने बाद चलूंगा, लेकिन आपने अपना वादा पूरा नहीं किया, आप मालपुरा चलने के लिए तैयार नहीं हैं और न शिकायतों की जांच करने के लिए तैयार हैं तो निश्चित रूप से यह लगता है कि यह सारा काम नीचे के आदमियों के इशारे पर नहीं हो रहा है, बल्कि मुख्य मंत्रीजी आपके इशारों के ऊपर हो रहा है। मालपुरा के लोगों का शोषण किया जा रहा है। मैं यह मानता हूं कि आज सबमें अधिक दुखी इलाका अगर कोई है तो वह मालपुरा है। मालपुरा ने जो एक्स रेवेन्यू मिनिस्टर को हराया है, उसके बदले में वहां की जनता का शोषण किया जा रहा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करूंगा कि आपने जो एप्लीकेशन्स दी थीं उनको मैंने कलेक्टर के पास भेज दिया था।

श्री भैरोंसिंह : हुआ क्या उसका ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मैंने उसको कलेक्टर के पास कार्यवाही के लिए भेज दिया और इस डेढ़-दो साल के अर्से में जब मुझे कोई और शिकायत नहीं मिली, तो मैं यह मानकर चलता हूं कि उसको कोई संटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन हो गया होगा। आपने जो मालपुरा के बारे में कहा है उसके लिए तो मैं निवेदन करूंगा कि मालपुरा की जनता कितनी खिलाफ है, इसका जवाब तो जिले में हुए पंचायत समितियों के चुनावों से ही मिल गया है।....

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : हमारे द्वारा वहां पर पंचायतों के चुनाव लड़े ही नहीं गए।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मुख्य मंत्रीजी पंचायत समितियों के चुनाव का जिक्र करके उसे ही अपनी जीत का माध्मम बताते हैं तो...

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : आप तो बार बार पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो मुझे तो मजबूरन कहना पड़ा है।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपसे कहता हूं कि जिस सरकार के बलबूते पर आपने पंचायतों के चुनाव जीते हैं, अगर वही सरकार मेरे हाथ में हो तो मैं आपको चुनौती देकर कह सकता हूं कि आपकी जमानत जब्त करा दूंगा।

(विरोधी पक्ष की ओर से 'हियर हियर' की आवाजें)

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : हमने सरकार की ताकत पर चुनाव नहीं जीता है। और जो कुछ आपने अभी कहा है उससे अगर आपके पास ताकत हो, आपके पास सरकार हो तो आप क्या करेंगे, यह आपकी भाषा से ही पता चल जाता है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर यह बात नहीं हो कि मालपुरा के तहसीलदार ने एक एक पंचायत चुनाव में प्रचार नहीं किया है और जो दूसरे अधिकारी हैं उन्होंने प्रचार नहीं किया है, यह आप जांच कर लें तो आपको मालूम हो जायगा और अगर यह बात सही नहीं हो तो आपको अधिकार है कि आप जो चाहें करें। हमने पंचायत इलेक्शन्स नहीं लड़े और केवल इसीलिए नहीं लड़े क्योंकि हम निश्चित रूप से यह जानते थे कि यह चुनाव कांग्रेस सरकार के प्रभाव से होंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): एक बात मैं यह कहना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : अब काफी हो गया।

श्री जयनारायण सालोदिया : एक दो मिनट में अपनी बात कह देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : एक एक मिनट करके तो कई मिनट हो जावेंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया : पंचायत चुनावों के सम्बन्ध में आपने जो बात कही है वह कतई गलत बात है, वे चुनाव पब्लिक की मंशा के चुनाव नहीं है वह तो आपकी सरकार की ताकत के चुनाव हैं। मालपुरा के चुनाव के सम्बन्ध में मैं विशेष

(श्री जयनारायण सालोदिया)

तौर से कह सकता हूं कि पंचायत इलेक्शन्स से पहले वहां के तहसीलदार ने दो हजार आदमियों को बेदखली के नोटिस दिए और फिर उनको तहसील में बुलाया और उनको कांग्रेस को वोट देने के लिए बाध्य किया गया।

(व्यवधान)

टौंक डिस्ट्रिक्ट में खास तौर से अभी के जो माननीय राजस्व मंत्री हुए हैं वे चुनावों में गए थे और माननीय डिप्टी राजस्व मंत्री महोदय जब वोट पड़ रहे थे तब सरकारी गाड़ी में पोलिंग स्टेशन पर गए थे और वोटर्स से बात की थी। इस तरह से तो आप चुनाव लड़ते हैं और फिर कहते हैं कि हम अपनी ताकत से चुनाव लड़े थे। ये चुनाव कांग्रेस की ताकत से नहीं जीते, कांग्रेस गवर्नमेंट की ताकत से जीते थे।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : स्वतन्त्र पार्टी के श्री बालकृष्ण कौल हैं इनको भी कम मत समझिये।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मुजफ्फर हुसैन की जानकारी ली जाय....

**श्री उपाध्यक्ष** : Order please !

**श्री राधाकृष्ण गोयल** : अगर आप सहमत हों तो इसी सदन के सदस्यों की जांच कमेटी बैठाई जावे।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : अब आप बैठ भी जाइए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, कि इससे पहले कि श्री मुजफ्फरहुसैन कौन है इस विषय में माननीय मंत्रीजी बयान दें, मैं यह जानना चाहूंगा कि जो १०८ दर्ख्वास्तें कलेक्टर को दो वर्ष पहले भेजी गईं, तो माननीय मुख्य मंत्रीजी क्या सदन को यह बतायेंगे कि उनके पास कोई रिपोर्ट आई क्या कि उन दर्ख्वास्तों का डिस्पोजल हो गया या आज तक पेन्डिंग है। आप यह भी देखिए कि दो साल पहले आपके द्वारा, आपकी मार्फत, आपके कलम के हुक्म से उनके पास दर्ख्वास्त भेजी गई और फिर भी उसका फैसला नहीं होगा तो क्या दूसरे लोग यह निष्कर्ष नहीं निकालेंगे कि आप खुद इस सारे मामले में पोलिटिकली इन्वोल्व्ड हैं, खुद कोई कार्यवाही अपनी मर्जी से नहीं कराना चाहते।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : जब डेढ़-दो साल में भी वहां की तरफ से कोई शिकायत लेकर नहीं आया तो मैं समझता हूं कि सेटिसफेक्टरी सोल्यूशन हो गया होगा।

(विरोधी पक्ष–वाह-वाह, वाह-वाह, धन्य हो)

**श्री जयनारायण सालोदिया** : मैंने मालपुरा के मामले में आपके चेम्बर में निवेदन किया था ...

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : जब डिस्ट्रिक्ट में कॉम्पीटेंट ऑथोरिटी है उनको डिस्पोजल के लिए जब भेज देते हैं, तो उस

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

पर उचित कार्यवाही की जावेगी, यह मान कर सरकार चलती है। अगर कोई विशेष बात पैदा हो तो मुझे जानकारी नहीं है।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : क्या कलेक्टर का यह फर्ज नहीं था कि वह आपको सूचना देता। यह तो आपका राजनैतिक तरीका है। यह तो आपने मालपुरा के अन्दर ही नहीं तहसील बनेड़ा के अन्दर भी किया है। एक अप्रेल को बनेड़ा तहसील बनाते हैं....

**श्री उपाध्यक्ष** : यह दूसरा पोइन्ट है।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : और दो अप्रेल को दो ग्राम सर्किलों को उसमें से निकाल दिया। क्या यह पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है ?

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : नहीं है।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : क्या यह पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है ?

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : हां, नहीं है।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : आपने कहा था कि बनेड़ा तहसील तोड़ी तो रावत कमेटी की सिफारिश पर....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय श्री सुराणा। यह विषय तो है नहीं।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : आपने यह कर दिया कि अगर कांग्रेस जीत गई तो बनेड़ा बना देंगे और अगर हार गए तो बनेड़ा नहीं बनेगा। इस तरह से आप अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं तहसीलों को बनाने में, तहसीलों को बिगाड़ने में, उनको खण्डित करने और तोड़ने-फोड़ने में।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सुराणा बैठें। माननीय उप मंत्री...

**श्री राधाकृष्ण गोयल** : मुझे इसके बारे में जानकारी देना है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपकी सारी बातें सुन ली।...

(शोर-गुल)

आप सुन लें। क्या व्यवस्था हो ? यह क्या कोई व्यवस्था है ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** (उप-मंत्री, राजस्व) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर टोंक के श्री मुजफ्फरहुसैन के मसले को लेकर इस तरह से तस्वीर पेंट करने की कोशिश की गई कि जैसे उन पर जो मामला चल रहा है उसको किसी रीजन से दबाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में जो कुछ सूचना प्राप्त हो सकी है उसके आधार पर मैं सारी स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं। थोड़े दिन पहले सदन में एक प्रश्न आया था खड़ाका फाइनेन्स कोर्पोरेशन का कि उन्होंने कई लोगों को धोखा देकर काफी रकमें प्राप्त कर ली थीं और उसके सम्बन्ध में सदन में यह भी कहा गया था कि ऐसे हजारों आदमियों को और कई तरह की कम्पनियों को धोखा दे रहे हैं और सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती, जिससे हजारों आदमियों को

# Page No 75



(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

रुपयों से महरूम रखना पड़ता है। उस समय मुझे यह अच्छी तरह से याद है कि माननीय सदस्यों ने यह भी कहा था कि इसी तरह झुंझू फाइनेन्शियल कार्पोरेशन का भी उसके पहले मामला चला और उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है, उसमें हजारों आदमियों का रुपया दबा हुआ है।

(२. ०० म. प.)

इस बात के लिये हमने कोई इन्सट्रक्शन्स इश्यू नहीं किये हैं। आम तौर पर जो कार्यवाही चल रही थी। इसमें भी एक कम्पनी झुंझू फाइनेन्स कार्पोरेशन है उनके एजेन्ट हैं और एजेन्ट की हैसियत से उन्होंने लोगों से कई रुपये लिये और उन रुपयों के लिये कुछ को सच्ची रसीदें दीं और कुछ को कच्ची रसीदें दी और पक्की रसीदें एक साल देने को कहा और कुछ में रसीदें नहीं दी। उनके खिलाफ थाने में रेगर ने रिपोर्ट पेश की और यह कहा गया कि इन्होंने धोखादेही की है मगर कुछ नहीं हुआ। इसलिये उनके खिलाफ कार्यवाही की गई कम्पनी के डाइरेक्टर के खिलाफ और मौलाना मुजफ्फर हुसैन के खिलाफ कार्यवाही की गई। पांच डाइरेक्टरों में से तीन गिरफ्तार हुए और दो गिरफ्तार नहीं हुए एब्सकोन्डेड हैं।

**श्री मानसिंह महार** (आमेर) : कौन सी तारीख को तीन डाइरेक्टर गिरफ्तार हुए ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : मैं बता रहा हूं आप जरा सुनिये तो सही। आप मुझे बोलने तो दीजिये।

तो मैं यह बता रहा हूं कि तीन गिरफ्तार हो गये। उनके नाम भी सदन की मेज पर रख दिये हैं। एक का नाम है लिखमाराम। दूसरा कैलाराम और तीसरा जैराम।

**श्री राधाकृष्ण गोयल** : आया केस चल भी रहा है या नहीं।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : दो फरार हैं। दरलाल और सोरीराम एब्सकोन्डेड हैं। उनकी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही चल रही है। मैं यह निवेदन करूंगा कि मालपुरा डिवीजन से २५ हजार रुपये लोगों को मुगालता और धोखा देकर वसूल किये। यह भी इसी केस में आते हैं और इस तरह से इन पर दो तीन केसेज में उनकी गिरफ्तारी है और जमानत प्राप्त करने का केस है तो वो कोर्ट में जमानत अर्जी देकर प्राप्त कर सकते हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि इस तरह से जो कम्पनी धोखादेही करे और लोगों को धोखा देकर हजारों रुपये ले जाए उससे जनता को बचाया जाए और दूसरी तरफ जब उन लोगों पर मुकदमा बनाया जाता है तो उसके लिये यह कहा जाता है कि इसमें राजनैतिक दृष्टिकोण है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई राजनैतिक केस नहीं है। जो फाइनेन्स कोर्पोरेशन की तरफ से रुपया लिया गया और उसका अकाउन्ट फोर नहीं, उसका केस है। मैं यह कहूंगा कि यदि वे मुलजिम नहीं हैं तो वे छूट जावेंगे कोर्ट में जाकर और अगर वे जमानत चाहते हैं तो कोर्ट में केस कर दें

# Page No 76



(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

और अपनी जमानत करवा लें। इसमें कुछ देर जरूर हो सकती है। जब मुकदमा चल रहा है सबूत मिलते हैं, कार्यवाही चालू हो, प्राइमाफेसी केस बनता हो, तो मैं यह कहूंगा कि उसमें कोई राजनीति नहीं है। जिसने कानून का उल्लंघन किया है उसको सजा मिलनी चाहिये। इसका फैसला तो अदालत से होगा। इस सम्बन्ध में ज्यादा इसलिये नहीं कहना चाहता कि सारा मामला अन्डर इन्वेस्टीगेशन है। इसलिये मैं इतना ही कहना चाहता हूं। ज्यादा मेरिट्स में जाना नहीं चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : I think this question has taken a long time.

श्री मानसिंह महार : मैं तो अभी भी नहीं मानता कि वे गिरफ्तार हुए हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : आप सदन में सूचना देते हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, हम यह पूछना चाहते हैं कि उनको कब गिरफ्तार किया है ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मामले की छानबीन करने के लिये तैयार है कि यह पोलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन किस हद तक पहुंच चुकी है। हमारे यहां १५-१५ साल तक एक एक डाक्टर, १२-१२ वर्षों में एक वैद्य, सब तरह अंधाधुन्धी हो रही है। आप दो कांग्रेस के मिनिस्टरों को इसके लिये जांच करने के लिये बिठाइये। आप देखिये कि यह क्या हो रहा है ? क्या यह जनतन्त्र है या कोई फेसिज्म गवर्नमेंट आ रही है। खैर, जो आप करना चाहें करिये। यह आपकी इच्छा है। मगर हमारे यहां इस प्रकार के जनतंत्र की दुर्दशा को देख कर हमें दुःख होता है। आप हमको हर तरह से दबोचना चाहते हैं, दबोचिये। हम सदन करेंगे। हम विरोध करते हैं और विरोध के अन्दर रहना एक बहुत बड़ा साहस का कदम है। कायरों का काम नहीं है विरोध में रहना। लेकिन आप इस तरह से पोलिटिक्स विक्टिमाइज़ेशन न करें। जब सभी पार्टीज़ के लोग आप पर यह चार्ज लगा रहे हैं पोलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन का, तो इस सम्बन्ध में कोई न कोई बात जरूर है। इसके सम्बन्ध में आप छानबीन करने का विचार रखते हैं या नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : एक प्रश्न है। जहां तक कि ये सारी बातें सामने आई उसका उल्लेख होना चाहिये। लेकिन एक नई इन्फोर्मेशन है कि दामोदरजी व्यास ने अपना नोमीनेशन भरा और वे नेशनल फ्लेग लगा कर वहां पर आये। साथ में उनके पुलिस की गार्ड भी रही। अभी से ही उन्होंने पद का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वे पार्टी का झन्डा ले जा सकते थे। मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर इस प्रकार की कार्यवाही हुई है तो इसके लिये कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : Now I enter into nex tbusiness.

**श्री मुरलीधर व्यास** : यह झन्डे का अपमान है। इसके लिये उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। हमारे राष्ट्रीय झन्डे की कीमत है। और आप समझते हैं कि सही माने में उसकी कीमत है। आप देखते क्या हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह राष्ट्रीय झन्डे का अपमान है। इसके लिये बराबर कार्यवाही होनी चाहिये। आप कांग्रेस पार्टी का झन्डा लगा सकते थे।

(२. ०८ म. म.)

## मजदूर यूनियनों की हड़ताल विषयक स्थगन-प्रस्ताव

**श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपका स्थगन प्रस्ताव एडमिट नहीं हुआ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, आज हाउस एडजोर्न हो जावेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम मजदूर यूनियनों ने ५ मई के लिये मजबूर होकर हड़ताल करने का नोटिस दिया है कि जिस माथुर कमेटी को आपने मुकर्रर किया था....

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय सदस्य से कहा गया कि जो आपका स्थगन प्रस्ताव एडमिट नहीं हुआ है और दूसरे पहले पहुंचे होंगे। जब आपने यह व्यवस्था दे दी कि यह एडमिट नहीं हुआ है और आज यह अजेन्डा में नहीं है फिर भी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप कैसे स्टेटमेंट को अलाऊ कर रहे हैं ?

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह स्थगन-प्रस्ताव एडमिट नहीं हुआ है। इसलिये मैं उनसे सहयोग की प्रार्थना करता हूं। आगे की कार्यवाही में सहयोग दें।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : आज हाउस एडजोर्न हो रहा है। मुझे इस पर कुछ...

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज !

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : आप पांच मिनट का समय दीजिये। जो समस्या है उसे मैं आपके सामने रखूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : जब इसका स्टेटमेंट तैयार नहीं है तो जवाब कैसे मिलेगा ?

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : गवर्नमेंट को कहने तो दीजिये। सारे राजस्थान में हड़ताल होने को है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर)** : मैं यह निवेदन करूंगा कि एक-दो लाख मजदूरों ने हड़ताल का नोटिस दिया है और आप सुनना नहीं चाहते। उपाध्यक्ष महोदय, तमाम राजस्थान के मजदूरों ने संघर्ष समिति बनाई है और उस समिति ने ८ तारीख तक का समय दिया था और कहा था कि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो ६ तारीख से वे आम हड़ताल करेंगे।

**श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद)** : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर...

**श्री उपाध्यक्ष** : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

(शोरगुल)

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा है वह लिया ही नहीं गया है, आपकी तरफ से व्यवस्था दे दी गई है, यह एड्मिट नहीं किया गया है, उस पर भी ये बोलते जा रहे हैं।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : उपाध्यक्ष महोदय, ये पान खाकर सदन में थूक उछाल रहे हैं, इनको बन्द किया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : नेक्स्ट बिज़नेस !

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको आप सुनना ही नहीं चाहते। गवर्नमेंट उत्तर दे कि क्या स्थिति है। तमाम मजदूरों ने वाटरवर्क्स के पी. डब्लू. डी. के मजदूरों ने रोडवेज़ के मजदूरों ने मजबूर होकर गवर्नमेंट को नोटिस दिया है कि ५ मई को वे सांकेतिक हड़ताल करेंगे और इसलिये हड़ताल करेंगे कि गवर्नमेंट ने एक कमेटी मुकर्रर की थी, माथुर कमेटी, उसकी सिफारिशों के बारे में सरकार ने बिज़नेस एड्वाइज़री कमेटी में आश्वासन दिया था कि विचार करके अपने निर्णय से सूचित करेगी। विधान सभा अभी चल रही है, विधान सभा में सूचित करेगी, इतने दिन विधान सभा चलते हुए हो गये, सेंट पर्सेन्ट न्यूट्रलाइ-ज़ेशन, महंगाई भत्ते के बारे में सरकार ने घोषणा की नहीं। मजदूरों को विश्वास दिलाया था, मजदूरों ने मांग–पत्र रख कर कहा था कि ८ तारीख तक उत्तर दे दिया जाय....

(शोरगुल)

मांगों में रखा था कि १२ हजार मजदूरों को इन्टेरिम रिलीफ नहीं दिया गया, पांच रुपया मंहगाई बढ़ी है वह नहीं दी। रिविज़न बोर्ड ने जो तजवीज़ करके, रिवाइज़ करके मिनिमम वेजेज़ लागू की हैं, म्यूनिसिपैलिटी के वर्कर्स की रिवीज़न कमेटी की रिपोर्ट्स अब तक रखी हुई है, लागू नहीं हुई है, जो माथुर कमेटी के निर्णय हैं उनसे कम महंगाई भत्ता मिल रहा है। राज्य कर्मचारियों ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने ५ मिनट के अन्दर अन्दर तनख्वाहें बढ़ा लीं। विरोधी लोगों ने कल अपनी मीटिंग में इस तरीके का प्रस्ताव पास किया है कि उनका मंहगाई भत्ता बढ़ाया जाय इस पर भी सरकार उनका महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाये, माथुर कमेटी के बारे में निर्णय नहीं ले कि जिस तरह महंगाई बढ़ी है इन लोगों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जाय। मजदूरों ने हर तरह से इतना इन्तजार किया है। वे अशान्ति पैदा नहीं करना चाहते पर सरकार उन्हें विवश कर रही है सरकार उनको मजबूर कर रही सड़ताल करने के लिये। सरकार माथुर कमेटी की सिफारिशों को कब लागू करना चाहती है, इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय एक स्टेटमेंट चाहे अभी दें या एक घंटे के बाद या दो घंटे बाद दें, पर आज स्टेटमेंट अवश्य दें क्योंकि आज सदन समाप्त होने जा रहा है इसलिये सरकार आज घोषणा करे कि वह माथुर कमेटी के फैसले को लागू करेगी, सेंट पर्सेन्ट न्यूट्रलाइज़ेशन का उसूल है उसको मानेगी। लेबर एड्वाइज़री कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार केजुअल मजदूरों को राहत पहुंचायेगी। यह अगर नहीं होगा तो सारे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मजदूर हड़ताल करने पर मजबूर होंगे, इससे प्रोडक्शन घटेगा और आज की परिस्थितियों में देश को बड़ा भारी नुकसान होगा, इस सब की जिम्मेदारी मजदूरों पर नहीं होगी, सरकार पर होगी। इसलिये मैं चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि आप सरकार को आदेश दें कि वह इस सम्बन्ध में कुछ स्टेटमेंट दे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस पर काफी विचार कर चुके हैं।

नेक्स्ट बिज़नेस !

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एडजोर्नमेंट मोशन था इस पर मेरे भी हस्ताक्षर थे।

श्री उपाध्यक्ष : यह एड्मिट ही नहीं हुआ है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है, सारे मजदूरों की तरफ से सरकार को हड़ताल का नोटिस दिया गया है....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! माननीय सदस्य, आप कुछ तो नियमों का पालन कीजिये, कुछ तो व्यवस्था रखें।

**श्री मुरलीधर व्यास** : आज के बाद सदन की कार्यवाही चलेगी नहीं, आज सदन की कार्यवाही खत्म होने जा रही है, जो हड़ताल का नोटिस सारे मजदूरों ने दिया है, यदि इस पर सरकार ने विचार नहीं किया और मजदूरों ने हड़ताल की तो इसका सारे राज्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में तैयारी की है, इसलिये मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इस पर वे इस समय उनके पास जितनी सूचना उपलब्ध है, उसके आधार पर स्टेटमेंट दें।

श्री उपाध्यक्ष : Is the Minister going to make a reply ?

**श्री मथुरादास माथुर** : No, sir.

श्री **भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): यह बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है....

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : मजदूरों के और राजस्थान के हित का प्रश्न है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : आज सदन की बैठक समाप्त हो जायगी...

श्री उपाध्यक्ष : जब यह एड्मिट ही नहीं हुआ है तो कैसे मन्त्री महोदय को बाध्य कर सकते हैं ?

**श्री मुरलीधर व्यास** : आप मंत्री महोदय से जितनी जानकारी उनके पास उपलब्ध है, उसके आधार पर वक्तव्य दिला दें, मन्त्री महोदय कुछ न कुछ वक्तव्य देंगे तो उससे लाभ होगा क्योंकि ५ रुपया बढ़ोत्तरी की, वह भी इन लोगों को नहीं मिली है, केजुअल लेबरर्स १५, १५ साल के हैं।

श्री उपाध्यक्ष। ऑर्डर प्लीज़ !

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : जैसी स्थिति माननीय

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

रामानन्दजी ने बताई, प्रोडक्शन पर बड़ा भारी बुरा असर पड़ेगा और पूरी अशान्ति पैदा हो जायगी, यहां के मजदूर संतोष के साथ रह सकें, इसलिये आवश्यक है कि उनकी न्यायोचित मांगों पर सरकार का रवैया सदन में आ जाय। सरकार ने सदन में आश्वासन भी दिया है कि माथुर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने पर वह विचार कर रही है। इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय, सरकार की बात १० मिनिट में रख सकते हैं, अभी रख दीजिये या शाम तक रख दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : यदि मन्त्री महोदय अभी नहीं, शाम तक कभी भी इस बात के सम्बन्ध में स्टेटमेंट देना चाहें तो व्यक्त कर दें।

**श्री मथुरादास माथुर** : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न आपने एड्मिट नहीं किया, आपके चेम्बर में बात चल रही है, माथुर कमेटी की न्यूट्रलाइजेशन के सम्बन्ध में सिफारिश है वह सरकार के विचाराधीन है, ऐसी दशा में हम स्टेटमेंट देने की स्थिति में नहीं हैं।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : ६ मांगों पर १०० यूनियन्स ने जिनमें हजारों मजदूर शामिल हैं, हजारों वर्कर्स इफेक्टेड हैं, मजदूरों का ६ मांगों के सम्बन्ध में लीगल नोटिस है जिसमें माथुर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के बारे में मांग की गई है।

(शोर-गुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

**श्री मथुरादास माथुर** : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की व्यवस्था को कायम रखा जाय।

(शोर-गुल)

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : आपने आदेश दिया है कि शाम तक स्टेटमेंट दें। आसन के आदेश के विपरीत इस प्रकार कहते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : कोई आदेश नहीं दिया गया।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : यह सरकार समाजवाद से विमुख होना चाहती है, सरकार के इस प्रकार के रवैये के खिलाफ मैं सदन से वाक आउट करता हूं।

(श्री रामानन्द अग्रवाल द्वारा बहिर्गमन)

(शोर-गुल)

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : श्रम क्षेत्र में असंतोष पैदा करने की, अशान्ति पैदा करने की जिम्मेदारी इस सरकार के ऊपर होगी कि सारे राजस्थान के मजदूरों की मांगों के ऊपर यह सरकार इस प्रकार अवहेलना का रवैया अख्त्यार कर रही है।

(शोर-गुल व "चले जाओ, चले जाओ" की आवाजें)

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : Next business—the Secretary to announce, please.

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : यहां सब मजदूरों ने मिल कर नोटिस दिया है वह लीगल है, एम्प्लॉयर कोशिश कर रहा है उस पर कि ५ मई को हड़ताल होगी तो वह इल्लीगल है, इसके बड़े खराब कॉन्सीक्वेन्सेज होंगे तो मैं समझता हूं सरकार को इस सम्बन्ध में घोषणा करनी चाहिये, नहीं करती है तो हम सदन से वाकआउट करते हैं।

( श्री केदारनाथ व उनके साथ कुछ माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन )

श्री रामानन्द अग्रवाल : बार बार मिले हैं, मुख्य मंत्रीजी से मैं मिलता हूं। कहा कि हम विचार करेंगे। सरकार हमको बिल्कुल दबाना चाहती है इसलिये हम इस के विरुद्ध प्रोटेस्ट करते हैं और वाक आउट करते हैं।

(बहिर्गमन)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : जो अच्छा करती है कांग्रेस सरकार करती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : कौन पूछता है इनको इसलिये जा रहे है।

( ४. २१ म. प. )

## राज्यपाल से अनुमति प्राप्त विधेयक

सचिव, राजस्थान विधान सभा ( श्री अनोपसिंह ) : मैं राजस्थान विधान सभा द्वारा वर्तमान सत्र में पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :—

(१) राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९६५

(२) राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६५

(३) राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, ११६५

(४) राजस्थान कतिपय नगरपालिका (बोर्डों का निरंतर अस्तित्व एवं गठन तथा कार्यवाही) वैधकरण विधेयक, १९६५

(५) राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, १९६५।

## याचिकाओं का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : याकिचाओं का उपस्थापन। श्री दिग्विजयसिंह।

श्री दिग्विजयसिंह ( उनियारा ) : उपाध्यक्ष महोदय, तहसील उनियारा में ग्राम चूरू स्थित 'बड़ा कुआ' को सार्वजनिक कुआ घोषित किये जाने सम्बन्धी याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिराम घारू।

श्री हरिराम घारू (सिवाना-सु०) :

(श्री हरिराम घारू)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विस, जयपुर द्वारा सरकारी आज्ञानुसार किराया न लिये जाने सम्बन्धी याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत समिति नियमों में संशोधन करने हेतु याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

(२.२३ म. प.)

## कुचामन पंचायत समिति के कुछ सरपंचों को भगाले जाने सम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत कुचामन पंचायत समिति के कुछ सरपंचो को कई व्यक्तियों द्वारा जबरन उठा कर ले जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, the Hon'ble Minister to reply.

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : कुचामन पंचायत समिति के कुछ सरपंचों को कई व्यक्तियों द्वारा जबरन उठा कर ले जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय श्री हनुमानसिंह चौधरी द्वारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में निम्नोक्त स्पष्टीकरण प्रस्तुत है :

"जिला नागौर में दिनांक ३०–३–६५ को कुचामन पंचायत समिति की स्टेंडिंग कमेटी के चुनाव के सम्बन्ध में यह बताया जाता है कि श्री रामसिंह मंडावर वाले ने और उसके कुछ साथियों ने ५ सरपंचों को जबरन, चुनाव कार्यवाहियों में सम्मिलित न हो सकने देने की मंशा से उनका अपहरण किया। इस सिलसिले में निम्नलिखित ५ अभियोग दर्ज हो चुके हैं और अनुसंधान चल रहा है। सभी अभियुक्तों की एन्टीसिपेटरी बेल हो चुकी है।

(१) मु० नं० २७ दिनांक २–३–६५ थाना नावां मुस्तगीस नेमीराम मुलजिम रामसिंह व साथी।

इस मामले श्री रघुनाथ सरपंच को उठा ले जाने के आरोप थे। जुर्म ३६५ आई. पी. सी.।

(२) मु० नं० २०। दिनांक २७–३–६५ थाना नावां मुस्तगीस गुलाबचन्द मुलजिम रामसिंह व साथी।

सरपंच उटावा को उठा ले जाने के आरोप थे। जुर्म ३६५, ३६२ आई. पी. सी. के आरोप हैं।

(३) मु० नं० १२। दिनांक २८-३–६५ - मुस्तगीस दौलतसिंह मुलजिम रोशनसिंह।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

सरपंच हिरनसिंह बनाड़ा को उठा ले जाने के आरोप हैं। ४।३ ३६५ आई. पी. सी.।

(४) मु० नं० ८। दिनांक २८-३- ६ पी. एस. चिताना - मुस्तगीस राजकुमार मुलजिम रामसिंह व साथी।

सरपंच सुगनचन्द को उठा ले जाने के आरोप हैं। ४।३ आई. पी. सी.।

(५) मु० नं० ७। दिनांक २७-३-६५ पी. एस. चितावा मुस्तगीस उमाराम। मुलजिम रामसिंह व साथी।

सरपंच गोवर्धन को उठा ले जाने के आरोप हैं। ४/३/६२ आई० पी० सी० में मुकदमा दर्ज हुआ है।

स्थिति किसी प्रकार चिन्ताजनक नहीं है। सारी स्थिति साधारण है।

**श्री हनुमानसिंह चौधरी** : इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि २०-२५ रोज का समय हो गया, लेकिन इस विभाग की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है जब कि इन सरपंचों को इल्लीगली कस्टडी में रखा गया है। उनको डराया धमकाया गया है, झूठी शपथ दिलायी गयी और दो दो हजार के उनसे प्रोमिसरी नोट्स लिखाये गये हैं। आज भी वे इस स्थिति में नहीं है कि पंचायतों की मीटिंग में जावें और आपके विभाग की ओर से उन लोगों को, उठा कर ले जाने वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मैं चाहूंगा कि इसकी जांच की जाय और मुलजिमान की एन्टीसिपेटरी जेल के बारे में, जैसा माननीय मंत्रीजी ने फर्माया, हाईकोर्ट भी रूलिंग है, एन्टीसिपेटरी बेल नहीं ली जाती है। पुलिस के और कोर्ट इन्स्पेक्टर और पुलिस के कर्मचारी रहते है उनको कोई पर्वाह ही नहीं पुलिस ने २०-२५ दिन में कोई कार्यवाही नहीं की है। लोग भयभीत है और जान से मार डालने का खतरा है।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हूं कि इसमें तफतीश सरगर्मी से और आगे बढ़ेगी। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि तफतीश जारी है।

**श्री मोतीलाल चौधरी** (डीडवाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य मैं निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में कोई डिस्कशन तो होने का नहीं है। केवल कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लें। There is no enough.

( २.२७ म० प० )

## हिन्दूमल कोट रेल्वे लाइन के लिये जनता से पैसे वसूल करने विषयक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री केदारनाथ और श्री योगेन्द्रनाथ हांडा दोनों का एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है। दोनों ही कोई शोर्ट स्टेटमेन्ट कर दें। इस पर भी कोई डिबेट नहीं होगी।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** ( रायसिंहनगर ) : उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले में हिन्दूमल कोट रेलवे लाइन के लिये जनता से पैसा वसूल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इस सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मैंने व गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने दिया है। भारतवर्ष में कहीं भी इस प्रकार की मिसाल नहीं होगी कि रेलवे लाइन का खर्चा जनता से वसूल किया जा रहा हो। गंगानगर जिला ही इसकी एक मिसाल है। ७० लाख रुपया हिन्दूमल कोट से जो ब्रॉडगेज रेलवे लाइन बन रही है उसके सम्बन्ध में गंगानगर की जनता से, मंडियों के व्यापारियों से; आम आदमियों से, जबर्दस्ती लगातार चार छः महीने से वसूल किये जा रहे हैं। वसूली किस प्रकार से की जा रही है ? कोई व्यक्ति लाइसेन्स रिन्यू कराने जाता है, ड्राइवरी के लिये मोटर लाइसेन्स, गन लाइसेन्स और कोई ट्रक या बस के रजिस्ट्रेशन के लिये जाते हैं, उस वक्त रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है जब तक कि हिन्दूमल कोट रेलवे लाइन के लिये चन्दा न दे दें। तहसीलदार मण्डियों में जाता है, व्यापारियों को धमकी देता है और कहता है कि अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा लाइसेन्स कैंसल कर दिया जावेगा। तहसीलदार आम तौर पर बाकायदा गांवों में जाता है और किसानों को मजबूर किया जाता है कि गांव के लोगों को पानी बेचो और हिन्दूमल कोट रेलवे लाइन के लिए पैसा दो। वैसे पानी बेच देता है किसान तो उससे तावान वसूल होता है। डिफेन्स फण्ड के लिये पानी बेच दिया तो लोगों से तावान वसूल किया गया। लेकिन रेलवे लाइन के चन्दा देने के लिये उनको पानी बेचने के लिये मजबूर किया जा रहा है। मन्त्री महोदय के यह तथ्य ध्यान में लाना चाहूंगा।

गंगानगर जिला परिषद् ने पिछले वर्ष में यह प्रस्ताव पास करके भारत सरकार के पास भेजा है कि कोई कारण नहीं कि रेलवे लाइन के लिये गंगानगर के लोगों से पैसा वसूल करें। यह समस्या उस समय उत्पन्न हुई जब कि गंगानगर जिले में तीन तीन नेताओं को स्वर्ण से तोला है। गंगानगर जिले ने लाखों रुपयों की धन राशि सुरक्षा फण्ड में दी है। जिससे राजस्थान के मुख्य मंत्री और राजस्थान की जनता का सिर ऊंचा हुआ है। राजस्थान में सबसे अधिक पैसा गंगानगर जिले ने दिया है। इन्दिरा गांधीजी भी पधारी थीं, उनके सामने भी गंगानगर के लोगों ने यह प्रश्न उपस्थित किया था कि रेलवे लाइन के लिये पैसा जनता से जबर्दस्ती वसूल किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब जिला परिषद् की ओर से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई तो यह कहा गया–वहां के किसी नेता ने पिछले दस वर्षों में भारत सरकार को कमिटमेंट दिया था कि हिन्दूमल कोट से गंगानगर तक रेलवे लाइन बननी चाहिये उसके लिये श्रमदान देने के लिये यहां की जनता तैयार है। जिला परिषद् ने यह स्पष्ट कर दिया कि कोई एक नेता यह कहदे भारत सरकार को तो वह सारे गंगानगर का

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कमिटमेन्ट नहीं हो सकता, ऐसा कोई अधिकार उस नेता को नहीं था ।

जिला परिषद् जो गंगानगर की रिप्रेज़ेन्टेटिव बोडी है, जिसमें पार्लियामेंट के मेम्बर प्रधान पंच, प्रमुख सब मौजूद थे, सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास किया है कि गंगानगर की जनता इस प्रकार से धन देने के लिये तैयार नहीं है । इसके बावजूद भी गंगानगर के लोगों को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, जबर्दस्ती से वसूली की जा रही है, तहसीलदार एस० डी० ओ० ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी एक्साइज़ एण्ड टैक्सेशन वाले लोग इसके लिये ७० लाख की राशि जबर्दस्ती से वसूल कर रहे हैं ।

**श्री केदारनाथ** ( गंगानगर ) : पहले मंत्रीजी का वक्तव्य आ जाय उसके बाद कहूंगा ।

**श्री भीमसिंह** (नवलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर और हिन्दूमल कोट के बीच रेलवे लाइन बिछाने के सिलसिले में जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा गया है उसके सम्बन्ध में निवेदन है कि सन् ६१ के अन्दर इस तरह की रेलवे के लिये वहां की जनता ने रिक्वेस्ट की थी कि हिन्दूमल कोट और गंगानगर को रेलवे की ब्रोड गेज लाइन से जोड़ा जाय । अर्थ वर्क श्रमदान से करेंगे । जब यह महसूस किया गया कि सुरक्षा की दृष्टि से जनता के हित में इस रेलवे लाइन का बनाया जाना आवश्यक है, वहां की जनता के आग्रह पर कार्यकर्ताओं के सुझावों पर यह तय किया गया कि यहां पर सात लाख रुपये का अर्थ वर्क होगा वह चन्दे से वसूल किया जाय ।

माननीय सदस्य ने अपनी स्पीच में सात के आगे एक बिन्दी और लगाकर उसको ७० लाख बता दिया जबकि सवाल सिर्फ सात लाख का है । इसमें चन्दा किसने दिया वह मैं सदन की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि उस सात लाख में से अब तक केवल ३ लाख और कुछ हजार रुपये वसूल हुए हैं । इसके लिये वहां की जनता और वहां के कार्यकर्त्ताओं को कोई एतराज़ नहीं हैं, चन्दा सहूलियत के साथ वसूल हो रहा है लोग खुशी खुशी दे रहे हैं । एतराज़ सिर्फ माननीय सदस्य को हो रहा है । आज जब कि सरहद की रक्षा के लिये कम्युनिकेशन के लिये रेलवे लाइन का होना आवश्यक है डिफेन्स के पोइन्ट ऑफ व्यू से जो यह आवश्यक है उसमें नुकसान पहुंचाने के लिये यह प्रश्न खड़ा किया गया है । लोग चन्दा दे रहे हैं, ताकि उन लोगों के दिमाग में बात पैदा हो, चन्दा आना रुक जाय और जो एक महत्वपूर्ण कार्य वहां के लिये होने वाला है वह रुक जाय, इस मन्शा से रोड़े अटकाने का प्रयास है । इस चन्दे को देने से कोई इन्कार कर रहा है । इसमें किसी प्रकार की रुकावट आयी हो यह शिकायत अभी तक हमारे पास कहीं पर भी नहीं आयी है । अभी तक ३ लाख और कुछ हजार रुपया इकट्ठा हुआ है । मैं उम्मीद करूंगा कि देश हित में और मौजूदा परिस्थितियों में इस तरह के कामों में रोड़े न अटकाये जायं, जितनी भी मदद दे सकें वह देश हित में है और साथ ही साथ वहां की जनता का हित है ।

# Page No 86



श्री केदारनाथ (गंगानगर) : उपाध्यक्षजी, माननीय मंत्री ने जो जवाब दिया है वह इस कॉल अटेन्शन नोटिस से जो हमारा अभिप्राय था उससे बहुत दूर है। इसका कारण यह है कि यह २५ मील का टुकड़ा है कोई भी नागरिक यह नहीं चाहता कि हिन्दूमल कोट से गंगानगर तक ब्रोडगेज लाइन बनना पैदावार और यातायात की दृष्टि से बहुत आवश्यक है वह नहीं बने। मगर जिस तरीके से शर्त रखी गई कहीं भी इस प्रकार की शर्त नहीं रखी गई है। इस प्रस्ताव की मार्फत मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं, उसमें जो सरकार का दृष्टिकोण है वह हाफ हार्टेड है कोई भी कार्य हो चाहे स्कूल का हो या अस्पताल का हो सब में इस प्रकार की शर्त रख दी जाती है कि इतना पैसा जमा कराओ तभी काम हो सकेगा। उपाध्यक्षजी, यह सात लाख का प्रश्न नहीं है, दूसरी बार वह सात से बढ़कर १२ लाख हो गया सर्वे होने के बाद। कलेक्शन का जो तरीका है उसके बारे में प्रधान सरपंच एम० एल० ए० जो भी इलेक्टेड व्यक्ति हैं उनको एतराज है। किसान से चार आना बीघा वसूल किया जाय, मंडियों से जिस प्रकार म्युनिसिपैलिटी हाउस टैक्स वसूल करती है उसके साथ यह भी वसूल कर लिया जाय। यह तरीका नहीं बरत कर सेल्स टैक्स ऑफिसर और पुलिस की मार्फत तहसीलदार की मार्फत शोप इन्स्पेक्टर की मार्फत जबरन वसूल किया जाता है। उस पर एतराज है। छः सात लाख रुपये से एतराज नहीं है, लेकिन जमा करने का जो तरीका है कलेक्शन पर एतराज है। माननीय मंत्री कहते हैं कि कोई शिकायत नहीं आयी, मैं उनकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कलेक्टर के यहां जो मीटिंग हुई उसकी प्रोसीडिंग मौजूद है, उसमें जिन जिन लोगों ने एतराज किया वह सब मौजूद है। आप बड़े लोगों से ले सकते थे, बड़ी इन्डस्ट्रीज से वसूल करते, पेट्रोल पम्प के मालिकों से वसूल करते तो कोई एतराज नहीं, बसों के मालिकों से वसूल करते तो एतराज नहीं था जीनिंग प्रेसेज से वसूल करते तो एतराज नहीं था। लेकिन छोटे मोटे दूध और अन्य चीजों का धन्धा करते हैं उनकी दूकानों से वसूल की गई है, इसके लिये डेपुटेशन मिला, तार भेजे, इसलिये जवाब जो मन्त्री महोदय द्वारा दिया गया है वह सन्तोषजनक नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय मंत्री ने जो मेरे पर एस्पर्शन किया है कि हम डिफेन्स को कमजोर करना चाहते हैं इसलिये हम इस लाइन को बनने देना नहीं चाहते मैं इसका स्पष्टीकरण करना आवश्यक समझता हूं।

सभापति महोदया, माननीय मन्त्री को यह पता होना चाहिये कि हम ने गंगानगर जिले वालों ने राष्ट्रीय सहायता कोष के लिये भारत तीन नेताओं को स्वर्ण से तोला है बारह लाख रुपया इकट्ठा करके सुरक्षा कोष में दिया वैसी हालत में आप हमें यह कहकर कि हम सुरक्षा के लिये लाइन बनने देना नहीं चाहते हमें आप दबाना चाहते हैं। सिद्धान्त का प्रश्न है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : पाकिस्तान से मिले हुए मालूम होते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी जिस समय जवाब दे रहे थे उस बीच में श्री मोतीलाल चौधरी ने माननीय सदस्य के लिये कहा कि पाकिस्तान से मिले हुए हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आप किसी व्यक्ति या माननीय सदस्य के लिये इस प्रकार का एस्पर्शन करें जो एक ऐसी पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं हो सकता आप इनका लेफ्ट और राइट कम्युनिस्ट पार्टी से गठबन्धन के लिये कह सकते थे, लेकिन जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है इस पार्टी का बहुत साफ मत है। मैं कांग्रेस पार्टी के सदस्य जो वर्षों तक प्राक्कलन समिति के चेयरमैन रह चुके है जिनको मैं जिम्मेवार सदस्य मानता हूं और जिनको अभी अभी राजस्थान क्रय-विक्रय संघ का अध्यक्ष बनाया गया है उनसे खुद से मैं यह कहना चाहता हूँ कि वे खुद इस पर विचार करें कि इस तरह के एलीगेशन्स कि वे फोरिन पॉवर्स से मिले हुए हैं मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से किसी सदस्य के लिये कहना कि ये फोरिन पॉवर्स से मिले हुए हैं, इस प्रकार की बातें बिना तथ्यों की जानकारी के लिये नहीं आनी चाहिये। आप अपने आपको जितना ईमानदार और देश के प्रति निष्ठावान समझते हैं जब तक आपके पास तथ्य न हो आपको दूसरों को भी उतना निष्ठावान मानकर चलना चाहिये। आपने थोड़ा सा इतिहास भी पढ़ा होगा तो आपको ज्ञान होगा। एटली ने कभी चर्चिल के लिये गद्दार नहीं कहा और न चर्चिल ने ही एटली के लिये कहा। आज जो भी इस देश का रहने वाला है जब तक उसके बारे में तथ्य नहीं हो वह देश के प्रति उतना ही वफादार है जितना आप अपने आपको समझते हैं इसलिये आपने जो यह रिमार्क दिया है और जो पहले दिया था दोनों आप विथड्रा करें।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : माननीय उपाध्यक्षजी, जिस तरह से भाई सुराणाजी ने बात रखी, वह तरीका उनका अपना अलग है। मैंने इसलिये कहा था कि सदस्य अपनी राय दे सकें। राय देना गुनाह नहीं है जिस तरह से हाउस में देख रहे हैं। अभी जो हमारे अकाउन्ट्स कमेटी के मेम्बर हैं चाइनीज़ सपोर्टेड कम्युनिस्ट का और आज पहला मौका उनका है विकास का काम चल रहा है गंगानगर में, तो चन्दा एक बार नहीं दो बार नहीं, कई बार हुए हैं और उन्होंने एतराज नहीं किया है।

पर आज विकास के लिये रेल निकाल रहे हैं तो विरोध कर रहे हैं। तो सन्देह पैदा होता है कि उनकी भावना में एकाएक परिवर्तन कैसे हो गया ? स्वयं ने कहा कि चन्दा एक बार दिया, दो बार दिया चार बार दिया। तो फिर आज कौनसी ऐसी समस्या आ गई कि विरोध करने के लिए हाउस में कॉल अटेन्शन नोटिस दिया। तो इस दृष्टि से सन्देह पैदा होता है। तो इस सन्देह को उनके दृष्टिकोण ने पैदा किया है। ऐसी हालत हो गई है क्या उनकी।

इस रेल की डिफेन्स के पोइन्ट से भी जरूरत है। उसका विरोध कर रहे हैं तो इस हालत में क्या वे रेल नहीं चाहते और क्या यह नहीं चाहते कि रेल हो और डिफेन्स

(श्री मोतीलाल चौधरी)

का सामान फोन का पाकिस्तान के डिफेन्स के लिये यहां होकर पहुंचे ? जो भी काम हो रहा है सीक्रेटली हो रहा है...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर....

श्री मोतीलाल चौधरी : तो डिफेन्स और विकास दोनों इसमें है, तो इसके विरोध करने से हमें सन्देह होता है कि क्या मामला है । अभी कुछ दिनों पहले महिला सदस्या के बारे में बात कही थी ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : किसने कही थी ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके ही कांग्रेसी सदस्य ने कही थी । आप सदन में उपस्थित नहीं थे ।

श्री मोतीलाल चौधरी : मेरा दिमाग स्पष्ट है । मैंने उनको हनुमानगढ़ में देखा है और आज जो देखता हूं तो लगता है दोनों कॉम्युनिस्ट पार्टीज़ एक हैं । जो बाहर है वह दूसरी पार्टी को सपोर्ट करती है । हाउस में कहा है हरिरामजी को बाहर करना चाहिये तो वे दोनों मिले हुए हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय सदस्य अपने पोइन्ट को....

श्री मोतीलाल चौधरी : जो लेफ्ट कम्युनिस्ट्स हैं, पाकिस्तान चीन को सपोर्ट करती है, तो हांडा साहब भी और उनकी पार्टी उनसे मिली है, इसलिये विकास और डिफेन्स के लिये बन रही रोड और रेल का विरोध करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हांडा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ओन ए पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज, सर...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं अपनी बात कह लूं । वे फिर कह लें ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जिन दो ने कहा कि प्रिविलेज है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुझे पाकिस्तान से मिले होना कह कर माननीय सदस्य ने एक सेंस डेवलप कर लिया कि राइट और लेफ्ट कम्युनिस्ट्स मिले हुए हैं वगैरह वगैरह ।

मुझे ताज्जुब हैं, वे राजा मानसिंह जिन्होंने अयूब को दोस्त बताया अपना, उनकी नजीर नहीं देते । शायद उनसे उनकी बातचीत हो रही है और मेरी कम्युनिस्ट पार्टी जिसका दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है...

श्री मोतीलाल चौधरी : कौन राजा मानसिंह ? भरतपुर वाले ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जी नहीं । जयपुर के महाराजा मानसिंह ।

मेरी पार्टी का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है । मैंने इस बात को सदन में कई बार स्पष्ट कहा है और मेरे दल के नेता ने भी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कहा। हमारे अपने सिद्धान्त हैं। हम अपने सिद्धान्तों को कई अवसरों पर बहुत स्पष्ट कर चुके हैं। सब जानते हैं। हम लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से सहमत नहीं हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : जो यहां सदन में नहीं है, उनके बारे में रेफरेन्स न दे तो अच्छा है। यह एलीगेशन है, जिसको न आसानी से लगाया जा सकता है, न सुना जा सकता है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : उन्होंने जो शब्द कहे वे माननीय सदस्य ने भी रेफर किये हैं और भारत के सारे अखबारों में छपे हैं और उसकी जानकारी सबको है।

**श्री भैरोंसिंह** : आपको जानकारी है या नहीं, मैंने कभी नहीं रेफरेन्स दिया यहां।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : और मैं अखबारों का रेफरेन्स दे सकता हूँ। यह सब काफी अखबारों में छप चुका है देश भर के।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : आपकी राजनैतिक लाइन उनसे मिलती-जुलती है, इसलिये आप नहीं कहते। पर दूसरों के बारे में भी नहीं कहते, यह नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह** : मैं इसलिये नहीं कहता क्योंकि वे देश के बफादार हैं। उन्होंने बफादारी साबित की है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : हम लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी से सहमत नहीं हैं। हम उनको स्प्लिटर्स कहते हैं। उन्होंने हमारी पार्टी छोड़ी है। हमारे बुनियादी मतभेद हैं और उनको सारा भारतवर्ष जानता है। खुद भारत के गृहमन्त्रीजी नन्दाजी ने पार्लियामेंट में स्वीकार किया है।

माननीय सदस्य, जो इतनी बातें कह गये वे किसी समय गुलजारीलालजी नन्दा की पार्लियामेंट में दी हुई स्पीच को एक दफे दुबारा पढ़ने का कष्ट करें। हम उन लोगों को जेलों से छोड़ने की बात कहते हैं, एस. पी. और जनसंघ के लोग भी कुछ हद तक कहते हैं और इसलिये कहते हैं कि कुछ लोगों को आप जेल में डाल दें, उन पर मुकद्दमे नहीं चलावें, उनको अपराधी साबित नहीं करें जब कि आप दावा करते हैं कि कर सकते हैं, हम कहते हैं अगर वे देशद्रोही साबित हों तो उनको गोली मारी जावे। पर उन पर मुकदमे चलाकर उनको देशद्रोही साबित किया जावे।

**श्री मोतीलाल चौधरी** : गोली मारना हमारा काम नहीं है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : पर उनको अपराधी साबित किया जावे कि वे देशद्रोही हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कल जिनने मानसिंहजी की बात कही, उनको भी पकड़ कर इसी तरह जेल में डाल सकते हैं, ये, इस बिना पर कि अयूब की दोस्ती का दावा करते हैं ये, कभी इस सदन के माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंहजी को भी पकड़ कर इसी तरह जेल में डाल सकते हैं, क्योंकि वे

Page No 90



(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

फासिस्ट पार्टी के निर्माताओं में से हैं। तो यह प्रजातन्त्र की हत्या है; इसलिये हम लेफ्टिस्ट कॉम्युनिस्ट लोगों को छोड़ने की बात कहते हैं।

माननीय मोतीलाल चौधरीजी, हमारा पाकिस्तान से सम्बन्ध नहीं। उन लोगों का सम्बन्ध हो सकता है जो एक करोड़ का गुड़ में घोटाला कर सकते हैं, उनका हो सकता है जो उनके साथ तस्कर व्यापार में लगे हुए हैं। चौधरी साहब, जिस क्रय-विक्रय संघ को आपने सम्भाला है उसके दस लाख के असेट्स खतरे में हैं और जिस पर आप दानव बनकर बैठे हैं।

(शोरगुल)

**श्री मोतीलाल चौधरी** : आपको भ्रम होगा।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : मेरा ऐतराज यह है, इस रेलवे लाइन के बारे में कि १२ लाख रुपया क्यों उस जनता से वसूल किया जाय रेलवे के लिये, जिसके लिये हिन्दुस्तान में और कहीं वसूल नहीं किया जाता ? यह कोई सिद्धान्त नहीं है कि लोग उसके लिये श्रमदान करें। जहां जहां रेलवे लाइन निकाली गई, वहां कहां उसने श्रमदान लिया यह बतावें, यहां की जनता से ही क्यों यह लिया जाय ?

दूसरी बात मैं अर्ज करूं कि जनता के प्रतिनिधियों ने इसको स्वीकार नहीं किया। जिला परिषद् ने इसके विरुद्ध प्रस्ताव पास किया है। कलेक्टर ने जनता के प्रतिनिधियों को बुलाया....

**श्री मनफूलसिंह** (सूरतगढ़) : गलत कह रहे हैं माननीय सदस्य, जिला परिषद् ने पास की है प्लान। नहीं की, यह कहना गलत है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : माननीय सदस्य सहमत न हों, यह बात अलग है या गैर हाजिर रहे हों। मैं अर्ज कर दूं उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर के उन लोगों ने सरकार को सबसे अधिक रेवेन्यू दी है, यह वह इलाका है जो सबसे अधिक रेवेन्यू देता है, जो सबसे ज्यादा आबियाना देता है, वाटर टैक्स देता है; उसको आप हर तरह से लूटने का प्रयत्न करते हैं। क्या उसूल है कि नहीं, तो रेलवे लाइन बने और इस किस्म की चीज यहीं हो, जो हिन्दुस्तान में कहीं नहीं हो। लोगों के रेवेन्यू वसूली के साथ साथ चन्दा इसके लिये वसूल किया जावे, क्या तरीका है हिन्दुस्तान के अन्दर, कहीं न किया जावे और यहां के व्यापारियों के लाइसेन्सी चन्दा न दें तो तहसलीदार कैंसिल करने की धमकियां दे और कैन्सिल कर दे जिसने देने से इन्कार किया हो उसका। क्या तरीका है कि गांवों के अन्दर जाकर किसानों को दबाया जावे ? उनको पानी बेचा जावे, धमकी दी जावे कि चन्दा दो इसमें, नहीं तो पानी देना बन्द कर देंगे और यह पैसा उनसे वसूल किया जावे, जबर्दस्ती वसूल किया जावे, डरा धमका कर किया जाय, यह कौनसा डेमोक्रेटिक तरीका है ? रेलवे लाइन से हमें प्यार है, सैद्धान्तिक प्यार है।

(शोरगुल-अश्रव्य)

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

उपाध्यक्ष महोदय, उनको बन्द किया जाये। मेरे कहने के बाद में कह सकेंगे।

(शोरगुल)

**श्री मनफूलसिंह** : आप कैसे कह सकते हैं, ये मीटिंग में शामिल थे।...

(अनेक व्यक्तियों के बोलने से शोरगुल अश्रव्य)

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : नहीं था। मैं डिनाई करता हूं। कैटेगोरिकली डिनाई करता हूं।

केवल इस आधार पर कि आज से १० साल पहले चौधरी कुम्भारामजी आर्य भारत सरकार से कह दें कि इस रेलवे लाइन का श्रमदान गंगानगर के लोग दे देंगे, केवल इस आधार पर जब कि वहां के सारे प्रतिनिधि कहें कि हमको नहीं देना है और सरकार का जो आम तरीका है उस तरीके से जो रेलवे लाइन बनाती है उस तरीके से बनाये। १० साल पहले के कमिटमेंट पर गंगानगर के आप नागरिकों को दबाकर, उनको कुचलकर उनको धमका कर उनको हर तरीके से विक्टिमाइज़ करके उस तरह से १२ लाख की वसूली की जाय तो यह तरीका प्रजातान्त्रिक तरीका नहीं है। (श्री मनफूलसिह के बोलने के लिए खड़ा होने पर) आप मुझे बोलने दें।

**राज्य-पक्ष के अनेक माननीय सदस्य** : बैठ जाइये। बैठ जाइये।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : आप बैठ जाइये।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : (सांचोर) : He should address the Chair.

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : He should also address the Chair.

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसींद): उपाध्यक्ष महोदय, यह सेन्ट पर्सेन्ट गलत है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निहायत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि रेलवे लाइन बनाई जाय यह हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बोर्डर मजबूत हो। हम चाहते हैं कि बोर्डर की डिफेन्स ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो। हम चाहते हैं कि रेलवे लाइन जल्दी से जल्दी बने और इस सम्बन्ध में हमने कदम भी उठाये हैं। माननीय सदस्य मनफूलसिंहजी बार बार चिल्ला रहे हैं। उनको पता है..

**श्री मनफूलसिंह** : आपकी दूकानदारी नहीं चलेगी, चीन और पाकिस्तान की सांठगांठ है और आप उनके साथ हैं....

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : आपके यहां चीनी के बारे में पकड़े जायं और ये देशभक्ति की बात करेंगे। २२–२२ आदमी तीन-तीन साल से बिना पासपोर्ट के जिनके यहां बैठे रहें और आप उनकी वकालत करते हैं...

**श्री मनफूलसिंह** : आपको मालूम पड़ जायेगा...

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : ब्लैक का करोड़ों रुपया लिये बैठे रहें ! मथुरादास

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

माथुर, जिनके खिलाफ फाइल बनायें और सुखाड़ियाजी उसको दबाकर बैठ जायं और मनफूलसिंहजी आप बात करते है...

**श्री मनफूलसिंह** : आपकी रिपोर्ट इनके (उप-मंत्री, गृह) यहां तैयार है।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** (उप-मंत्री-गृह) : क्यों बेकार नाम खुलवाते हैं।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : हिन्दूमल कोर्ट की इस लाइन को बनाने में हम पक्ष में हैं, लेकिन जिस तरीके से इस लाइन का निर्माण किया जा रहा है वह तरीका गलत है। मैं इसका विरोध करता हूं कि यह गलत तरीका है और एक अप्रजातान्त्रिक तरीका है। गंगानगर के लोगों पर एक प्रकार का जुल्म है।

आपने (श्री मनफूलसिंह से) क्या कहा उसका भी उत्तर दे दूं।

(राज्य-पक्ष द्वारा शोरगुल)

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : उपाध्यक्ष महोदय,...

**श्री उपाध्यक्ष** : There should be no debate.

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : (श्री मनफूलसिंह से) आपके भी केसेज है ....

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : उपाध्यक्ष महोदय....

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : आपके डाकुओं के रिलेशन के केस को इन्होंने (उप-मंत्री, गृह) दबाया है।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : क्या बात करते हैं ?

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय उपमंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन है, कोई रामलीला नहीं है जो कि राम का रूप धारण करके जोर-शोर से बोल रहे थे।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : मानसिंह जी का जिक्र किया था, जब आप बोले थे और उसके बाद चुप हो गये ; उनको रोका नहीं गया। जब हमारे ऊपर तीखे होकर बोलते हैं तब आप उचित शिकायत नहीं करते हैं। इस मामले में थोड़ी सी ऐसी बात आई उसके बाद...

**श्री भैरोंसिंह** : आप वाकई उस वंश के नहीं हो सकते, लेकिन नौटंकी के हो सकते हैं।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : आपके मुकाबले में उनको नहीं रखना चाहता।

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** : (मन्डावर): आप सिनेमा एक्टर होते तो बहुत अच्छा रहता।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : नौटंकी कम्पनी खोल दें तो बहुत बढ़िया हो।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : आपके लिए तो मैं मसाला बना रहा हूं..

**श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो रेलवे की लाइन बन रही है उसके लिये जो सदस्य रायसिंहनगर से आये हैं उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि रेलवे लाइन निकालें और राजस्थान में बहुत सी जगह रेलवे लाइन बनी है और बन रही है और राजस्थान सरकार उसके लिए प्रयत्न करे तो यह निश्चित रूप से प्रशंसा की बात है, लेकिन एक जगह रेलवे लाइन के लिए ७,८ या १२ लाख रुपये वसूल करते हैं तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार के बजट को देखते हुए यह ७-८ लाख रुपये का कोई महत्व नहीं है। इसलिये एक विशेष इलाके के लिए यह भावना पैदा करे। जब तक कि वह कन्ट्रीब्यूशन नहीं करे तब तक कोई काम नहीं होगा। यह अच्छी बात नहीं है, सिद्धान्त की बात नहीं है। इसलिए मैं राज्य सरकार से यह कहना चाहूंगा कि सैद्धान्तिक रूप से रेलवे लाइन के लिए कोई पैसा किसी इलाके से वसूल करना न उचित है न न्याय संगत है न इस तरह की प्रेसीडेन्ट है कि इस तरह से रुपया वसूल किया जाय। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने भारत सरकार को यह इन्टीमेट किया है कि इस तरह से रुपया वसूल न करें और बिना रुपये वसूल किये ही उदयपुर से अहमदाबाद लाइन बनी है तो यह बहुत अच्छी बात है। उसमें रुपया वसूल नहीं किया गया तो सिर्फ गंगानगर की लाइन बन रही है। हिन्दूमल कोट से इसमें रुपया क्यों वसूल किया जा रहा है जब कि कोई स्थिति नहीं है, कोई तैयारी नहीं, कोई नीति नहीं है? इसलिए मैं समझता हूं कि राज्य सरकार अपना स्पष्टीकरण करे।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) :** उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो मूल बात थी वह बात तो गौण हो गई। प्रश्न इतना सा है कि जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा है कि जो गंगानगर से हिन्दूमल कोट के बीच रेलवे लाइन बन रही है उसके लिए जनता से पैसा वसूल किया जा रहा है उसके सम्बन्ध में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है मैं समझता हूं कि इसके बीच में दूसरे प्रश्न पैदा हुए हैं वे सही नहीं हैं। प्रश्न इतना सा है कि पिछली बार भी सदन में इस बात की चर्चा की थी कि राष्ट्र रक्षा कोष में जबरदस्ती किसी से वसूल नहीं किया जाय और मुझे अच्छी तरह से याद है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस सम्बन्ध में फिर आदेश जारी किये थे कि रक्षा कोष में जबरदस्ती किसी से पैसा वसूल नहीं किया जाय और किन्हीं अधिकारियों ने जबरदस्ती की है और शिकायत महुआ की तरफ से की गई थी उसकी जांच भी कराई थी और आवश्यक आदेश इस बारे में दिये कि जबरदस्ती वसूली नहीं हो तो माननीय हांडा ने जो बात कही उसका दूसरे माननीय सदस्यों ने विरोध किया और गद्दारी की बात कही और रक्षा कोष के लिए जबरदस्ती वसूली की जाय और उसको नहीं करने की बात चीफ मिनिस्टर कहें, उसका ऑब्जेक्शन हो तो मैं समझता हूं कि अगर गद्दारी है तो दोनों जगह है। मैं मानता हूं कि गद्दारी दोनों जगह नहीं है। प्रश्न यह है कि सिद्धान्ततया विकास के काम का समर्थन होते हुए भी मैं इस बात का विरोध करता हूं कि उस काम के लिए जबरदस्ती पैसा वसूल नहीं करें। बोर्डर की सुरक्षा का लक्ष्य

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जरूर हो, जनता उसको स्वीकार करे, लेकिन जो भी रेलवे लाइन बनानी है, मैं समझता हूं कि वहां के लोग विरोध करते हैं तो तकाबी के साथ, लगान के साथ किसी प्रकार की जबरदस्ती की जरूरत नहीं हो सकती है। आपको विकास करना है, अगर रक्षा करना है तो आप रक्षा के लिए और किसी प्रकार का टैक्स लगायें, लेकिन विशेष इलाके के लोगों से जबरदस्ती रेलवे लाइन लगाने के नाम से, रक्षा के नाम से, सीमा की सुरक्षा के नाम से सरकार का यह कदम सराहनीय नहीं है। रेलवे चाहे १ मील की बनायें या एक हजार मील की बनायें लेकिन वह सिद्धान्त स्वीकार हो, लेकिन मैं समझता हूं कि जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है उस पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए, लोगों से जबरदस्ती पैसा वसूल नहीं किया जाय। यह किसी प्रकार से वाजिब नहीं है। इस बात का मैं समर्थन करता हूं।

**श्री मथुरादास माथुर** : माननीय उपाध्यक्ष, इस बात को लेकर इस सदन में वादविवाद पैदा हुआ है, इस रेलवे लाइन पर तो मेरा इतना ही नम्र निवेदन है और माननीय सतीशचन्द्रजी से खास कर निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार के द्वारा कोई जबरदस्ती वसूल करने का न तो प्रयत्न किया जा रहा है और न किया जायेगा।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : बिल्कुल किया जा रहा है।

**श्री मथुरादास माथुर** : You want to dictate the whole House.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य सुनने को तैयार हों तो जवाब दूं नहीं सुनने को तैयार हों तो नहीं दूं।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : हम सुनने को तैयार हैं, लेकिन हम बोलते हैं तो उस तरफ के सदस्यों को न मालूम क्या काटने लग जाता है?

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज !

(३. म.प.)

If you are prepared to listen then he may begin: otherwise we may close.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : कांग्रेस सदस्यों का व्यवहार हमारे लिये अनुकरणीय थोड़े ही है। कोई गलती करता है तो करता है।

(शोरगुल)

**श्री उपाध्यक्ष** : Order please! Shall I allow?

माननीय मंत्री को सुनना चाहें तो सुनें।

**श्री मथुरादास माथुर** (योजना मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैंने शुरू में निवेदन किया कि कहीं भी, किसी आदमी के साथ जो गंगानगर जिले में रहता है उसके साथ जबर्दस्ती करके वसूल करने का प्रयत्न या प्रयास राज्य सरकार ने न तो किया है और न करेगी। इस काम को शुरू हुए एक

(श्री मथुरादास माथुर)

दो साल ही नहीं हुए हैं, बल्कि जब हांडा साहब इस सदन के सदस्य नहीं थे उससे कई साल पहले यह काम शुरू किया गया। उस समय वहां के प्रतितिधि जो इस सदन के सदस्य थे, जो लोक सभा के सदस्य थे वे और वहां के मुख्तलिफ स्वायत्त संस्थाओं के प्रतिनिधि थे उन लोगों ने मिल कर राज्य सरकार को ही नहीं, बल्कि भारत सरकार को एप्रोच किया और कहा कि हिन्दूमल कोट और गंगानगर के बीच ब्रोडगेज लाइन बनानी चाहिये, क्योंकि यह फासला १८ मील का है। भारत सरकार के उस समय के मंत्री ने कहा कि उस समय जो प्रावधान था, जो प्रायोरिटी मुकर्रर की गई थी उसके अंदर अहमदाबाद-उदयपुर लाइन को लिया गया शिड्यूल ट्राइब का एरिया होने से। गंगानगर हिन्दूमल कोट या जितनी रेल्वे लाइन योजना में रिकमन्डेड थीं, लेकिन उनके बारे में उन्होंने कहा कि इनको हम योजना में नहीं ले सकते। जब डेपुटेशन जगजीवनरामजी से मिला, जो उस समय रेल्वे मंत्री के पद पर आसीन थे, उन्होंने राज्य सरकार से पूछा, राज्य सरकार के पास भी लेटर्स आये, कई प्रस्ताव आये, कई डेपुटेशन आये, दिल्ली में भारत सरकार के पास प्रस्ताव और डेपुटेशन गये और उन्होंने भारत सरकार से कहा कि प्रायोरिटीज़ में यह रेलवे लाइन नहीं आती है तो भी इसको लिया जाय, इस पर उन्होंने कहा कि प्रायोरिटीज़ में नहीं आती है तो भी आपकी और जनता की तरफ से सहयोग हो तो इसको ले लें। डेपुटेशन वालों ने कहा कि इस लाइन का अर्थ वर्क हम करवा देंगे या उसके लिये पैसा दे देंगे, बाकी का काम भारत सरकार करवा दे। इस पर भारत सरकार ने निर्णय लिया और कहा कि ७ लाख रुपये अर्थ वर्क के लिये गंगानगर के लोग अदा कर देंगे तो हम इसको ले लेंगे। इस आश्वासन पर भारत सरकार ने इस लाइन को लेने का फैसला किया। आज तीन साल से वसूली हो रही है। साढ़े तीन लाख रु० के करीब, मुझे एक्चुअली तो याद नहीं है, लेकिन करीब साढ़े तीन लाख रुपयों की वसूली हो गई। इन साढ़े तीन साल में वहां के एक भी किसान की शिकायत टान्सपोर्ट मिनिस्टर के पास, मेरे पास नहीं आई है। माननीय सदस्य तीन वर्षों से इस सदन के सदस्य हैं, तीन वर्षों से वसूली की जा रही है, ५० पर्सेन्ट वसूली हो चुकी है इतने अर्से में, उन्होंने मुझे जबानी या कान में भी कभी कहा हो, सौ बातें रोज कहते हैं, या किसी किसान या किसी खातेदार की दर्ख्वास्त हमारे पास नहीं आई। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई। ५० पर्सेन्ट के करीब वसूली हो चुकी है भारत सरकार के प्रतिनिधियों के कहने से कीमत तय हो चुकी है, आधे रुपये वसूल हो चुके हैं लाइन डालने का मौका आ रहा है। रामसुभगसिंहजी ने कहा है कि लाइन डाल देंगे। १८ मील तक लाइन पड़ जायगी तो उससे किसानों को और दूसरों को कितना फायदा होगा जरा इसका भी अन्दाज लगाइये। आप गांवों में कूआ खुदवाते हैं तो उसके लिये चंदा देते हैं, स्कूल खुलवाने के लिये देते हैं। गंगानगर इलाके में नहरों के लिये अरबों रुपये लगे हैं तो इस काम के लिये ७ लाख रुपये देना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस

(श्री मथुरादास माथुर)

गंगानगर के लोग दो-तीन दफा नेहरूजी को सोने से तोल दें, जब कि राजस्थान के इलाके के लोग एक दफा ही तोल सकें और गंगानगर वाले तीन दफा उनको सोने से तोल डालें तो हम तो उनके सामने सिर झुकाते हैं, उनके प्रति बड़ी इज्जत है। ऐसी हालत में इस तरह का सवाल उठा कर कन्फ्युजन पैदा करना और बदजायका पैदा करना, कबाब में हड्डी हो तो अच्छा नहीं होगा। अब it is too late। शुरू में कहते तो हम कह देते कि जनता नहीं चाहती झगड़ा खत्म करो। अब वह स्टेज खत्म हो चुकी है, काफी वसूली हो चुकी है।....

**श्री भैरोंसिंह** : यह वसूली कौन कर रहा है ?

**श्री मथुरादास माथुर** : यह वसूली लोगों के कहने से राज्य सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आदमी कर रहे हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इस प्रकार के लिखित आदेश दिये हैं ?

**श्री मथुरादास माथुर** : रुपये वसूल हो रहे हैं, भारत सरकार को देने हैं, कलेक्टर के यहां मीटिंग हुई, प्रधान वगैरह मौजूद थे। यह निर्णय लिया कि रुपये वसूल करके जमा करा दें। रुपये जमा हो रहे हैं। इसमें सिद्धान्त के मतभेद की बात हो तो मैं अभी रोक दूं, लेकिन सिद्धान्त में मतभेद की बात नहीं है, जनता चाहती है, काम सुभीते से हो रहा है। न जाने किस कारण से तीन वर्षों के बाद आज यह नज़र आया है। इसमें कोई बहस का सवाल नहीं है। रुपये वसूल होंगे और लाइन तो बनेगी।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : एक क्लेरिफिकेशन कर दें। हमें ऐतराज नहीं है, यदि वोलन्टियरी मंजूरी का कोई कॉंट्रिब्यूशन हो और १० लाख या २० लाख या कितना ही हो जाय। वोलेन्टियरी कॉंट्रिब्यूशन न होकर उसको कानूनी सीमा में लेकर, कानूनी शक्ल देकर सरकारी एजेन्सी वसूल कर रही है उनको संकेत न हो और वॉलन्टियरी हो तो ऐतराज नहीं है।

**श्री मथुरादास माथुर** : यदि कोई न देना चाहें तो मेरे पास दख्र्वास्त भेज देना, वसूली नहीं करायेंगे जैसे एम० एल० ए० कहते हैं ढावे के बिलों के बारे में उनकी तनख्वाह में से काट लें तो हम काट लेते हैं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : मुझे जानकारी मिली है कि डिमाण्ड स्लिप के साथ चार आना रुपया एन्टर करके वसूल कर रहे हैं। जो इतना नहीं देता उससे लगान नहीं लेते हैं यदि यह सही है तो वोलन्टियरी नेचर नहीं रहती कंपल्सरी हो जाती है। हम यह कहते हैं कि आप १०), १२)रु. वसूल कीजिये हमें ऐतराज नहीं, वोलेन्टियरी दें तो किसी को ऐतराज नहीं हो सकता। सवाल यह है कि वोलन्टियरिली के नाम पर कंपलसरी टैक्स की तरह ले लें तो यह उचित नहीं है। आप यह आश्वासन दे दें कि इस प्रकार सरकारी एजेन्सी मालगुजारी के साथ डिमाण्ड स्लिप इश्यू करके नहीं लेगी, वोलन्टियरी हो तो हमें ऐतराज नहीं है।

**श्री मथुरादास माथुर** : वोलन्टियरिली है १६ आना, वल्कि २१ आना है।

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज !

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : माननीय मंत्रीजी, केवल ४ माह से वसूली शुरू हुई है।

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज !

**श्री मथुरादास माथुर** : वसूली ३ साल से हो रही है।

**श्री उपाध्यक्ष** : अब भाषण नहीं हो सकता, दो बार दे चुके हैं।

**श्री मथुरादास माथुर** : यदि वसूली नहीं होती तो ये तीन लाख रुपये आसमान से आ जाते क्या ?

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : चार महीनों से वसूली हो रही है।

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज ! नेक्स्ट। श्री भैरोंसिंह।

(३. ०८ म. प.)

## "हकीकत" फिल्म का राजस्थान में प्रदर्शन विषयक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में कई दिनों से बहुत उत्तेजनापूर्ण वातावरण बन रहा है, लेकिन इस वातावरण में मुझे इस बात का भय है कि इसमें भी शायद उत्तेजना आजाय लेकिन इस मौके पर मैं इस सदन का ध्यान और सरकार का ध्यान "हकीकत" फिल्म जिसका प्रदर्शन राजस्थान में किया जा रहा है उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की जानकारी है कि इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने इस फिल्म को देखा होगा और देखने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वह प्रतिक्रिया भी उन्होंने बनाई होगी और इस बात को भी महसूस किया होगा कि इस फिल्म का प्रदर्शन राजस्थान जैसे प्रदेश में जिसमें अधिकांश में फौज में भर्ती होने वाले लोग मिलते हैं, ऐसे प्रदेश में इस फिल्म का प्रदर्शन किया जाय या नहीं यह अलग बात है, हमारी राजस्थान की हुकूमत इस फिल्म के द्वारा जिस प्रकार की प्रतिक्रिया पैदा करने की स्थिति में हो रही है उस स्थिति में मनोरंजन कर से मुक्त करके मैं ऐसा समझूंगा कि आग में घी डालने का काम किया है और विशेष रूप से माननीय वित्त मंत्री महोदय जो अपने आपको स्वयं पंडित जवाहरलालजी नेहरू का सम्बन्धी भी बताते हैं उनके अनुयायी भी बताते हैं...

**श्री बालकृष्ण कौल** (वित्त मंत्री) : मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं पंडित जवाहरलाल का रिश्तेदार हूं या कुछ हूं। ऐसा मैंने कभी नहीं कहा।

**श्री भैरोंसिंह** : आपने सदन में नहीं कहा, पब्लिक प्लेटफार्म पर कहा है।

**श्री बालकृष्ण कौल** : न कभी पब्लिक प्लेटफार्म पर मैंने कहा, न यहां कहा और न कहीं और कहा।

**श्री भैरोंसिंह** : आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कहने की जुर्रत नहीं कर सकते।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : ऐसे सम्बन्ध होने का संकेत होता है ।

श्री भैरोंसिंह : मुझे इस बात का दुःख है....

श्री बालकृष्ण कौल : मेरे मुंह में लफ्ज़ रख रहे हैं इसलिए मैंने रख दिया ।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपके मुंह में नहीं रख रहा हूं । लफ्ज़ जहां रखे जाने चाहिये, वहीं रखे जा रहे हैं ।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि एक तो मुझे इस बात में बड़ा खेद हुआ कि...

श्री उपाध्यक्ष : उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : पंडितजी जब जीवित नहीं रहे तब उनसे सम्बन्ध तोड़ने के लिए तैयार हो गये । कितने अफसोस की बात है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जीते व्यक्ति के साथ सम्बन्ध हों और मरने के बाद में उसे भूलने की कोशिश की जाय । यह वित्त मंत्रीजी, आपके लिए शोभा की बात नहीं है, इस सदन के लिए शोभा की बात नहीं है....

श्री बालकृष्ण कौल : आपका कॉल अटेंशन मोशन यह है ?

श्री भैरोंसिंह : और किसी भी सोचने वाले व्यक्ति के लिए यह शोभा की बात नहीं है । और मैं अटेंशन तो उस व्यक्ति की कॉल करूं, इन्वाइट करूं जो अच्छा डेमोक्रेट हो । जिस आदमी के अटेंशन नहीं है उसकी क्या अटेंशन इन्वाइट करूं ? इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन का ध्यान खींचने के लिए और सदन के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने कॉल अटेंशन मोशन की सूचना दी है । मैं इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं सदन से कि यह पिक्चर मैंने देखी है और देखने के बाद मेरे ऊपर जो प्रतिक्रिया हुई है, मेरे साथ में जो देखने वाले थे उनके ऊपर प्रतिक्रिया हुई है और जो सर्वसाधारण ने पिक्चर देखी और देखने के बाद जो उन्होंने किये उनके आधार पर मैं मानता हूं कि इस तरह की पिक्चर का प्रदर्शन राजस्थान के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है । इसलिए मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं उससे अपनी राय बनाने की आवश्यकता नहीं है, जिन्होंने इस पिक्चर को देखा है वह इंडिपेंडेंटली अपनी राय बनायें और राय बनाने के बाद, मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं, मुझे आशा है कि उसी नतीजे पर वह भी पहुंचेंगे कि इस प्रकार की पिक्चर बनाने की क्या आवश्यकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय, २० अक्टूबर, १९६२ से लेकर २१ जनवरी, १९६३ तक लद्दाख के क्षेत्र में चीन से हमारी फौज का जो युद्ध हुआ-उसका विवरण उस पिक्चर के द्वारा बताया गया है । हम आशा करके चलते थे कि हिन्दुस्तान में इस प्रकार की पिक्चर निकलेगी इस-प्रकार की फिल्म के द्वारा इस युद्ध का चित्रण कराया जायगा, जिससे राजस्थान की जनता का मॉरेल नहीं बढ़ेगा, बल्कि हिन्दुस्तान की जनता का मॉरेल बढ़ेगा, जिससे हिन्दुस्तान की फौज के अन्दर उत्साह पैदा होगा, जिससे हिन्दुस्तान के लोगों को फौज के अन्दर भर्ती होने की

(श्री भैरोंसिंह)

प्रेरणा मिलेगी। लेकिन इस पिक्चर को देखने के बाद ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति को फौज में भर्ती होने की प्रेरणा नहीं मिलेगी कोई फौज में भर्ती नहीं होगा, न लड़ाई के लिए किसी में उत्साह रहेगा और न देश के लिए लड़ने के लिए किसी को प्रेरणा मिलेगी। इसलिए मैं समझता हूं कि इस पिक्चर को माननीय वित्त मंत्री ने एन्टर्टेनमेंट टैक्स से मुक्त किया है और पिक्चर को एन्टर्टेनमेंट टैक्स से मुक्त करके एक बहुत बड़ा बंगलिंग किया गया है। और देश की भलाई की बात को लेकर, राष्ट्रीय हित को लेकर कोई बंगलिंग कर सकता है, इन्डाइरेक्टली बंगलिंग कर सकता है, तो यह पिक्चर है और मैं समझता हूं कि इस पिक्चर का प्रदर्शन देश की सुरक्षा के लिए और भलाई के लिए इतना बड़ा बंगलिंग है कि यह न केवल राजस्थान के लिए कलंक है, बल्कि देश के लिए भी कलंक है।

मैं पिक्चर देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे चीन में बैठा हुआ हूं, जैसे चीन अपने पक्ष को मजबूत करने की तैयारी कर रहा है और उसके द्वारा हिन्दुस्तान की फौजों की निंदा की जा रही है। हिन्दुस्तान के अन्दर इस प्रकार की पिक्चर बनाई गई जिसमें हिन्दुस्तान की फौज के भागने की प्रक्रिया बताई जा रही है, यदि ऐसी फ़िल्म चीन के अन्दर फिल्म इन्डस्ट्री बनाती जिसमें हिन्दुस्तान के लिए गलत बातें कह कर और हिन्दुस्तान की गलती बता कर हिन्दुस्तान की जनता को डिमोरेलाइज़ करने का प्रयास किया जाता तो भी इस प्रकार की तस्वीर चीन किसी हालत में भी नहीं बना सकता था। ऐसी पिक्चर को हिन्दुस्तान और राजस्थान में आज की हालत में हिन्दुस्तान के सेंसर बोर्ड के द्वारा निकलवा कर एक बंगलिंग के रूप में राष्ट्रीय हित पर आधारित किया जा रहा है, यह आघात किस प्रकार हो रहा है, इसको बताने के लिए जो कुछ मैंने लिखित रूप में सदन में प्रस्तुत किया है वह पढ़ कर सुनाना चाहूंगा, ताकि संक्षेप में सारी बात मैं बता सकूं। उपाध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न है—इस फिल्म में सैनिक निर्णय में राजनैतिक हस्तक्षेप प्रदर्शित किया जाकर सेना का सरकार के प्रति अविश्वास पैदा करने की चेष्टा की गई है। एक बात पिक्चर में दिखाई है कि जिस समय चीन की फ़ौज आगे बढ़ रही थी और सौ गज की दूरी पर थी उस समय प्लाटून कमाण्डर की इजाजत मांगते हैं कि फायर करने की इजाजत दी जाय। वह कहता है अभी इजाजत नहीं दी जायगी। जब चीन की फौज पचास गज की दूरी पर आ जाती है तो उसी प्लाटून कमाण्डर से इजाजत मांगते हैं-फायर करने की इजाजत दे दी जाय। वह कहता है कि फायरिंग नहीं किया जायगा। फिर उसके बाद में दस गज दूरी पर चीन की फौज आ जाती है तो फिर पूछते हैं कि फायर करने की इजाजत दी जाय। उस समय उसने कहा-नहीं। इस बीच में सिपाही बैठ कर बात करते हैं और ऑफिसर कहता है-चीन की फौज बढ़ रही है लेकिन दिल्ली में बैठ कर राजनैतिक नेता चीन से वार्तालाप कर रहे होंगे, इसलिए गोली चलाने का आदेश नहीं मिल सकता है। उसके बाद में चीन की फौजें आगे बढ़ती हैं और प्लाटून पर कब्जा करके, सबकी हत्या करके आगे बढ़ जाती

(श्री भैरोंसिंह)

है। इससे सिद्ध हुआ कि हमारी फौज के सम्बन्ध में निर्णय करने में राजनैतिक नेताओं का हस्तक्षेप होता है।

दूसरा प्रश्न है-चित्र में प्रदर्शित घटनाओं से प्रगट होता है कि सेना के बड़े अधिकारी अयोग्य हैं। एक बड़े अधिकारी को जिसे ब्रिगेडिअर नाम से माना गया है, उस ब्रिगेडिअर से, चीन की फौज के आगे बढ़ने के बाद, फौज के सिपाही और प्लाटून कमाण्डर सब इस बात की इजाजत मांग रहे हैं-हमें गोली चलाने की इजाजत दी जाय। लेकिन वह इजाजत नहीं देता है और कहता है कि पहले उनको गोली चलाने दो। लेकिन जब उधर से गोली चली तो हमारी प्लाटून का सफाया हो गया। उस वक्त उस फौज के ऑफिसरों के प्रति सिपाहियों ने कहा है-पहले इजाजत मिल जाती तो जो चीन की पलटन बढ़ी आ रही थी इसको समाप्त कर देते। लेकिन उसके बजाय हमारी पलटन समाप्त हो जाती है।

तीसरा प्रश्न है...

**श्री दयानन्द सोन** (बारां-सु) : आप (श्री बालकृष्ण कौल) बड़ा एन्जॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं !

**श्री बालकृष्ण कौल** : आप शांति करके बैठे रहें।

**श्री भैरोंसिंह** : तीसरा प्रश्न है-इस प्रदर्शन से स्पष्ट होता है कि सैनिकों में भारत की सीमा तथा युद्धग्रस्त क्षेत्र पर भारत के अधिकार के औचित्य के प्रति तथा ऐसी वीरान भूमि के लिए युद्ध की आवश्यकताओं के प्रति सन्देह है। जिसका सन्तोषजनक समाधान कराने में भी असफल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस पिक्चर में एक चौकी दिखाई है उस चौकी के अन्दर सिपाही बैठे हैं, एक ऑफिसर खड़ा है थोड़ी दूर पर। चीन के सारे आदमी कुछ दूर पर लाउड स्पीकर से चिल्ला रहे हैं-"चीनी-हिन्दी भाई भाई; चीनी-हिन्दी भाई भाई ! चीनी-हिन्दी भाई-भाई !" और फौज कहती है कि तुम यहां से चले जाओ। इसके ऊपर जो सैनिक बैठे हैं वह बैठकर आपस में चर्चा करते हैं-इस वीरान भूमि के लिए लड़ने की क्या आवश्यकता है। चीनी-हिन्दी भाई भाई के नारे की आवाज के साथ साथ वहां चर्चा होती है-चीन और हिन्दुस्तान के बीच में सीमा निर्धारण नहीं हुआ है।

(विरोधी पक्ष-'शेम', 'शेम')

तो इस वीरान भूमि के लिए क्यों लड़ा जा रहा है। ऑफिसर ने जो उसका जवाब दिया उससे उसने संतोष नहीं कराया, वह कहता है-हमें आदेश मिला है और हमें इस बारे में नहीं पड़ना है कि यह कैसी भूमि है या वीरान भूमि है। इस बात को कह कर वह चुप हो जाता है।

चौथा प्रश्न है-इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि हमारे जवान को मातृभूमि की अपेक्षा अपने परिवारों की अधिक चिंता है। जिन चित्रों में मातृभूमि के प्रति उनकी निष्ठा प्रगट की गई है उन चित्रों से प्रेरणा के स्थान पर जवान के प्रति जन मानस में अविश्वास का भाव प्रगट होता है। उपाध्यक्ष महोदय, वहां जितने भी हमारे

(श्री भैरोंसिंह)

जवान हैं वे युद्ध के मोर्चे पर जाते हैं तो अपनी बीबी का चित्र लेकर जाते हैं, अपनी बीबी का खत लेकर जाते हैं, पिक्चर में सिपाहियों द्वारा अपने परिवार की ज्यादा चिन्ता दिखाई जाती है, उनकी जेबों में लड़के का फोटो होता है और बीबी के द्वारा भेजे हुए फूल के बीज होते हैं। ये सब चीजें लेकर वे युद्ध के मोर्चे पर जाते हैं, उनको इस बात की चिन्ता नहीं है कि चीन की फौज आगे बढ़ रही है। चीन के हमले से देश की सुरक्षा को बचाना है; इस बात की चिन्ता उनमें नहीं हैं। उन्हें इस बात की चिन्ता प्रगट करते हुए दिखाया गया है कि हमारा परिवार, हमारी बीबी और हमारे बच्चे और बाकी के लोग किस प्रकार रह रहे होंगे। मेरे सम्बन्ध में किस प्रकार की याददहानि चल रही होगी। उन्हें केवल अपने परिवार की चिन्ता है। बाकी उनके मुंह से ऐसी कोई बात नहीं निकलती कि मैं अपनी भूमि के लिए मरने वाला हूं, परिवार और बीबी बच्चों के मुकाबले में मेरी मातृ-भूमि और देश प्रेम ऊंचा है। इस बात का बिल्कुल संकेत नहीं आता है बल्कि परिवार और बीबी बच्चों के प्रति प्रेम दिखा कर जो देश के प्रति आसक्ति और देश के प्रति भाव है उनके ऊपर कुठाराघात किया गया है।

आगे, उपाध्यक्ष महोदय, पांचवा प्रश्न है वह यह है कि इस फिल्म से यह जानकारी मिलती है कि चीन ने इस युद्ध की सूचना हमें बहुत समय पूर्व ही दे दी जब कि यह तथ्य सही नहीं है। सरकार के प्रवक्ता एक बार नहीं अनेक बार कह चुके हैं कि चीन ने हमारे ऊपर धोखे से हमला किया। हमें 'चीनी-हिन्दी भाई भाई' का नारा देकर जो पंचशील के सिद्धान्त को पनपाने की कोशिश की थी, उसके बाद चीन ने हमको धोखा दिया और धोखे से हम पर हमला किया इसीलिए हम पीछे हटे हैं। लेकिन इस पिक्चर को देखने से ऐसा प्रकट होता है कि चीन ने पहले ही अपना इरादा भारत सरकार को बता दिया था और इससे भारत सरकार के प्रति इस प्रकार की अनास्था की भावना बनती है कि चीन की चुनौती इस देश को पहले ही मिल चुकी थी; लेकिन हमारी सरकार ने तैयारी नहीं की।

इस फिल्म में एक बड़े अधिकारी के मुंह से कहलवाया गया है कि सरकार बिना पूर्ण जानकारी के ही जवानों की मृत्यु की घोषणा कर देती है। इस चित्र में इस प्रकार की एक घोषणा की गई है। इस चित्र में बताया गया है कि एक कैप्टिन बहादुरसिंह को लड़ते-लड़ते गोली लगी और गोली लगने से वह घायल होकर गिर गया। उसके जवान साथी उसको छोड़कर आ गये। वह मर गया और उसके साथी उसको चोटी पर छोड़ कर आ गए और उनके मेजर ने ब्रिगेडियर को सूचना दे दी कि कैप्टिन बहादुरसिंह मारा गया। वह सूचना सब जगह भेजी गई। इसके द्वारा यह बताया गया है कि हमारे सरकारी अफसर, हमारी सरकार और हमारा फौजी विभाग इतना अयोग्य है कि सिपाही मरा नहीं है, अफसर मरा नहीं है, लेकिन उस अफसर के मरने की सूचना सब जगह प्रसारित कर दी जाती है। इसका मतलब यह निकलता है कि मरने वालों के सम्बन्ध में जितनी घोषणाएं की गई हैं वे किसी सीमा तक संदेहास्पद हैं।

(श्री भैरोंसिंह)

चित्र में हवाई जहाजों तथा हैलिकोप्टर्स द्वारा युद्ध क्षेत्र में सामान पहुंचाने, घायलों को उठाने और दुश्मन की गतिविधियों की सूचना देने के साहसिक कार्य का कहीं भी प्रदर्शन नहीं किया गया है और यह अभाव रख कर हमारी अकर्मण्यता प्रगट की गई है। हमारे सिपाही युद्ध के मोर्चे पर लड़ रहे थे तो उनको हथियारों की कमी थी, उनको भोजन की कमी है, उनके शयन की व्यवस्था नहीं है सुख सुविधा नहीं मिल रही है, यह सब बताया गया है। लेकिन हमारी सरकार ने जिस प्रकार प्रयत्न करके हेलिकोप्टर्स के द्वारा, प्लेन्स के द्वारा जिन्होंने माल को सप्लाई किया, उसका कहीं भी उल्लेख नहीं आया। इससे प्रगट होता है कि हमारे फौजियों को, हमारे सिपाहियों को मोर्चे पर भगवान् के भरोसे छोड़ दिया गया, उनको सम्भालने वाला कोई भी नहीं है। इसके अतिरिक्त चित्र में चुशूल के हवाई अड्डे पर हमारी फौजों के वीरतापूर्ण कार्यों को न दिखाकर लद्दाख क्षेत्र में जहां जहां हमें दुश्मन के मुकाबले में पीछे हटना पड़ा, उन चित्रों को ही दिखाया गया है, जिससे प्रगट होता है कि हमारी फौजों ने सिवाय पीछे हटने के कोइ भी वीरतापूर्ण कार्य नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, चुशूल के मोर्चे को लेकर आज हिन्दुस्तान के चवालीस करोड़ लोग गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी सेना सबल है। इस सेना के भरोसे देश की सुरक्षा कर सकते हैं, हम दुश्मन की चुनौती स्वीकार कर सकते हैं। हम दुश्मन को खदेड़ सकते हैं। लेकिन इस पिक्चर में उस चुशूल के मोर्चे का प्रदर्शन तो क्या, उल्लेख तक नहीं किया गया है। केवल उन्हीं स्थितियों का प्रदर्शन किया गया है जहां पर हमें पीछे हटना पड़ा है, जहां हमें मात खानी पड़ी है। जहां हम जीते हैं, जहां हमने दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं उस क्षेत्र को बाहर रखा गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि षड्यंत्र यह किया गया है कि जिससे हिन्दुस्तान का जीत का नक्शा, हिन्दुस्तान की जीत का सुबूत इन प्रदर्शनों के द्वारा किसी भी प्रकार नहीं हो सके। लोगों के मस्तिष्क में यह बैठा रहे कि चुशूल की चोटी पर भी हम हार खाकर रह गए हैं, हम हारने वाले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ इस चित्र में यह भी नहीं दिखाया गया है कि मृतक जवानों के दुखित परिवारों के प्रति जनता की कोई सहानुभूति थी जबकि यह सत्य नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन दिनों में युद्ध चल रहा था, जिन लोगों के लड़के, भाई, पति आदि फौज के अन्दर थे उनको राहत पहुंचाने के लिए, उनको स्पेशल ग्रांट मंजूर करने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी गई। उनके परिवारों के लोगों से जाकर मिले हैं, सरकारी अधिकारी गए हैं और उन्होंने जाकर देखा कि उन्हें अगर किसी प्रकार का संकट हो, उनके किसी प्रकार के मुकदमे हों, तो उनको उन मुकदमों से उनके संकट को दूर करने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयत्न किए गए हैं। इन सारे प्रयत्नों का इसमें प्रदर्शन नहीं किया गया है, इससे साफ प्रगट होता है कि फौजियों के परिवारों को संकट में राहत देने के लिए सरकार ने किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं किया। चित्र में लद्दाख की महिलाओं

(श्री भैरोंसिंह)

के चरित्र पर आघात किया गया है और यह बताया गया है कि इस क्षेत्र की महिलाओं को गहने का प्रलोभन देकर प्रेम फांस में फंसाया जा सकता है ।....

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा संक्षेप में बोलें ।

**श्री भैरोंसिंह** : बड़ा इम्पोर्टेंट मेटर है ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंह नगर) : इसे वित्त मंत्रीजी खास तौर से पसन्द करते हैं ।

**श्री भैरोंसिंह** : मैं उनके चरित्र पर किसी प्रकार आक्षेप करने का अधिकारी नहीं हूं । लद्दाख वह क्षेत्र है जिस क्षेत्र में वीरता पैदा करने की आवश्यकता है, जिस क्षेत्र की तरफ दुश्मन की दृष्टि हो तो वहां के लोगों में आत्म विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है । लद्दाख की महिलाओं के चरित्र को जिस प्रकार से पेंट किया गया है कि एक महिला फौजी अफसर से प्रेम करती है और उसके प्रेम में पागल होकर एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर, एक चौकी से दूसरी चौकी पर घूमती रहती है और इस लालच में कि वह सैनिक उसे जेवर बना देगा, वह उसे दिल्ली दिखायेगा । इसका मतलब है कि लद्दाख की महिलाएं इतनी करप्ट हैं कि दिल्ली को देखने के लिए, सोने के जेवर पहिनने के लिए वह प्रेम में फंस सकती हैं और उनको प्रेम में फंसाया जा सकता है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह इतना बड़ा अपराध होगा कि हम किसी ऐसे क्षेत्र के बारे में, जो कि युद्ध क्षेत्र है, जिसकी ओर चीन की सेनाएं पड़ी हों, वहां की महिलाओं के बारे में इस प्रकार का प्रचार करना कि वे इतनी करप्ट हैं और उनको इतनी आसानी से फंसाया जा सकता है, इस देश के लिए सौभाग्य की चीज नहीं होगी । उन लोगों के प्रति इस प्रकार का प्रचार करना देश के प्रति गद्दारी हो सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, चित्र में बार बार यह बताया गया है कि हमारी फौजों के पास अच्छे व पर्याप्त मात्रा में हथियार नहीं थे और युद्ध के मोर्चे पर हथियार पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं थी जब कि हथियार युद्ध के मोर्चे पर यथा शक्ति पहुंचाये गये हैं । इस चित्र में बताया गया कि कई जगह हथियार नहीं है, बन्दूकें नहीं हैं, बन्दूकें हैं तो गोलियां नहीं हैं. कारतूस नहीं हैं, लेकिन यह सही नहीं है, जहां जहां हथियारों की जरूरत थी हमने पहुँचाये हैं । वह पहुंचाने का प्रदर्शन इसमें नहीं किया गया है लेकिन उनके पास सामान खत्म हो गया इसका प्रदर्शन इसमें मिलता है, जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि जो फौजी अफसरों ने प्रयत्न किए हेलिकोप्टरों और प्लैन्स से जो चीजें पहुंचाई, उन सब चीजों को छुपा कर यह साबित करने का प्रयत्न किया गया है कि उनके मरने के बाद हथियारों की पूर्ति हिन्दुस्तान की सरकार ने नहीं की ।

चित्र में युद्ध के समय समस्त भारत की जनता का चीन के प्रति रोष, दुश्मन को देश की सीमाओं से निकाल....

श्री उपाध्यक्ष : समय काफी हो चुका है ।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो दूसरा ही पेज पढ़ा है, यह देश की सुरक्षा का सवाल है, इसमें आप पूरा समय दें। अब और तो कोई कार्यवाही हो नहीं सकती। कोऑपरेटिव बिल को पास करना है वह तो अब सम्भव नहीं है। पांच बजे तक तो रुटीन बिज़नेस आने वाला नहीं है। आप पांच-दस मिनिट का समय अधिक दें।

**श्री भैरोंसिह**: मैं जल्दी ही पढ़ रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: इसके लिए समय बढ़ाना होगा।

**एक माननिय सदस्य**: सदन का समय बढ़ाया जायेगा।

**श्री भैरोंसिह**: जल्दी करने के लिए ही मैंने जो लिखित रूप में दिया है उसको ही पढ़ रहा हूं।

चित्र में युद्ध के समय समस्त भारत की जनता का चीन के प्रति रोष, दुश्मन को देश की सीमाओं से निकाल फेंकने का संकल्प, संकल्प की पूर्ति हेतु सर्वस्व न्योछावर करने की प्रतिज्ञा आदि घटनाओं का प्रदर्शन नहीं किया गया जिससे यह प्रकट होता है कि इस युद्ध से जनता का कोई सम्बन्ध नहीं था। उपाध्यक्ष महोदय, एक तो चीन की सरकार का प्रचार यह था कि हिन्दुस्तान की सरकार और प्रधान मंत्री की ज़िद है जिसकी वजह से ही युद्ध हो रहा है, सीमाओं में झगड़ा कर रहे हैं। आज भी चीन का प्रचार चल रहा है और इसी प्रचार की वजह से इण्टरनेशनल पोलिटिक्स में चीन हिन्दुस्तान पर प्रभावी सिद्ध होता जा रहा है। उसी चीज को हमारी सेना, हमारे फौजियों के द्वारा प्रदर्शन करने की कोशिश की गई है। लेकिन उन चीजों को नहीं दिखाया गया है जहां प्रधान मंत्री जवाहरलालजी को सोने में तोला जाता है, गरीब जनता अपने जेवरों को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए दान में दे रही है, वह एक एक बार भूखी रह कर, एक एक पैसा इकट्ठा करके देश की सुरक्षा के लिए भारत सरकार को दे रही है, भारत सरकार के हाथ मजबूत कर रही है। फौजियों के लिए सामान भेजा जा रहा है, औरतें जर्सियां बुन बुन कर उनके लिए तैयार कर रही हैं और भी दुनियां भर के काम उन जवानों के लिए कर रही हैं, यह सब नहीं दिखाया गया है, ताकि लोगों को पता लगे कि यह सच्चाई ही है कि चीन के विचार के अनुसार ही यह लड़ाई नेहरूजी और हुकूमत की तरफ से थी जनता से कोई वास्ता नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय, युद्ध काल में भारत के नेता श्री नेहरूजी व अन्यों द्वारा जनता एवं फौजों में उत्साह पैदा करने में, मातृभूमि की रक्षार्थ सर्वस्व न्योछावर करने आदि के सम्बन्ध में की गई प्रेरणास्पद कार्यवाहियों को नहीं दिखाया जाकर युद्ध समाप्ति का प्रदर्शन दिखाने के तुरन्त पश्चात् नेहरूजी तथा असंख्य जनता द्वारा चीन के प्रधान मंत्री श्री चाऊ-एन-लाई का स्वागत किये जाने के चित्रों का प्रदर्शन किया गया है जिससे मानस में न केवल, स्वर्गीय प्रधान मंत्रीजी के प्रति ही अनास्था का भाव पैदा होता है, बल्कि इस युद्ध की सारी जिम्मेवारी नेहरूजी पर थोपने का प्रयास किया

(श्री भैरोंसिंह)

गया प्रतीत होता है। इस प्रकार इस चित्र ने जले पर नमक डालने का कार्य किया है।

यह एक गंभीर घटना है। नेहरूजी को इस चित्र में कहीं नहीं दिखाया गया। जिस समय लड़ाई होती है उस समय तक नेहरूजी का चित्र नहीं दिखाया गया है। उनकी देश सेवा को, हिन्दुस्तान की जनता के मोरल को किस प्रकार बना कर रखा है उसको कहीं दिखाया नहीं गया है। चीन को किस प्रकार की सहायता दी, इन सब चीजों को छिपा कर रखा जाता है और जब हमारी फौजें हट जावें और चीनी युद्ध करते हैं, हमें मोर्चे से निकाल दें और 'चीनी हिन्दी भाई भाई' का नारा लगाते है उसके बाद में नेहरू को दिखाया गया है। उस समय चाऊ-एन-लाई का स्वागत असंख्य जनता द्वारा किये जाने के चित्र दिखाये जाते हैं और हिन्दी चीनी भाई भाई, इस प्रकार की कल्पना दी जा रही है और इससे बच्चों को इनाम बंटा रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह अपटुडेट नॉलेज वाला व्यक्ति कभी इस प्रकार की बातों को नहीं देख सकेगा। सन् १९५४ में चाऊ-एन-लाई का स्वागत किया गया था। नेहरूजी उसका स्वागत कर रहे हैं। उसको यहां पर इस घटना के बाद दिखाया जाना मैं समझता हूं कि इस प्रकार के रीएक्शन से नेहरू पर भी लांछन आता है। नेहरूजी ने फौज को आदेश दिया और जनता के मोरल को बना कर रखा और चाऊ-एन-लाई के भाषण हुए.......

( ३.३२ म. प. )

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभा-नेत्री, पदासीन)

और बच्चों को इनाम दिलाते दिखाया गया, इसका जिक्र नहीं आकर चीन ने धोखा दिया और चाऊ-एन-लाई ने धोखा दिया; उसका जिक्र होता।

चित्र से यह प्रगट होता है कि हमारे जवानों की अधिकारियों के प्रति अनास्था थी। जवान अधिकारियों के आदेश का प्रतिरोध करते और अधिकारी इस प्रतिरोध के उत्तर में जवानों का ख्याल रखे बिना अपने अधिकारों का ही प्रयोग करते रहे हैं। इस कार्यवाही से हमारी फौजों में अनुशासन का अभाव प्रकट होता है।

हमारी फौज में कमाण्डर क्या हुक्म दे रहे हैं, किस तरह सिपाहियों पर हुक्म थोपे जा रहे हैं, यह दिखाया गया है।

युद्ध स्थल पर जवानों के प्रेरणा दायक उद्देश्य भारत माता की जय हो, हर हर महादेव, का चित्र में कहीं विवरण नहीं है। समाचार-पत्रों में इस बात का कहीं पर भी जिक्र नहीं। हमारी फौजें वहां पहुंचती हैं तो वहां पर 'चीनी हिन्दी भाई भाई' के नारे लगाये जाते हैं। वहां पर हमारी फौजों का 'हर हर महादेव' कह कर और 'भारत माता की जय' के नारों के साथ दुश्मनों पर टूट पड़ना चाहिये था ऐसा दिखाया जाना चाहिये था। मगर हम देखते हैं कि जब एक तरफ चीनी हिन्दी भाई भाई कहते हैं, लेकिन हमारी तरफ से हर हर महादेव और भारत माता की जय, इस बात का उनके पास कोई

(श्री भैरोंसिंह)

मंत्र नहीं है जिसको लेकर हमारी फौजें चीन का मुकाबला कर सकें।

फौजियों की युद्ध स्थल में दुर्दशा, हाथ पांवों का गल जाना, भूख प्यास से तड़पना आदि घटनाएं चित्रित की गई हैं जिससे सेना की सेवा बहुत ही कष्टदायक होने का भाव प्रगट होता है। सैनिकों को युद्धस्थल में कतार में खड़ा किया जाकर उनकी हजामत बनाने का चित्र दिखा कर सेना तथा सैनिकों का मखौल उड़ाया गया है।

सभापति महोदया, फौजियों की युद्ध में दुर्दशा दिखाई गई है, उनके हाथ पांवों का गल जाना, भूख प्यास से तड़पना और किस प्रकार से वे परेशान होते हैं यह दिखाया गया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह सही है कि फौजियों का जीवन कष्ट दायक होता है। मगर यदि हम इस प्रकार उनके कष्ट दायक जीवन का प्रदर्शन करेंगे और फौजियों के घर वालों को पत्र लिखेंगे और अगर उनके घर वालों को इस प्रकार के चित्र दिखाये जावेंगे तो आप यह निश्चय समझिये कि कोई भी अपने परिवार के व्यक्तियों को फौज में भेजना नहीं चाहेगा। इसके अलावा सैनिकों को युद्ध स्थल में ५०–६० की कतार में खड़ा दिखाया है और हजामत बनाने के लिये हजाम एक जूते जितना ब्रुश लेकर एक तरफ सभी सैनिकों के साबुन लगाता हैं और दूसरी बार आता है और दूसरी तरफ साबुन लगाता है और फिर उनकी हजामत होती है, सभापति महोदया। आपने तो देखा है किस तरह से वह उनकी हजामत बनाता है। वह हजामत बनाते वक्त इस तरह से झटका देता है जैसे किसी को कत्ल करता हो। और हमारे वित्त मंत्रीजी इसको मनोरंजन कर से मुक्त करते हैं। मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि आपने राजस्थान का १२ लाख रुपयों का घाटा करके नेहरू और देश का सब का नाम बदनाम किया है।

युद्ध में सैनिकों द्वारा वीरतापूर्ण कार्यवाहियों के उपलक्ष में सरकार तथा जनता द्वारा किये गये सम्मान का प्रदर्शन चित्र में नहीं किया गया, जिससे यह प्रगट होता है कि सैनिक की वीरता पूर्वक कार्यवाही पर सरकार तथा जनता ने कोई सम्मान नहीं किया है।

सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करूंगा कि चित्र में सैनिकों के वीरता पूर्ण कार्य का जनता द्वारा और सरकार द्वारा कोई सम्मान नहीं किया गया है मगर जिस समय हमारी फौजें और हमारे सिपाही आसाम गये, उस समय आसाम की जनता ने किस प्रकार से सड़कों पर खड़े हो कर उसका स्वागत किया, एक एक गांव में जहां से सैनिकों का ट्रक जाता था, उनको रोक कर नाश्ता कराया जाता था। मगर इस सारे उत्साह को नगण्य की संज्ञा दी जाती है लेकिन बदकिस्मती यह है कि चित्र में यह दिखाया जाता है कि जनता को कोई आस्था नहीं है। इस प्रकार की स्थिति चित्र में दिखाई गई है।

चित्र में चीन की असंख्य सेना उसका भारत की फौजों को घेरे में लेने का युद्ध कौशल बता कर उसकी शक्ति का प्रदर्शन किया गया है। जिससे जन मानस पर यह प्रभाव पड़ता है कि भारत सरकार चीन

(श्री भैरोंसिह

का सफलतापूर्वक मुकाबला नहीं कर सकती ।

इसमें यह बताया गया है कि चीन की सेना वैल इक्विप्ड है, इसके बहुत अच्छे कमाण्डर हैं और उनकी असंख्य सेना है उसको लाकर लोगों में यह भ्रम पैदा किया गया कि हमारे यहां बहुत अच्छे नेता और कमाण्डर नहीं हैं जो असंख्य चीन की सेना का मुकाबला नहीं कर सकते । लोगों में यह भाव पैदा होता है कि चीन की शक्ति ज्यादा है ।

चित्र में सैनिकों के चरित्र को गिरा कर बताया गया है ! ऐसे भी चित्र दिखाये गये हैं कि सैनिक युद्ध के मोर्चे पर अपनी प्रेमिका को प्राप्त करने हेतु मोर्चे को छोड़ सकते हैं, युद्ध के मोर्चे पर भी प्रेमिका पहुंचती है, मरते वक्त दोनों हाथ मिलाने का असफल प्रयास करते हैं, प्रेमिका को यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिये एक अधिकारी दूसरे अधिकारी से झूठ बोलता है, युद्ध स्थल पर गाड़ी चलाते हुए अधिकारी प्रेम के अश्लील गाने गाता है, दो अधिकारी एक महिला से शादी करने का प्रयास करते हैं, अंगूठियां दिये जाने का प्रयास होता है, अधिकारी अपनी प्रेमिका का कंगन लेकर उससे संकट के समय अपना दिल बहलाता है और समय समय पर उसका प्रदर्शन करता है । उपरोक्त दृश्यों से प्रकट होता है कि दुश्मन मोर्चे पर जीवन की बाजी लगा रहा है और हमारे अधिकारी केवल प्रेम लीला में फंसे हुये हैं । चित्र में सनिकों में कर्त्तव्य परायणता एवं नैतिक दृष्टि से सबल होने का अभाव प्रगट होता है ।

मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता । मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि एक अधिकारी अपनी प्रेमिका को लद्दाख पहुंचाने के लिये कहता है कि उसकी मां बीमार है । उसकी मां की बिमारी का प्रश्न नहीं मगर वहां पर उसको पहुंचाना है । एक अधिकारी दूसरे, अधिकारी को झूठ बोलता है । वह गाड़ी में जाता है और अश्लील गाने गाता हुआ जाता है ।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** (नसीराबाद): सभानेत्री महोदया, आखिर मामला क्या है (श्री मथुरादास माथुर के विपक्ष बेंच पर बैठने के कारण) आज १५० वर्षों का पार्लियामेंट का रेकॉर्ड है कभी किसी मिनिस्टर ने रेड कार्पेट को क्रोस नहीं किया । श्री माथुर साहब रेड कार्पेट को क्रोस कैसे कर गये ?

**श्री रामानन्द अग्रवाल** ( अलवर ): हमारा दिल भी देखो....

(शोरगुल)

**एक माननीय सदस्य** : ये तो दो-चार को उधर से लेकर ही आएंगे ।

(शोरगुल)

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : देखा ही नहीं, देखा है ।

**श्रीमती सभानेत्री** : एक तो आपका पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं था और एक आप इस तरह इन्टरप्ट न करें ।

# Page No 108



**श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना):** पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, पार्लियामेंट की बात है कि कोई भी ट्रेज़री बेंच का सदस्य रेड कार्पेट क्रोस नहीं करता जैसा कि हमारे अभी माननीय सदस्य ने कहा है; करता है तो घर बैठने की...

**श्री मानिकचन्द सुराणा :** आप उसी तरह से श्री माथुर साहब को भी भेजना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं है ?

**श्री मोतीलाल चौधरी :** यह भी हो सकता है कि पांच-सात को लेकर आयेंगे, पर परम्परा यह है कि मन्त्रीगण को फ्लोर क्रोस नहीं करना चाहिये ।

**श्रीमती सभानेत्री :** This is no point of order.

मैंने कई दफा मन्त्रियों को इधर जाते देखा है ।

मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप जल्दी ही समाप्त करें ।

**श्री भैरोंसिंह :** आपने पिक्चर देखा है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ।

**श्रीमती सभानेत्री :** लम्बा मत करिये ।

**श्री भैरोंसिंह :** बिलकुल सूक्ष्म में कह रहा हूं । सभापति महोदया, इस पिक्चर में हमारे फौजी अधिकारियों का चरित्र कितना गिरा हुआ बताया गया है । एक तरफ बताया गया है कि चीन की फौजें, चीनी फौजों के अफसर जीवन की बाजी लगा रहे हैं परन्तु दूसरी तरफ बताया गया है कि हमारे फौजी अधिकारी प्रेम लीलाओं में लगे हुए हैं, वे मोर्चे छोड़ कर पहाड़ियों में चले जाते हैं । इससे पता चलता है कि निश्चित रूप से हमारी फौजों का चरित्र गिरा हुआ है ।

मैं योजना मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि या तो ध्यान से सुनें नहीं तो बात करने के लिये सदन से बाहर चले जायं । सभापति महोदया, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं ।

**एक माननीय सदस्य :** कतई डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं ।

**श्रीमती सभानेत्री :** जारी रखें आप ।

**श्री भैरोंसिंह :** सैनिकों को अपने परिवार की ओर से जितनी चिट्ठियों का प्राप्त होना बताया गया है उसमें सिवाय प्रेम कहानियों के और कोई उल्लेख नहीं है । सैनिकों के परिवारों पर अपरोक्ष रूप में लांछन लगाया गया है कि उन्हें अपने सम्बन्धी सैनिक के जीवन की ही चिन्ता है तथा देश के विषय में कोई चिन्ता नहीं है । एक सैनिक अपनी पत्नी द्वारा युद्ध-स्थल पर भेजे गये फूल के बीज बो कर युद्ध में मरने से पूर्व उस बीज के फूल लग जाने की चिन्ता करता हुआ दिखाया गया है जो सैनिकों के नैतिक पतन की पराकष्ठा है ।

सभापति महोदया, चित्र में यह भी बताया गया है कि युद्धस्थल से दूर एक घायल अफसर को मरणासन्न अवस्था में उसका साथी जवान अकेला छोड़ कर

(श्री भैरोंसिंह)

चला जाता है और वह घायल अफसर पेट के बल रेंगता अपनी चौकी पर पहुंचता है ।

इस चित्र मे स्वर्गीय शैतानसिंह, होशियारसिंह और धनसिंह थापा की वीरता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । आज राजस्थान और हिन्दुस्तान के गौरव स्वर्गीय शैतानसिंह, होशियारसिंह, धनसिंह थापा जिनकी प्रशसा करते हुए हमारे नेता अघाते नहीं हैं, जिनकी वीरता के कार्य हमें यह बताते हैं कि देश की रक्षा में हिन्दुस्तान की फौजें किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखतीं, पर सारे चित्र में उन घटनाओं का कोई जिक्र नहीं किया गया है । शैतानसिंह, होशियारसिंह, और धनसिंह थापा के वीरतापूर्वक कृत्यों ने हमारे देश की शान रखी है इनके वीरता पूर्ण कृत्यों का उल्लेख नहीं कर के इन महान् विभूतियों को भुला कर इस चित्र का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति ने, इस एजेंसी ने उन हीरोज के प्रति बड़ा अपमान किया है, जिसको राजस्थान की जनता भूलना नहीं चाहती ।

सैनिकों द्वारा गाये जाने वाले गीतों में देश भक्ति का प्रकटीकरण न हो कर केवल प्रेमिकाओं के के प्रेम से तड़पने का भाव प्रकट होता है । सभापति महोदया, गानों की पुस्तिका मेरे पास है, उनमें से एक दो गाने मैं इस सदन में सुनाना चाहूंगा....

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : गाकर सुनाना पड़ेगा ।

**श्री भैरोंसिंह** : उन गानों को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे राष्ट्र को किस प्रकार नपुंसक बनाने की कोशिश की गई है...

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : लोक सभा में 'नपुंसक' वर्ड का प्रयोग किया गया था तो इस पर बड़ा एतराज किया गया था...

**श्री भैरोंसिंह** : एक तो गाना बिलकुल अश्लील है, वह नहीं सुनाऊंगा ।

जो माध्यम है वहीं सुनाऊंगा :

"होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा,
जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा,
दिल ने कुछ ऐसे भी अफसाने सुनाये होंगे,
बन्द कमरे में जो खत मेरे जलाये होंगे,
एक हर्फ जमीं पर उभर आया होगा,
उसने घबरा के नजर लाख बचाई होगी,
दिल की लुटती हुई दुनियां नजर आई होगी,
मेज से जब मेरी तस्वीर उठाई होगी,
हर तरफ मुझको तड़पता हुआ पाया होगा,
छेड़ की बात पर अरमां मचल आये होंगे,
गम दिखावे की हंसी में उबल आये होंगे,
नाम पर मेरे जब आंसू निकल आये होंगे,
सर न कांधे से सहेली के उठाया होगा,
जुल्फ जिद् करके किसी ने जो बनाई होगी,
और भी गम की घटा मुखड़े पे छाई होगी,
बिजली नजरों ने कई दिन न गिराई होगी,
रंग चेहरे पे कई रोज न आया होगा ।"

**श्री फूलचन्द जैन** (सुजानगढ़): आपकी ट्यून से मजा नहीं आया।

**श्री भैरोंसिंह** : आपके जैसी गायिका तो मैं हूं नहीं।

(अनवरत हंसी)

**श्री चन्दनमल वैद** : जुबान भी गायिका है, खुद भी गायिका हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : एक फिर सुनाना चाहता हूं :—

"आई अबके साल दिवाली मुंह पर अपने मलें,
चारों तरफ है घोर अंधेरा घर में कैसे दीप जलें
बालक तरसें फुलभड़ियों को दीपों की दीवारें,
मां की गोदी सूनी सूनी आंगन कैसे संवारे,
राह में उनकी जाओ उजालों वन में जिनकी शाम ढले,
जिनके दम से जगमग २ करती थी ये रातें,
चोरी २ हो जाती थीं मन से मन की बातें,
छोड़ चले वो घर में अमावस ज्योति ले कर साथ चले,
टप टप टपके आंसू छलके खाली थाली
जाने क्या क्या समझाती हैं आंखों की ये लाली'
शोर मचा है, आग लगी है कटते हैं पर्वत पर गले"

इस प्रकार के गाने सारे के सारे हैं दो उदाहरण मैंने दिये हैं।

मैं अन्त में कहना चाहूंगा कि इस प्रकार का प्रदर्शन राजस्थान में किया जायगा, देश में किया जायगा तो हमारे यहां की जनता में चीन की धाक जमेगी कि चीन की फौजों के सामने हमारी फौजें सक्षम नहीं हैं, ऐसी भावना लोगों में पैदा होगी कि फौजों में भर्ती होना अच्छा नहीं, इसलिए फौजों में भर्ती मत होओ और इस तरह से फौजों में भर्ती होने का आन्दोलन किसी प्रकार सफल नहीं होगा। इस चित्र से लोगों के अन्दर यह भावना पैदा होगी कि फौजी कामों में राजनीतिज्ञों का हस्तक्षेप होता है, हमारे अधिकारी अयोग्य हैं। सभापति महोदया, आज यह किन हालात में पिक्चर हमारे यहां दिखाया जा रहा है, जब कि चीन और पाकिस्तान समझौता कर चुके हैं, एक तरफ काश्मीर का प्रश्न है, राजस्थान की सीमा के पास कच्छ की सीमा में हमारी भूमि पर पाकिस्तान ने अपनी दो चौकियां स्थापित कर चुका है उधर पाकिस्तान काश्मीर में ४४ हजार वर्ग मील भूमि पर कब्जा किये बैठा है और उधर चीन हमारी १३ हजार वर्ग मील भूमि पर कब्जा किये हुए बैठा है।

माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह मखौल का प्रश्न नहीं है, पिक्चर को देख कर इस प्रकार की राय बनायें। कौल साहब तो बुड्ढे हैं, जल्दी से मर जायेंगे, पर हिन्दुस्तान की आत्मा मरने वाली नहीं है। राजस्थान के वित्त मंत्री, हिन्दुस्तान को कलंकित कर रहे हैं हिन्दुस्तान के प्रति हिन्दुस्तान की जनता की रगों में जो प्रेम छुपा हुआ है उस राष्ट्रभक्ति को ओझल करके दुश्मन को ताकतवर बता कर दुश्मन राष्ट्र पर चढ़ आया है, इस प्रकार की भावना यहां की जनता में पैदा करने की इस चित्र में चेष्टा की गई है।

लोग कहेंगे कि पंजाब में टैक्स की छूट दी गई है, सरकारी सहायता मिली है, सेंस-

(श्री भैरोंसिंह)

रिंग बोर्ड से सेंसर हुआ है, मैं कहूंगा कि इसमें सब लोगों ने बंगलिंग किया है, जिन लोगों ने इस फिल्म को इजाजत दी है वे देशद्रोही हैं, यह मैं नहीं कहना चाहता पर इससे कम नहीं हैं, निश्चित रूप से उस परिधि में आयेंगे।

अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि इस फिल्म को न केवल कर मुक्ति से ही वंचित किया जाय, वरना इसका प्रदर्शन तुरन्त बन्द किया जाय।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** (नसीराबाद) : माननीय सभापति महोदया, मैं पहले भी इस बारे में बोला हूं और आज भी जरूर बोलूंगा। मैंने सबसे पहले इस तरफ सदन की निगाह खींची है, मेरे को बोलने की इजाजत देनी चाहिये। सदन की मंशा को जानते हुए मुझे इजाजत दी जानी चाहिये।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : जरूर दी जानी चाहिये।

**श्रीमती सभानेत्री :** दो-चार मिनिट बोल लीजिये, पर बहस नहीं की जाय।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा :** सभापति महोदया, एक बड़ा दुख इस बात का है कि इस मामले को लेकर भी प्रचार की या एक दूसरे को हंसने-हंसाने की बात हुई। पहले भी दावत दी थी कि हर केबिनेट के मिनिस्टर को जाकर इस पिक्चर को देखना चाहिये। अमेरिकन पिक्चर प्रेडियेन्ट्स के होते हैं, स्ट्रे अटेन्शन की प्लेशेज दिखाने की कमी। जो आदमी की नीची वृत्तियां होती हैं उनको उभाड़ने के लिये चेष्टा बढ़ती है। वेग देखा जाय तो कट कर दिया जाता है। उसमें इस तरह पैसा बनाने वाले वे लोग अवश्य ऐसी चीजें रखते हैं। इन्हें नीची स्तर की प्रवृतियां मानने के बजाय, पशुत्व चीज मानने के बजाय, कुछ इस तरह के इन्ग्रेडियेन्ट्स पिक्चर में रखे जाते हैं, जो प्लेशेज हैं, जो लड़कियों को या एक्ट्रेसेज़ को दिखाया गया है जिस तरह से एरोटिक ढंग से पिक्चर में दिखाया गया हैं एन्टर्टेनमेंट के नाते, मैं समझता हूं उसको पसन्द कर सकते हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो यह समझते हैं कि यह तो हकीकत है। इससे यह असर मालूम होता है कि हिन्दुस्तान में यहां पर लोग कैसे हैं, जादूगर, लोटरी करने वाले हैं इस तरह के लोग रहते हैं। हमारे बड़े बड़े ऋषियों को, महात्माओं को अमेरिका में जाकर यह समझाना पड़ा कि इस देश में कितनी जान है; उनको इसके लिए बड़ा भारी प्रयत्न करना पड़ा। मज़ाक के लिये कहा जा सकता है हकीकत नाम रखा है और इसीलिए हकीकत हुई है वह दिखाया गया है। नाम लेकर नहीं कहना चाहता हूं। कौल साहब का नाम लेकर कुछ भी क्यों न लिख दिया जाय यह भी हकीकत है। जो भी इस पिक्चर को देखेगा उसके अन्दर फ्रस्टेशन डिमोरेलाइजेशन होगा; हम नहीं कहते उसके बारे में। पंडितजी के लिये जिस प्रकार देश उठा दुश्मन से सामना करने के लिये उसको दबाने की कोई बात नहीं है। देश में एक मोरेलिटी आई, उसके अन्दर एक जोश और हुंकार पैदा हुई उसको कैसे दबाया जाय, यह इस पिक्चर के द्वारा एक षड़यन्त्र है। इण्डियन मिलिट्री हमारी शान

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

है । यूरोप के अन्दर हमारी मिलिट्री गई थी उसने वहां पर कोई खराबी नहीं की । उसको जीता । जहां कहीं भी इस पिक्चर में सिपाही जाता है गोरे लोगों को साथ दिखाया जाता है । अंग्रेज गाइड होते हैं, मोरल होता है ।

इस पिक्चर को बनाने की क्या अच्छाइयां हैं ? बहुत खूबसूरत लडकियां दिखा कर, सिनेरी फोटोग्राफी दिखाना होगा ? लेकिन आज इस पिक्चर के जरिये हमें इस प्रकार दिखाया जा रहा है कि हमारे अन्दर यह भावना हो रही है कि हम हिन्दुस्तान, चीन और पाकिस्तान का मुकाबला करने काबिल नहीं हैं । यह इम्प्रेशन बनता है । हमने सब तरह से तैयारी कर ली है । मान लीजिये यह पिक्चर दिखाई जा रही है । वहां से छोड़ कर चले आवेंगे तो कायर की तरह भाग कर चले आवेंगे, कहेंगे हमारे पास हथियार नहीं है ।

चीन वालों की तीन बातें हैं । एक उनका सिद्धान्त माओ का सिद्धान्त । हमारी पिक्चर के जरिये उसका प्रचार हो । नीति की किताब, उसकी फिलोसफी क्या है ? जो हमसे राय नहीं मिलाता है वह हमारा दोस्त नहीं है । जो हमारा दोस्त नहीं है वह हमारा दुश्मन है । यह सिद्धान्त है । सिपाही कहते हैं काहे का झंडा । उनकी चौकी यहां बनी थी हमने यहां बना ली । दूसरा कहता है इस जगह नहीं है । काहे की लड़ाई ? इन्टीग्रिटी की बात है । उस वक्त वह आकर कहता है चीन की फिलासफी वहां है । वहां पर महात्माओं का नाम लिया जाय . बुद्ध का नाम लिया जाय । हमारे हिन्दुस्तान की हिमालय की सरहद पर नौजवानों ने खून बहाया है, अपने खून से उन्होंने हिन्दुस्तान की हिमालय की सरहदों को लाल किया है, उनके खून के छींटे सरहदों पर पड़े हैं, आज वह जमीन जो दुश्मन के कब्जे में है हिन्दुस्तान की है और उस जमीन के लिये हम सब कसम लेते हैं कि हम उसको आजाद करेंगे । वह जमीन हमारी है । हम उसको कभी नहीं छोड़ेंगे ।

(विरोधी पक्ष द्वारा करतलध्वनि)

यह हमारा सिद्धान्त है ।

(विरोधी पक्ष द्वारा करतलध्वनि)

उस पिक्चर में यह बताया जाता है कि वह तो उजड़ा हुआ है । क्यों उसके लिये जानें गंवायी जाती है ? वह कहता है तुम कुछ नहीं समझते । हिन्दुस्तान ने कभी किसी पर चढ़ाई नहीं की । महात्माओं का नाम लिया जाता है । महावीर, बुद्ध का नाम लिया जाता है मानों लड़ाई कोई चीज होती है । अपने देश के सम्मान के खातिर पचासों मुसीबतों के समय देश महावीर और बुद्ध का नाम लेकर सीना तान कर खड़ा हुआ है । कोई किसी प्रकार की कायरता नहीं बतायी है । न ही उनके सिद्धान्त हमें कायरता सिखाते हैं ।

उसके बाद आप सुनिये । आप में, मैं समझता हूं, यह बात है । हम भागते हैं वहां से । जिस तरह से उनकी धरती को ले लिया हो । जब कि हमारे यहां परम्परा

# Page No 113



(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

रही है कि हाड़ी रानी ने देखा कि उसका पति रण से वापिस लौट कर आ रहा है और उसके प्रेम ने उसको कायर बना दिया है तो अपने पति की कायरता को देख कर हाड़ी रानी अपना शीश काट कर उसको दे देती है और वही बहादुर अपनी रानी का मस्तक गले में डालकर दुश्मन पर टूट पड़ता है ।

(विपक्ष द्वारा करतलध्वनि)

यह देश के और राजस्थान के शूरमा और और जाज्वल्यमान नक्षत्र । जिन्होंने अपने दुश्मन से लोहा लिया और कभी पीठ नहीं दिखायी । आज इस राजस्थान को निकम्मा बना देने वाली सरकार इस प्रकार की पिक्चर को दिखवाती है । हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते । हम इसको बर्दाश्त....

( विरोधी पक्ष द्वारा शेम शेम की आवाज )

नहीं कर सकते हैं कि हमारे नौजवान इस प्रकार की चीजें देख कर निकम्मा बनें । जहां बहिनें तिलक लगाकर लड़ाई में अपने भाइयों को और पत्नियां अपने पतियों को भेजती थीं, दुश्मन का मुकाबला करने के लिये भेजती थीं उन एक्ट्रेसेज को रोते हुए दिखा कर, हमारे सैनिक पीछे हट जायं, निश्चित रूप से हम पीछे हट जायं, हमें मत दिखाओ, खुदा के वास्ते उस मुल्क को मत दिखाओ, हमारे बच्चों को बचाओ उससे क्योंकि इस देश में उन महान् वीरों की सन्तानें हैं जिन्होंने कभी इस प्रकार की कायरता का प्रदर्शन नहीं किया था । आज वीर पूजा की जरूरत है । हकीकतें कई बार आती हैं । लेकिन इस हकीकत से बचाओ, इस दब्बूपने से बचाओ ।

( ४.०० म० प० )

एक राजपूत कहता है, मैं अपने घर जाकर क्या कहूंगा मैंने पीठ नहीं दिखाई । राजस्थान में जाकर मैं अपनी फेमीली को क्या कह सकता हूं कि मैं रणभूमि से पीठ दिखा कर आया हूं । यह बात राजस्थान का क्या हमारे देश का कोई भी सैनिक नहीं कह सकता कि मैं जान बचा कर भाग आया हूं । यह हकीकत हो सकती है लेकिन यथार्थ बात नहीं है ।

सबसे बड़ी बात जो इसमें बतायी गई है वह यह कि चाऊ -एन- लाई से अपनी मिलिटरी को इनाम दिलवाया जाता है, वे इनाम देते हैं और हिन्दी चीनी भाई-भाई के नारे लगवाये जाते हैं । यह है वह पिक्चर, इसके पीछे मोटिव है । पीपल्स थियेटर कायम हुआ उसके एक्टर मि० साहनी हैं । मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी ए क्लास एक्टर सिवाय साहनी के ऐसा नहीं होगा जो इसमें एक्ट करने के लिये राजी हो जाय । एक्टर कोई मिलने वाला नहीं, उन पर भी असर हो सकता है हमारे अच्छे एक्टर सिवाय नये एक्टरों को कोई शामिल नहीं हो सकता । इसके बाद भी मैं यह कहना चाहता हूं कि इन वजूहातों के कारण आप इसको नहीं देखें । इसका इतना असर हुआ कि भैरोंसिंह के पास माथुर साहब उधर से तशरीफ लाये । मैं उनसे कहता हूं, आप पूछते क्या हैं, आप खुद के पैसे से नहीं देख सकते तो मैं सारी केबीनेट को दावत देता

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

हूं। मैं अपने पैसे से आपको दिखाता हूं। आप उसको देखने के बाद अपनी राय बनाइये, किसी से पूछ कर नहीं। उसके बाद आप कहिये, मेरी बातों में वजन है या नहीं...

**श्री परसरामम देरणा** (उप-मंत्री स्वायत्त शासन) : तो आप इस बात का प्रचार ते हैं कि हम सब देखें।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : डिप्टी मिनिस्टर साहब ! घर बैठे ख्याल नहीं हुआ करते। हमारे ध्यान में यह भी आया है कि वित्त मन्त्रीजी ने तीन पिक्चर ली है जो डिर्पाटमेंट को दी है ताकि डिपार्टमेन्ट बच्चों को दिखायेंगे। लेकिन मुझे दुख इस बात का है आप कहां कहां दिखावेंगे।

इसमें कैरेक्टर है लद्दाखी लड़की का। वह कैरेक्टर टाइट कैरेक्टर है, देशभक्ति का कैरेक्टर है, वह अपनी बहन को बहलाने की बात करती है। इस तरह की पिक्चर मिलिटरी के लोगों के कैरेक्टर पर असर डालती है वह उनको दिखाना चाहते हैं, बड़े शर्म की बात है। इसमें एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स की बात नहीं, लेकिन जो कैरेक्टर इसमें बताया गया है उससे हमारे सैनिकों पर यह असर नहीं पड़ने वाला कि हमारे खून में जोश नहीं, हमारी सरकार द्वारा अनजाने में यह गलती हो सकती है अनजाने में यह सब कुछ हो सकता है। जो स्कूल ऑफ थॉट्स से वाकिफ हैं वे इस पिक्चर को देखें, डेफीनिटली कहूंगा हमारे मुल्क में हमारे देश के सिपाहियों को बीवियों की याद सताये, सुप्रीम सेक्रीफाइस के लिये तैयार नहीं, इस तरह के ख्याल बने इस तरह के प्रदर्शन का नतीजा निकलेगा।

( घंटी )

मैं यह नहीं मानता कि सरकार ने यह जान बूझकर किया है मैं यह भी नहीं मानता कि सरकार ऐसी बात चाहती है। एक मोटिव इम्प्यूट किया जाता है कि मध्यप्रदेश और पंजाब ने कर दिया पोलिटिकल इन्टरेस्ट है। बीस लाख रुपया इसमें लगा बताया जाता है मैं यह कह सकता हूं कि इसमें छः लाख रुपये से ज्यादा नहीं लग सकता क्योंकि मैं असिस्टेन्ट डायरेक्टर का काम कर चुका हूं इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि छः लाख से ज्यादा की कीमत का पिक्चर नहीं है, इसमें बड़ा भारी बंगलिंग है, हमारे मुंह की कालिख को पूंछने के लिये इतनी बात होने के बाद भी मैं कहता हूं अगर हम इस प्रदर्शन को चालू रखना चाहते हैं तो हम कांग्रेस के जरिये सब जगह जाकर यह प्रचार करेंगे कि इसको देखने मत जाओ। इसके लिये जरूरत पड़ी तो हम गांवों में और घर घर जाकर सत्याग्रह करवायेंगे हमारे बच्चों को हम कभी ऐसी पिक्चर को देखने की इजाजत नहीं देंगे। हम जेल जाने के लिये तैयार होंगे। मैं कौल साहब को अपील करूंगा कि आप इस रोशनी में इसको समझने की कोशिश करें आपके आर्टिस्ट को बता कर देखिये उनकी क्या राय रहती है यहां के सदन को भी फिर अनुरोध करूंगा वे सब अपने साथियों की सलाह लेकर इस पर गौर करें।

**श्रीमती सभानेत्री** : इस पर ज्यादा डिस्कशन हो नहीं सकता। मन्त्री महोदय !

**श्री नत्थीसिंह (भरतपुर)** : सभानेत्री महोदया, आपने कांग्रस की बात सुनी, जनसंघ की बात सुनी, आपको हमारी बात भी सुननी चाहिये ।

**श्रीमती सभानेत्री** : अच्छा आपको अनुमति दी जाती है, लेकिन आप संक्षेप में कहें ।

**श्री नत्थीसिंह (भरतपुर)** : माननीय सभापति महोदया, इस पिक्चर के सम्बन्ध में दो तरह की बातें कही गई है । हमारे देश पर जब चीन ने आक्रमण किया उस समय से भारत सरकार हर मामले में हर मोर्चे पर असफल रही है और वह किस प्रकार से असफल रही है इसका प्रदर्शन इस पिक्चर में किया गया है । हालांकि इस पिक्चर को मैंने देखा नहीं है फिर भी मैं दोनों पक्षों की बात सुन कर जिस नतीजे पर पहुंचा हूं वही मैं सदन के समक्ष रख रहा हूं । सभापति महोदया, इस जमीन पर जो खून बहाने की बातें करते हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं की इस पिक्चरको दो दृष्टियों से देखा गया है । क्या इस देश में यथार्थवादी दृष्टिकोण जनता के सामने नहीं आना चाहिये, क्या सरकार द्वारा जो गलतियां की गई हैं क्या वे जनता तक नहीं पहुंचें ? इस पिक्चर में वे सब बातें कही गई हैं, इसमें यह भीबताया गया है कि चीनी फौजों से मुकाबला करते हुए हमारी फौजें भाग रही है इसमें कोई बुरी बात नहीं की गई है, यह यथार्थ में हुआ था । इस देश में हुआ है उसी दृश्य को इसमें दिखाया गया है । आज हम देखते हैं कि हमारी बोर्डर की पोलिसी पर लोग हंसी करते हैं । वास्तव में यह पिक्चर सैनिकों के साथ जिस प्रकार का बर्ताव हुआ जिस प्रकार आर्म्स एन्ड एम्यूनिशन्स से उनको सुसज्जित किया उसका प्रदर्शन है । इसलिये मेरा यह अनुरोध है कि जिस प्रकार विरोध किया जा रहा है वह गलत है ।

इस देश की सीमाओं की रक्षा में हमारी सरकार अफसल रही है, सैनिकों को एम्यूनिशन्स देने में असफल रही है । उस समय में देश में जो एक त्याग का, जोश का वातावरण पैदा हुआ था उसको सरकार कायम रखने में असफल रही है । उसी की हकीकत यह है जो इस पिक्चर में बतायी गई है इसमें कोई बुराई की बात नहीं की गई है । जो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की बातें करते हैं, सदन में उनकी इन बातों को सुनता हूं सही अभिव्यक्ति को चाहे वह किसी भी रूप में हो पिक्चर के रूप में हो या भाषण के रूप में उसको नहीं रोका जाना चाहिये । एक बात की तीव्र आलोचना की गई उसे मैं गलती नहीं मानता कि सरकार ने इस पिक्चर पर मनोरंजन कर हटा दिया है । मैं समझता हूं यह हमारी सरकार की मूर्खता की कड़ी में एक कडी और जोड़ दी है । वह इस तरह से इस बात की घोषणा करती है कि हमने अपने फौजियों को मामान नहीं दिया, हमने फौसों में राजनीति की दखलन्दाजी की इसलिये हमारी फौजें नाकामयाब रहीं । फौजें जवाव देना चाहती थी लेकिन उस समय वे रक्षा मन्त्री कृष्णामेनन ने उसमें दखलन्दाजी की, इस पर जनता द्वारा मांग की गई कि इनको सजा दी जाय, उस पर उनको हटाया गया है । इस पर भी हम यह कहें कि गलतियां नहीं की गई, यह गलत है ।

(श्री नरसिंह)

आपने ऐसी पिक्चर का जिसमें हकीकत को सही रूप में बताया गया है उसको मनोरंजन कर माफ कर यह आपने औचित्य सिद्ध किया कि चीन के मोर्चे पर हमारी सरकार हारी, यह अच्छा हुआ ।

यह लज्जा की बात है । ठीक है, प्रचार करो । पर आजादी पर आप कुंठा नहीं लगा सकते, लगावेंगे तो याद रखो आज भाषण यहां दे सकते है विरोध भी करते हैं कर सकते हैं, पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप ऐसा नहीं कर सकेंगे ।

इस सरकार ने गलतियों कीं, बेवकूफियां कीं, जिससे चीन का साहस बढ़ा । आज चीन के मोर्चे पर डटे हुए सैनिकों में इससे साहस नहीं बढ़ेगा इसलिए राजस्थान सरकार ने जो इस पर से टैक्स माफ किया है यह अत्यन्त ही निन्दनीय है । ये सारी बातें चलनी चाहिये, ये सारे फैक्ट जनता के सामने आने चाहिये । पर अपनी भूलों से अपनी गलतियों से पापों से देश की जो दुर्दशा की है उसका प्रचार आप अपने राज के खजाने में घाटा खाकर अपने एक्स चेकर पर बोझा डाल कर देश की जनता का नुकसान करके उन गलतियों को आप अच्छी तरह से क्यों प्रचार करवाना चाहते हैं । हालांकि यह तथ्य है कि आप इस तरह का कितना ही प्रचार करावें, इससे देश में कोई भी आदमी, जो फौज में भर्ती होकर अपने देश की सुरक्षा करना चाहता है वह इन प्रचारों से डरने वाला नहीं है ।

पर एक बात जरूर है, मैं पूछना चाहता हूं आप कहते हैं नेहरुजी की बात । मैं पूछता हूं मंत्री कौन है इस विभाग का । नेहरूजी की सुपुत्री इन्दिरा गांधी स्वयं है जिनके विभाग से यह फिल्म पास होकर आई है । यह तो एक सत्य है । इस सरकार की अक्ल सठिया गई है और जो थोड़ी बहुत सठियाने से रह गई है वह जितनी जल्दी सठिया जाय देश के हित में अच्छा है । उसका यह सठियाना देश को प्रगति की ओर ले जाने के लिए प्रेरणा देगा । देश का प्रगतिशील वर्ग आगे आवेगा । तो देश का बल, देश का मनोबल इन बातों से घटने वाला नहीं है । इसमें सच्चाई बताई, वह सचाई तो देश के सामने आनी चाहिये । इसके बाद में देश में जनता का मनोबल और दृढ़ होगा । सरकार मूर्खता करती है उसका पर्दाफाश होना चाहिये । तो टैक्स लगाया हुआ माफ करना इस मामले में अत्यन्त निन्दनीय है और यह इस सरकार की दकियानूसी नीति का परिचायक है ।

**श्रीमती सभानेत्री** : मंत्री महोदय ।

**श्री मोतीलाल चौधरी** (डीडवाना) : एक बात आपसे और दूसरी बात कौल साहब से मुझे कहनी है ।

पहली यह कि क्या आपने यह पिक्चर देखी है, प्रचार किया है कि यह पिक्चर अच्छी है ?

दूसरी बात मैं कौल साहब से पूछूंगा और पब्लिक रिलेशन्स विभाग से पूछूंगा कि टैक्स माफ करने से पहले क्या इसको पब्लिक रिलेशन्स विभाग से दिखाया गया था या विभाग के एक्सपर्ट लोगों की एप्रूवल ले ली गई थी कि यह पिक्चर अच्छी है और इसलिए टैक्स माफ किया जा सकता है ।

(श्री मोती लाल चौधरी)

मंत्री महोदय ने टैक्स माफी का ऑर्डर दे दिया, इसमें कैबिनेट की जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी हो सकती है। पर पब्लिक में प्रचार करने के लिए क्या होना चाहिये, जनता को क्या मिलना चाहिये, इस सम्बन्ध में क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि पहले अपने साथी मेम्बरों से पूछूंगा तो उन्होंने पहले अपने साथियों से पूछा या नहीं और जो फिल्म अलग से लेने की बात थी वह फिल्म ली या नहीं। अगर लिया तो डिपार्टमेंट को क्यों नहीं दिया अभी तक ?

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : पांच मिनट का समय लेना चाहता हूं।

**श्रीमती सभानेत्री** : आपको मिल चुका है।

**श्री मानसिंह महार** (आमेर) : सभानेत्री महोदया....

**श्रीमती सभानेत्री** : दूसरी पार्टियों को अवसर दिया है तो स्वतन्त्र पार्टी को पांच मिनट दिये जा सकते हैं।

**श्री मानसिंह महार** : मैं बहुत जल्दी समाप्त कर दूंगा।

मेरी इस वाद-विवाद में भाग लेने की अधिक इच्छा नहीं थी। पर इस मसले को जिस तरीके से रखा गया उससे मुझे दुःख हुआ। बात यह है कि अगर कोई सही बात किसी सिनेमा ने दिखाई है तो उसको क्रिटिसाइज करने की क्या जरूरत है ?

उधर बैठने वाले हमारे कांग्रेसी मित्रों ने जितना रोष इस पर प्रकट किया वह तो फिर भी समझ में आ सकता था और उनका तो दूसरी तरफ से भी समझ में आता है कि जहां कौल साहब का मामला है....

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : सभापति महोदया.....

**श्रीमती सभानेत्री** : उनको बोलने दें। टोकें नहीं।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : मेरा और कौल साहब का रिलेशन जो है उसके बारे में कहने का अधिकार इनको नहीं है। आपको इन्हें रोकना चाहिये।

**श्रीमती सभानेत्री** : आप जवाब दे दें व्यक्तिगत तौर से।

**श्री मानसिंह महार** : वे तो चमकते हैं। मैं उनका चमकना वाजिब मानता हूं। लेकिन हमारे जनसंघ के नेता और दूसरों ने हकीकत जैसी फिल्म के लिए यह कहा कि उसका एन्टर्टेनमेंट टैक्स माफ करके सरकार ने गलती की, यह बहुत ही दुर्भाग्य की चीज है। मैं इस चीज को मानने को तैयार नहीं हूं।

मैंने तीन पार्टियों के आदमियों के व्यू पोइन्ट को सुना। इसके बाद मैं यह समझता हूं कि हमारी फोजें किन डिसएडवान्टेजेज में बिना हथियारों के, बिना तैयारियों के लद्दाख के मोर्चों पर लड़ी, वह हकीकत में दिखाया गया है।

(श्री मानसिंह महार)

दिखाया गया है कि चीन किस प्रकार से हथियारों से सुसज्जित था। उसके बावजूद हमारे सैनिकों ने किस प्रकार से बहादुरी से उनका मुकाबला किया और वे वीरगति को प्राप्त हुए।

मैं नहीं समझता कि क्या वजह है कि उसी फिल्म जो हमारे अन्दर देशभक्ति पैदा करे, हमारे अन्दर यह बात पैदा करती हो कि हम आइन्दे से तैयारी करें, हमको आगाह करती हो कि सोओ मत अगर लड़ना है, फौजों को अगर लड़ाना है तो अच्छे हथियारों या रसद के पहुंचाने से लड़ा सकते हैं। फौजें यों नहीं लड़ती हैं कि आप गये और एक कमाण्डर साहब ने हमला बोल दिया और लाखों आदमी मर गये। इन बातों से फौजें नहीं लड़तीं। यह फिल्म यह कहती है कि मेनन साहब जैसे राजनीतिज्ञ अगर फौजों के मामले में हस्तक्षेप करते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। ऐसी दशा में यह फिल्म हमें सिखाती है कि फौजों को राजनीति से दूर रखना चाहिये। यह पिक्चर हमें सिखाती है कि हमारे सिपाही बहुत बहादुर हैं।

यही नहीं, कि हमारे सिपाही बहादुरी में किसी से कम है। यों हमें चीन से मुकाबले में जमीन छोड़ कर भागना पड़ा, इसलिए कि हम डर गये, यह फिल्म हमको सिखाती है कि हमारे सिपाही दुनिया में सबसे बहादुर हैं। वे आदमी हैं जिन्होंने बिना हथियारों के, बिना रसद के भी चीनियों का मुकाबला किया। एक एक भारतीय वीर ने सौ सौ चीनियों का मुकाबला किया और अपनी जान मुट्ठी में लेकर देश की रक्षा करने की कोशिश की।

ऐसी फिल्म का एन्टेंटेनमेंट टैक्स माफ किया जाता है तो सभापति महोदया, मैं निवेदन करूंगा कि कोई यह तो इस सदन में फिजां बनाने की बात है, अगर उचित बात की जावे तो यहां उल्टी कही जावे। हम हमेशा से कहते आये हैं। अब भी कहते हैं कि हमारी मौजूदा सरकार की फौजी तैयारी जो है, वह नाकाफी है। हमारी सरकार इस चीज को समझ नहीं सकती है कि किस प्रकार से चीन जैसे दुश्मन का मुकाबला किया जा सकता है। तो अगर हकीकत फिल्म देख कर हमारी सरकार की, भारत सरकार की, आंखें खुलती है तो आंखें ही नहीं हमारी यहां की जनता को यह बताया जाता है कि वाकई में हम प्रिपेअर्ड नहीं थे तो अन्याय क्या है? हम भी यही कहते थे और अब भी कहते हैं कि यह सरकार आज भी तैयार नहीं है।

हमारी पाकिस्तान की सीमा पर क्या हो रहा है सभापति महोदया, आज भी वही हो रहा है। हम तैयार नहीं है। हमारे सिपाहियों के पास आर० ए० सी० के पास हथियार नहीं हैं कि मुकाबला कर सकें उनका। लेकिन फिर भी मैं यह कहता हूं कि इस फिल्म में थोड़ी बहुत खामियां हो सकती हैं। पर ऐसी खास कोई खामी नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूं कि इसको लेकर जो कहा जा रहा है वह एक प्रकार से बवण्डर फैलाया जा रहा है। मध्यप्रदेश सरकार ने भी वही किया। क्या मध्यप्रदेश के लोगों की भी आंखें फूट गई थीं। उनकी आंखें

(श्री मानसिंह मझार)

फूट गई थीं तो उनकी आंखें खुल जावेंगी। या अक्ल का दिवाला निकल गया था मध्य-प्रदेश वालों का। जिन प्रान्तों में भी इसको टैक्स फ्री किया है उन्होंने किया है जहां की फौजें मोर्चे पर जाकर लड़ी हैं। यह भी हकीकत की बात है कि उन्हीं प्रदेशों की सरकारों ने इस प्रकार की बात की है। इसलिए मैं यह कहता हूं कि इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कोई दम नहीं समझता।

यह कहा जावे कि इस सरकार ने क्यों इसको टैक्स फ्री किया ; मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि इसको जरूर फ्री करना चाहिये था।

**श्रीमती सभानेत्री :** (श्री योगेन्द्रनाथ हांडा से) पांच मिनट सिर्फ आपको भी दिये जावेंगे।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** सभापति महोदया, मुझे इस सम्बन्ध में तो कुछ नहीं कहना कि कौल साहब की बोनाफाइडी इस फिल्म को टैक्स से फ्री करने में क्या है ? पर इस सम्बन्ध में बहुत अदब से अर्ज करना चाहूंगा कि पिक्चर की थीम को, कहानी को और फैक्ट्स को सही रूप से सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया। पिक्चर के एक्स्ट्रैक्ट्स को लेकर कुछ चीजें कह दी गई।

सभापति महोदया, पिक्चर की थीम दो सिद्धान्तों को साबित करना चाहती है। एक तो इस बात को सिद्ध करना चाहती है कि हिन्दुस्तान की फौजों ने उस वक्त तक गोली नहीं चलाई जब तक कि चीन ने पहले गोली नहीं चलाई। सबसे पहली गोली हमारे हिन्दुस्तान की तरफ से उस समय चलती है जब चीन की गोली चलती है।

और दूसरा तथ्य जो पिक्चर स्थापित करता है वह यह है कि हमारे एक सैनिक के मुकाबले में चीन पांच पांच सौ सिपाही झोंक देता था, कत्ल हो जाते थे। इन्सान की कीमत उस के सामने एक कुत्ते से भी ज्यादा नहीं थी, जब कि हमारे जवान एक एक घायल आदमी को हजारों मील पहाड़ों में चलते हुए कैम्पों तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। इस चित्र के अन्दर एक इन्सानी फौजी का मूल्य जो हिन्दुस्तान मानता है उसे कायम करने की पूरी कोशिश की। सभापति महोदया, तीन प्रकार के कैरेक्टर हैं। एक ब्रिगेडियर है जो अपने बेटे को मरवा देता है, पर पचास सिपाहियों को वह नहीं मरवाना चाहता। एक मां है जो अपने तीन जवान बेटों को फौज में दे देती है। ऐसी माता है। एक पति है जो सुहागरात मनाता है उससे पहले उसकी पत्नी द्वारा फौज में जाने के लिये विदा किया जाता है। उन सबकी स्त्रियां विधवा होती हैं और फिर देश को चन्दा कौन देता है ? उनकी विधवा स्त्रियां देती हैं। यह भी उस चित्र में दिखाया गया है।

सभापति महोदया, माननीय सदस्यों ने इधर से, उधर से इस बात को बराबर दोहराया है कि चाऊ-एन-लाई का स्वागत बताया है। पर किस कन्टेकेक्स्ट में इस बात को कहा गया है। वह चऊ-एन-लाई जिसको मित्र समझा जिसके लिये हमने दुनिया की अदालतों में, पंचायतों में सदस्य

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

बनाने के लिये लड़ाई लड़ी। उसका स्वागत किया पर उसने हमारी पीठ में छुरा भोंका। यह इस कन्टेक्स्ट में है।

सभापति महोदया, पिक्चर में गीत है और उस गीत का एक मजाक इस सदन में उठाया गया।

'हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा।
जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा।।"

यह कौन कहता है ? एक फौजियों का झुंड रास्ता भूल कर पहाड़ में बियावान हिस्से में जंगलों के खो जाता है। उनका ट्रान्समीटर वर्क करना बन्द कर देता है। उनके पास समाचार आते हैं, पर उनका समाचार नहीं जाता। वह फौज यह महसूस करती है कि हम अपने घर वालों के लिये मर गये, हम दुनिया के लिये मर चुके। सभापति महोदया, वह फौज यह गीत गाती है कि इस वक्त मेरे घर वालों का क्या हाल है। तो अगर वे यह गीत गाते हैं तो क्या गुनाह है उनका, जो पहाड़ों में फंसे हुए देश के लिये लड़ते हुए अपने मोरेल को रखने के लिये यह गीत दो लाइन्स का गा लिया तो क्या गुनाह किया ?

सभापति महोदया, इसमें फौज का मोरेल ऊंचा करने की बात है।

वे भटके हुए फौजी मन्जिले मक्सूद से भटके हुए चल रहे हैं। उनको पता नहीं कि दिशा कौन सी है। कहीं फंसते है कीचड़ में, कहीं थक कर चूर होकर गिर जाते हैं, कहीं उनके पैर गल जाते हैं, लेकिन उनका कमाण्डर चलता रहता है कि वह पगडंडी रही, हमको वहां चलना है और चल कर मंजिल पर पहुंच जायं तो यह फौज का मोरल कायम करने का जो आदर्श है जो कि कमाण्डर का होना चाहिए वह था।

सभापति महोदया, मुझे ताज्जुब है इस बात के लिए इस तरफ के लोग और उस तरफ के लोग आखिर क्यों इस पिक्चर पर हमला करना चाहते है ? आखिर क्या उद्देश्य है उनका ? पीपल्स थियेटर के नाम से, इन्दिरा गांधी के नाम से, मेनन के नाम से इस चित्र पर हमला करना चाहते है। राजनीति पिक्चर में नहीं होना चाहिए, राजनीति का दखल पिक्चर में नहीं होना चाहिए। इस हमले से हो सकता है, मैं अपने मित्र मानसिंह महार को धन्यवाद दूं कि उन्होंने वास्तविकता को देखते हुए अपनी बात सदन में प्रस्तुत की।

सभापति महोदया, डिफेन्स मिनिस्ट्री ने इस चित्र को लोकेशन शूटिंग की फेसिलिटी दी, सेन्सर ने इस चित्र को पास किया और अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर में इस पिक्चर को दिखाया गया। सभापति महोदया, अंत में मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक ही बात इस चित्र के सम्बन्ध में अर्ज करूंगा कि कोई हर्ज नहीं है कि इस चित्र को दिखाया जाय। इससे फौज का आदर्श बूस्ट अप होगा, उनका मोरल बूस्ट अप होगा। मैं निश्चित तौर से कहता हूं कि ज्यादा लोग कुर्बानी की तरफ बढ़ेंगे; ज्यादा लोग रिक्रूटमेंट की तरफ बढ़ेंगे।

अंत में मैं 'क्षमा याचना करता हूं' कोई कटु बात कह दी हो। मुझे इस बात से कोई

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

ताल्लुक नहीं है कि कुछ माननीय सदस्य सिर्फ इसलिए कि कौल साहब पर चोट करना चाहते हैं इसलिए वह इस चित्र को कैसा भी कहें। मुझे भी कौल साहब से एतराज है, मैंने भी कौल साहब के सम्बन्ध में कई चीजें रखी हैं, लेकिन कौल साहब से एतराज हो इसलिए इस पिक्चर पर चोट की जाय, यह गलत नीति है। इसलिए इस पिक्चर पर पर मुझे कहना पड़ा।

**श्री बालकृष्ण कौल** (वित्त मंत्री) : सभापति महोदया,....

**श्री मोतीलाल चौधरी** (डीडवाना) : कौल साहब का किसी ने नहीं कहा। कौल साहब का न तो ज्वालाप्रसादजी ने कहा और न दूसरों ने।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : आप चींचीं जरूर किया करें।

**श्री बालकृष्ण कौल** : सभापति महोदया, मैंने यह डिबेट जो कॉल अटेन्शन मोशन पर हुई उसको बहुत गौर से सुना। मालूम इस किस्म का हो रहा था जैसे कि उस फिल्म का प्रोड्यूसर अगर कोई है तो मैं हूं।...

(राज्य पक्ष से हियर, हियर)

**श्री मथुरादास माथुर** (विधि मंत्री) : आज तो जोर की मारी है।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (आसपुर): आप प्रोड्यूसर नहीं पैट्रोनाइजर हैं।

**श्री बालकृष्ण कौल** : यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई गुनाह किया जा सकता है मेरे द्वारा तो सिर्फ इतना कि मैंने कर इसका माफ किया, लेकिन जितनी तकरीरें जो जयपुर से आने वाले जनसंघ के नेता ने की और एकाध ने की; और बड़ी ललकार के बाद, कहने में अफसोस है, इस प्रकार की तकरीर की और इस तरीके से इसको महसूस किया जैसे इसमें वित्त मन्त्री ने कोई बड़ा भारी घोटाला किया। मैं आज, पेश्तर इसके कि इस तस्वीर के सम्बन्ध में कुछ कहूं, मैं इतना जरूर निवेदन कर देना चाहता हूं, सभानेत्री महोदया, घोटाला मैंने नहीं किया, घोटाला पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं किया, न मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने घोटाला किया, न गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने किया, बल्कि इस तस्वीर को मजबूती देने के लिये घोटाला वे कर रहे हैं जो एक महीने से तस्वीर चल रही है, अब तक कोई एतराज नहीं हुआ, जब उसके शोज डिवन्डल होने लगे, जब आदमी कम जाने लगे तब इसको जिन्दगी देने के लिये....

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : यह आरोप बिलकुल झूठा है, वित्त मन्त्री जी ने इसमें बंगलिंग किया है, फाइनेन्स मिनिन्टर ने इसमें पक्ष-पात किया है।

(शोरगुल)

**श्री बालकृष्ण कौल** : सच्ची बात होती है वह कड़वी लगती है।...

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** (नसीराबाद) : मैंने दूसरे दिन ही कहा है, मेरे बारे में नहीं कह सकते।....

श्री बालकृष्ण कौल : जिसने जिक्र किया है उनके लिये यह कह रहा हूं, जो घोटाला कहते हैं आपने घोटाला नहीं कहा है।

सभापति महोदया, मैं यह लगातार डिबेट में देख रहा हूं, कल देखा, परसों देखा, मुतवातिर देख रहा हूं रूख अख्त्यार किया जाता है इस बात का कि पर्सोनल्स पर आरोप किया जाय, किसलिये कि इसमें कुछ वेस्टेड इन्ट्रेस्ट होते है। कल भी यही हुआ, आज भी यही हुआ। कल दावत दी जा रही थी चलिये मुफ्त में दिखाने की दावत में दिलाने की दावत देते थे, लोबी में कहा जाय चलिये मुफ्त में दिखाने की दावत है...

श्री भैरोंसिंह : मैं देश की रक्षा के लिये कहता हूं।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं देश की रक्षा के लिये कह रहा हूं आप क्या कहेंगे।...

श्री भैरोंसिंह : आप गद्दार हैं, देश को डीमोरेलाइज करने के लिये जिम्मेदार हैं।...

श्री चन्दनमल वैद (उप-मन्त्री, उद्योग) : (अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : बैठ जाओ, बैठ जाओ।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं आपसे इतना निवेदन कर दूं. माननीय सदस्य एक घन्टा बोले, मैं चुपचाप सुनता रहा, उन्होंने जोर शोर से बातें कहीं; मैंने कहा मेरा वक्त भी आयगा जवाब देने का। डेमोक्रेसी में जो बात कही जाती है उसका समाधान करने की भी इजाजत है, लेकिन रह नहीं सकते जब दूसरा सच्ची बात कहने लगता है...

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है।

श्री बालकृष्ण कौल : मुझे गुस्सा कहां ?

सभापति महोदया, अब जरा इसके बैक-ग्राउन्ड में जा रहा हूं। इस तस्बीर का बेकग्राउन्ड लड़ाई के जमाने का नहीं है, लद्दाख की लड़ाई के जमाने का नहीं। कबैग्राउन्ड दिया है पिकेट्स का। जिस समय हमला नहीं हुआ था ...

श्री भैरोंसिंह : मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं....

श्री बालकृष्ण कौल : मुझे बोल लेने दीजिये, जानकारी नहीं चाहिये।

श्री भैरोसिंह : पिक्चर दिखाना शुरू करने से पहले आपको दिखाया है, उस पर २० अक्टूबर की तारीख थी।

श्री बालकृष्ण कौल : २० अक्टूबर को वहां हमला नहीं था, नेफा की तरफ था; लद्दाख पर नहीं था। आप जानते नहीं इतिहास को। बहुत दिन बाद लद्दाख में हुआ...

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : लद्दाख पर हमला २० अक्टूबर के बाद हुआ है, लेकिन चीन का हमला २० अक्टूबर को हुआ।

**श्री बालकृष्ण कौल** : वह भी शंका-वाली बात थी कि हमला था या क्या था।

( शोरगुल )

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : लफ्ज़ों को वापिस लीजिये।

( शोरगुल–अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे )

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : ये शब्द वापिस नहीं लेंगे तो आगे नहीं बोलने देंगे।

**श्री भैरोंसिंह** : इस चीज़ को विदेशी भी कुबूल करते हैं कि हमला हुआ, और ये कहते हैं कि हमला नहीं हुआ।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : जो कम्यूनिस्ट जेलों में हैं वे भी यही कहते हैं कि हमला नहीं हुआ और आप भी यही कहते हैं। इन शब्दों को वापिस लिया जाय।

**श्री विजयसिंह झाला** ( नाथद्वारा ) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर....

**श्रीमती सभानेत्री** : आप पहले स्थान ग्रहण करिये।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : इनको डी० आई० आर० में गिरफ्तार करके जेल में डालें, जो यह कहते हैं कि हमला नहीं हुआ।

**श्रीमती सभानेत्री** : आप स्थान ग्रहण करिये।

**श्री विजयसिंह झाला** : मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है, सभानेत्रीजी, जब हमारी सरकार ने यह मान लिया है कि २० अक्टूबर को चीन ने हमला किया था उसके बाद में इस प्रकार के शब्द कहना, हमें शंका थी हमला किया या नहीं, इस प्रकार की कार्यवाही सदन की कार्यवाही से निकालनी चाहिये; इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि ये शब्द प्रोसिडिंग्ज़ से निकाले जायं। पहले शब्द निकलेंगे उसके बाद कार्यवाही होगी।

( शोरगुल )

**श्रीमती सभानेत्री** : माननीय सदस्य पहले स्थान ग्रहण करें, फिर व्यवस्था दी जायगी। एक बार शान्ति से सुनियेगा माननीय मन्त्री को अपना पूरा स्टेटमेंट देने दीजिये कि उनका क्या कहने का मतलब था।

**अनेक माननीय सदस्य** : पहले शब्द निकलेंगे। हम सुनने को तैयार नहीं हैं।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : व्यवस्था का प्रश्न है।

**श्रीमती सभानेत्री** : आप स्थान ग्रहण करें।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर...

**श्रीमती सभानेत्री** : आप खड़े रहेंगे तब तक कैसे व्यवस्था दी जा सकती है। मैं कहती हूं, मन्त्रीजी को पहले बात कहने दीजिये।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : पहले पोइन्ट ऑफ ऑर्डर....

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : चीन ने आक्रमण किया या नहीं किया, ये शब्द जब तक वापिस नहीं लेंगे...

(शोरगुल)

**श्रीमती सभानेत्री** : आप व्यवस्था सुन लीजिये, मन्त्रीजी के पूरे वाक्य तो सुन लें।

**अनेक माननीय सदस्य** : पहले शब्द निकलेंगे।

**श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर)** : २० तारीख को हमला हुआ; पार्लियामेंट ने इसको माना, नेहरूजी ने माना, उस पर ऐसा वक्तव्य दें, यह गम्भीर बात है। शब्द वापिस लें।

**श्री बालकृष्ण कौल** : सभानेत्री महोदया....

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : जब तक वापिस नहीं लेंगे नहीं कहने दिया जायगा।

**श्रीमती सभानेत्री** : आप सुन तो लीजिये।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : यही नंबूद्रीपाद कहते हैं जिनके साथी जेल में हैं और यही बात ये मन्त्री कहते हैं।

**श्रीमती सभानेत्री** : आप स्थान ग्रहण करें।

**श्रीमती नगेन्द्रबाला (हवड़ा)** : ओन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय वित्त मन्त्रीजी ने कहा वह प्रोसिडिंग्ज में मौजूद है। उन्होंने यह कहा कि २० अक्टूबर को चीन ने हमला किया या नहीं, यह मालूम नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, २० अक्टूबर को देश में एक लहर उठी थी सुरक्षा कोष में पैसा जमा कराने की, वह क्या थी ?

(हियर–हियर)

**श्रीमती सभानेत्री** : मैं समझ गई आपका मतलब।

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

**श्रीमती नगेन्द्र बाला** : सभापति महोदया, मैं कहना चाहती हूं कि वित्त मंत्रीजी जिम्मेदार हैं और एक जिम्मेदार गवर्नमेंट के सदस्य हैं, उनको ये शब्द वापिस लेने चाहिए। यह मैं कहना चाहती हूं।

**श्री बालकृष्ण कौल** : सभापति महोदया....

(शोर व व्यवधान)

**श्रीमती सभानेत्री** : माननीय मंत्री जी ! आप स्थान ग्रहण करें ।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : प्रोसीडिंग्ज़ देख लें, उन्होंने ये शब्द कहे हैं ।

**श्रीमती सभानेत्री** : ऑर्डर प्लीज़ !

**श्री बालकृष्ण कौल** : मुझे उम्मीद है....

**श्रीमती सभानेत्री** : एक मिनट सुनने दें पहले !

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : सभापति महोदया, प्रोसीडिंग देख कर वे शब्द वापिस रिपीट करें पहले ।

**श्री बालकृष्ण कौल** : सभापति महोदया, मेरे अल्फाजों को, जो इसमें लिखे हैं, देखें । मुझे पूरा बोल लेने दीजिये, आधे वाक्य को मत पकड़िये । मैंने यह कहा कि २० अक्टूबर को लद्दाख की तरफ हमला नहीं था, उस वक्त हमारी चौकियां थीं । जब एक प्रश्न मुझसे किया गया कि २० अक्टूबर को हमला किया या नहीं किया....

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : चीन ने हमला किया या नहीं !

**श्री बालकृष्ण कौल** : उसका जवाब दिया । माननीय सदस्य, जो कुछ मैं निवेदन कर रहा हूं उसको पूरा सुनें और आधे लफ्ज़ों को उड़ा कर पूरा नहीं मान लें । मैं अभी भी मानता हूं कि यह हिस्टोरिकल चीज है, यह चीज मेरी कही हुई हो, यह बात नहीं है । २० अक्टूबर को हमला हुआ उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने कुछ एक-आध, तीन दिन लिये अनाउन्स करने में और वही मैं मानता हूं । हिस्टोरिकल यह चीज है, आप देख लीजिये, अगर गलत हो...

**श्री भैरोंसिंह** : मैं, सभापति महोदया, यह निवेदन करूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया को एक्यूज़ कर रहे हैं मंत्री महोदय कि देश पर हमला हुआ और गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया लद्दाख के मामले में सोई रही । राजस्थान सरकार के एक मंत्री को यह बात नहीं कहनी चाहिए ।

**श्री बालकृष्ण कौल** : जब वह विज्ञप्ति निकली तो उसमें कहा है कि २० अक्टूबर को....

**श्री भैरोंसिंह** : बिल्कुल गलत है । मंत्री महोदय इन्सिस्ट कर रहे हैं अपनी गलत बात पर !

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : उन्होंने विज्ञप्ति में साफ कहा है कि २० अक्टूबर को हमला हुआ है ।

**श्री बालकृष्ण कौल** : और अगर यह गलत हो जाय....

**श्री मुरलीधर व्यास** : हमला हुआ है या नहीं-यह मानते हैं या नहीं ?

**श्री बालकृष्ण कौल** : हुआ है । मानता हूं, हमला हुआ है ।

**कई माननीय सदस्य** : वापिस लें अपने शब्दों को !

श्री बालकृष्ण कौल : मैं कह रहा हूं कि हिस्टोरिकल चीज नहीं हो....

श्री भैरोंसिंह : यह हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है। और अगर किसी हिस्ट्री में है तो वह किसी देशद्रोही की लिखी हुई हो सकती है, किसी देशप्रेमी की हिस्ट्री नहीं हो सकती।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर...

श्री बालकृष्ण कौल : यह बात नहीं हो...

श्रीमती नगेन्द्रबाला : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सभापति महोदया।

आप (श्री कौल से) बैठ जाइये, मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है। सभापति महोदया, मेरा यह ऑब्जेक्शन है कि इन्होंने यह कहा है कि २० अक्टूबर को हमला हुआ या नहीं–इन शब्दों को एक्सपंज कर दिया जाय और प्रोसीडिंग्ज देख ली जायं।

श्रीमती सभानेत्री : मैं उन्हें एक्सपंज करूंगी, लेकिन आप बात तो पूरी सुनें।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : हम यह चाहते हैं कि उन शब्दों को आप देख लीजिये।

श्रीमती सभानेत्री : मैं निवेदन करूं कि आपके शब्द थे....

कई माननीय सदस्य : क्या ?

श्रीमती सभानेत्री : आप व्यवस्था सुन लीजिये। बीच में न बोलें।

आपने यह कहा कि वह भी शंका वाली बात थी; हमला है या क्या है।

मैं निवेदन करूंगी....

कई माननीय सदस्य : इन शब्दों को वापिस लिया जाय !

श्रीमती सभानेत्री : मैं यह निवेदन करूंगी कि आप इन शब्दों को वापिस ले लें तो बेहतर है।

श्री बालकृष्ण कौल : सभापति महोदया,...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इन शब्दों को वापिस लेने का सवाल है जो आपने कहे हैं कि २० अक्टूबर को हमला हुआ या नहीं। आप इसको यों ही मत समझें....

कुछ माननीय सदस्य : सदन से माफी मांगें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बहुत गम्भीर मामला है और इन शब्दों को कहने वाले मंत्री को इस सदन से बाहर कहीं दूसरी जगह नहीं भेजा जाय सिवाय सेन्ट्रल जेल के। सेन्ट्रल जेल इनको भेजा जाय। ऐसे मंत्री को राजस्थान के मंत्रिमण्डल में रखना, मैं समझता हूं, इस हाउस का अपमान है। इनको इस हाउस से सस्पेन्ड किया जाय और इनको सेन्ट्रल जेल भेज दिया जाय।

श्री सभानेत्री : आप शब्द वपिस ले लें तो अच्छा है।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया :** सभापति महोदया, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

**श्री बालकृष्ण कौल :** मैं पहले कह चुका हूं...

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया :** सभापति महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** आप खेद प्रगट करें और शब्द वापिस लें।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया :** सभापति महोदया, मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है कि जिस वक्त यहां पर लेफ्ट कम्युनिस्ट की गिरफ्तारी का सवाल उठाया गया था उस वक्त बहस का जवाब देते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि यह लेफ्ट कम्युनिस्ट्स यह कहते हैं कि चीन ने हिन्दुस्तान पर हमला किया या नहीं किया। इस मामले को लेकर उनको आज जेल में डाल दिया है और इसीलिए उनके ऊपर डिफेन्स ऑफ इंडिया रूल लागू किये गये हैं। और वही शब्द आज यहां पर फाइनेन्स मिनिस्टर कह रहे हैं। यह शर्म की बात है और ऐसे शब्दों को कहने वालों को जेल के अन्दर डाला जाता है। और जब सदन के सदस्यों के द्वारा यह मांग की जाती है कि ये सदन में माफी मांगें और अपने शब्द वापिस लें तो इसमें इनको शर्म आ रही है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस सरकार में देश भक्ति है, अगर इस कांग्रेस में देश-भक्ति है तो ऐसे गद्दार को इसी वक्त, जो राजस्थान के मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा है, जेल के सींखचों में डालना चाहिए। यह क्या मजाक कर रखी है।

**श्रीमती सभानेत्री :** मंत्री महोदय, आप अपने शब्द वापिस ले लें; अन्यथा इनको एक्सपंज कर दिया जायगा।

**श्री मानिकचन्द सुराणा :** ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर...

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया :** माफी मांगें।

**श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) :** क्षमा मांगे।

**श्री भैरोंसिंह :** सभापति महोदया....

**श्री मानिकचन्द सुराणा :** ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सभापतिजी...

**श्री बालकृष्ण कौल :** सभापति महोदया, मैं कह चुका हूं कि यह चीज अगर गलत हो तो मैं दस दफा हाउस से माफी मांगने के लिए तैयार हूं। फिर आपको क्या एतराज है ? लेकिन मेरे....

**श्री भैरोंसिंह :** गलत है, गलत है।

**श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) :** गलत है।

**श्री मुरलीधर व्यास :** जो हमेशा से यह ध्रुव सत्य है कि २० तारीख को हमला हुआ, उसके लिए आप कह रहे हैं कि हमला हुआ या नहीं—यह बिल्कुल गलत है।

**श्री बालकृष्ण कौल :** जिन लफ्ज़ों में मैंने कहा है वे लफ्ज लिखे हुए हैं।

(शोरगुल-व्यवधान)

(श्री बालकृष्ण कौल)

अगर वह स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट मैंने यहां दिया है, गलत हो तो दस दफा मैं माफी मांगने के लिये तैयार हूं।

**कई माननीय सदस्य** : मांगें अभी माफी। मांगें अभी।

**श्री जोरावरसिंह चौहान** : क्षमा मांगी जाय। मैं समझता हूं कि क्षमा मांगनी चाहिये।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : और यह व्यवस्था आसन की तरफ से हो चुकी है।

**श्री बालकृष्ण कौल** : मैं कह चुका हूं कि स्टेटमेंट मेरा गलत हो....

(शोरगुल—व्यवधान)

**श्रीमती सभानेत्री** : कहने दीजिये उनको!

**श्री बालकृष्ण कौल** : तो उस स्टेटमेंट को मैं वापिस ले लूंगा और दस दफा मेरी माफी को दिया हुआ समझ जाना चाहिये। लेकिन जब मेरे दिमाग के सामने चीज़ है....

**श्री भैरोंसिंह** : आपके दिमाग के सामने चीज है वह गलत है।

**श्री बालकृष्ण कौल** : वह आपको सुननी पड़ेगी।

**श्री मुरलीधर व्यास** : जब आसन की तरफ से व्यवस्था दी जा चुकी है कि आप अपने शब्द वापिस ले लें, नहीं तो उन्हें एक्सपन्ज किया जायगा। फिर क्या है?

**श्री बालकृष्ण कौल** : यह व्यवस्था हो चुकी है तो यह लिख लीजिये कि यह मेरा स्टेटमेंट गलत है...

(शोरगुल—व्यवधान)

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : इस तरह आसन की व्यवस्था न मान कर हाउस का अपमान किया जा रहा है, सभापति महोदया।

**श्री बालकृष्ण कौल** : तो मेरी माफी should be deemed to have been taken.

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : जब आसन की व्यवस्था हो चुकी है तो इस प्रकार आसन की ऑथोरिटी को फ्लाउट किया जा रहा है।

**श्री बालकृष्ण कौल** : आपका आदेश...

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : मैं निवेदन करूं। सभापति महोदया, जब आसन की व्यवस्था दी जा चुकी है है तो वे शब्द वापिस ले लें। और आसन की जो व्यवस्था हो चुकी है उसको स्वीकार करना चाहिये, क्योंकि दो करोड़ जनता के सदन की आप अध्यक्षा है।

**श्री बालकृष्ण कौल** : अगर आसन का यह आदेश है....

**श्रीमती सभानेत्री** : मैं व्यवस्था दूंगी कि....

**अनेक माननीय सदस्य** : आपने यह व्यवस्था दी है कि ये शब्द वापिस लिये जायं।

**श्रीमती सभानेत्री** : आप व्यवस्था देने दीजिये ।

**श्री बालकृष्ण कौल** : आसन की यह व्यवस्था है तो मैं अपने शब्द वापिस लेता हूं ।

**श्री विजयसिंह भाला** : माफी मांगनी पड़ेगी ।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर...

**श्री विजयसिंह भाला** : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर...

**श्री बालकृष्ण कौल** : मैं शब्द कहता हूँ वह मुझे बोलने दें । बीच में बोलते चले जायेंगे....

**श्री विजयसिंह भाला** : इसका मतलब है जो कुछ उन्होंने कहा है वह गलत कहा है, जब स्वयं ने अपने आप मंजूर करते हैं, उन्होंने हाउस में यह कहा है कि दरअसल में जो कुछ कहा है वह गलत कहा है तो वे दस बार माफी मांगेगे । ऐसी स्थिति में इस हाउस के सामने जो शब्द कहे थे वे गलत साबित हो चुके हैं, इसलिए इनको दस बार हाउस के सामने माफी मांगनी पड़ेगी ।

**श्रीमती जोधसिंह चौहान** : माफी तो मांगते है, लेकिन पूंछ केवल नहीं निकले हैं ।

**श्रीमती सभानेत्री** : आपका पोइन्ट समझ गई हूं । आप स्थान ग्रहण कर लें । आप स्थान ग्रहण कर लें ।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री, के सदन में प्रवेश पर)

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : मुख्य मन्त्रीजी आ गये हैं । जरा इनसे कह दीजिये ।

**श्रीमती सभानेत्री** : माननीय मन्त्रीजी

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : यह कह दीजिये या वे मिनिस्टर से पूछ लें ।

**श्री सभानेत्री** आप व्यवस्था देने दें । आप मुझे व्यवस्था देने दें ।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : इनको जेल में डाल दें । इनको जेल में डाल दें ।

**श्रीमती सभानेत्री** : आप व्यवस्था देने दें । बीच में इस तरह शोर न करें ताकि मैं....

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : आपकी व्यवस्था मानते नहीं हैं ।

**श्रीमती सभानेत्री** : मैं मानती हूं और माननीय मन्त्री से निवेदन करती हूं कि भूल से उनके मुंह से शब्द निकल गये होंगे और इस तरह के शब्द कहते हुए उनको ख्याल न रहा होगा । तो आप माफी मांगें सदन से ।

**श्रीमती बालकृष्ण कौल** : सभापति महोदया, आपने जो व्यवस्था दी है कि अगर मेरे मुंह से ...

श्री भैरोंसिंह : "अगर-मगर" कुछ नहीं।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उनकी व्यवस्था है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आसन की प्रतिष्ठा के लिए माफी मांगनी होगी।

श्री बालकृष्ण कौल : उनकी क्या व्यवस्था है, इसलिए पूछ रहा हूं।

श्री सभानेत्री : आप इनको बोलने दें। बीच में कुछ होगा तो बाद में देख लिया जायगा।

श्री बालकृष्ण कौल : आपने जो व्यवस्था दी है कि अगर....

श्री भैरोंसिंह : "अगर-मगर" कुछ नहीं!

श्री बालकृष्ण कौल : अगर मैं गलत समझता होऊं, गलती से अल्फाज निकल गये हों तो मैं इन अल्फाजों को वापिस लेकर माफी मांग लूं। जो आपने पहले आदेश दिया था, व्यवस्था दी थी वह मैं कर चुका हूं....

श्री भैरोंसिंह : क्या कर लिया ?

श्री बालकृष्ण कौल : और अब सवाल आता है, आप जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल रही हैं कि मैं उसको गलत मानता हूं तो माफी मांग लूं। जो हिस्टोरिकल चीज है....

श्रीमती सभानेत्री : आप इस पर विवाद नहीं करें।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं कभी नहीं मांगूंगा माफी, तब तक नहीं मांगूंगा...

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माफी मांगें।

अनेक माननीय सदस्य : माफी मांगनी पड़ेगी...

श्रीमती सभानेत्री : आप व्यवस्था सुन लीजिए, माननीय; मन्त्रीजी माफी मांग चुके हैं।

विरोधी पक्ष के अनेक माननीय सदस्य : नहीं मांगी है।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं कह चुका हूं कि एक दफा नहीं दस दफा...

श्रीमती सभानेत्री : लेकिन "अगर-मगर" मत लगाइए।

श्री बालकृष्ण कौल : अगर यह स्थिति हो तो माफी मांगूं।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) : अगर मगर तो इनकी बोलने की आदत है।

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदया, मुझे माफी मांगने में कोई एतराज नहीं है। मैं कह चुका हूं कि अगर यह गलत चीज हो तो मैं माफी...

श्रीमती सभानेत्री : यह "अगर-मगर" क्या है ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह हिस्टोरिकल चीज है तारीख की ।

श्रीमती सभानेत्रीं - माननीय मन्त्री हिस्ट्री पर नहीं जावें । यह राष्ट्रीय प्रश्न है, इस बात को मानते हुए पोइन्ट पर आइए ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): यह व्यवस्था का सवाल है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आसन की आज्ञा का पालन करने में प्रतिष्ठा भंग नहीं होती कौल, साहब !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस आसन की प्रतिष्ठा को भंग करने के अपराध में वित मन्त्री महोदय को सदन से निकाल दिया जावे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब तो मुख्य मन्त्रीजी भी आ गए हैं ।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय मन्त्रीजी तारीख की उलझन में न जावें । चीन का हमला हुआ था, यह स्पष्ट है ।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं मानता हूं कि चीन का हमला हुआ था, लेकिन यह कौन से दिन हुआ, यह मैं नहीं कह सकता ।

श्री भैरोंसिंह : यह मानना पड़ेगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुख्य मंत्री जी आपने वह प्रस्ताव सदन में दोहराया था कि २० अक्टूम्बर को हमारे यहां पर चीन का हमला हुआ, पालियामेंट में भी प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ उसमें भी चीन का हमला माना गया । जिस तरह लेफ्ट कॉम्युनिस्ट्स इसको चीन का हमला नहीं मानते उसी तरह से हमारे कौल साहब जो कि इस राजस्थान मन्त्रिमण्डल के वरिष्ठ सदस्य हैं आज सदन में खड़े होकर ऐसी बड़ी भूल के लिए, इतने बड़े अपराध के लिए जब उनसे केवल माफी मांगने के लिए कहा जाय और वे इसके लिए भी तैयार न हों तो इससे ज्यादा लज्जा और शर्म की बात नहीं हो सकती । लेफ्ट कम्युनिस्ट्स को, सुखाड़ियाजी आपने वक्तव्य दिया कि उनको इसलिए कैद में डाल दिया क्योंकि वे इसे चीन का हमला नहीं मानते । नम्बूद्रीपाद मौन हैं इसलिए उनको बाहर रखा गया है । नन्दाजी, शास्त्रीजी और सुखाड़ियाजी सब यह कहें कि यह चीन का हमला था और इस मन्त्रिमण्डल के वरिष्ठ सदस्य श्री बालकृष्ण कौल इस सदन में यह कहें कि २० अक्टूबर को हिन्दुस्तान पर चीन का हमला नहीं हुआ तो मैं यह समझता हूं कि लेफ्ट कम्युनिस्ट्स जिस प्रकार गद्दारों की श्रेणी में आते हैं उसी तरह यह भी देश के गद्दार हैं । इतनी बड़ी बात के लिए जब इनसे माफी मांगने के लिए कहा जाय तो यह तो बहुत छोटी सजा है और इस छोटीसी सजा से ही मैं समझता हूं कि आप मुक्त हो सकते हैं । मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से भी निवेदन करूंगा कि वे अपने मन्त्रिमण्डल के साथी का इस प्रकार का मोह छोड़ कर देश के हित में, राष्ट्र के हित में ऐसे गद्दार मंत्री को डिस्मिस करके सेंट्रल जेल में भेजें ।

श्री मुरलीधर व्यास : जैसे नेहरूजी ने मेनन से किया ।

# Page No 132



**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : सभापति महोदया, सदन की समस्या जटिल सी होती जा रही है। अगर माननीय वित्त मन्त्री नहीं मानते हैं तो राजस्थान सरकार की ओर से इस समस्या को सुलझाने के लिए मुख्य मन्त्रीजी को कुछ कहना चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करूंगा।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदया....

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : पहले आप यह तो मालूम कर लीजिए कि इन्होंने शब्द क्या कहे हैं ?

**श्रीमती सभानेत्री** : वे देख चुके हैं।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : ये कहते हैं कि २० अक्टूबर को चीन का हमला ही नहीं हुआ ऐसे मंत्री को डिस्मिस करके डी. आई. आर. में कैद करना चाहिए।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : माननीय चेयरमैन महोदया, जो प्रश्न यहां खड़ा हो गया है वह इस बात का है कि चीन ने हमारे पर हमला किया वह किस तारीख को किया और वह हमला है या और श्रेणी में समझ कर चला जा सकता है। मैं समझता हूं कि ये सभी व्यक्ति देश भर के अन्दर जानते हैं कि चीन ने हम पर २० अक्टूबर के दिन एग्रेशन किया है, उसके अन्दर दो राय नहीं हो सकती। हम उस एग्रेशन को किसी प्रकार भी और प्रकार की व्याख्या देने की न तो तैयार हैं और न ही आगे मानने की तैयारी रखते हैं। अगर वित्त मंत्री के कहने में इस प्रकार का शब्द, जो मुझे बताया गया है कि वह भी शंकावश बात थी कि हमला है या क्या है, तो भी मैं खुद भी उनसे चाहूंगा कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उसके लिए मोटे तौर से उन्हें क्षमा-याचना करनी चाहिए।

(विरोधी पक्ष की ओर से हियर हियर)

**श्री भैरोंसिंह** : कौल साहब, अब देखेंगे आप कैसे माफी नहीं मागेंगे, अब तो आप × × × माफी मागेंगे।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आसन की आज्ञा को तो आपने नहीं माना लेकिन नेता की आज्ञा को आप 'ना' नहीं कर सकते।

**श्रीमती सभानेत्री** : × × × शब्द एक्सपंज किया जावे।

**श्री बालकृष्ण कौल** : उपाध्यक्ष महोदया,...

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** : उपाध्यक्ष महोदया नहीं है, सभापति महोदया है।

**श्री बालकृष्ण कौल** : सभापति महोदया, जिस तरह यहां इतनी बहस हुई और अल्फाज़ को, जैसा मेरा मायना नहीं था उस तरह भी उसका मायना निकाला गया और हो सकता है कि वह मानने से यह शंका हो कि मैं चीनके हमले को हमला नहीं मानता हूं तो यह गलत है। मैं हमला मानता था और आगे भी उस हमले को हमला ही मानता रहूंगा, लेकिन जो झगड़े की बात हो गई वह

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री बालकृष्ण कौल)

यह है कि एक जगह मैंने साफ कह दिया कि हमला उस दिन हुआ ही नहीं। वह हमला लद्दाख की तरफ नहीं हुआ, नेफा की तरफ हुआ और यही मैंने उस तरफ भी साफ किया था लेकिन वह हमला ही माना है; क्योंकि वह हमला २० तारीख को हुआ, २१ या २२ को अनाउन्स हुआ, यह मैं नहीं कह सकता। इसलिए मैंने जो शब्द कह थे...

(व्यवधान)

श्रीमती सभानेत्री : आप इन्हें माफी मांगने दीजिए।

श्री बालकृष्ण कौल : इसलिए अगर माननीय सदस्यों को...

कई माननीय सदस्य : ये फिर "अगर–मगर" कर रहे हैं।

(शोरगुल)

श्री बालकृष्ण कौल : अगर माननीय सदस्यों को ऐसा लगे कि मैंने उसे चीन का हमला नहीं माना तो मुझे अफसोस है और मैं उसे वापस लेता हूं।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदया, आपके आदेश के बाद और मुख्य मंत्रीजी के आदेश के बाद अगर ये माफी मांग लें तो इतना ही काफी नहीं है। मैं समझता हूं कि इस भयंकर अपराध के लिए...

श्रीमती नगेन्द्र बाला : आप माननीय सदस्य कैसे बोल रहे हैं? मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

श्रीमती सभानेत्री : आप बोलिए।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : सभापति महोदया, यह जो अगर और मगर लगाया जा रहा है तो मैं कहना चाहती हूं कि हकीकत पिक्चर के बारे में जब बात चल रही थी तो दस तरह की बातें कही गईं। जब माननीय सदस्य ज्वालाप्रसादजी ने इस सम्बन्ध में यहां प्रश्न उठाया था तो मैंने पिक्चर देखी और उस पिक्चर को देखने के बाद में इस परिणाम पर पहुंची कि यह पिक्चर देखने के लायक नहीं है। उस भावना पर जब हम विचार करते हैं और जो कुछ यहां कहा गया और जिस तरह की गल्तियां की गईं इस सदन में, नेता महोदय ने भी स्पष्टीकरण किया कि २० अक्टूबर को हमला हुआ इसको किसी और प्रकार की परिभाषा देने का प्रश्न नहीं है और न ही इसमें और किसी प्रकार की व्यवस्था हो सकती है। मैं नहीं समझती कि वित्त मंत्री का इससे बड़ा और कोई अपराध हो सकता है जो वे, अगर-मगर कर रहे हैं।

श्रीमती सभानेत्री : आपने सुना, नहीं, उन्होंने माफी मांग ली है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : मैं बिल्कुल ध्यान से सुन रही थी, इन्होंने फिर, "अगर" लगाया है।

श्रीमती सभानेत्री : आपने सुना नहीं, इन्होंने माफी मांग ली है।

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** : आसन ने कह दिया है तो हम मान लेते हैं।

**श्री बालकृष्ण कौल** : सभापति महोदया...

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : मैं निवेदन करूंगा कि जिस सरकार का मंत्री आज भी इस सदन में यह कहे और शंका वाली बात कहे कि हमला था या नहीं और जो मिनिस्टर इस व्यू पोइन्ट को सब्स्काइब करता है उस मिनिस्टर को जब तक....

**राज्य पक्ष के कुछ माननीय सदस्य** : हम सब्स्क्राइब नहीं करते।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आप संब्स्काइब नहीं करते कांग्रेस पार्टी नहीं करती, सुखाड़ियाजी नहीं करते; यह सब ठीक है, लेकिन यहां सवाल यह है कि फाइनेन्स मिनिस्टर करते हैं।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** ; यह बात जो फाइनेन्स मिनिस्टर सब्स्काइब करते हैं उसके लिए इनका माफी मांग लेना ही काफी नहीं है; इनको डिस्मिस किया जावे, इनको मंत्रि मण्डल से निकाला जावे।

## सदन का समय बढ़ाने विषयक मत-विभाजन

**श्रीमती सभानेत्री** : क्या यह सदन की राय है कि जब तक सहकारी बिल पास न हो जाय, सदन का समय बढ़ाया जाय।

( ५.०० म० प० )

( मत-दान के पश्चात् )

'हां' पक्ष जीता !

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : 'ना' पक्ष जीता।

**श्रीमती सभानेत्री** : 'हां' पक्ष जीता। सदन का समय बढ़ाया जाता है। मंत्रीजी अपना उत्तर दें।

**सर्व श्री मानिकचन्द सुराणा, उमरावसिंह ढाबरिया आदि** : आपका निर्णय क्या है, हम सब कहते हैं कि 'ना' पक्ष जीता।

**श्रीमती सभानेत्री** : 'हां' पक्ष जीता।

( शोरगुल )

अभी वोट लिये थे।

आप व्यवस्था का कृपया पालन कीजिये।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : हम तो बराबर कहते आये हैं कि 'ना' पक्ष जीता। सभी कह रहे हैं।

**श्रीमती सभानेत्री** : मैं दुबारा वोट पर रख देती हूं। क्या सदन की राय है कि आज सहकारी बिल जब तक पारित नहीं हो तब तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

( मतदान के पश्चात् )

'हां' पक्ष जीता !

**विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य** : 'ना' 'पक्ष' जीता !

**राज्य पक्ष के माननीय सदस्य** : 'हां' पक्ष जीता !

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया आदि** : 'नां' पक्ष जीता !

**कई माननीय सदस्य** : दरवाजा बन्द करवा दीजिये ।

**सचिव, विधान सभा** (श्री अनोपसिंह) : दो मिनट के बाद ।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : आप सदन के दरवाजे बन्द करवा दीजिये ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : दरवाजे बन्द किये जायें ।

(शोर-गुल)

(दरवाजे बन्द किये गये)

**श्रीमती सभानेत्री** : अभी घन्टी बज रही है ।

(शोर-गुल)

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : समय तो खत्म हो गया । पांच बज चुके हैं । पांच बजे बाद बैठे नहीं रह सकते । समय समाप्त हो गया । सदन का समय बढ़ाया नहीं । पांच बजे से पांच मिनट पहले सदन का समय बढ़ाया जाना चाहिये । उस समय सदन का समय बढ़ा सकते थे ।

## सदन का समय बढ़ाने विषयक मत-विभाजन

**श्रीमती सभानेत्री** : प्रश्न यह है कि सहकारिता बिल जब तक पास न हो तब तक के लिये सदन का समय बढ़ाया जावे ।

(मत-दान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता ।

**विरोधी पक्ष** : 'ना' पक्ष जीता ।

**श्रीमती सभानेत्री** : लोबीज़ में जावें ।

(५. १८ म. प.)

(मत विभाजन के पश्चात)

**श्रीमती सभानेत्री** : ऑर्डर !

अभी डिविजन हुआ, उसका रिज़ल्ट **इस प्रकार है** :

'हां' पक्ष ६८

'ना' पक्ष ४७

'हां' पक्ष जीता, सहकारी संस्था विधेयक, १९६४ पास नहीं हो जाय तब तक के लिये सदन का समय बढ़ाया जाता है ।

['नां' व 'ना' पक्ष के माननीय सदस्य ।

**'हां' पक्ष**.-

रावल श्री अमरसिंह जासोल (पचपदरा)

श्री बालचन्द डागा

श्री भैरोंसिंह

श्री चौथमल वर्मा

श्री चौसरसिंह बावेल

श्री दयाचन्द सौन

श्री दिग्विजयसिंह

श्री डूंगाराम राजोरिया

श्री फतहसिंह

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल)

श्रीमती सभानेत्री )

वैद्य श्री गोविन्दसहाय
श्री गोविन्दसिंह (कुम्भलगढ़)
श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन)
श्री जयनारायण सालोदिया
श्री जोधसिंह चौहान
श्री जुगलाल
श्री केदारनाथ
श्री केसरीसिंह (पाली)
श्री कृष्णकुमार गोयल
श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल
महारावल श्री लक्ष्मणसिंह
श्री लक्ष्मीचन्द
श्री मानिकचन्द सुराणा
रावत श्री मानसिंह महार (आमेर)
श्री मथुरेशबिहारी माथुर
श्री मावा
श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़)
श्री मूलचन्द चौधरी
श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
श्री मुरलीधर व्यास
श्री नत्थीसिंह (भरतपुर)
श्री नाथूलाल करोल
श्री राधाकृष्ण गोयल
ठा० श्री रघुवीरसिंह बिसाऊ
श्री रामानन्द अग्रवाल
श्री रामसहाय
श्री रामसिंह
श्री सम्पत्तिलाल बोहरा
श्री श्रवणलाल
श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
श्री मानधातासिंह
श्री सौभागसिंह
श्री स्वरूपसिंह
श्री उदयलाल वर्दिया
श्री उमरावसिंह ढाबरिया
श्री विजयसिंह झाला
श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा

'हां' पक्ष

श्री अमृतलाल यादव
श्री बालकृष्ण कौल
श्री भरतलाल
श्री भीखाभाई
श्री भैरवलाल 'कालाबादल'
श्री भीमसेन
श्री भीमसिंह
महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल
श्री बृजसुन्दर शर्मा
श्री चन्दनमल वैद
श्री चन्द्रसिंह वर्मा
श्री चतुर्भुज उपाध्याय
श्री छोटूराम
श्री छुट्टनलाल
श्री दौलतराम सारण
श्री देवेन्द्रकुमार मीणा
श्री देवीलाल मीणा
श्री धर्माराम आर्य

(श्रीमती सभानेत्री)

श्री दिनेशराय डांगी
श्री गंगाराम चौधरी
श्री गंगासिंह परिहार (हिंडौली)
श्री गणपतिलाल वर्मा
श्रीमती गौरी पूनिया
श्री गिरधारीलाल व्यास
श्री गोकुलचन्द
श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
श्री गोपीलाल गोटवाल
श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा)
श्री हरिकिशन
डॉ० हरिप्रसाद शर्मा (मंडावर)
श्री हरिश्चन्द्र
श्री हरलाल
श्री जयकृष्ण शर्मा
श्री जेठमल बरबड़
श्री जुगलाल
श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा
श्री कानाभाई नुवाल
श्री ललित मोहन
श्री माधोलाल खानपुरिया
श्री मजलिस खां
श्री मांगीलाल रिणवा
श्री मनफूलसिंह
श्री मथुरादास माथुर
श्री मोहनराज
श्री मोहरसिंह राठौड़
श्री मोतीलाल चौधरी
श्रीमती नगेन्द्रबाला
मास्टर श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़)
श्री नत्थीलाल
श्री नाथूराम (बागीडोरा)
श्री निरंजननाथ आचार्य
श्रीमती निर्मलादेवी नाहर
श्री परसराम मदेरणा
श्री फूलचन्द जैन
डॉ० पोहूमल ईसरदास
श्रीमती प्रभा मिश्रा
श्री प्रभुलाल "सेन्टर"
श्री रामचन्द्र
श्री रामदेवसिंह
श्री रामप्रसाद लड्ढा
श्री रविशंकर याज्ञनिक
श्री रूपाराम पंवार
श्री सांवलियाराम
श्री शंकरलाल जाट
श्री शिवनारायण छाछिया
श्रीमती सुमित्रा
श्री तेजाराम गहलौत
कुमारी उमा माथुर]

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) :** डिविजन नं० १११ का वोट काउन्ट हुआ या नहीं ? मोहनलालजी साहब सुखाड़िया बाहर चले गये थे ।

श्री चन्दनमल वैद : नहीं हुआ ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : नहीं हुआ तो यह आपकी इन्सल्ट है, आपने बैल बजाई और आप बाहर चले गये ।

# Page No 138



## प्राक्कलन समिति के सभापति की नियुक्ति विषयक घोषणा

**श्रीमती सभानेत्री :** मैं एक अनाउन्समेंट करना चाहती हूं :

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करती हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १८३ (१) के अन्तर्गत श्री मोतीलाल चौधरी को प्राक्कलन समिति, १९६५-६६, का सभापति नियुक्त किया गया है।

## राजस्थान मुद्रांक विधेयक, १९६५ के प्रवर समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा

एक दूसरी सूचना है :

राजस्थान स्टाम्प विधेयक, १९६५ की प्रवर समिति के प्रस्तावित सदस्य :

(१) श्री परसराम मदेरणा (चेअरमैन)
(२) श्री दिग्विजयसिंह
(३) श्री राधाकृष्ण गोयल
(४) श्री जयनारायण सालोदिया
(५) श्री सम्पत्तिलाल बोहरा
(६) श्री मुकुटविहारीलाल गोयल
(७) श्री महेन्द्रसिंह
(८) श्री नत्थीसिंह (भरतपुर)
(९) श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
(१०) श्री मोहनराज
(११) डॉ० पोहूमल ईसरदास
(१२) श्रीमती नगेन्द्रबाला
(१३) श्रीमती गौरी पूनिया
(१४) श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
(१५) श्री कानां रेगर
(१६) श्री देवेन्द्रकुमार
(१७) श्री घासीराम यादव
(१८) श्री गोपीलाल गोटवाल
(१९) श्री रामचन्द्रसिंह
(२०) श्री ज्ञानचन्द मोदी
(२१) श्री जगनसिंह ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : सभापति महोदया, एक सूचना का प्रश्न है; चार दिन हो गये।

**श्रीमती सभानेत्री :** उप राजस्व मंत्री।

## राजस्थान कृषि भू-धारण विधेयक, १९६५

(प्रवर समिति को)

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** (उप-मंत्री, राजस्व) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान टीनेन्सी विधेयक, १९६५ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी अधिवेशन के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे।

**श्रीमती सभानेत्री :** राजस्थान टीनेन्सी बिल; श्री चौसरसिंह बाबेल का भी है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** प्रवर समिति को सुपुर्द कर रहे हैं तो इसको वे वापिस ले लें।

**श्रीमती सभानेत्री** : माननीय सदस्य वापिस ले रहे हैं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : वापिस ले रहे हैं।

**श्रीमती सभानेत्री** : प्रश्न यह है कि राजस्थान टीनेन्सी विधेयक, १९६५ को एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक प्रवर समिति को सुपुर्द किया गया।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : नामों की भी घोषणा कर दें।

**श्रीमती सभानेत्री** : राजस्थान टीनेन्सी विधेयक, १९६५ जो एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया गया है; उसके निम्नोक्त सदस्य होंगे :—

(१) श्री रामप्रसाद लड्ढा, सभापति
(२) श्री केदारनाथ।
(३) श्री केसरीसिंह (पाली)
(४) श्री दुर्गालाल बाढ़दार
(५) श्री मथुरेशबिहारी माथुर
(६) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
(७) श्री अब्दुल जब्बार
(८) श्री भीमसेन
(९) श्री तेजाराम गहलोत
(१०) श्री गिरधारीलाल व्यास
(११) श्री मोहरसिंह
(१२) श्रीमती निर्मलादेवी नाहर
(१३) श्री मजलिस खां
(१४) कुमारी उमा माथुर
(१५) श्री दलपतसिंह
(१६) श्री रामानन्द अग्रवाल
(१७) श्री मनफूलसिंह
(१८) श्री देवीलाल
(१९) श्री धर्माराम
(२०) श्री बिरदाराम
(२१) श्री रामकिशन।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : एक सूचना का प्रश्न मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, सभापति महोदया।

**श्रीमती सभानेत्री** : सहकारिता बिल के संशोधनों को विचारार्थ रखा जाता है।

(५. २३ म. प.)

**कैरों हत्याकाण्ड विषयक उठाये गये विवाद पर शासकीय वक्तव्य**

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : सुबह ११ बजे से बैठे हैं और आज हाउस में काफी हीटेड एक्सचेन्जेज भी हुए हैं। माननीय सभापति महोदया, अच्छा हो कि दस-पन्द्रह मिनिट के लिये ही हाउस को स्थगित कर दें।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : इससे पहले कि आप इस पर निर्णय करें, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। राज्य सरकार को आसन की ओर से यह आदेश दिया गया था कि कैरों हत्याकान्ड के

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

अभियुक्त बलदेवसिंह को, जो राजस्थान की पुलिस स्टेशन पर यह सूचना देने, कि उसने श्री कैरों का मर्डर किया है आया था, गिरफ्तार नहीं किया गया; इस पर एक स्टेटमेन्ट आज दिया जाना था, उस पर राज्य सरकार को आज स्टेटमेंट देने के लिए बाध्य करे।

**श्रीमती सभानेत्री** : उप-मंत्रीजी अपना स्टेटमेंट दे दें।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** (उप-मंत्री गृह) : माननीय सदस्य, श्री सुराणा द्वारा यह बताया गया कि श्री कैरों के हत्यकांड के एक अभियुक्त बलदेवसिंह ने राजस्थान के एक थाने पर जाकर उसके स्वयम् के द्वारा श्री कैरों की हत्या करने की सूचना दी थी और यह कि उसने खुले आम भी इस प्रकार की चर्चा की थी। इस मामले में छानबीन की गई तो श्री बलदेवसिंह का किसी भी राजस्थान के थाने के या चौकी पर जाकर श्री कैरों की हत्या करने की इतला देना या खुले आम जिक्र करना नहीं पाया जाता। इस मामले में यह उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार द्वारा हत्यारों का सुराग देने के सिलसिले में ५०,००० रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था, ऐसी हालत में यह माना नहीं जा सकता कि कोई भी व्यक्ति और विशेष कर पुलिस कर्मचारी, ऐसी सूचना होते हुए भी उसका लाभ न ले।

श्री सुराणा द्वारा यह भी जिक्र किया गया था कि बलदेवसिंह को पंजाब पुलिस ने गजसिंहपुरा मंडी, राजस्थान में गिरफ्तार किया जब कि हमारी पुलिस को उसकी सूचना नहीं थी। परन्तु छानबीन से यह पाया गया है कि बलदेवसिंह को राजस्थान में गिरफ्तार नहीं किया गया। उसको हिसार में गिरफ्तार किया जाना पंजाब पुलिस से मालूम हुआ है।

श्री कैरों की हत्या के मामले में पंजाब पुलिस ने गंगानगर जिले में छानबीन की थी, कई व्यक्तियों से पंजाब पुलिस ने पूछ–ताछ भी की थी परन्तु इस सब में हमारी पुलिस की पूरी मदद ली गई थी और हमारा सहयोग था।

बलदेवसिंह प्रधानतया राजस्थान का निवासी है। वह इस जुर्म के पहले व बाद में राजस्थान में रहा है। किन्तु इसके विरुद्ध कोई शंका या अन्य आधार राजस्थान पुलिस के पास कार्यवाही करने हेतु नहीं होने से कोई भी कानूनी कदम उठाना संभव नहीं था क्योंकि इस हत्याकाण्ड की जांच पंजाब पुलिस कर रही थी।

सुच्चासिंह के रिश्तेदार राजस्थान में हो सकते हैं, महेन्द्रसिंह उसका सहपाठी रहा पाया जाता है किन्तु जुर्म के पूर्व या बाद उसका राजस्थान में आना नहीं पाया जाता। वह ग्राम सेंगराना में टीचर रहा हो शोभासिंह नाम से, यह बात भी प्रमाणित नहीं हो सकी है।

ऐसी हालत में राजस्थान पुलिस पर अकर्मण्यता का आरोप लगाना बेबुनियाद है।

जब कि इस मामले में एक्स्ट्राडिशन की कार्यवाही चल रही है तो यह उचित होगा; हम यहां इसकी विशेष चर्चा न करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सभापति महोदया, जो सूचना मंत्री महोदय ने दी है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। यह जानकारी उन्होंने किस आधार पर प्राप्त की है कि बलदेवसिंह ने इस प्रकार की घोषणा कहीं नहीं की कि उसने श्री कैरों की हत्या की है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : On a point of order, Sir, एक बात सिर्फ अर्ज करना चाहूंगा सभापति महोदया, मैंने स्टेटमेंट के अन्त में यह कहा है कि एक्स्ट्राडीशन की प्रोसिडिंग्ज़ चल रही हैं। एक तरफ यह है। दूसरा सभापति महोदया, यह है कि इसमें बलदेवसिंह का १६४ में स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है जो इन केमरे में रिकार्ड हुआ है। तीसरा इसकी इन्वेस्टिनेशन आरम्भ है और यह बड़ा गम्भीर केस है और इसके सम्बन्ध में मैंने जो जानकारी दी है और आपने जो प्रश्न उठाया उसके सम्बन्ध में तो मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि इस प्रकार और भी आपकी ओर से प्रश्न उठाये जा सकते हैं इसलिये वे इस केस की इन्वेस्टिगेशन की दृष्टि से उचित नहीं होंगे। इसलिये मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि मैंने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बाद एविडेन्स में और बातें आवेंगीं इसलिए इसको क्षति न पहुंच सके इस ओर ध्यान रखेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय मंत्री महोदय की डिफिकल्टीज़ को मैं बिल्कुल रियलाइज़ करता हूं। उनकी आपत्ति इस रूप में सही हो सकती है कि कोई ऐसी बात सदन में कह दें जो प्रतापसिंह मर्डर केस में एक्यूज्ड को सपोर्ट करे तो मैं उनकी बचत करते हुए प्रश्न पूछ रहा हूं। १६४ में बलदेवसिंह का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया उसके गिरफ्तार हो जाने के बाद, इससे मामला सबजुडिस नहीं हो जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए राजस्थान पुलिस की इनकॉम्पिटेंसी को अवश्य ही प्रकट करूंगा। अगर माननीय मंत्री राजस्थान पुलिस की इन्कॉम्पिटेन्सी को उस सारी पृष्ठभूमि में छिपाना चाहें तो वह वैसा नहीं कर सकेंगे। माननीय मंत्री महोदय मेरे साथ स्वयम् चलें, उन्हें मालूम होगा कि गजसिंहपुर मंडी का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि बलदेवसिंह एक ड्रंकन स्थिति में सारी मंडी में कहता फिरता था कि मैंने प्रतापसिंह कैरों का मर्डर किया है। उसने गजसिंहपुर पुलिस स्टेशन पर कई दफा जाकर इस बात को बार बार चिल्ला चिल्ला कर कहा कि मैंने प्रतापसिंह कैरों का मर्डर किया है...

श्री निरंजननाथ आचार्य : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर,...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पंजाब पुलिस का एक सिपाही राजस्थान के अन्दर आया है। उस सिपाही ने....

श्री निरंजननाथ आचार्य : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, सभापति महोदया, यह जो प्रश्न उठाया गया है उस प्रश्न के सिलसिले में मुझसे कहा गया था कि मैं निराकरण करूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : This is no point of order.

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि कोई एडजोर्नमेन्ट मोशन नहीं है । कॉल अटेन्शन नोटिस नहीं है । एक तथ्य यहां उठाया गया था और उसका मैंने जवाब दे दिया ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह एडजोर्नमेन्ट मोशन के जवाब में है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप वापिस वही बात कहें कि उसने यह कहा था । मैंने सारी स्थिति का निराकरण कर दिया है । आपका स्टेटमेन्ट जो कुछ हुआ है वह रिपीटिशन है, और कुछ नहीं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, एडजोर्नमेन्ट मोशन के सिलसिले में जो स्थिति मैं रख रहा हूं उस सम्बन्ध में मैं एक इम्पोर्टेन्ट सूचना राज्य सरकार को दे रहा हूं आप अपनी पुलिस को चैक अप करें । पंजाब का एक सिपाही आता है वह बलबीरसिंह की बातों को सुनता है जो वह गजसिंहपुर में कहते फिरता है, उसके साथ तीन चार रोज रहता है, चार दिन के बाद वह पंजाब जाता है और अपनी ऑथोरिटीज को इन्फोर्म करता है, वह १६ तारीख को अरेस्ट होता है जिसकी २० तारीख बतायी जाती है । पंजाब का सिपाही विजीलेंट हो सकता है; सारी परिस्थिति को वह भांप लेता है क्लोजली उसके साथ रह कर उसके माइन्ड को रीड करता है लेकिन हमारी पुलिस चौकी के एस० पी०, डी० एस० पी०, गंगानगर की सारी पुलिस बलबीरसिंह को एग्जामिन करने का प्रयत्न नहीं करती । गजसिंहपुर में वह अनेक बार चिल्लाता है कि मैंने कैरों का मर्डर किया है; पुलिस चुप रही है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): माननीय मन्त्रीजी से मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि जो बयान बलदेवसिंह ने अदालत में दिये हैं उसको राज्य सरकार ने एग्जामिन कर लिया है। उन बयानों में बलदेवसिंह ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसने सबसे पहले पुलिस स्टेशन को इत्तला दे दी थी । क्या इस तरह के बयान मंत्री महोदय पढ़ चुके हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : बलदेवसिंह ने १६४ के अन्तर्गत अदालत के सामने इन कैमरा बयान दिये हैं वहां प्रेस रिप्रेजेन्टेटिव्ज को भी अलाउ नहीं किया गया । वे बयान सील्ड है, हमारे पास नहीं हैं और न पढ़ने का अवसर ही मिला है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : टाइम्स ऑफ इण्डिया और प्रेस में इस बात की इत्तला है कि राजस्थान के पुलिस स्टेशन को इत्तला दी थी । भारत सरकार की सी० आई० डी० ने बयान देने से पहले पूरा सम्पर्क कर लिया; यह इत्तला जो टाइम्स ऑफ इण्डिया और प्रेस में आयी है क्या वह गलत और निराधार है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जिस अखबार का आप जिक्र कर रहे हैं उसको मैंने इस कन्टेक्स्ट में नहीं देखा, इसलिये मैं नहीं कह सकता ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या आपने वह अखबार पढ़ा नहीं है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जिस रेफरेन्स में आप बात कर रहे हैं उसमें नहीं पढ़ा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अब तक आपने पढ़ा नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह आप नहीं पूछ सकते। मैंने कहा, जिस कोन्टेक्स्ट में आप पूछ रहे हैं, मैंने नहीं पढ़ा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मुझे अफसोस है हमारे उप गृहमन्त्रीजी ने भारत सरकार द्वारा जिस खबर के बारे में कहा है उस टाइम्स ऑफ इण्डिया में छपी खबर को नहीं पढ़ सके हैं, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप तो बड़ी तेजी बता रहे हैं। मैंने कहा है, अखबार में जिस कोन्टेक्स्ट में खबर छपी है वह मैंने नहीं देखी; उन तथ्यों पर विश्वास किया जाय या नहीं, यह दूसरा प्रश्न है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सरकार की जो नीति होती है वह मैंने देखा, मंत्रियों के साथ बदलती रहती है। यदि मथुरादासजी गृह मंत्री होते तो वे इस प्रकार का बयान देते कि मैंने उनको एग्ज़ामिन किया है। थाने की रिपोर्ट मंगाते और जिसने गलती की है उसको मोअत्तिल करते।

श्री निरंजननाथ आचार्य : गलतियां तो सभी से होती हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप गलतियां करते हैं और गलती करने वालों को प्रश्रय भी देते हैं। कैरों मर्डर केस में राजस्थान सरकार फेल हुई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गजसिंहपुरा मंडी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं सब इस बात को जानते हैं। मथुरादासजी होते तो वे सब मेम्बरों को पूछते, लेकिन आपने जानकारी तक करने की कोशिश नहीं की।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मिसलीड नहीं किया जा सकता; एक प्रश्न जरूर मेरे दिमाग में है, जिसकी जांच करना जरूरी है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप उपगृह मन्त्री रहेंगे तब तक ऐसा ही चलता रहेगा।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या यह सही है कि कैरों मर्डर के बाद तीन दिन के बाद २ एफ० जी० गजसिंहपुर से दो व्यक्तियों को इस अरेस्ट से पहले पंजाब पुलिस ने इन्टरोगेशन के लिये ले गई थी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस संबंध में मौन रहना ही उचित समझता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : हम आपका मौन तोड़ना सदन के लिये उचित समझते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : तोड़ना-बोड़ना, यह दूसरों के लिये उचित समझें यहां यह नहीं चलेगा।

# Page No 144



श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय मन्त्री की हर चीज को व्हाइट वाश करने की आदत सी बन गई है।

श्री निरंजनाथ आचार्य : कभी कभी आप भी यही करते हैं, इसका कुछ नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपसे बढ़िया कौन पेन्टर हो सकता है जो कालिख को इस तरह पेन्ट कर सके।

श्रीमती सभानेत्री : सदन की कार्यवाही सायं ६ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सभा की कार्यवाही ५.३६ पर रात्रि के ६ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(सदन की कार्यवाही पुन: म० प० ६.४ बजे प्रारम्भ हुई)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

## राजस्थान सहकारी संस्था विधेयक, १९६४

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान सहकारी संस्था विधेयक....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोरम घंटी बजवा दीजिये।

(गणपूरक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान सहकारी संस्था विधेयक, खंड ६। खंड ६ से १२ में संशोधन नहीं हैं....

## वर्तमान मन्त्रि-मण्डल के प्रति अविश्वास व्यक्त करने विषयक प्रस्ताव

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना विरोधी पक्ष के सभी दलों के सदस्यों की ओर से दी गई है। राजस्थान के वित्त मंत्री द्वारा सदन में राष्ट्र विरोधी वक्तव्य दिया गया, यहां सदन में मांग किये जाने के बावजूद भी श्री बालकृष्ण कौल को मंत्रि-मण्डल से बर्खास्त नहीं किया गया, यह छोटी सी मांग सरकार ने स्वीकार नहीं की, वे मन्त्रि-परिषद् से नहीं हटाये गये। इसके विरोध में एक अविश्वास का प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध विरोधी दल की ओर से प्रस्तुत किया है। मैं चाहता हूं कि उसमें कोई रूल रिलेक्स करना हो तो मैं निवेदन करता हूं कि रूल रिलेक्स किए जायं. यह लोकतन्त्र की परम्परा के लिये आवश्यक है इसे सरकार टाले नहीं, किन्हीं रूल्स की टेक्निकेलिटी के आधार पर टालें नहीं; जब विरोधी पक्ष के सभी दलों की ओर से अविश्वास का प्रस्ताव पेश हुआ तो...

(६.६ म० प०)

## जीप से एक युवा हरिजन की मृत्यु विषयक वाद-विवाद

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, इससे पहले कि यह महत्वपूर्ण डिबेट हो मैं एक पाइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज करना चाहता हूं। कल मैंने सदन से जिक्र किया था कि दो स्त्रियां भूख हड़ताल किये बैठी है; एक

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

वृद्धा और एक विधवा स्त्री, तब आपकी ओर से कहा गया था कि मेरे स्थगन-प्रस्ताव के सम्बन्ध में सरकार की ओर से कल स्टेटमेंट दिया जायगा । इससे पहले कि कौल साहब को डी. आई. आर. में गिरफ्तार करने के बारे में विचार किया जाय दो स्त्रियां जो भूख हड़ताल में हैं और मृत्यु अवस्था की ओर अग्रसर हैं, एक सेठ की जीप के नीचे नौजवान हरिजन को मार डाला गया, जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो ६ दिन से भूख हड़ताल पर सदन के सामने पड़ी हैं; सदन के माननीय सदस्य उनके सामने से गुजरते हैं, बड़ी दयापूर्ण स्थिति है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि मन्त्री महोदय उस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें ।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय उप गृह मंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि वे वक्तव्य दें ।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** (उप-मंत्री, गृह ) : उपाध्यक्ष महोदय, कल सायंकाल को मुझे नोटिस मिला, इसकी पूरी डिटेल्स गंगानगर से प्राप्त की जा रही है और मुझ को विश्वास है कि शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगी । अब तक मेरे पास इतनी डिटेल्स नहीं हैं कि जिनके आधार पर मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकूं, कन्विन्स करा सकूं । मैं इस स्टेज पर इतना ही कह सकता हूं कि अब तक की स्थिति से....

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) ; ६ दिन से भूख हड़ताल पर हैं, जरा सोचिये ।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : मैं सोच कर ही कह रहा हूं । अब तक की शहादत से, जो डी० एस० पी० के द्वारा भी जांच करवाई गई बड़ी सतर्कता से माननीय सदस्य द्वारा दिये गये तथ्यों के आधार पर, जो अब तक शहादत प्राप्त हो सकी है, एक्सीडेन्ट ड्राइवर के द्वारा किया जाना जाहिर हुआ । ड्राइवर ने भी इस बात को मंजूर किया है । श्री बृजमोहन जिनके सम्बन्ध में कहा जाता है कि उन्होंने एक्सीडेन्ट किया, उनकी आइडेन्टिफिकेशन के बारे में कोई शहादत प्राप्त नहीं हो सकी है । यहां भूख हड़ताल पर बैठी है उनसे बार बार कहा गया कि इसकी शहादत कि जिससे प्रमाणित हो सके कि ड्राइवर ने एक्सीडेन्ट किया, मुहैया करें । जहां तक इसके ब्रदरइनलॉ से दर्याफ्त किया गया वे भी इस सम्बन्ध में शहादत मुहैया करने में असमर्थ है ।

ऐसी स्थिति में मैं यही विश्वास दिला सकता हूं कि आप जिस किसी को भी इसकी इन्वेस्टिगेशन देना चाहें निष्पक्षता से उसको देने को तैयार हूं ।

इसके अलावा अभी कोई तथ्य प्राप्त नहीं हुए हैं । यह मामला जहां तक है विवाद इतना ही है कि एक्सीडेन्ट ड्राइवर द्वारा हुआ या बृजमोहन द्वारा हुआ । माननीय सदस्य द्वारा बृजमोहन द्वारा यह एक्सीडेन्ट होना जाहिर किया है पर जो प्रमाण उपलब्ध हुआ है उसमें ड्राइवर द्वारा ही एक्सीडेन्ट होना जाहिर हुआ है । अगर इस मसले को विवादग्रस्त नहीं माना जाकर कदम लिया जा सके तो इस प्रकार के निष्पक्ष विश्वस्त अधिकारी की नियुक्ति

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

इसकी जांच के लिये कर दें और वह इन्वे-स्टिगेशन सारी की सारी देख कर इन्वेस्टि-गेशन को पुनः देख लें। इसके सिवाय मैं कोई इस सम्बन्ध में डिटेल देने को तैयार नहीं हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : माननीय मन्त्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह तथ्य जो आपके सामने आ गया है कि यह डेथ किसी पत्थर से टकराने से नहीं हुई, बल्कि जीप के एक्सीडेन्ट से हुई है। आपके सामने प्रश्न विचाराधीन यह है कि आया जीप ड्राइवर ड्राइव कर रहा था या बृजमोहन ? यह बताये कि इस एक्सीडेन्ट की रिपोर्ट उस थाने में दर्ज हुई या नहीं और उस डॉक्टर ने जिसने मृतक को एग्जा-मिन किया था उसने क्या रिपोर्ट दी ? क्या डॉक्टर की रिपोर्ट यह थी कि पत्थर से उसकी डेथ हुई है और क्या यह तथ्य है कि उस थानेदार ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी और उसके खून से सने हुए कपड़ों को बाहर उठा कर फेंक दिया जो माननीय सदस्य श्री हांडा के पास मौजूद हैं ? तो उस थानेदार ने उस मरने वाले हरिजन की न रिपोर्ट दर्ज की और न ही ड्राइवर के खिलाफ और न बृजमोहन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके पत्थर से टकरा कर मृत्यु हुई होगी, इस थ्योरी में विश्वास किया, उस पर एक्शन लिया। डॉक्टर की रिपोर्ट जैसा तथ्य बताया कि पत्थर से लगने से मृत्यु हुई है तो आपने डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लेने की बात की क्या और अगर सारी घटना हुई सूरतगढ़ मंडी में पुलिस कर्मचारियों ने क्रिमिनल केस लोज करके इन्वेस्टीगेशन होकर अब तक किसी को पकड़ा है क्या ? इन सारी बातों पर आप प्रकाश डालें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सामने उस गरीब हरि-जन के खून से सने हुए कपड़े हैं, जो थानेदार ने दफ्तर से बाहर फेंक दिये थे और गरीब हरिजनों को धक्के देकर बाहर निकाल दिया था जब कि वे उस गरीब हरिजन की मृत्यु के सम्बन्ध में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिये गये थे, सदन की मेज पर रखता हूं। इन कपड़ों पर खून को लगे कितना ड्युरेशन हुआ है, इसको एक्जामिन करा लें ? खून मनुष्य का है या नहीं, इसको भी एग्ज़ामिन करवा लें। उस गरीब हरिजन की छाती पर से पहिया फिरा था, उसके निशान थे, जब कि उस डॉक्टर ने यह रिपोर्ट दी कि पत्थर से मृत्यु हुई और गरीबों को थानेदार ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया; उनको मौअत्तिल किया जाय।

मैं यह भी अर्ज करूंगा कि उस गरीब की लाश १२ घंटे तक उस मेले में पड़ी रही। दूसरा बलदेवसिंह बेहोश पड़ा रहा। शराब पी रखी थी। एक हजार लोगों ने कहा कि जीप से मृत्यु हुई है। उसके बाव-जूद भी एक हजार आदमियों के सामने उस थानेदार ने करेक्ट स्टेटमेन्ट लिखने से इन्कार कर दिया। मैं स्वागत करता हूं, मन्त्री महोदय चाहे जिससे इन्क्वायरी करवा लें। मैं विनति करूंगा कि लक्ष्मीनारायणजी सी. आई. हैं ?

कई माननीय सदस्य : नाम क्यों ले रहे हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसके साथ साथ यह प्रार्थना करूंगा कि उस थानेदार को और उस डॉक्टर को जिसने फाल्स रिपोर्ट दी है और डी वाई० एस० पी० ने मंजूर कर ली है उनको सस्पेन्ड करें।

श्री निरंजनाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आप संक्षेप में ही कहें। जो कुछ स्पष्टीकरण करना है वह करें।

श्री मोहनलाल सारस्वत : मोटर एक्सीडेन्ट की बावत सदन के सामने बताया गया है उस सम्बन्ध में निवेदन करना यह है कि पांच छः दिन से हाउस के बाहर भूख-हड़ताल चल रही है, और उसके साथ साथ म्हारा उपाध्यक्ष महोदय, या वात कही भी है कि ई तरह सूं मोटर ड्राइवर सूं यह ऐक्सीडेन्ट हुओ है। मोटर ड्राइवर सूं एक्सीडेन्ट हुओ है मोटर मालिक सूं ? स्पष्ट बात है कि मोटर ड्राइवर पर अकारण ही बात थोपी जावे है। एक्सीडेन्ट हुआ, थानेदार ने रिपोर्ट नहीं ली, उस थानेदार को तुरन्त ही सस्पेन्ड करनो चाहिये। और अभी माननीय हांडा जिकी बात रखी कि उच्चाधिकारी द्वारा जांच करायी जानी चाहिये मैं निवेदन करूं कि ई सरकार में रापट रोको मच्योड़ो है। जांच-वाच कुछ नहीं होगी, इस बात को टाल दी जावेंगी।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न पूछ लें। भाषण न दें।

श्री मोहनलाल सारस्वत : पांच दिन से विधान सभा के बाहर ई कारण हंगर स्ट्राइक चल रही है और औरतां भूख हड़ताल पर बैठी मराणासन्न है। जल्दी से जल्दी उप-मन्त्री महोदय कोई न कोई वक्तव्य देगा और ज जिकां अधिकारी मोटर द्वारा एक्सीडेन्ट दबायो है वांने सस्पेन्ड करवा की घोषणा करेगा, ताकि शासन सुचारु रूप से चले।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह बात साफ हो गई है कि यह एक्सीडेन्ट हुआ है और एक्सीडेन्ट होने के बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। मैं नहीं समझता कि मामला कितना गम्भीर है, एक्सीडेन्ट से आदमी मर जाय और केवल रिपोर्ट दर्ज करने के लिये विधान सभा के सामने भूख हड़ताल करनी पड़े। हमारी रिपोर्ट तो दर्ज की जाय, मैं समझता हूं, इससे अधिक लज्जा की बात नहीं हो सकती। मन्त्री महोदय इस बात को गम्भीर रूप से लेंगे कि कम से कम रिपोर्ट तो दर्ज की ही जानी चाहिये थी और जिस अधिकारी ने नहीं की है, एफ. आई. आर. जिसने दर्ज नहीं की है उसको इमिजियेटली सस्पेन्ड करें और जो साजिश में शामिल है, उनको भी सस्पेन्ड किया जाय चाहे वह डॉक्टर हो या और कोई हो। सी. आई. डी. के सीनियर अधिकारी से इसकी जांच कराई जाय और प्रोसिक्यूशन की व्यवस्था कराई जाय।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : इसमें विवाद का प्रश्न नहीं है।

**श्री जयनारायण सालोदिया** : यह एक्सीडेन्ट का जो मामला हुआ है इसमें हरिजन का एक्सीडेन्ट हुआ है। मैं अपना पवित्र कर्तव्य समझूंगा उनका प्रतिनिधि होने के नाते कि मैं सरकार से निवेदन करूं कि इस एक्सीडेन्ट को इस लाइट में देखा जाय कि ऐसे गरीब लोगों पर इस तरह का निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया जाय, उनका एक्सीडेन्ट कर दे, मार डाला जाय और उसकी पुलिस में कोई रिपोर्ट भी दर्ज न हो, डॉक्टर भी उनके खिलाफ रिपोर्ट करे, यह सारा मामला सरकार के विचाराधीन होना चाहिये और सारे मामले के बेकग्राउन्ड में यह होना चाहिये। उस गरीब हरिजन के पास, उसकी गरीब महिला के पास सरकार के थानेदार को और डॉक्टर को देने के लिए पैसा नहीं था इसलिए उसकी मौत होने के बाद भी उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और गलत सर्टिफिकेट डॉक्टर ने दिया यह प्रश्न ही उसके सोचने का है और उसको सीरियस लेना चाहिये। मैं मेरे माननीय साथी धारू से प्रार्थना करूंगा कि वह बालिमकी संस्था का प्रेसिडेन्ट है और इस तरह से हरिजनों के साथ उसके नेतृत्व में स्थिति होती है और वह नीचा सिर करके बैठे रहें यह उनके लिए शर्म की बात है। अगर उनका उनको प्रतिनिधित्व करना है तो गरीब लोगों पर एक्सीडेन्ट हो गया है और अन्याय हुआ है तो उसके लिए प्रतिकार करें।

**श्री हरिराम धारू** (सिवाना–सु०) : उप-सभापति जी, हफ्ते, डेढ़ हफ्ते, की बात है कि इस सिलसिले में मेरे पास महतरानी, उसकी मां, बहनोई और उसके साले आये। उनकी जो अर्जी थी वह ले जाकर मुख्य मंत्री के पास जाकर बंगले में अर्ज कर दी। मुख्य मंत्रीजी ने विश्वास दिलाया है कि जो भी वाकया हुआ है उसकी जांच करवा लूं कि वास्तव में यह सही है या गलत। इस वाकया के बारे में तुम्हारे को न्याय मिलेगा। अब रहा सवाल हड़ताल का। मैंने इस बारे में उप-गृह मंत्री, श्री निरंजननाथ जी आचार्य जी से मिला हूं। मुख्य मंत्री को अर्जी दी उसका भी जिक्र किया है; उनका उत्तर है कि उनके साथ न्याय किया जायगा। वे जल्दी इस बारे में कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास के साथ जवाब दिया है और मुझे विश्वास है कि सरकार उसके साथ न्याय करेगी।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (आसपुर) : मैं भी कुछ निवेदन इस बारे में करना चाहता हूं। एक आदमी मर गया। गरीब आदमी की जान गई, उसके खून से सने हुए कपड़े माननीय सदस्य यहां लाये हैं। वैसी हालत में मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार की इस बारे में रापट रोल करने की इच्छा है। आपसे यही मैं जानना चाहता हूं आप केवल लेतलाली करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, यह सीधा-सादा प्रश्न है। इस पर प्रकाश डालना चाहिये।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : मैं भी इस हकीकत के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इसको माननीय मंत्री मजाक में ले रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह करीब दो महीने पहले एक्सीडेन्ट हुआ। कांग्रेस पक्ष के माननीय सदस्य जो अभी

(श्री मुरलीधर व्यास)

बोले हैं उन्होंने कहा है कि उन्होंने स्वयं ने मुख्य मंत्री के बंगले जाकर सारे हालात उनको बता दिये, उसके इतने दिन होने के बाद भी दो महिलायें विधान सभा के सामने बैठी हैं उनके साथ दो छोटे बच्चे भी हैं। अब सरकार के सामने इतना ही सवाल है कि एक्सीडेन्ट हुआ और यह बार बार कहा जा रहा है कि उस एक्सीडेन्ट में मोटर मालिक का हाथ था। जैसा मंत्री महोदय फर्मा रहे हैं कि यह एक्सीडेन्ट बृजमोहन ने किया है या ड्राइवर ने किया है इस बारे में जांच होना शेष है। जैसी कि डॉक्टरों की रिपोर्ट है उसके अनुसार यह है कि उसका सिर पत्थर से फूटा है या जीप से कुचलकर फूटा है, ये सारी बातें सामने स्पष्ट हैं। आज स्थिति यह है कि एक हरिजन महिला विधान सभा के दरवाजे बाहर पड़ी रहे और उसके पति हरिजन की मृत्यु हो जाय, दो महीने तक भी अगर आप उसका जवाब देने की स्थिति में नहीं हैं, उसके खून के कपड़े जो सदन में पेश हुए हैं वे मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री के मुंह पर कलंक हैं। गरीब का खून बह जाय, उसको जला दिया जाय और उसके इतने दिन के बाद भी सरकार पता नहीं लगा सकी, यह बड़ा भारी अन्याय है। माननीय मन्त्री महोदय द्वारा जो जवाब होना चाहिये जैसी कि र्‌यूमर है, बात हो रही है डाक्टर की रिपोर्ट में जो यह कहा गया है कि सिर फूटा है। मैं कहना चाहता हूं उस थानेदार को जिससे उससे मिल करके थानेदार ने उस महिला को बार बार बुलाया, महिला से कहा गया कि पांच हजार रुपया ले ले। आज गरीब का खून रुपयों में बिकता नहीं है। महिला ने उसे लेने से इन्कार कर दिया। उसने टक्कर ली। वह चाहती है जिसके द्वारा उसके पति का खून हुआ है उसको दंड मिले। जहां तक उसको दंड देने का सवाल है आज इस बात की परेशानी है कि मालिक को किस प्रकार से सजा दी जाय। आज उसी को बचाने का प्रयत्न हो रहा है। आपको यह याद रखना चाहिये गरीब का खून पैसों पर नहीं बिकता है। महात्मा-गांधी जो चाहते थे कि भारत का राष्ट्रपति हरिजन महिला को बनाया जाय, आज उसी देश में हरिजन का खून बहता है उसको न्याय नहीं मिलता। इसमें दो तरह की बातें नहीं होनी चाहिये। फैसला होना चाहिये।

**श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) :** उपाध्यक्ष महोदय, स्वतंत्र पार्टी के लीडर और डिप्टी लीडर ने जो इस सम्बन्ध में कहा है मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं। जैसा कि मैंने निवेदन किया अभी पूरे डिटेल्स नहीं आ पाये हैं, टेलीफोन पर जो मैसेज आ पाया है वह मैं निवेदन कर रहा हूं। माननीय सदस्यों ने इन्स्पेक्टर के सम्बन्ध में, इसके इनवेस्टीगेशन के सम्बन्ध में, डेथ के सम्बन्ध में, खूनके सने कपड़े भी यहां प्रस्तुत किये गये हैं इस सम्बन्ध में तथ्य भी रखे गये हैं। यद्यपि इस मामले में ३०४ ए० २६७ आई० पी० सी० में केस रजिस्टर हो चुका है, एफ० आइ० आर० यहां पर है। एफ० आई० आर० में क्या है यह मैं बताने की स्थिति में नहीं हूं। मैं बार बार निवेदन कर चुका हूं, जो शंका आपको है मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई एवीडेन्स डेस्ट्रॉय नहीं किया जायगा

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

असल आदमी को जिसके द्वारा खून हुआ है उसको किसी भी तरह से न बचाया जाय, इन सब बातों पर मैं इस स्टेज पर जो कुछ कर सकता हूं वह यह कर सकता हूं कि एक इम्पार्शियल ऑफिसर को, जिन पर मेरा पूरा विश्वास हो, यह समझ कर कि यह सारा केस ठीक तरह से निकल आय, ऑफेन्डर जो है he may be brought to books; सारी बातों को जो आपने कही हैं उनको ध्यान में रखते हुए इम्पार्शियल इनवेस्टीगेशन इस संबन्ध में हो, इसके आदेश जारी कर दूंगा।

उसके बाद इनुवेस्टीगेशन की स्टेज पर जो स्थिति आती है दर असल कहां पर गड़बड़ियां हुई हैं, उस आधार को देख कर जो मुनासिब कार्यवाही यह होती है कि अगर कोई अफसर जान-बूझकर इसमें इनुवेस्टीगेशन में ऑफेन्डर को बचाने की गरज से करता है he is liable for the penal action; वह लिवाने का मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं।

एक बात मैं और अर्ज कर दूं, खून के सने जो कपड़े यहां प्रस्तुत किये गये हैं मैं समझता हूं इसकी एवीडेन्स में वेल्यू होती है। एवीडेन्स के बारे में डिसकस करना नहीं चाहता, आपके हाथ में ज्योंही कपड़े आये आप पुलिस स्टेशन में सेफ कस्टडी में रखवा देते।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** थाने में कहां रखवा देते ? थानेदार ने तो इनको सड़क पर फेंक दिया।

**श्री निरंजननाथ आचार्य :** यह ड्यूटी है उसकी जिनको कपड़े मिलते हैं, अगर आपके कब्जे में आते हैं तो उनको निअरेस्ट पुलिस स्टेशन पर प्रस्तुत करते। इससे एवीडेन्स टेम्पर विथ होती है या नहीं, इसके विश्लेषण में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन यह एवीडेन्स की वेल्यू पर इफेक्ट करता है। मैं ज्यादा विश्लेषण में न जाकर यही निवेदन करूंगा कि जो आपने सदन की मेज पर कपड़े रखे हैं वे मुझे दे दिये जांय ताकि मैं पुलिस अधिकारी के सुपुर्द कर दूंगा; इसलिये मैंने जो विश्वास दिलाया है इम्पार्शियल इनुवेस्टीगेशन इम्पार्शियल अधिकारी द्वाराकराने के आदेश दे दिये जायेंगे; इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये कपड़े जयपुर में बैठा हुआ किसी पुलिस स्टेशन पर कैसे पहुंचा सकता था जब कि यह ऑगस्ट हाउस मौजूद था; इसलिये मेरा यह प्रथम कर्तव्य था कि इस ऑगस्ट हाउस में पहले इसको रखता। वह भी मैंने दो तरीके से पेश किया है; एक तो थानेदार का कैरेक्टर बताने के लिये कि जिसने एक गरीब की एवीडेन्स को सड़क के ऊपर फेंक दिया। गृह मंत्री महोदय को यह कपड़े दे दिये जायं, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है वे उनको बाकायदा यूज करें इनुवेस्टीगेशन के लिये ही, मुझे कतई एतराज नहीं। जब थानेदार ने ये कपड़े सड़क पर फेंक दिये तो वहां से उठा कर ले आये।

(६.३० म.प.)

## वर्तमान मंत्रि मण्डल के प्रति अविश्वास व्यक्त करने विषयक प्रस्ताव

**श्री उपाध्यक्ष** : एक अविश्वास का प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है मंत्रि-मंडल के विषय के ऊपर....

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर): आप पढ़ दें, साहब ।

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज़ ! अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है इस सदन के अन्दर, मैं उसको स्वीकार करने की हैसियत में नहीं हूं; क्योंकि रूल १३२ के अन्दर,... मैं इस रूल को यहां कोट करता हूं...

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत): प्रस्ताव की भाषा क्या है, यह तो पढ़ कर सुनाई जाय ?

**श्री उपाध्यक्ष** : मैंने प्रस्ताव का आशय बता दिया है कि मंत्रि-मन्डल के विरुद्ध प्रस्तुत हुआ है तो उस प्रस्ताव के लिए मैं रूल १३२ की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें है :

"A motion expressing want of confidence in the Council of Ministers may be made subject to the following restrictions, namely:— (a) leave to make the motion shall be asked for after questions and before the list of business for the day is entered upon.

(b) the member asking for leave shall, before the commencement of of the sitting for that day, give to the Secertary a written notice of the motion which he proposes to make"

तो यह मोशन क्योंकि यथा-विधि पेश नहीं हुआ है इसलिए मैं असमर्थ हूं इसको स्वीकार करने में ।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : उपाध्यक्ष महोदय, इस मोशन को स्वीकार करने में आपने आपत्ति बताई है कि हमारे प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम १३२ में प्रावधान यह है कि यह सिटिंग से पहले पेश किया जाय और सेक्रेटरी को दिया जाय । मैं ह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रक्रिया के इस नियम को यह सदन रिलेक्स भी कर सकता है, और....

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : चेयर भी कर सकती है ।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : इस प्रक्रिया के इस नियम को चेयर को भी रिलेक्स करने का अधिकार है, जो कि सब्स्टेन्शियल मोशन है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मोशन पर भी यदि राजस्थान की जनता को यह महसूस हो कि यह किसी एक टैकनिकल रूल के आधार पर मोशन को पेश नहीं होने दिया और जो रिक्विज़िट प्रिन्सिपल इस मोशन को एडमिट करने के लिए आवश्यक है उनके अनुसार यह प्रेज़ेन्ट होते हुए भी यह मोशन पेश नहीं हुआ तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जिस जनतंत्र की प्रक्रिया को हम बिठाना चाहते

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

हैं उस प्रक्रिया में लोगों की निष्ठा मजबूत नहीं होगी और जिन आधारों पर मोशन पेश किया है और जिसमें यह कहा गया है कि और बातों के साथ साथ जो वित्त मंत्री जी ने राष्ट्र-विरोधी बयान दिया है इस सदन के अन्दर और चूंकि ऐसे राष्ट्र-विरोधी फाइनेन्स मिनिस्टर, वित्त मंत्री को डिस्मिस नहीं किया गया है, बर्खास्त नहीं किया गया है, इसलिए समस्त मन्त्रि-मन्डल में अपना अविश्वास प्रकट करते हैं।

मैं आपका ध्यान कान्स्टीट्यूशन की दो दफाओं की तरफ दिलाना चाहूंगा कि जिसमें यह लिखा है कि यह कौन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स का निर्माण किस तरह से होता है, इस तरह से यूनियन केबिनेट बनती है और इस तरीके से स्टेट केबिनेट बनती है। मैं आपका ध्यान आर्टिकल ७५ और आर्टिकल १६४ ; इन दोनों आर्टिकल्स ऑफ दी कॉन्स्टीट्यूशन की तरफ दिलाना चाहूंगा...

**श्री निरंजननाथ आचार्य** (उप-मंत्री, गृह) अब : आपकी व्यवस्था के बाद can be there no canvassing.

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : उपाध्यक्ष महोदय, ये किस आधार पर बोल रहे हैं ?

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : इसके साथ साथ हमको यह मालूम पड़ जाय कि क्या सरकार यह चाहती है कि अविश्वास के प्रस्ताव पर यहां बहस हो ? क्या सरकार की यह मन्शा है ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : सरकार का प्रश्न नहीं है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आप बैठ जाइये।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : It does not come in the rules, Sir.

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : तो मैं इस प्रोवीजन पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि रूल्स में रिलेक्सेशन किया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं इसका स्पष्टीकरण कर दूं कि जो माननीय सदस्य इस रूल के रिलेक्सेशन के सम्बन्ध में कहना चाहते हैं इसलिए उनको इजाजत दी जाती है।

(विरोधी पक्ष की ओर से हियर, हियर)

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : मैं आपका ध्यान दो आर्टिकल्स की तरफ दिलाना चाहूंगा। संविधान में कहीं नो कान्फीडेन्स का प्रस्ताव पेश न करने का प्रावधान नहीं है, लॉ मिनिस्टर साहब, लेकिन फिर भी जो कुछ प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम हैं उनमें अविश्वास का प्रस्ताव पेश करने का रखा गया है और इसमें कॉन्स्टीट्यूशन इस क्लॉज को पढ़ने में क्या है यह मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि कौन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स को चीफ मिनिस्टर एपाइन्ट करता है और कौन्सिल ऑफ मिनि-स्टर्स गवर्नर के प्लेज़र पर जब तक कि गवर्नर को मर्जी है तब तक वह ऑफिस एन्जोय करती है। उस सारी प्रक्रिया में चीफ मिनिस्टर को एक बहुत बड़ा अधि-

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कार दिया गया है केबिनेट के एपोइंटमेंट का; कौन्सिल आंफ मिनिस्टर्स का अपाइटमेंट चीफ मिनिस्टर करता है और चीफ मिनिस्टर की सलाह पर ही गवर्नर किसी मिनिस्टर को डिस्मिस कर सकता है, जो प्रश्न इस सब्स्टेन्टिव मोशन में दिया गया है।

चूंकि उन्होंने राष्ट्रविरोधी बयान दिया है और ऐसे राष्ट्र विरोधी बयान देने वाले मन्त्री को मुख्य मन्त्री ने डिस्मिस नहीं किया है इसलिए एक विशेष परिस्थिति में अविश्वास का प्रस्ताव लाने का, उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न पैदा हुआ और यह परिस्थिति है कि सदन के शुरू होते हुए किसी तरह से कन्सीव नहीं किया जा सकता था और आप कहते हैं कि ११ बजे के पहले मोशन पेश होना चाहिए। माननीय वित्त मन्त्रीजी का बयान ४-१५ या ४-२० बजे हुआ है और हम किस तरह से ११ बजे यह मोशन ला सकते थे कि वित्त मन्त्रीजी ऐसा बयान देंगे? विरोधी दल के लोगों में यह ज्ञान नहीं है कि आने वाली घटनाओं को फोर-सी कर लें। ऐसा प्रस्ताव एक विशेष बयान के बाद में पैदा हुआ है। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। क्योंकि टैक्निकल रूल बताया गया है तो उस रूल को रिलेक्स करने का आपको अधिकार है और यह एक्सीजेन्सी सिचुएशन की ऐसी है कि यदि इसमें भी रूल्स रिलेक्स नहीं होता है तो मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा कोई कॉन्क्रीट परिस्थिति पैदा नहीं हो सकती जब कि किसी रूल को रिलेक्स किया जाय। माननीय उपाध्यक्ष, रूल का रिलेक्सेशन हम कई बार करते हैं, आप कई बार करते हैं, सदन कई बार करता है और थोड़ी थोड़ी परिस्थितियों पर कि यह बिल आज पास होना चाहिए, सरकार का बजट पास हो, ३१ मार्च के दिन हम रात के १२ बजे तक बैठ कर रूल्स को रिलेक्स करते हैं, दुबारा सिटिंग करते हैं। मेरा निवेदन है कि चीफ मिनिस्टर की ऐसी स्टेच्यूटरी ड्यूटी है कि वह ऐसे मिनिस्टर को डिस्मिस कर सकते हैं और वही कर सकते हैं। जब कि वह नहीं निभाये तब विरोधी दल क्या करे? विरोधी दल ने प्रस्ताव रखा है और चूंकि यह नियम है कि चीफ मिनिस्टर, कौन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाता है तो उसके विरुद्ध यह प्रस्ताव पेश किया गया है और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रूल्स को रिलेक्स किया जाय। चूंकि कॉन्स्टीट्यूशन में नहीं है, कॉन्स्टीट्यूशन में अविश्वास के प्रस्ताव का प्रावधान नहीं है और चूंकि प्रक्रिया और कार्य-संचालन के नियमों में अविश्वास के प्रस्ताव का दिया हुआ है और वे नियम इस सदन के बनाये हुए हैं। इसलिए उन नियमों को रिलेक्स कर सकते हैं और यह नहीं होनी चाहिए पाबन्दी कि हाउस के शुरू होने से पहले पहले अविश्वास का प्रस्ताव आना चाहिए। चूंकि परिस्थिति यहां पैदा हुई है और परिस्थिति के आधार पर नहीं किया जा सकता है इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसी परिस्थिति में रूल्स को रिलेक्स करें।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धारा १३२ जो इस सिलसिले में है, माननीय सदस्य ने जो अभी

(श्री मथुरादास माथुर)

कहा कि इस रूल को रिलेक्स कर दिया जाय तब रूल्स ऑफ प्रोसीजर एण्ड कन्डक्ट ऑफ बिजनेस में कोई ऐसा प्रोवीजन नहीं है जिससे मातहत रूल्स का रिलेक्सेशन हो सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह तो है।

श्री मथुरादास माथुर : रिलेक्सेशन ऑफ रूल्स का कोई नहीं, सस्पेंशन ऑफ रूल का है वह है क्लॉज ३०६। तो खण्ड ३०६ के मातहत रूल्स का सस्पेन्शन हो सकता है। रिलेक्सेशन ऑफ रूल्स होने का कोई प्रावधान अपने रूल्स में नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : Thank you for the final distinction Sir.

श्री मथुरादास माथुर : अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रूल के रिलेक्सेशन की मांग वह आप खुद ही मानते हैं कि सस्पेन्शन की होगी। अब ३०६ यह कहता है :

"Any member may with the consent of the Speaker..."

अव्वल में कोई सदस्य इसके लिए मांग रखे और कन्सेन्ट स्पीकर की हो कि उसका क्या हो–

"move that any rule may be suspended in its application to a particular motion before the House and if the Motion is carried the rule in question shall be suspended for the time being."

तो ये तीन कन्डीशन्स जो कि जरूरी हैं उनमें से एक तो यह है कि सदस्य कोई मूव करे और मूव करे उसके बाद में आप कन्सेन्ट दें मूव करने की और उसके बाद में तीसरी बात यह है कि हाउस इसको मन्जूर करे। ये तीनों बातें हो जायं तो रूल का सस्पेन्शन हो सकता है; उसके अलावा कोई प्रावधान इसमें नहीं है;

जिसमें हम रिलेक्सेशन सस्पेन्शन के तरीके से ही कर सकते हैं...

श्री मानिकचन्द सुराणा : प्रस्ताव सतीशचन्द्रजी ने पेश किया है, मैंने सपोर्ट किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने कहा रूल्स को सस्पेन्ड कर दिया जाय टैक्निकेलिटी को मीट करने के लिये।

श्री मथुरादास माथुर : आपका मोशन है तो पहले स्पीकर साहब उस पर कंसेन्ट दें। वे कंसेन्ट देते हैं या नहीं, यदि देते हैं तो फिर हाउस की राय ले लें। हाउस कंसेन्ट दे दे तो फिर आप १३२ (ए) और (बी) में आते हैं। वोट ओफ नो कॉन्फीडेन्स के लिये स्पेशल चेप्टर है, स्पेशल प्रोविजन है। जहां सस्पेन्शन होता है वहां रिलेक्सेशन के लिये स्पेशल प्रावधान है, इसलिये मुनासिब समझें वैसा करें। सबसे पहले स्पीकर साहब की कंसेन्ट की जरूरत है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, आपके द्वारा विरोधी दल के माननीय सदस्यों से बहुत नम्रतापूर्वक गंभीरता से निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्रीजी ने वक्तव्य में जो कुछ कहा वह एक उनकी अपनी बात है उसके बाद जो कुछ कार्यवाही होनी थी हो चुकी । मैं समझता हूं इस बात को सदन गंभीरता से सोचेगा । इस प्रकार की बात की चर्चा का असर क्या होता है उसका दुरुपयोग किस जगह किया जा सकता है इस पहलू पर ध्यान होना चाहिये, केवल राजनीतिक दृष्टि से या और दृष्टि से इस पर बहस करें वह चीज उपयुक्त नहीं होगी । मैं समझता हूं उनके भाषण में कोई वाक्य ऐसा दुर्भाग्य से निकल गया जिस पर बहस हुई वर्ना यह सभी जानते हैं कि वे कोई चीन के पक्ष में हो या राष्ट्रविरोधी हो ऐसी बात नहीं है । हमको यह नहीं भूलना चाहिये कि इस तरह की चर्चा का कल पेकिंग या दूसरे रेडियो दुरुपयोग न करें । जहां तक यह प्रस्ताव उपस्थित किया है, आप सब सहमत हों तो प्रोसिडिंग्ज में से भी एक्सपन्ज कर देना चाहिये ताकि इस प्रकार की चीज न बने ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मुख्य मंत्रीजी ने जो वक्तव्य दिया, उसका तात्पर्य यह है इस प्रकार का मोशन लाकर कहने पर मैं कहना चाहता हूं कि कोई ऐसी चर्चा चले जिसका बुरा असर हो देश में या राजस्थान में तो हम इस बारे में कह सकते हैं कि हमारे सदस्य इतने जागरुक हैं कि यदि कोई मंत्री ऐसी स्थिति में ऐसा वक्तव्य दे दे जो महत्वपूर्ण हो और इस बात पर शंका करे कि २० अक्टूबर को चीन का हमला हुआ या नहीं, ऐसी परिस्थिति में जब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति बुरी है तो हम इस महत्वपूर्ण बात को बनाना चाहते हैं कि हम लोग इस प्रकार की परिस्थिति जब होती है तो बहुत जागरूक हैं और इतने जागरूक हैं कि यदि कोई मिनिस्टर ऐसी परिस्थिति में देश के उस फैसले के मामले में इस प्रकार का वक्तव्य दे दें, जो वक्तव्य देश के नागरिकों के लिये बहुत खतरे का हो, उनके मोरेल को नीचा करने वाला हो, आदमी के दिमाग को कमजोर करने वाला हो, वहां इस बात को मजबूत करने के लिये....

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह कह रहा हूं, क्योंकि मुख्य मंत्रीजी के भावार्थ को समझ गया हूं, मैं उस भाव को ऊंचा करना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें बहुत बड़ी ताकत है । राजस्थान की विधान सभा के विरोधी पक्ष के लोग या सरकारी पक्ष के लोग देश पर हमला होने की तारीख के बारे में कोई शंका करता है तो इतना जागरूक है कि इस प्रकार के मंत्री को फौरन बर्खास्त करना चाहिये, उसकी मांग करता है । इससे देश की नुकसान नहीं होता, बल्कि जागरूक होता है । अब सवाल मुख्य मंत्रीजी का है, सरकार का है, वाकई आप यदि मोरेल ऊंचा करना चाहते हैं, नागरिकों को जागरूक करना चाहते हैं तो ऐसी संकटकालीन परिस्थिति और तारीख के ऊपर यदि कोई व्यक्ति चाहे

Page No 156



(श्री मुरलीधर व्यास)

वह मंत्री ही हो गलती करता है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही होती है। यहां पर मंत्रिमण्डल के एक सदस्य ने इस प्रकार का वक्तव्य किया जो ऐतराज काबिल है उस पर कार्यवाही होनी चाहिये। हमने जो प्रस्ताव रखा है उसके पीछे सेंस है। मुख्य मन्त्रीजी इसको समझें; यह दुर्भावना से नहीं रखा गया है...

**श्री निरन्जननाथ आचार्य** : ओन ए पोइन्ट ऑफ आॅर्डर, सर...

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज़ !

**श्री निरन्जननाथ आचार्य** : इस पर रेगुलर डिबेट का प्रश्न नहीं था। मुख्य मंत्रीजी का एक सजेशन था, अपील थी उस पर डिबेट का प्रश्न रेज़ नहीं होता है. एग्री करते हैं तो ठीक, डिसएग्री करते हैं तो रूल्स में जैसा है वैसा होगा, बहस नहीं की जा सकती।

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का आभारी हूं; विशेष तौर पर मुख्य मंत्रीजी का और सभापति महोदया का, जिन्होंने सदन की प्रतिष्ठा बचाई और इसके साथ साथ राजस्थान सरकार की और पूरे देश की प्रतिष्ठा को बचाया। मैं उसके लिये उन सबका बहुत आभारी हूं। मुख्य मंत्रीजी ने अभी सदन से अपील की कि इस प्रकार की चर्चा करने से हमारे दुश्मन, विशेष तौर से चीन पेकिंग का नाम लेकर कहा, वे लाभ उठायेंगे। हमने भी इस प्रश्न को जो सदन में रखा उसके पीछे कुल भावना यह थी कि सदन में जो बातें कही गई उनका लाभ दुश्मन, पेकिंग सरकार उठा सकती है, यह बात सही है। मान लीजिये मंत्रीजी पर आलोचना हुई, उन्होंने क्षमा मांगी, उसके बाद प्रश्न यह आता है कि मंत्री महोदय ने जिस प्रकार का काम किया, जिस काम के बारे में मुख्य मंत्रीजी को भी शंका है कि पेकिंग सरकार लाभ उठा सकती है, उस प्रकार का काम और इस प्रकार की भाषा, जिस भाषा का दुरुपयोग हम नहीं कर सकते दुश्मन कर सकते हैं इस प्रकार के शब्द मंत्री के मुंह से निकल जायं और उसके लिये क्षमा मांगें, यह एक तथ्य एक स्टेज पर हुआ, लेकिन उसका दुरुपयोग अब न हो, उसको रोकने की सबसे बड़ी व्यवस्था यह हो सकती है जैसा मुख्य मंत्रीजी ने साहसिक कदम उठा कर सदन में कहा कि मंत्रीजी को क्षमा मांगनी चाहिये, थोड़ा साहस और करें जैसे आपने उनको माफी मांगने के लिये मजबूर किया, चेयर द्वारा दोहराने के बाद आपने उनको माफी मांगने के लिये जिस प्रकार मजबूर किया, उसी प्रकार साहस के साथ आप मंत्री महोदय से त्याग-पत्र ले लें। यदि वे त्यागपत्र नहीं दें, जैसी कि उनकी आदत है तो आप उनको बर्खास्त कर दें, तो पेकिंग इस स्थिति का लाभ नहीं उठा सकता। हमारे पास प्रतिवाद होगा कि एक आदमी जो जिम्मेदार पद पर था उसने इस प्रकार कह दिया था तो राजस्थान की हकूमत ने, सरकार ने और राजस्थान की विधान सभा ने उस आदमी को निकाल दिया, ऐसे आदमी का मूल्य नहीं समझा। इस तरह से इस सारे कथन का आप मूल्य ही कम कर दें तो मैं समझता हूं वह प्रक्रिया

(श्री भैरोंसिंह)

की बात के आधार पर हम दुश्मन की जुबान बंद कर सकते हैं। हमने कुछ प्रक्रिया के कारण ऐसा नहीं किया या आपने प्रोसीडिंग्ज में से एक्सपन्ज कर दिया और वातावरण इस तरह का नहीं बनाया तो मैं कहना चाहूंगा कि चीन उसका लाभ उठायेगा; एक मंत्री ने बात कही उसको दबा दिया, इस भावना से चीन निश्चित रूप से लाभ उठावेगा। लेकिन यदि हमने इसको सेन्सर कर दिया तो वह इसका लाभ नहीं उठा सकेगा।

मन्त्री महोदय को अगर आप सेंसर कर दें, उनको उनके मन्त्री-पद से हटा दें तो चीन की हिम्मत नहीं हो सकती कि वह उनके कथन का दुरुपयोग करे। हमने शेख अब्दुल्ला को देश-द्रोह के मामले में जेल में रक्खा तो कांग्रेस ने कहा कि गलत स्टेटमेंट दिया था, देश के प्रति गद्दारी की इसलिये हमने जेल में रख दिया तो पाक एजेन्टों ने पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने उस स्टेटमेन्ट का दुरुपयोग करने की हिम्मत नहीं की।

इसलिये मैं कहूंगा कि देश-हित में हमारे इन कौल साहब को यहां से अविलम्ब हटाया जाय और इनको हटाने के लिये ही प्रस्ताव यहां प्रस्तुत किया गया है। इसमें अगर टैक्निकल डिफिकल्टी हो कोई, तो उपाध्यक्ष महोदय, हाउस के आप कस्टोडियन हैं। रूल्स को रिलेक्स करना आपके हाथ में है। सदन की प्रतिष्ठा आपके हाथ में है, राजस्थान की हुकूमत की और देश की प्रतिष्ठा आपके हाथ में है, उस प्रतिष्ठा के प्रश्न को हाथ में रख कर सरकारी पक्ष टैक्निकलिटी के नाम पर इस मोशन को जो नहीं लिये जाने की दलील दी जाती है उस पर गौर न करते हुए देशहित में यह आवश्यक होगा कि उनके प्रति इस सेंसर मोशन को लिया जावे और मैं सरकारी बेंचों से निवेदन करूंगा कि इसमें तो अगुवा होना चाहिये था उनको उनके मन्त्रि मण्डल को तैयार होना चाहिये था, उनकी तरफ से भी तैयारी नहीं थी तो हमें सामूहिक रूप से यह लाना चाहिये था, और सबकी तरफ से मुख्य मन्त्रीजी घोषणा करें कि कौल साहब को यहां से निकाला जावे।

अगर आप निकालने का वादा करते हैं तो स्पष्ट रूप से मैं विश्वास दिला सकता हूं कि इस अविश्वास प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। पर इसके विपरित परिस्थितियों में तो आवश्यक है कि इस अविश्वास प्रस्ताव को रखा जावे।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (आसपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरी इच्छा तो नहीं थी विशेष कुछ इस सम्बन्ध में कहने की, पर जो कुछ भी हुआ है वह दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

माननीय मन्त्रीजी की कुछ भी इच्छा हो, लेकिन आफ्टर ऑलही इज एह्युमन बीइंग और उन्होंने कुछ ऐसी बात कही कि माननीय सदस्यों को खास करके इधर की तरफ जो बैठे हैं उनको वह अखरी; अच्छी नहीं लगी और उस पर बात का बतंगड़ भी हुआ। तो मेरे ख्याल से तो इसमें कोई विपरीत वातावरण चीन में उत्पन्न हो

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

या चीन इस सदन के वातावरण से लाभ उठावे, ऐसी तो समस्या या सम्भावना प्रतीत नहीं होती। और जो कि हम विरोधी पक्ष का कर्त्तव्य था उस कर्त्तव्य के रूप में अगर हमने यह सेन्सर मोशन टेबल भी किया है तो उस सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, आप ही का यह अधिकार है कि आप व्यवस्था दें और आपकी जो भी व्यवस्था होगी वह सर्व मान्य होगी।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नेता महोदय के अपील करने के बाद में और जयपुर से आने वाले माननीय साथी, जनसंघ के नेता ने जो कुछ भी कहा और विरोधी दल के नेता ने भी कहा, यह किसी पार्टी का विषय नहीं है, आपस में कन्वेन्शन और इमोशन का विषय है। जब दल के नेता ने स्वयं ने इस विषय को लेकर बयान दिये पहले और इसके बाद में सदन में माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो कुछ भी किया उसके बाद इस बात को लेकर सदन में कुछ परम्पराएं बननी चाहिये।

कई सियासी मामलों में सरकार में अविश्वास लाया जाता है और लाया जा सकता है और इसका सभी को पूरा अधिकार है। पर कुछ ऐसे नाजुक मामले भी होते हैं जिन पर हमें गहराई से सोचना होगा और मैं खास तौर ये विरोधी दल के नेता से अपील करूंगा और दूसरे अन्य हमारे दलों के नेताओं से भी अपील करूंगा कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनको सियासी रूप न देकर उसी के मेरिट्स पर देखना होता है क्योंकि यह तो बात सदन में बैठने वाले सभी जानते हैं, यह कोई नहीं मानता कि वित्त मंत्री महोदय ऐसे हो सकते हैं, उनके स्वयं के विचार और पास्ट सेक्रीफाइसेज़ हैं. वे कोई दिल से इस बात में विश्वास रखते हों, यह तो कोई नहीं मानता।

अब दौराने किसी दलील और बहस ऐसे अल्फाज़ निकल गये जिनके निकालने की मन्शा उनकी भी नहीं थी, पर निकल गये और बात का बतंगड़, जैसा विरोधी दल के नेता ने कहा, हो गया। ऐसी बात को हमें ज्यादा नही बढ़ाना चाहिये और मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा खास तौर से विरोधी दल के नेता से और जनसंघ के नेता से और सोशियलिस्ट पार्टी के नेता से कि इस मौके पर ऐसी परम्परा कायम करें कि आपको अगर राज्य सरकार में अविश्वास लाना है तो कई अवसर होते हैं और भविष्य में भी हो सकते हैं, पर इस विषय को लेकर जब कि उस पर सदन में एपोलॉजी हो गई, आपकी मांग पर, नेता ने भी काफी कह दिया, इसके बाद में फिर माफी मांगने पर या एपोलॉजाइज़ करने के बाद में आगे ले जावें तो सदन की न यह अच्छी परम्परा होगी न आपके लिये बढ़प्पन मालूम होगा। इसलिये अपील करूंगा कि इस प्रस्ताव को प्रेस नहीं किया जावे और सदन की कार्यवाही आगे के लिये जो मुकर्रर की गई है वह चालू की जावे। मैं समझता हूं कि सदन के नेता की अपील को आप स्वीकार करेंगे और खास तौर से विरोधी दल के नेताओं से।

**श्री उपाध्यक्ष** : जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, प्रश्न यह है कि उसको प्रेस नहीं किया जावे ।...

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय...

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष तौर से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ नाजुक मामले होते हैं, इसमें शक नहीं। देश की सुरक्षा के सम्बन्ध में कोई आशंका इस तरह प्रकट की जावे निश्चत तौर से उससे हमारे देश की भावनाओं को ठेस पहुंचती है ।

पर जिस तरह से ये घटनाएं घटीं और मुख्य मंत्रीजी ने अपने एक साथी मंत्री को इस बात के आदेश दिये कि माफी मांग लें और सदन से जिस तरह उन्होंने माफी मांगी, अध्यक्षीय आसन से भी व्यवस्था दी गई और अब इसके बाद मुख्य मंत्री महोदय ने जो सदन से अपील की है और अपील इस बात की कि इस बात को व्यर्थ में तूल नहीं दिया जाना चाहिये और भावनाओं को समझना चाहिये, मैं समझता हूं कि हाउस को माननीय मुख्य मंत्रीजी की इस भावना का आदर करना चाहिये और इस प्रश्न को यहीं खत्म करके सदन की कार्यवाही को आगे चलाने का प्रयास करना चाहिये इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्रीजी की व्यक्त की गई भावना को और अन्य सदस्यों की भावनाओं का हम आदर करते हैं। मैं सदन के सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि अब इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही न की जाय ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : उपाध्यक्षजी...

**महारावलश्री लक्ष्मणसिंह** : मैं इसका हार्दिक समर्थन करता हूं ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, आज माननीय वित्त मंत्रीजी ने बहस का उत्तर देते हुए अपने भाषण में कुछ घटनाओं के बारे में जो चीन ने हमारे देश पर २० अक्टूबर को आक्रमण किया उसके सम्बन्ध में जो उन्होंने एक ऐसा स्टेण्ड लिया जो वास्तविक स्थितियों से भी अलग था, यानी चीन ने जब २० अक्टूबर को मैकमोहन लाइन को क्रोस करके अपनी आर्मीज हमारे देश में मार्च कर दीं तो हमने उस समय बाकायदा दुनिया में डिक्लेअर किया कि चीन ने हमारी अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर जो सीमाएं थीं और जिनको मानने के लिये चीन वचनबद्ध था और उसको मानने के लिये भी पहले चाऊ एन लाई की वार्तालाप हुई थी हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय पं० जवाहरलालजी नेहरु से कि जिसमें चाऊ. एन. लाई ने कहा था कि हम वह लाइन मानते हैं, हम उसे क्रोस नहीं करेंगे ; पर बाद में उन तमाम बातों को छोड़ कर २० अक्टूबर को उसे क्रोस किया और उस पुरानी दोस्ती पर पानी फेर कर आक्रमण हुआ ऐसा हमारे देश ने, हमारी सरकार ने और हमारी जनता ने घोषणा की ।

माननीय वित्त मंत्रीजी, उस सम्बन्ध में अपनी जानकारी न होने के कारण इतिहास के सम्बन्ध में या किन्हीं और कारणों से, जिनके लिये मैं कह नहीं सकता, परन्तु उन्होंने एक स्टेण्ड लिया जो वास्तविकता

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के अनुसार नहीं था, जनता की मान्यताओं के अनुसार नहीं था और सरकार की मान्यताओं के अनुसार भी नहीं था। लेकिन मैं समझता हूं कि इस हाउस में इस बारे में एक स्टेण्ड लेकर उन शब्दों को भी वापिस लिया और इस सदन में उसके लिये क्षमा-याचना भी की और क्षमा-याचना के बाद, मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी इस गलती को अहसास किया है और उस मामले को समाप्त किया है।

मैं यह चाहता हूं कि इस मामले को अब उसके बाद इस बुनियाद के ऊपर इस सरकार के प्रति या माननीय वित्त मंत्री के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव लाना, वह इस बात को आवश्यकता से अधिक तूल देना होगा।

( ६.म.प. )

वास्तव में इस सरकार के प्रति हमारा विश्वास नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है और मैं समझता हूं कि सरकार के खिलाफ इसकी अभी भी नेग्लीजेन्स मिसफेजेन्स, नॉन फेजेन्स हैं, जो काम इसको करने चाहिए वह नहीं किये, ऐसी कितनी ही बातें हैं और विशेष तौर पर जिस तरह यह सरकार खाद्य समस्या को डील कर रही है, जिस तरह खाद्य समस्या को हल न करके...

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में कहें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिस तरह लोगों को भूखों मारने की स्थिति बनाये हुए हैं, इस सबके बारे में मैं समझता हूं कि अपोजीशन को सारे को मिल कर अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए था। उस तरह की चर्चा चली भी थी, वह किस कारण से पीछे रह गई, यह मैं नहीं कह सकता। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस अविश्वास के प्रस्ताव को न रख कर हम अपनी जो शक्ति है उसकी एक सही स्थिति में उपयोग करें ताकि हाउस की परम्परा भी अच्छी पड़े और राजस्थान की जनता पर भी उसका अनुकूल प्रभाव पड़े।

श्री उपाध्यक्ष : I hope the Hon'ble member will withdraw.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व इसके कि मैं आपका ध्यान संविधान की धारा १६४ की ओर दिलाऊं, मैं जो अभी एक प्रश्न यहां पर उपस्थित हुआ है और जिसके सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण करना अत्यन्त आवश्यक है; शायद कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, जो इस अविश्वास के प्रस्ताव को जिस आधार पर लाया गया है, उसका जो विरोध किया और उसके सिलसिले में जो खाद्य समस्या की बात कही है और जो यह इम्प्रेशन देने की कोशिश की है कि केवल खाद्य समस्या का हल नहीं निकाल रही है और सरकार की कई नेग्लीजेन्स इन पॉलिसियों के बारे में है, वह केवल मात्र आधार हो सकता है अविश्वास प्रस्ताव का। और चूंकि वह इसमें नहीं है इसलिए अविश्वास के प्रस्ताव के पक्ष में वह नहीं हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करता हूं कि यह जो प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव को

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ड्राफ्ट करते समय मुझे इस बात की शंका थी कि शायद चाइनीज़ अग्रेशन के सम्बन्ध में सदन में वादविवाद हो, यह उसके पक्ष में नहीं हों या यह इनके लिए रुचिकर नहीं हो; इसलिए सरकार के प्रति बाकी जितने मुद्दों पर अविश्वास पैदा किया जा सकता है वह तो ठीक है, जितने सवालों को उपस्थित करके सरकार के प्रति अविश्वास की भावना को उभारा जा सकता है — उन सारे सवालों में इनकी दिलचस्पी है लेकिन देश की सुरक्षा का सवाल आता हो, देश की सीमा की सुरक्षा का सवाल आता हो, चाइनीज़ अग्रेशन का सवाल आता हो, और इनका सदन के सामने सवाल खड़ा होता हो, और सरकार की और किसी की निन्दा करने का सवाल खड़ा हो तो वह इनके लिए अनुचित बात है। उपाध्यक्ष महोदय, सारे देश की सीमा का सवाल सारे देश की सीमा की सुरक्षा का सवाल और सारे देश का मोरेल बढ़ाने का सवाल है उसके लिए एक योजनाबद्ध कार्यक्रम इस कम्युनिस्ट पार्टी ने तय किया है। मेरी मान्यता है कि जो लेफ्ट कम्युनिस्ट हैं वे जो महसूस करते हैं वही कहते हैं, गद्दारी की बात महसूस करते हैं तो गद्दारी की बात कहते हैं लेकिन मन में कुछ और हो, मुंह से कुछ और कहें यह राइटिस्ट कम्युनिस्ट फोर्स है....

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : हम वे लोग नहीं हैं जो यहां पर अविश्वास की बात करें और मिनिस्टर के चेम्बर में जाकर तनख्वाह की बात करें और तनख्वाह बढ़ जाय तो उसको वापिस ले लें। इस तरह के हम नहीं हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : यह बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। किसी ने मिनिस्टर के चेम्बर में जाकर नहीं कहा है।

(शोर–व्यवधान)

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : मैं जनसंघ के नेता से पूछता हूं कि आपने कहा कि खाद्य समस्या के ऊपर हम अविश्वास का प्रस्ताव लायेंगे। हमने कहा कि हम उस अविश्वास के प्रस्ताव में सहयोग देंगे। अब कहते हैं कि नहीं लायेंगे। तो हम अविश्वास के प्रस्ताव पर सहयोग देते रह गये और आप पीछे क्यों हट गये ?

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आपने अविश्वास का प्रस्ताव पढ़ा है ?

**श्री रामानन्द अग्रवाल**: हमको पढ़ाया ही नहीं है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आपने पढ़ा नहीं है तो फिर दस्तखत कैसे करे ?

आपको मालूम होना चाहिए कि अविश्वास का प्रस्ताव ड्राफ्ट किया है उसमें लिखा है-इस सदन का मत है कि यह सदन अन्य कारणों से और वित्त मंत्रीजी ने जो राष्ट्रद्रोही वक्तव्य दिया है उसके बाद भी सरकार ने उनको बर्खास्त नहीं किया है और मंत्री परिषद् में बनाये रखा है इसलिए अन्य कारणों के साथ साथ यह भी कारण है और इसलिए सरकार में अविश्वास प्रगट करते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव को

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ड्राफ्ट करने वाले की तारीफ आपको करनी चाहिए कि इतने छोटे शब्द को देकर इतना वाइड स्कोप रखा है, और जो फूड पॉलिसी का मामला है, फूड बंगलिंग का मामला है, सरकार के करप्शन का मामला है, सरकार की नेग्लीजेन्स का मामला है–ये सारे मसले इस एक शब्द 'अन्य कारणों के साथ' में लिया है। हम सारे कारणों को अलग अलग क्यों देते ? क्या केवल अविश्वास का एक ही रीजन है कि फूड समस्या के हल होने से सारी समस्या हल हो जायगी ? आपकी तो रामानन्द जी खाली आदत है...

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : खाली आपका ही अधिकार है यहां के लिए ?

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : और इसीलिए हम आपका विरोध करते हैं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : लोगों से बात भी न करें, विचार-विनिमय भी नहीं करें; आपको कोई ठेकेदारी नहीं दे दी है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान–आपसे (रामानन्द-जी से) बात कैसे करें। आप दो आदमी हैं और एक साथ बात करते हैं, बोलते हैं, दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। इसका एक ही हल हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन के सामने विधि मंत्री ने कुछ बातें रखीं और सदन के नेता ने सदन के सामने कुछ सुझाव रखे हैं। मैं समझता हूं कि उस पर सभी पार्टी के नेताओं ने अपने अपने विचार रखे। मैं भी इस सम्बन्ध में एक बात करना चाहता हूं कि संविधान की धारा १६४ है उसकी धारा ३ में एक बात लिखी हुई है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसके जो प्रिविलेजेज और उसके जो कन्वेन्शन्स हैं वे प्रिविलेजेज और कन्वेन्शन्स पूर्णतया हमारे जैसे देश में लोकतांत्रिक पद्धति में फॉलो होने चाहिए। मैं उपाध्यक्ष महोदय, सदन का इस सम्बन्ध में इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इंग्लैण्ड में पिछले दिनों जो घटना हुई उस घटना का देश की सिक्योरिटी से सम्बन्ध था और इंग्लैंड की सरकार के जो एक मंत्री थे, उस मंत्री को और किसी आचरण के कारण बर्खास्त नहीं किया, उनके किसी आचरण के कारण उस मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया। इंग्लैंड में जो प्रोफ्यूमो-कीलर काण्ड हुआ उस काण्ड को लेकर ब्रिटिश केबिनेट के एक मंत्री प्रोफ्यूमो को बर्खास्त किया और उसका इस्तीफा लेकर उसे मंत्रिमण्डल से हटाया। प्रोफ्यूमो का कीलर के साथ दुराचरण करना ही इस बर्खास्तगी का एक मात्र कारण नहीं था, लेकिन उसके साथ इस काण्ड में ब्रिटेन की नेशनल सिक्योरिटी का सवाल जुड़ा हुआ था; इसलिए इंग्लैंड की जनता ने उस काण्ड को महत्वपूर्ण समझा और यह समझ कर ही उसके विरुद्ध आवाज उठाई की दुनियां में इंग्लैंड की ब्रिटिश पार्लियामेंट के जरिये इस प्रकार की परम्परा नहीं डालनी चाहिए, जो उन परम्पराओं के विपरीत हो, जो परम्परायें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डाली हैं या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डाली हैं।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मैं समझता हूं कि इस तरह की परम्परा डालने से राजस्थान का नाम सारे हिन्दुस्तान में ही ऊंचा नहीं होगा बल्कि राजस्थान का नाम दुनिया के सामने ऊंचा होगा, जिस तरह इंग्लेंड का कन्वेन्शन है कि ब्रिटिश केबिनेट से प्रोफ्यूमो को सिक्योरिटी के आधार पर बर्खास्त किया गया, उसको मन्त्रिमण्डल से हटा दिया गया, उसी प्रकार यहां पर सुखाड़िया साहब आप साहस करके, हिम्मत के साथ, अपनी सता की चिन्ता न करते हुए सदन की प्रतिष्ठा के आधार पर, राष्ट्र-हित को दृष्टि में रखते हुए, देश के हित को दृष्टि में रखते हुए और स्वस्थ संसदीय परम्पराओं को कायम करने के लिए, जिस प्रकार ब्रिटिश मन्त्रि परिषद से प्रोफ्यूमो को बर्खास्त किया गया उसी प्रकार राजस्थान के वित्त, मन्त्री बालकृष्ण कौल को राजस्थान की मन्त्रि-परिषद से बर्खास्त किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रजातांत्रिक परम्परा और कन्वेन्शन्स कायम करने की बात कही जाती है उसके आधार पर ही इस प्रकार की परम्परा हम इस सदन में डालें, इस देश में डालें तो मैं समझता हूं कि दुश्मनों के हौसले पश्त हो जायेंगे, इससे देश का मोरेल बढ़ेगा, जनता का मोरेल बढ़ेगा और सदन की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, राज्य सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और इसके साथ ही साथ कांग्रेस के शासन की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि रूल १३२ (१) ए. बी. है. इसको सस्पेन्ड किया जाय और टेक्निकेलिटी के आधार पर, यह जो सारा अविश्वास का प्रस्ताव इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करने के लिए पेश हुआ है, उस रूल को सस्पेन्ड करके इस अविश्वास के प्रस्ताव को एडमिट किया जाय और इस सम्बन्ध में वादविवाद करने के लिए सदन के नेता के साथ विचार-विमर्श करके आप समय निर्धारित कर लें, चाहे कल से ही हो और चाहे सोमवार से हो। जो समय निर्धारित करें उस समय इस पर वादविवाद करने की इजाजत दी जाय।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : यह जो हमारे सामने एक प्रश्न है....

**श्री मथुरादास माथुर** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट अर्ज कर दूं...

**एक माननीय सदस्य** : इसमें पार्टी-वार्टी से काम नहीं चलता है।

**श्री मथुरादास माथुर** : अभी जो सदन के नेता महोदय ने अपील की थी और उस पर विरोधी दल के नेता ने अपने विचार रखे और सदन के माननीय सदस्यों ने विचार रखे, करीब करीब मुख्य मुख्य लोगों ने अपने विचार रख दिये। अब उसके बाद में ..

**श्री भैरोंसिंह** : क्या हो गया ?

**श्री मथुरादास माथुर** : प्रश्न यह है कि कन्सेन्ट दी जाय या नहीं-दी जाय कि मोशन रखा जाय। इसके लिए यह जानना जरूरी है कि विरोधी दल इसके बाद इस प्रस्ताव को पेश करता है या नहीं ? सदन के नेताके बाद सदन में विरोधी दल के नेता होते हैं। वह कहें...

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : कन्सेन्ट का सवाल पैदा होता है या नहीं, यह सवाल इन्वोल्व नहीं करना चाहिए।

**श्री मथुरादास माथुर** : तो सवाल दूसरा पैदा होता है। मेरे ख्याल में जनसंघ के नेता से विचार करके वह अपने विचार रख दें।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा नाजुक सवाल है और मेरे ख्याल में माननीय सदस्य, जो विरोधी दल में हैं, वे बाल की खाल निकालना चाहते हैं। उसमें कुछ हद तक तथ्य हैं। जहां तक मेरी समझ में आया, कोई प्रोफ्यूमो और कीलर की एनोलोजी के ऊपर अपोजीशन हो, ऐसा तो मेरे ख्याल में कोई नुक्ता या वजूद नजर नहीं आता है। और माननीय विधि मंत्री...

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : खुश हो रहे हैं !

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : आप खुश हैं तनख्वाह बढ़ने के मामले पर।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : तुम्हारी जैसी में चोर बाजारी नहीं करता हूं।....

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : तनख्वाह के आधार पर आपने अविश्वास का प्रस्ताव छोड़ दिया। आप अच्छी तनख्वाह चाहते हैं...

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : यह बिल्कुल गलत बात है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने तनख्वाह के आधार पर अविश्वास के प्रस्ताव को छोड़ दिया। मन्त्रिमण्डल ने आपको बेवकूफ बना कर अपनी तनख्वाह बढ़वा ली और आपने तनख्वाह बढ़ जाने से अविश्वास का प्रस्ताव नहीं दिया...

**श्री राधाकृष्ण गोयल** : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर...

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : आपने हमें धोखा दिया है। आपने कहा था कि अविश्वास का प्रस्ताव आयेगा। हमने कहा था कि अगर तनख्वाह बढ़ाने का मामला आयेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। आपने कहा था कि वह पन्द्रह को आयेगा। लेकिन आपने धोखे से हमारे पीछे से उस प्रश्न को सदन में रखवा लिया और उसे पास करके अपनी तनख्वाह बढ़वा लीं और इसलिए आप अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाये। आप जनता के साथ धोखा करते हैं...

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : हम हाण्डा की तरह नहीं हैं जो उस दिन हाउस में होते हुए भी चाय पीने के लिए चले गये; ऐसा हमने नहीं किया।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : आप सौ रुपये में खरीदे गये हो। अरे! आपके अन्दर हिम्मत नहीं है अविश्वास का प्रस्ताव लाने की।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर)**: यह गलत है। मैं चाय पीने नहीं गया था।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : आपने बिल बना कर पैसा ले लिया।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : मेरे ख्याल से....

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : तनख्वाह तो चुपके से बढ़वा ली।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : यह गलत है हमने इसका विरोध किया है। आपने ही आकर हम से कहा था कि इसका विरोध मत करना। पहले तो हमारी खुशामद करते रहे। हमने तो कहा था कि नहीं, हम तो विरोध करेंगे, कड़ा विरोध करेंगे; यह हमारे सामने आना चाहिए। आप छुप कर चुपके से ले आए और फिर परम्परा कायम करने की बात करते हैं ! आज गरीब जनता मर रही है, गरीब क्लर्क मर रहे हैं, उनका महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा सकते, उनको महंगाई के अनुसार भत्ता नहीं दिलवा सकते हैं; उसके ऊपर आप यहां बातें करते हैं ! आपने चुपके से कुलड़ी में गुड़ फोड़ लिया, चुपचाप अपना महंगाई भत्ता बढ़ा लिया।

**श्री मथुरादास माथुर** : क्या माननीय सदस्य बढ़ा हुआ वेतन लेंगे नहीं ?

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : माननीय वित्त मंत्री ने...

**श्री उपाध्यक्ष** : आप कुछ कह रहे हैं ?

**श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा)** : कह दो कि बढ़े हुए सौ रुपये नहीं लोगे, केवल तीन सौ रुपये ही लोगे। फालतू की बात करते हो !

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी की नीति है और मैं भी ऐसा समझता हूं कि यह एक सिद्धान्त की बात है, हमने सेंसर मोशन जब टेबल किया तो इस सम्बन्ध में...

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आप बातें करते हैं, ६० लाख का खर्चा बढ़ाने के लिए तैयार थे, हर मेम्बर को जीप, पूल की जीप मिलनी चाहिए।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : यह बात सही है और मैं अब भी कहता हूं कि जनता में जाने के लिए, अपनी कॉस्टीट्यूएंसीज़ में जाने के लिए अगर हमें जीप मिलती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं इसमें कोई बुराई नहीं समझता। लेकिन इस तरह से बैंक बेलेंस बढ़ाना तो ठीक नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज !

**श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक)** : उपाध्यक्ष महोदय, यह किस बात पर बहस कर रहे हैं, किस विषय पर बहस हो रही है ? मैं समझता हूं कि ऐसे बातें नहीं करने दी जावें।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : मैं केवल इतना ही निवेदन...

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : जब यहां पर तीन सौ से चार सौ कर दिए तो मजदूरों की बातें करते हो, लेकिन जो मजदूर फुटपाथ पर मरते हैं और आप सरकारी खर्चे पर बिजली पानी खर्च करके बंगलों में मजे कर रहे हो; सरकार का ही नमक खाते हो और सरकार को ही गाली देते हो।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : आप तो नमक हलाली कर रहे हो ।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्यों से मेरा इतना ही कहना है कि अभी जितना वाद-विवाद हो चुका है, सरकार का सजेशन भी इस सदन में आ चुका है, उस दृष्टि से आप इसको प्रेस करेंगे अथवा नहीं, इतना कह दें । रूल्स के रिलेक्सेशन के लिए जो कुछ भी कहा है उसको आप प्रेस करना चाहते हैं या नहीं ?

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो...

**श्री उपाध्यक्ष** : इस विषय में सारा विवाद हो चुका है ।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : दो तीन मिनिट में ही अपनी बात कह दूंगा ।

**श्री मथुरादास माथुर** : उपाध्यक्ष महोदय, बहस जो चल रही है वह कंसेंट के बारे में है । सदन के नेता महोदय ने एक अपील की और विरोधी दल के नेता ने भी उस अपील को माना और बाकी लोगों ने भी अपने विचार रखे और उसी पर बहस चल रही है । लेकिन अभी तक तो आपने अपनी कंसेंट दी ही नहीं है । आपकी कंसेंट हो तो यह आगे चले ।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एक प्रश्न हमारे सामने है और जिसके बारे में काफी बहस हो रही है, मैं नहीं समझता कि इस बात के लिए इतनी बहस की आवश्यकता थी । होता अच्छा यदि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस हाउस के सामने जो अपनी बात कही, वह खुद आगे होकर कहते कि जो चार्जेज़ अपोजीशन की तरफ से मेरी सरकार और वित्त मंत्री के खिलाफ लगाए गए हैं मैं उनको फेस करने को तैयार हूं और यह अविश्वास का प्रस्ताव रखा जाना चाहिए । उनकी पार्टी और उनकी सरकार को यह बात कहनी चाहिए थी । बजाय इसके उन्होंने जो बात कही है वह शायद उनका इंटेंशन कहने का नहीं था । मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री, जवाहरलालजी नेहरू जो थे उनकी एक बात याद दिलाना चाहता हूं । जिस वक्त यहां चीन का हमला हुआ हिन्दुस्तान पर और उस वक्त में कृष्णामेनन जो थे उनके खिलाफ देश की जनता ने आवाज उठाई तो उसके ऊपर जवाहरलाल जी ने यह नहीं सोचा कि कृष्णा मेनन ने इसी हिन्दुस्तान के बारे में यू. एन. ओ. में कितनी बहस की थी, कितना अच्छा काम किया था, वे सारी बातें उन्होंने नहीं सोचीं और जब देश के अन्दर उनके विरुद्ध आवाज उठी तो उन्होंने कृष्णा मेनन से इस्तीफा मांगा और वह इस्तीफा मंजूर किया । मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा अभी कहा गया, कि हमारे वित्त मंत्री बहुत पुराने कार्यकर्त्ता रहे होंगे; मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर आज इस हाउस में यह एक मसला आया है और इससे पहले भी एक महिला के बारे में कहा गया था कि वह चीन की एम्बेसी का चक्कर लगाती रही है और दूसरे मसले भी आये हैं....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : आज वित्त मंत्रीजी का मसला जो कि एक मंत्री हैं अगर यही बात कोई अपोजीशन का, आदमी आपके सामने रख दें तो मुख्य मंत्रीजी क्या कहते । जब हमने लेफ्ट कम्युनिस्टों की गिरफ्तारी के बारे में कहा था कि आप उनको अदालत में पेश करिए तो क्या कहा था हमारे मुख्य मंत्रीजी ने वे यह नहीं मानते कि चीन ने हिन्दुस्तान पर हमला किया और यही बात फाइनेन्स मिनिस्टर आज भी नहीं मानते हैं । मैं यहां सबूत देना चाहता हूं कि जब उन्होंने माफी मांग ली और फिर भी इनके सामने जो कागजात पड़े हुए हैं उनको देखने से मालूम पड़ जायेगा कि इनको अभी भी इसमें शंका है । जो कुछ इन्होंने हाउस में अभी कहा वह आपके दबाव से कहा और आपके दबाव से ही माफी मांगी है, लेकिन उनको संतोष नहीं है । इसीलिये ये भारत सरकार की रिपोर्ट्स लेकर आये हैं तो अब ये क्या एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं ? ये जो एक्स्प्लेनेशन देना चाहते हैं इसमें भी मुझे शक है । इसलिए जिसके मंत्रि-मण्डल में ऐसे लोग हों, जो मंत्री इस तरह की बात करते हों....

**श्री उपाध्यक्ष** : यह बहस किस चीज की हो रही है ?

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : इस बात का यह...

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य ।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : विचार हमारे सामने है कि देश की सुरक्षा की बात को सामने रखते हुए मैं मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि अगर आप में देश भक्ति है तो ऐसे देशद्रोहियों को निकाल दीजिए अपने मंत्रि मण्डल से ।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्य-मन्त्री): अभी प्रश्न विचारणीय यह है कि क्या यह सदन की की राय है कि इस प्रस्ताव को यहां पर पेश होने की अनुमति दी जाय, रूल्स को रिलेक्स करके । मैं इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव के बारे में मैंने जो सदन से अपील की थी तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह महसूस करता था कि उसी गम्भीरता के साथ उस बात पर सभी विचार करते । मुझे इस बात की खुशी है कि इस सदन के विरोधी दल में बैठने वाले भी कई महानुभावों ने इसकी गम्भीरता को अनुभव किया था लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने उस बात को उस दृष्टि से न लेकर मैं ऐसा समझता हूं कि अपने भाषण के दौरान में भी "राष्ट्र विद्रोही" और 'देशद्रोही' के शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं । मैं निश्चित तौर से यह कहना चाहता हू कि जहां तक 'राष्ट्र विद्रोह' की बात है इस कांग्रेस पार्टी के अन्दर एक भी व्यक्ति राष्ट्र विद्रोही नहीं है, सब राष्ट्र-प्रेमी हैं

जहां तक वित्त मंत्री का प्रश्न है मैं निश्चित तौर से कह सकता हू और मैंने उनसे अपनी तरफ से भी उन शब्दों को

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

वापस लेने के लिए कहा है। मै समझता हूं कि इतनी बड़ी बात कहीं भी नहीं हुई होगी जहां पर कोई मुख्य मंत्री अपने मंत्री से इस प्रकार की बात कहे, लेकिन मैंने इसीलिए उनसे कहा कि किसी प्रकार की गलत फहमी न फैले और यह मामला किसी और रूप में न बढ़े। लेकिन उसके साथ ही मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि वित्त मंत्रीजी निश्चित रूप से देश भक्त है, निश्चित रूप से देशभक्ति के काम देश के अन्दर करने वाले हैं और उनके विरुद्ध इस प्रकार का स्टेंड लिया जाय और इस प्रकार का भ्रम फैलाया जावे, मैं इसके हक में नहीं हूं कि यहां इस प्रकार की बातें कही जायं। मैं ऐसा समझता हूं कि इस सदन में आज के दिन जो जो यहां पर बैठे हैं, मेरी जानकारी है कि हर एक व्यक्ति राष्ट्र प्रेमी है और कोई भी राष्ट्र विरोधी और देश द्रोही नहीं है। एक आध व्यक्ति के बारे में शक था, वह अब हमारे सदन में नहीं है। इसलिए इस बात को सोचना गलत है कि जिससे कोई खास लाभ उठाने के लिए आया हो। इस प्रकार का प्रस्ताव है, इसमें जो कुछ लिखा गया है, दूसरे मुद्दे हैं और बातें हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने अपील इसलिए की कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से और वास्तविकता की दृष्टि से यह उपयुक्त बात प्रतीत नहीं होती। मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि सदन में कभी भी अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया उसके लिए हमने कभी भी इस प्रकार से अपील नहीं की कि उसको वापिस लिया जाये। हमने उसको फेस किया। लेकिन इसके बारे मे और कारण हैं इसलिए मैंने यह निवेदन किया है। मैंने यह भी निवेदन किया कि इस प्रकार के बारे में जो बहस हो रही है, उसके लिए सभी सदस्य सहमत हों, कि इस सारी बहस को एक्सपंज कर दिया जावे। मैं इसलिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर इस चीज को लेकर दूसरे लोगों को इसका दुरुपयोग करने का मौका नहीं मिले। यह कोई किसी व्यक्ति का या और कोई प्रश्न नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में काफी वाद विवाद हो चुका है और सदन का आशय दोनों पक्षों से व्यक्त हो चुका है। इस दृष्टि से मैं माननीय सदस्यों से जिन्होंने इसको रिलेक्स करने का प्रस्ताव किया है, मैं आग्रह करूंगा कि वे इसके लिए प्रेस न करें।

(विराम)

परिस्थितियों को देखते हुए मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। The Rules will not be relaxed.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय,.......

श्री उपाध्यक्ष : इसमें कन्सेन्ट देने की बात थी। मैंने अपनी कन्सेन्ट दे दी। राजस्थान सहकारी संस्था विधेयक, १९६४ पर अग्रेतर विचार।

एक माननीय सदस्य : जिस परिस्थितियों में माननीय चीफ मिनिस्टर ने अपील की, जनसंघ के नेता और संयुक्त समाजवादी पार्टी और सभी नेता अपनी जिम्मेदारी को

# Page No 169



(एक माननीय सदस्य)

जानते हैं और इन जिम्मेदारियों को जानते हुए सम्पूर्ण जिम्मेदारी से हम यह चाहते हैं...

**श्री हरिश्चन्द्र** ( सार्वजनिक निर्माण मंत्री ) : उपाध्यक्ष महोदय, आपका इस पर रूलिंग हो गया है ।

(६. १२. म. प.)

## राजस्थान सहकारी संस्था विधेयक, १९६४

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं यह निवेदन करूंगा कि यह विषय समाप्त हो गया है । अब आप आगे की कार्यवाही में सहयोग दें । खंड ९ से १२ में कोई संशोधन नहीं है । इसलिए प्रश्न यह है कि खंड ९ से १२ विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

खंड ९ से १२ तक, विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : कहां तो दूसरी बहस चल रही थी और कहां संशोधन पास कर दिये !

**श्री उपाध्यक्ष** : खंड १३ ।

[ खंड १३ मे निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :—

**श्री मथुरादास माथुर** ( सहकारी मंत्री ) : (i) In sub-clause 2 (b), for the words "Cooperaive principles, principles of social justice and public morality", substitute the words "principles of cooperation, social justice and public morality:";

(ii) in sub-clause (5),--

(a) delete the word "State" wherever occuring;

(b) after the word "therefor", insert the words "and for seeking extension".

(iii) in sub-clause (2) (b), insert the words ' but facilitates the establishment of socialistic pattern of society,"

(iv) Amendment made in clause 8 may also be made in this clause.

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : (i) In sub-clause (2) part (b) insert the word "socialism" before the words "Social Justice".

(ii) In sub-clause (2) in the last line subsitute the word "shall" for the word "may".

(iii) For sub-section (5) the following may be substituted:—

"(5) If the Registrar is unable to register the proposed amendment within a period of one month from the date of making such application, the application shall be deemed to

# Page No 170



(श्री रामानन्द अग्रवाल)

have been rejected and the applicants will have a right of appeal to the Tribunal"

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : In sub-clause (5)-

(i) substitute the words "of receiving application to register amendments" for the expression "on which the requirements specified in sub-section (2) are complied with";

(ii) add the words "within a month of the reference by the Registrar" at the end. ]

**श्री मथुरादास माथुर** ( सहकारी मंत्री ) : इसमें तीन संशोधन रखे हैं। एक मेरा संशोधन है और एक श्री रामानन्द अग्रवाल का है और एक श्री सुराणा का है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना अमेंडमेंट पेश करने से पहले यह निवेदन करूंगा कि श्री रामानन्दजी और श्री मानिकचन्दजी अपनी बात कह दें। रामानन्दजी अपनी तकरीर कर दें उसके बाद में मैं अपना जवाब दे दूंगा, जैसा कल किया गया था।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज १३ में मेरा यह अमेंडमेंट है :—

(i) In sub-clause (2) part (b) insert the word 'socialism' before the words 'Sociol justice'.

(ii) In sub-clause (2) in the last line, substitute the word 'shall' for the word 'may'.

(७. २५. म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री, पदासीन)

यह क्लॉज ८ था उसके बारे में और क्लेरीफिकेशन है। यह क्लॉज १३ में अमेंडमेंट के बारे में है। बाई लॉज के लिए पॉवर इस तरह के हैं उसमें हमने और क्लॉज १३ में हमने यह सजेस्ट किया है कि सोशियल जस्टिस किस तरह की हो। मैंने इसलिए इसमें सोशियलिज़म शब्द जोड़ने के लिए निवेदन किया है। धारा ८ में माननीय मंत्री ने सोशियल पेटर्न ऑफ सोसाइटी कायम की। दूसरी बात यह है कि जब तमाम रिक्वायरमेंट को पूरा करता है तो भी 'शैल' शब्द यूज़ करें। दूसरा वही समय के बारे में है। समय उनको एक महीने का दिया जावे। एक महीने तक रजिस्टर कर दिया जावे तो ठीक है, वर्ना इसको रिजेक्ट करके उसकी अपील बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में हो।

**श्रीमती सभानेत्री** : श्री मानिकचन्द सुराणा।

(अनुपस्थित)

**श्री मथुरादास माथुर** : खंड १३ में जो अमेंडमेंट मैंने मूव किया है वह इस प्रकार है :—

In sub-clause (2) (b), insert the words

(श्री मथुरादास माथुर)

"but facilitates the establishment of a socialistic pattern of society."

इसलिये यह नोर्मल है ।

दूसरा "सोशियल" वर्ड के लिए कहा तो वह तो अमेंडमेंट में आज मंजूर करता हूं इसको मैं मंजूर कर लेता हूं । बाकी 'मे' है वह 'शल' का फोर्स रखता है । बाकी रह गया कल जो हमने क्लॉज ८ के बारे में मंजूर किया था, तीन महीनों का किया था ।

श्री मानिकचन्दजी अपना अमेंडमेंट मूव नहीं कर रहे हैं । इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस अमेंडमेंट को पास कर दिया जावे ।

**श्रीमती सभानेत्री** : प्रश्न यह है कि प्रभारी मंत्री ने जो संशोधन पेश किया है उसे स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूं ।

**श्रीमती सभानेत्री** : क्या सदन की आज्ञा है कि श्री रामानन्द को अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए ।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

**श्रीमती सभानेत्री** : प्रश्न यह है कि खंड १३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

खंड १३ संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप मे जोड़ा गया ।

(विराम)

खंड १४.

श्री रामानन्द अग्रवाल ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : [ संशोधन इस प्रकार है :—

(i) In sub-clause (1) for the words "in order" substitute the words "a request" and for the word "require" substitute the words "suggest to" and the words "within such time as he may specify in such order".

(ii) Delete sub-clause (2). ]

सभानेत्रीजी, क्लॉज़ १४ में बाइ लॉज़ को संशोधित करने के सम्बन्ध में जिस तरह की भाषा इसमें इस्तेमाल की गई है कि अगर रजिस्ट्रार यह उचित समझे कि बाइ लॉज में

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

किसी प्रकार का अमेंडमेंट करने की जरूरत है तो वह सोसाइटीज़ को आज्ञा दे दे और उसके मुताबिक सोसाइटीज़ उसमें अमेंड करेगी। इसमें मैंने यह सजेस्ट किया है कि कर्टियस एटीट्यूड रहे इसके लिये रजिस्ट्रार बोस नहीं बनें और बोस बन कर कोऑपरेटिव सोसाइटी को आज्ञा दे और वे सोसाइटीज़ उस रजिस्ट्रार की प्रजा बने, यह नहीं रहना चाहिये।

मैंने यह सजेस्ट किया है कि अगर रजिस्ट्रार ऐसा महसूस करे तो उस सोसायटी को रिक्वेस्ट करे कि यह तुम्हारे हित की बात है, इस प्रकार का सजेशन रजिस्ट्रार सोसाइटी को भेजे और उस बुनियाद पर कोऑपरेटिव सोसाइटी बाइ लॉज़ में कर सकते हैं :

"In sub-clause (1) for the word 'in order' substitute the words 'a request' and for the word 'require' substitute the words 'suggest to' and the words 'within such time as he may specify in such order."

यह सारा क्लॉज़ ही ऐसा है जैसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी को बिल्कुल ऐसे नामाकूल लोगों की कोऑपरेटिव सोसाइटी समझते हैं कि उनको उनके हित की बात समझाने पर भी उनकी समझ में नहीं आये, इसलिये उनको आॅर्डर दिया जाय। इस प्रकार की विचार-धारा के मैं खिलाफ हूं कि कमाण्डियरिंग लेंग्वेज में आज के समय में इस प्रकार की लेंग्वेज को काम में लाय जाय, हर गाह तुम्हें इतल्ला दी जाती है कि अदालत हाजा में अमुक तारीख को अमुक समय हाजिर होओ, वरना तुम्हारे खिलाफ यह कार्यवाही की जायगी। आप कहेंगे कि हमारी अदालतों का मान गिर जायगा। यह मैं नहीं मानता कमाण्डियरिंग लेंग्वेज हो कि हर गाह तुम्हें इत्तला दी जाती है कि हमारी अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होओ, वरना तुम्हारी जमानत जब्त कर ली जायगी। आज के युग में हमें इस शब्दावली को बदलने की आवश्यकता है। डांगीजी का पत्र पढ़ कर भैरोंसिंहजी ने उस रोज सुनाया था, मैं समझता हूं उन्होंने वकील को कह दिया होगा, वकील ने मुन्शी से लिखवाया होगा, वही पुराना तरीका है मजमून का उसी में डांगी जी का नाम भर दिया होगा और डांगीजी ने दस्तखत कर दिये होंगे और खाली पहलू मजाक का बन गया। तो जमाने की रविश को महसूस करते हुए हमें अपने एटीट्यूड में चेंज करना चाहिये। आॅफिसर्स को प्रेस्टिज दें, वे सजेस्ट करें, तो खास तौर से कोऑपरेटिव ऑफिसर्स का एटीट्यूड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के प्रति ऐसा होना चाहिये कि कमाण्डियरिंग लेंग्वेज इस्तेमाल न करके सुझाव दें। मेरे ये दो सुझाव हैं, इस प्रकार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को सजेस्ट करने का उनका अधिकार भी रह जाता है और कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ने में बल भी मिलता है।

**श्री मथुरादास माथुर** : माननीय सभापति महोदया, यह लीगल फ्रेज्योलोजी है, कोरेस्पोंडेन्स या डी० ओ० लेटर नहीं है। डी० ओ० लेटर में राष्ट्रपति महोदय भी मोस्ट ओबिडियेन्ट सर्वेन्ट लिखते हैं।

(श्री मथुरादास माथुर)

सहकारी समितियों का मान बढ़े, इज्जत बढ़े इसमें दो राय नहीं है पर लीगल फ्रेज्योलोजी एक सेट फ्रेज्योलोजी है, भारतवर्ष के संविधान को पढ़ें तो उसमें भी लफ्ज़ 'ऑर्डर' है पर इसका मतलब रिक्वेस्ट का है। हम यहां कानून बनाने जा रहे हैं कोई भाई-चारे की कोरेस्पोन्डेन्स नहीं करने जा रहे हैं। मेरी और आपकी भावना में फर्क नहीं है, पर कानून तो कानून के तरीके से बनेगा। वह रिक्वेस्ट कर देगा, कोई कहेगा कि हाथ जोड़ कर नम्र निवेदन करता हूं, इस तरह से यह एक लम्बा तांता हो जायगा जिसका कि कोई अन्त नहीं। आदेश लफ्ज–आदेश संस्थाएं बड़ी हैं, व्यक्ति छोटा है, इसमें कोई दो राय नहीं पर यह लीगल फ्रेज्योलोजी है; इसलिये मेरी मजबूरी है कि मैं इस अमेंडमेंट को स्वीकार नहीं कर सकता।

**श्रीमती सभानेत्री** : क्या आप अपना अमेंडमेंट वापिस लेंगे ?

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : नहीं।

**श्रीमती सभानेत्री** : प्रश्न यह है कि खण्ड १४ में श्री रामानन्दजी अग्रवाल ने जो अमेंडमेंट मूव किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

( विराम )

प्रश्न यह है कि खण्ड १४ विधेयक का अंग बने।

( स्वीकृत )

खण्ड १४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

( विराम )

खण्ड १५, १६, १७ और १८, इनमें संशोधन नहीं है

**श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)** : खण्ड का मैं विरोध करना चाहता हूं।

**श्रीमती सभानेत्री** : प्रश्न यह है कि खण्ड १५ और १६ विधेयक के अंग बनें।

( स्वीकृत )

खण्ड १५ और १६ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

( विराम )

खण्ड १७

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : सभापति महोदया, क्लॉज़ १७ में रजिस्ट्रार को एमोलोमेशन, डिविजन और रीओर्गेनाइज़ेशन अपनी मर्जी से, अपने हुक्म से करने का अधिकार दिया गया है। मैं समझता हूँ कि हमें अपने देश में कोऑपरेटिव मूवमेंट को सफल बनाना है तो उसके टेरी नेचर पर अधिक से अधिक जोर दें। इसमें रजिस्ट्रार को ये पॉवर्स

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दी गई है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की इच्छा के प्रतिकूल, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसा करना ठीक महसूस न करे तब भी उसे मजबूर करके रजिस्ट्रार यह ऑर्डर दे सकता है कि फलां सोसाइटी और फलां सोसाइटी एक हो जाय, या एक सोसाइटी के अलग अलग तीन हिस्से बना दिये जायं या और शक्ल दे दें। इस तरह से यह कोऑपरेटिव मूवमेंट को रजिस्ट्रार के हाथ की कठपुतली बनाने का प्रावधान है और मैं समझता हूं, जैसा कि जनरल क्रिटिसिज़्म इस बिल पर जनरल बहस के समय हमने किया था, रजिस्ट्रार को जो यह पॉवर दे रहे हैं, इससे हम कोऑपरेटिव मूवमेंट को पनपने नहीं देकर उनको हमेशा एक आत्म-निर्भर न बना कर; आश्रित बनाने की भावना पैदा करेंगे, वे सरकार की सहायता पर निर्भर है, सरकार की दया पर निर्भर है, इस प्रकार की भावना उनमें पैदा करेंगे। आज जिस प्रकार कोऑपरेटिव सोसाइटी में डिफॉल्ट की भावना रहती है उसका मूल कारण यह है कि लोगों में यह भावना नहीं रहती कि यह रुपया हमारा रुपया है, वसूली कराना हमारे हित में है। लोग समझते हैं कि सरकारी पैसा है और सरकार वसूल करेगी। तो मैं समझता हूं, उनमें स्वस्थ परम्परा कायम करने के लिये, कोऑपरेटिव मूवमेंट में आत्मनिर्भरता, आत्म-विश्वास पैदा करने के लिये यह बहुत जरूरी है कि इस प्रकार के डिक्टेटोरियल पॉवर्स रजिस्ट्रार को नहीं दिये जाने चाहिये। एमेल्गेमेशन तुम्हारे हित में है, यह कह कर रजिस्ट्रार दो या अधिक सोसाइटीज़ को मिला कर इकट्ठा करेगा, एक सोसाइटी बना देगा, या एक सोसायटी को अलग अलग तीन हिस्सों में बांट कर एक सोसाइटी की तीन सोसाइटीज़ बना देगा या और इस प्रकार की शक्ल देगा तो रोज झगड़े पैदा होंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अच्छी तरह नहीं चल सकेंगी। इसलिये मैं समझता हूं, इसके बजाय इस प्रकार का प्रावधान रखना चाहिये कि रजिस्ट्रार उनको उनका हित अच्छी तरह समझा दें कि इस प्रकार किया जाना तुम्हारे हित में है और रजिस्ट्रार के समझाने पर अपना हित समझ कर वे इस तरह का प्रस्ताव पास कर दें तभी एमेलगेमेशन किया जाय।

इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस धारा को इस बिल में से बिल्कुल निकाल दिया जाना चाहिये।

**श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : सभानेत्री महोदया, इस क्लॉज़ के पीछे डिक्टेटोरियल भावना है उसको तो मैं समझता हूं। आज एक जगह पर कई पार्टीज़ हैं, एक होना चाहिये। इसीलिये यह धारा लायी गई है। मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस धारा का विपरीत असर पड़ेगा। धारा ४ में रखा गया है सोसाइटीज़ अपनी मर्जी से एमलगेमेट हो सकती हैं, डिवाइड कर सकती है।

**श्रीमती सभानेत्री** : कौन से क्लॉज़ पर बोल रहे हैं ?

**श्री नत्थीसिंह** : १७ पर। १७ क्लॉज़ जिस रूप में है उस रूप में रखा गया है।

# Page No 175



श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : There is no quorum.

(गण-पूरक घंटी के पश्चात्)

श्री मथुरादास माथुर : Hon'ble Member cannot speak on this amendment because he has not given a note of dissent.

नोट ऑफ डिसेन्ट नहीं था, इसलिये आप बोल नहीं सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें है।

श्री नत्थीसिंह : जोइन्ट कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी को एग्ज़ेम्प्ट करिये और नहीं करेंगे तो ये कोऑपरेटिव्ज़ नहीं बनेंगी।

श्री मथुरादास माथुर : अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस क्लॉज़ को पढ़ा हो, रजिस्ट्रार को ऐसे पॉवर्स दे दिये हैं कि रजिस्ट्रार इस बात की तसल्ली कर ले, for the purpose of securing the proper management of any co-operative society.

क्लॉज़ १७ (२)। इसमें लिखा है :

"No order shall be made under this section unless-

(a) a copy of the proposed order has been sent in draft to the society or each of the societies concerned,

(बी) में है :

"(b) the Registrar has considered and made such modifications in the draft order as may seem to him desirable in the light of any suggestions and objections which may be received by him..."

वह उस पर विचार करेगा। प्रस्ताव होंगे। आप समझते हैं कि सहकारी आन्दोलन को शिशु अवस्था में ही खत्म किया जा रहा है, ऐसी मंशा नहीं है। शिशु को हाथ का सहारा देने की आवश्यकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बेटर मैनेजमेंट की दृष्टि से यह किया जा रहा है, उसके इन्ट्रेस्ट में यह किया जा रहा है। अपील भी रखी है। यह धारा बिल्कुल ऐसी है कि, मैं समझता हूं, इस बिल के अन्दर यह बहुत ही प्रोग्रेसिव धारा है और सभापति महोदया, गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने एक कमेटी बिठायी उसने यह कहा है :

"Compulsory amalgmation of co-operative societies :

It has been suggested that in the Co-operative Societies Act provision be made for compulsory amalgamation of co-operative Societies in cases where such amalgamation is in the interest of co-operative movement in general and the members of co-operative societies in particular;

फिर आगे और बहुत बातें लिखी हैं। सहकारी आन्दोलन के विद्वान् नेता लोग हैं। उनकी एक कमेटी बैठी थी। उन्होंने यह सुझाव दिये हैं। रामानन्दजी ने ऊपर का हैडिंग पढ़ कर कह दिया कि डिक्टेटोरियल धारा बना दी है। जिनका सहकारी आन्दो-

(श्री मथुरादास माथुर)

लन में विश्वास है उनकी एक कमेटी बैठी थी और उनके सुझाव हैं उनका समावेश भी इसमें किया गया है।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि खण्ड १७ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड १७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड १८

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १८ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड १८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड १९

[इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

श्री मथुरादास माथुर (सहकारी मंत्री): (i) In the first proviso to sub-clause (1), for the words "primary development bank", substitute the words "Land Development Bank";

(ii) in the third proviso to sub-clause (1), delete the expression "and where he is an office-bearer of any Society, he shall not carry on money-lending during such time he is such office-bearer;";

(iii) for sub-clause (3), substitute the following sub-clause, namely:-

"(3) If the Committee-

(i) refuses the application for admission as a member, an appeal shall lie against such refusal to the Registrar; or,

(ii) fails to communicate its decision or the reasons of refusal under sub-section (2) within the time specified therein, the applicant may, within a period of sixty days from the date of expiration of such time, move the Registrar for the decision of his application;

Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to an application for admission as a member of a Farming or Producers' Society, as prescribed under the rules.";

(iv) In sub-clause (4), for the expression "sub-section (2)" substitute the expression "sub-section (3)";

(v) after sub-clause (4), insert the following sub-clause, namely :-

( श्री मथुरादास माथुर )

"(5) Where an individual is a member of a financing bank other than a Land Development Bank or of such class of cooperative societies as may be prescribed under the first proviso to sub-section (1), on the day immediately before the commencement of this Act or rules where by such class of cooperative societies have been prescribed, then notwithstanding anything contained in this Act or the rules or bye-laws, he shall cease to be such member upon such commencement."

(vi) In amendment no. 21, sub-clause (iii), in the proviso to sub-clause (3) proposed to be substituted, add the following further proviso, namely:—

"Provided further that if a committee of such society refuses admission as a member or fails to communicate its decision within the time specified in sub-section (2), an appeal or application, as the case may be, shall be, within the prescribed period and in the prescibed manner to the General body of the society, against such refusal or failure to communicate such decision."

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : In sub-clause (3) of the clause replace the word "Registrar" by the words "General body of the Cooperative Society".

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : (i) For the third proviso to sub-section (1) substitute the following :—

"Provided that a moneylender as defined in the Moneylenders Act, 1964 shall not be eligible to become member of a cooperative society which extends credit to its members."

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): (i) In sub-clause (2) substitute the expression "such Committee shall decide the application in its first meeting held after receipt of the application and communicate its decision to the applicant within a period of 15 days from the date of the decision on the application for the expression "such Committee shall decide the application and communicate its decision to the applicant within a period of 15 (30) days from the receipt of the application."

(ii) After sub-clause (1) add the following new sub-clause (la) :—

"(la) Any one who desires to promote the Co-operative movement without participating in the co-operative society's management, as a preference share holder entitled to hold shares which carry or shall carry preferential right to be paid a fixed amount calculated at a fixed rate and a preferential right to be repaid the amount of capital on the

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

winding up, amalgamation with any other co-operative society or on its division into more societies."

(iii) (i) In sub-clause (2). insert the words "in its first meeting held after the receipt of the application" between the words "shall decide the application" and "and communicate its decision" in the 3rd line and in 4th line substitute the words "from the date of the decision on " for "receipt" and "7days" for "30 days";

(ii) in sub-clause (3) substitute "General body of the Co-operative Society" for "Registrar" on 4th line, and add at the end "The General body shall decide the application made against the decision of the Committee in its Annual General Meeting or in case the application are 3 or more in a Special General Meeting called for the purpose by the Committee within a month of the specified number of applications. The decision of the General Meeting shall be communicated within 7 days to the applicant from the date of the decision of the General meeting";

(iii) in the beginning of sub-clause (4) insert the words "where the General body of a Co-operative Society has refused the application the applicant may move the Registrar" and delete the expression "under sub-section (2)" occurring in the Ist line.

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसींद) : (a) In sub-clause (1) replace the proviso thereto by the following :-

"Provided also that where a Money-lender as defined in the Rajsathan Money-lenders Act, 1964 is a member of Co-operative Society, shall not be entitled to be its office bearer."

(b) In sub-clause (3) of the clause replace the word "Registrar" by the words "General-body of the Co-operative Society".]

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : मेरा संशोधन यह है कि प्रत्येक को-ऑपरेटिव सोसाइटी की जनरल बॉडी, सुप्रीम बॉडी सदस्य बनने का अधिकार दिया है उसमें इस बॉडी को निग्लेक्ट कर दिया है। मैनेजिंग कमेटी होगी, उसके सामने दरख्वास्त जाय, स्टिपुलेटेड पीरियड में नामजूर कर दे रजिस्ट्रार को अधिकार दिया है। यह कृत्य गलत है। माननीय मन्त्री महोदय ने संशोधन रखा है। मेरी बात थोड़ी थोड़ी उनके पास गयी है। इन संशोधनों की कत्तई जरूरत नहीं है। जनरल कमेटी को वे पॉवर्स नहीं दी है। आपने जोइन्ट कोऑपरेटिव फार्मिग और प्रोड्यूसर्स के मामले में पॉवर नहीं दिये हैं। मेरी बात को मंजूर करेंगे तो जनरल कमेटी को पॉवर होंगे। जो संशोधन आपने दिये हैं :

(श्री नत्थीसिंह)

"Provided further that if a Committee of such society refuses admission as a member or fails to communicate its decision within the time specified in sub-section (2), an appeal or application, as the case may be, shall lie, within the prescribed period, and in the prescribed manner, to the General body of the Society against such refusal or failure to communicate such decision."

इसमें अपील का प्रावधान है उसको धारा १६ में जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। जनरल कमेटी को इसमें अधिकार होना चाहिये। ज्यादा से ज्यादा यह कर सकते हैं कि पीरियड प्रेस्क्राइब कर दें। लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने संशोधन दिया है इससे संगत नहीं है। २३ है उससे उनकी मंशा पूरी हो जाती है।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जनरल कमेटी को ओवरलुक कर दिया तो एक तरह से मेनेजिंग कमेटी स्वच्छन्द हो जावेगी। जो सुप्रीम बोर्ड है उसका स्थान उसी जगह पर रहना चाहिये।

**श्रीमती सभानेत्री** : प्रभारी मंत्रीजी संशोधन मूव करेंगे।

**श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)** : हमारा भी है।

**श्रीमती सभानेत्री** : श्री विजयसिंह झाला।

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : सभापति महोदया, इसमें मेरा अमेंडमेंट यह है कि जो इसमें प्रोविज़ो है, धारा १६ में सब क्लॉज़ (१) का प्रोविज़ो है :

"Provided also that where a moneylender as defined in the Rajasthan Money-Lenders Act, 1964, is a member of a Co-operative Society, he shall not be entitled to receive credit from the society and where he is an office-bearer of any society, he shall not carry on money-lending during such time he is such office-bearer."

तो इसके अनुसार वह सदस्य तो बन सकता है, ऑफिस बियरर भी बन सकता है लेकिन ऑफिस बीयरर रहते हुए उसको मनीलेंडिंग करने का अधिकार नहीं है। मेम्बर बनते हुए उसको क्रेडिट लेने का अधिकार नहीं है।

सभापति महोदया, मैंने इस प्रोविज़ो के बजाय दूसरा प्रोविज़ो रखा है जिसमें यह रखा है :

"Provided also that a money lender as defined in the Money lenders Act, 1964 shall not be eligible to become member of a co-operative society which extends credit to its members."

एक मनी लेन्डर ऐसी सोसाइटी का, जिसका धन्धा लोगों को ऋण देने का है, मेम्बर नहीं बन सकेगा। अब भी कमजोरी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

महसूस करते हैं ? न सिर्फ मनी लेंडर बल्कि उसकी फेमिली का कोई भी मेम्बर, जितने भी मेम्बर हैं उस सोसाइटी के मेम्बर नहीं होने चाहिये । यह कुशल पोइन्ट है । रिजर्व बैंक ने जो सर्वे कराया उस रिपोर्ट को पढ़े तो मेरा ख्याल है कि उस रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है कि जितनी क्रेडिट कोग्रॉप-रेटिव सोसाइटीज़ हैं उनमें आम तौर पर मनी लेंडर्स इन कोपऑरेटिव सोसाइटीज़ पर कब्जा किये हुए हैं और हम इतनी कोशिश करके इतना पैसा जुटाते हैं उसको देते हैं और मनी लेंडर उसको वसूल कर ले जाता है । इसलिये सभापति महोदया, मैं समझता हूं कि इस धारा में जो संशोधन का सुझाव माननीय मंत्रीजी ने अपने जवाब में दिया था उसमें इतना ही स्वीकार किया था कि उसको हम ऑफिस बियरर नहीं बनायेंगे । मैं समझता हूं माननीय मंत्रीजी ने इस सम्बन्ध में अपना अमेंडमेंट मूव किया है कि उनको ऑफिस बियरर नहीं बनायेंगे । लेकिन मेरा सजेशन यह है कि मनी लेंडर या उनके किसी फेमिली मेम्बर को सदस्य नहीं बनाना चाहिये उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का जिसका धन्धा ऋण देने का है और बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटी और किस्म की हो तो उसकी और स्थिति हो सकती है । काफी लोगों से बातचीत की थी । माननीय सदस्य भी इससे अवश्य सहमत होंगे । इसलिये माननीय मंत्रीजी इस पर विचार करें कि क्रेडिट सोसाइटी से मनी लेंडर को निकाल दिया तो शुद्ध वातावरण इसका रह जायगा और वास्तव में जितना रुपया देना चाहते हैं वह डिज़र्विंग लोगों के पास रह सकेगा ।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १९ में मेरा संशोधन है उसका अभिप्राय यह है कि सहकारी समितियों में जो दर्ख्वास्त दी जाय उस दर्ख्वास्त पर जल्दी से जल्दी निर्णय होना चाहिये । उसकी अवधि तीस दिन की रखी है । इस बिल में जो प्रावधान पेश किया गया है उसके अनुसार एक आदमी आज दर्ख्वास्त दे कल दूसरा दे कुछ ऐसी समितियों में अलग अलग दर्ख्वास्त दे उस पर थर्टी डेज़ में डिसीज़न होना चाहिये :

"Shall decide the application and communicate its decision to the applicant with a period of 30 days."

मैं इसके बीच में वर्डिंग्ज़ जोड़ना चाहता हूं :

"shall decide the application in its first meeting.

पहली बैठक में ही इसका निर्णय कर लिया जायगा । और पहली बैठक का जो नियम बना रखा है सहकारी समितियों की बैठक एक महीने में एक बार तो अवश्य होने की है । इसलिये थर्टी डेज़ में डिसाइड न होकर यह प्रावधान रखना चाहिये कि समिति की पहली बैठक में ही विचार हो जायगा उसकी एक सप्ताह के भीतर एप्लीकेन्ट को सूचना दे दी जायगी ।

यदि सहकरी समिति किसी मेम्बर को रिफ्यूज़ करे, मेम्बर नहीं बनाती है उसकी

(श्रि मानीकचन्द सुराणा)

अपील रजिस्ट्रार ग्राफिस में रखी है। कुछ परिस्थितियों में राज्य सरकार का इन्टरफिअरेन्स जरूरी हो सकता है, प्रत्येक बार मेम्बरशिप से रिफ्यूज़ किया जाय, रजिस्ट्रार को दर्ख्वास्त दी जाय, रजिस्ट्रार को प्रत्येक के बारे में दर्ख्वास्त देना आवश्यक नहीं रहना चाहिये। कन्ज्यूमर को-ऑपरेटिव सोसाइटी है, ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, वाइडर जनता के लिये बनाते हैं तो इनमें यदि मेम्बरशिप के लिये रिफ्यूज़ किया जाय तो इसमें डाइरेक्टली रजिस्ट्रार का इन्टरफिअरेन्स रखिये।

दूसरा जो मतदाता है वार्ड में है और शहरों में रहते हैं उनको मेम्बर नहीं बनाये तो उसमें इन्टरफिअरेन्स रजिस्ट्रार का होना चाहिये। इस प्रकार इन्डस्ट्रियल को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ है और भी इस तरह की सोसाइटीज है उनकी मेम्बरशिप रेस्ट्रिक्ट की है पहली दर्ख्वास्त जनरल बॉडी में जाय वह अगर रिफ्यूज़ करे उसकी अपील रजिस्ट्रार महोदय को होनी चाहिये। कन्ज्यूमर को-ऑपरेटिव सोसाइटी ग्राम सेवा सहकारी समितियां डाइरेक्टली रजिस्ट्रार का हस्तक्षेप हो इसका तो मैं हामी हूं। मुझे मालूम है कि कन्ज्यूमर को-ऑपरेटिव सोसाइटी है जिसके पचासों आदमी दर्ख्वास्तें लेकर घूम रहे हैं मुझे खुद को अनुभव है कि एक सहकारी समिति कन्ज्यूमर को-ऑपरेटिव सोसाइटी के मेम्बर करवाने के लिये चार बार दफ्तर गया हूं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। डाइरेक्टली रजिस्ट्रार ऑर्डर दे दे मेम्बर बना लिया जावे। दूसरी के बारे में अधिकार सीमित कर लेने चाहिये।

**श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) :** सभापति महोदया, क्लॉज़ नं० १९ के सब क्लॉज (१) में प्रोवीज़ो है उसमें मेरा अमेन्डमेन्ट है।

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित यह जो अधिनियम का सेक्शन १९ यहां पर आया है उसमें जो प्रावधान दिया गया है उसमें शर्त यह है कि उधार प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

यहां पर एक आदमी को सदस्य बना लिया उसके बाद उसको डिनाइ करे उधार प्राप्त नहीं कर सकता दोनों स्टेटमेन्ट कन्ट्राडिक्टरी है। या तो आप उस आदमी को सदस्य ही न बनाये इस प्रकार का प्रावधान नहीं रखते हैं तो जिसको आपने सदस्य बना दिया है उसको किसी भी प्रकार से क्रेडिट देना चाहिये यह अपने आप में अनकॉन्स्टीट्यूशनल है, कन्ट्राडिक्ट्री है इस पर गौर करना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि किसी सोसाइटी का ऑफिस बीयरर है उसमें पदाधिकारी है वह साहूकारी व्यवसाय नहीं करे। अगर आप किसी आदमी को अपना धंधा करने से वंचित कर सके। जितने भी कानून बनाते हैं सेल्स टैक्स एक्ट के या अन्य जिन लोगों को जिस चीज से मना करते हैं चोरी-छिपके धन्धा करता है प्रावधान इस प्रकार का होना चाहिये अगर कोई साहूकार है, मनी लेन्डर का व्यवसाय करता है उसको ऑफिस बियरर होने से मना करना चाहिये। इस

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

प्रकार का प्रावधान कतई ठीक नहीं है, यह प्रावधान उचित नहीं होगा ।

मैंने जो अमेन्डमेन्ट पेश किया है वह इस प्रकार है :—

"Provided also that where a Money-Lender as defined in the Rajasthan Money-lenders Act, 1964, is a member of Co-operative society, he shall not be entitled to be its office-bearer."

अगर आप उसको सदस्य बनाना चाहते हैं तो आप क्रेडिट देने के लिये रोक नहीं सकते । यह प्रावधान करना कि ऑफिस बियरर नहीं कर सकता. यह जिस प्रकार से व्यवस्था कर रहे हैं उससे ऐसा मालूम होता है, ऐसे व्यक्ति जो सोसाइटी में घुस जाते हैं अपना पालन-पोषण करते हैं । इसलिये इस प्रकार का प्रावधान रखा जाय ऑफिस बियरर शोषण नहीं कर सकता ।

दूसरा मेरा अमेन्डमेन्ट है सब क्लॉज (३) में जो प्रावधान दिया गया है किसी को-ऑपरेटिव सोसाइटी की एक्ज़ीक्यूटिव वहां के किसी आदमी को मेम्बर बनाने से इन्कार करता है । पहले जो प्रावधान था उसके अनुसार वह मामला जनरल बॉडी में जाना चाहिये, प्रवर समिति ने उसमें रजिस्ट्रार शब्द जोड़ा है । रजिस्ट्रार के पास वह आदमी जाकर उसके खिलाफ आवेदन पत्र दे सकेगा । मेरा सुझाव यह है कि रजिस्ट्रार का दफ्तर ऐसे स्थान से दूर पड़ता है, दस रुपये शेयर मनी के देने पड़ते हैं वहां इस प्रकार के प्रावधान से कठिनाई होगी; इस प्रकार रजिस्ट्रार और असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार जोड़ दिया जाय तो अपने अपने हैड क्वार्टर पर असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार रहता है, दूर जाना उसको नहीं पड़ेगा और खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा वही सुविधा प्राप्त कर सकेगा ।

(८. ०० म. प.)

**श्री मथुरादास माथुर** : सभापति महोदय....

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण संशोधन क्लॉज़ १९ में है प्रिफरेन्शियल शेअर के सम्बन्ध में । सूचियां मुझे मिलीं नहीं, इसलिये उस वक्त नहीं बोल सका । ६५ पर भी अमेंडमेंट है ।

अमेंडमेंट मेरा इस प्रकार से है:—

"any one who desires to promote the co-operative movement without participating in the co-operative society's management, as a preference share holder entitled to hold shares which carry or shall carry preferential right to be paid a fixed amount calculated at a fixed rate and a preferential right to be repaid the amount of capital on the winding up, amalgamation with any other co-operative society or on its division into more societies."

**श्री मथुरादास माथुर** (सहकारी मंत्री) : इससे तो को-ऑपरेटिव मूवमेंट ही खत्म हो जावेगा ।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : मेरा निवेदन सुन लीजिये और को-ऑपरेटिव मूवमेंट, मंत्रीजी, खतम न हो ऐसी मेरी इच्छा है और इस तरह का मेरे से मूव हो जावे कोई संशोधन, तो मैं समझूंगा कि मैंने दुर्भाग्य का काम किया है।

•

मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि आज को-ऑपरेटिव और कम्पनीज़ दोनों एक्ट के मातहत बनते हैं। अब इसमें जो प्रिफरेन्शियल शेयर होल्डर है उनकी स्थिति क्या है, इसको देखें। आज जो मनी हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं कम्पनी में, वे कम्पनी घाटे में जावें या मुनाफे में इसके भागीदार नहीं बनना चाहते, वे सिर्फ अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं और पर्टीकूलर रेट ऑफ इन्टरेस्ट पर करते हैं और इस ख्याल से आज हमारी देश की जनता ने अपना करोड़ों रुपया इन कम्पनियों में इन्वेस्ट कर रखा है और इस रकम मे इस प्राइवेट सोर्स से प्राप्त रकम से आज बिड़ला, टाटा, डालमिया, साहू वगैरह जितने बड़े बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट्स हैं, लाखों करोड़ों कमाते हैं और लाखों करोड़ों ही जनता को उनसे मिलता है। आज ये जो प्राइवेट मनी इन्वेस्टमेंट के सोर्स हैं वे आपकी सहकारी समितियों को अवेलेबल नहीं। इसका कारण यह है कि आपने इस तरह का प्रावधान अपने यहां रखा ही नहीं। वे वोट नहीं देंगे, न आपके मैनेजमेंट में हिस्सा ही लेंगे। उनकी दिलचस्पी सिर्फ एक पर्टीकूलर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पर इन्टरेस्ट से है। तो अगर आप सहकारी समितियों में भी इसके लिये प्रावधान कर देते हैं तो जनता का वह मनी का सोर्स आपके लिये भी सुगम हो सकता है जो आज करीब करीब बिल्कुल बन्द सा है। तो अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी की इकोनोमी को स्ट्रेनथन करना चाहते हैं और उस प्राइवेट इकोनोमी को जो आज समाजवाद के रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा साबित हो रही है उसे कमज़ोर करना चाहते हैं तो उसके मेन मनी के सोर्स पर आप आघात करिये। उसे आप इधर चेनेलाइज़ कर दीजिये। इससे आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी की इकोनोमी बिल्ड अप होगी।

आपको मालूम है, आपको सरकार और बैंक भी पैसा देने में असमर्थ रहते हैं। विश्नोई रिपोर्ट में इस पर भी काफी उल्लेख है। मैं यहां क्रय विक्रय संघ का जिक्र करता हूं। उसके दूसरे पहलुओं पर नहीं जाना चाहता इस समय। इस समय तो केवल इस मुद्दे पर जाना चाहता हूं कि इस संस्था को जितनी फाइनेन्स मिलनी चाहिये थी वह सरकार अवेलेबल उसे नहीं करा सकी और इस कारण उसको यू. पी. की केपिटेलिस्ट पार्टियों से समझौता करना पड़ा जो सहकारी आन्दोलन के लिये उपयोगी साबित नहीं हुआ। अब अगर प्राइवेट जनता के पैसे को उधर आकर्षित किया गया होता तो उसे पैसे की कमी नहीं पड़ती।

अब यह सहकारी आन्दोलन तेजी से कैसे चले उसको फाइनेन्स के अबन्डन स्रोत कैसे मिलते रहें इसका प्रावधान आपने नहीं रक्खा। इसलिये इसकी इकोनोमी बिल्ड अप हो सके अतः मैंने यह संशोधन रखा है। और उम्मीद करता हूं कि हालांकि यह नई चीज है इस सहकारी आन्दोलन

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

के लिए; अगर मन्त्रीजी इसे स्वीकार करेंगे तो एक साल के अन्दर देखेंगे कि कितना पैसा इसको मिलता है, जितना पैसा आज इसमें लगा हुआ है सरकार का उससे चार गुना ज्यादा पैसा इसको मिलने लगेगा और तब आपको यह भी मालूम पड़ जावेगा कि कौनसी सोसाइटी अच्छी है और कौनसी खराब है, उसके मैनेजमेंट में भी काफी अन्तर आवेगा। अब जो खराब है, जिसका मैनेजमेंट खराब है जिसके मैनेजमेंट पर जनता को भरोसा नहीं है उसके फाइनेन्शियल शेअर कोई नहीं खरीदेगा। पर जिसका अन्जाम अच्छा होगा, जो अच्छा डिविडेन्ड देगी, अच्छी तरह से अकाउन्ट वगैरह रक्खेगी उसके शेअर काफी बिकेंगे और अच्छे भाव से बिकेंगे।

तो इस निवेदन के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री मथुरादस माथुर** : माननीय सभापति महोदया, सबसे पहले जो मैंने तरमीमें इसमें की है उनको मूव कर देता हूं जिससे कि बहुत सी बातें जो माननीय सदस्य ने कही हैं वे साफ हो जायेंगी:—

(i) In the first proviso to sub-clause (1), for the words 'primary developmedt bank', substitute the words 'Land Development Bank'.

यह मामला खण्ड २ में है :

"(ii) in the third proviso to sub-clause (1), delete the expression 'and where he is an office-bearer of any society, he shall not carry on money-lending during such time he is such office-bearer;''

(iii) For sub-clause (3) substitute the following sub-clause, namely ;-

"(3) If the Committee-

(i) refuses the application for admission as a member, an appeal shall lie against such refusal to the Registrar; or,

(ii) fails to communicate its decision or the reasons of refusal under sub-section (2) within the time specified therein, the applicant may, within a period of sixty days from the date of expiration of such time, move the Registrar for the decision of his application:

Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to an application for admission as a member of a Farming or Producers' Society, as prescribed under the rules."

(iv) in sub-clause (4), for the expression 'sub-section (2)' substitute the expression 'sub-section (3)".

ये मेरी तरमीमें हैं। उसके साथ साथ, माननीय सभापति महोदया, जो बात सबसे पहले नई रखी गई है वह हमारे मानिकचन्द जी सुराणा ने रखी हैं, तीन तरमीमें उन्होंने रखी हैं उसमें मुख्य प्रिफरेन्शियल शेयर की,

(श्री मथुरादास माथुर)

दूसरी जनरल बोर्ड में अपील की और तीसरी मनी लेण्डर को रखने की और उसकी फेमिली को।

ये तीन मेन फण्डामेंटल पोइंट्स आपकी तरमीम से पैदा होते हैं। मैं प्रिफरेन्शियल शेयर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि प्रिफरेन्शियल शेयर होने के बाद में वह नेगोशियेबल इन्स्ट्रूमेंट बन जाता है। हम कोऑपरेटिव मूवमेंट से समाजवाद की ओर मोड़ देना चाहते हैं तो प्रिफरेन्शियल शेयर के बारे में आपकी तरमीम को पढ़ते हुए दिमाग में रीएक्शन हुआ कि यह बहुत खतरनाक तरमीम है। दूसरी बात मैं कहता हूं कि जो सुझाव दिया है उससे कोऑपरेटिव आन्दोलन एक कम्पनी लॉ के आन्दोलन की शक्ल में बदल देगा और पूंजीपति और वे आदमी जिनको हम बाहर रखना चाहते हैं उनका प्रवेश इन्डाइरेक्टली हो जायेगा।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत): They will not be members even.

**श्री मथुरादास माथुर**: वे मेम्बर्स नहीं रहे तो भी प्रिफरेन्शियल शेयर एक नेगोशियेबल इन्स्ट्रूमेंट बन जायेगा उसके शेयर की मार्केट वेल्यू हो जायेगी और जब वह शेयर हो जायेगा तो उसका स्पेक्युलेशन शुरू हो जायेगा जैसे कि कम्पनी के शेयर्स होते हैं तो यह कभी भी मन्शा यहां नहीं रखी गई थी कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए। जो आपका दावा है कि इससे केपिटल जो नहीं आ रही है उसको एट्रेक्ट करना चाहते हैं वह डिपोजिट्स उसमें रखे हैं। नॉन मेम्बर्स के डिपोजिट्स का उसमें प्रावधान है। उस पर इन्ट्रेस्ट उनको मिलता है और लिक्वीडेशन में प्रायोरिटी उनको मिलेगी। इसलिए जो काम आप चाहते हैं इस जगह पर डिपोजिट से हो सकता है और बहुत सी सोसाइटीज़ ने इसको एट्रेक्ट किया है और कुछ डिपोजिट्स लोगों से लिये हैं। वह क्रेडिट पर डिपेन्ड करता है preference shares credit पर लेंगे, तो ऐसी सूरत में जो आपका विचार है कि सोसाइटीज के पास कोऑपरेटिव मूवमेंट मेंकेपिटल आई नहीं रहे और आज आये दिन डिपोजिट्स की तरफ उनको एट्रेक्ट भी कर सकते हैं और काम पूरा हो सकता है। इसलिए मुझे खेद है कि आपकी तरमीम को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं।

**श्री मानिकचन्द सुराणा**: नॉन मेम्बर्स डिपोजिट्स और प्रिफरेन्शियल शेयर को फ्लोट करने में फण्डामेंटल में फर्क क्या है?

**श्री मथुरादास माथुर**: बहुत फर्क होगा। वे डिपोजिट्स हैं। वह नेगोशियेबल इन्स्ट्रूमेंट नहीं है। शेयर की मार्केट वेल्यू होती है, ये स्पेक्युलेशन मार्केट में नहीं जायेंगे। आपने १००) रु० का डिपाजिट रखा तो लिक्विडेशन में प्रायोरिटी होगी। उसके फार्म में फर्क है।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मनी लेंडिंग का जो धन्धा करता है उसको डिस्क्वालिफिकेशन की क्लॉज में डाल दिया है और ये लफ्ज लिख दिये हैं:

(श्री मथुरादास माथुर)

"No money-lender, as defined in the Rajasthan Money Lenders Act, 1964, shall be eligible for being elected or appointed as an officer of a service cooperative society, as classified under the rules, nor shall he continue as an officer thereof upon the commencement of this Act."

तो इसलिए वह काम नहीं होगा। उसको डिबार कम्प्लीटली कर दिया गया है।

और आपने यह भी सवाल उठाया है कि उसकी फेमिली को नहीं आने देना चाहिए उसके अन्दर और गिरधारीलालजी ने सवाल उठाया था तो पहले मनी लेन्डर का सवाल तय कर देता हूं कि मनी लेन्डर को क्रेडिट नहीं देंगे और यह अल्ट्रा वायर्स हो जायेगा तो इसकी कांस्टीट्यूशनल पोजीशन को एक्ज़ामिन करवा लिया है तो इसलिए वह अल्ट्रावायर्स नहीं होगा।

फेमिली को डिबार करने के लिए मानिकचन्दजी ने कहा था तो एक आदमी मनी लेंडिंग का बिजनेस करता है और उसका लड़का है वह खेती करता है और अपने हाथ से जमीन जोतता है तो बाप कम्युनिस्ट बन जाय तो बेटा कांग्रेसी बन सकता है। अगर रामानन्दजी का लड़का....

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : है कहां ?

**श्री मथुरादास माथुर** : अगर नहीं है तो मेरे बहुत से हैं। मैं उनको गोद दे दूंगा।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (मांडल) : किसी भाटे के सिन्दूर लगा कर पूजा करेंगे तो होगा।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : है।

**श्री मथुरादास माथुर** : अगर नहीं हुआ है तो मेरी दुआ आज काम करेगी और हो जायेगा।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : दुआ या रूह ?

**श्री मथुरादास माथुर** : माननीय सभापति महोदया, दूसरी बात जो कही वह जनरल बोडी के लिए थी। इसमें मैं मानिकचन्दजी की बात को मन्जूर करता हूं कि जो प्रोड्यूसर्स सोसाइटी या कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी है उनकी जनरल बोडी में नहीं है वह होना चाहिए तो मैंने क्लॉज़ के अन्दर एक्सेप्शन कर दिया है। इसलिए माननीय सदस्यों के विचार को समझते हुए, माननीय नत्थीसिंहजी की भावनाओं को समझते हुए वे खड़े होने की कोशिश करना चाहते हैं तो मेरी भावनाओं को समझ कर खड़े नहीं होंगे। जॉइन्ट कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ के अन्दर और प्रोड्यूसर्स सोसाइटीज़ के अन्दर मेम्बर्स को एडमिट करने की बात जनरल बोडी की रखी है। उसमें रजिस्ट्रार के पास अपील है। इस मामले में अपील रजिस्ट्रार के पास जायेगी।

(श्री मथुरादास माथुर)

तो मेरे ख्याल से सब भावनाओं और हालातों को देखते हुए १६वें क्लॉज़ पर जो आपकी तरमीमें हैं उनको वापिस लेकर उसको मन्जूर करेंगे।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उससे क्या होगा? जोइन्ट कोऑपरेटिव फार्मिंग और प्रोड्यूसर्स सोसाइटी है उनकी रजिस्ट्रार को फाइल नहीं होनी चाहिए। इसमें सब-क्लॉज एप्लाई नहीं होगा। तो कमेटी सर्वेसर्वा हो जायगी। कहीं नहीं कहा कि अपील जनरल बॉडी में होगी। कहीं नहीं कहा कि इन्टरप्रिटेशन क्या होगा। कमेटी ही सब कुछ होगी। जनरल बॉडी नहीं रहेगी। रजिस्ट्रार को पॉवर दी है और जनरल बॉडी नहीं आई है।

श्री मथुरादास माथुर : आपकी मंशा है कि जनरल बॉडी है उसके अन्दर होना चाहिये और यह तरमीम करनी पड़ेगी।

यहां कर सकते है :

'As prescribed in the rules'

रूल्स के अन्दर डाल देंगे।

श्री मथुरादास माथुर : रूल्स में डाल देंगे जनरल बॉडी को।

**श्री मानिकचन्द सुराणा :** as per rules करें

श्री नत्थीसिंह : यह कर दें।

'Appeal shall lie against such refusal to the Registrar and in case of producers to the general body.'

यह डाल दें तो साफ हो जायेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक्ट में नहीं करेंगे तो रूल्स में नहीं डाल सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आप प्रोवीज़ो में एड करना चाहते हैं :

"Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to an application for admission as a member of a Farming or producers' society, as prescribed under the rules."

श्री नत्थीसिंह : कौन कौन सोसाइटीज़ हैं? जोइन्ट फार्मिंग सोसाइटी और प्रोड्यूसर्स सोसाइटी मानी जायगी; in that case appeal shall lie to the General Body.

यह आना चाहिए। इसको बाई क्लॉज़ में रखेंगे तो वह कॉन्ट्राडिक्टरी होगी।

श्री मथुरादास माथुर : मैं उनके सेन्स को मजूर करता हूं। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी और प्रोड्यूसर्स सोसाइटी के अन्दर मैनेजिंग कमेटी लेना तय नहीं करें तो जनरल बॉडी में अपील हो सकती है। यह रखेंगे तो रजिस्ट्रार के पास नहीं होगी। यही हमारी भावना है। क्लॉज़ १६ में यहां पर एड कर देते हैं।

जब तक यह हो जाता है तब तक आगे के क्लॉज़ को पास कर दें।

# Page No 188



श्री सभापति : खण्ड २०, मंत्रीजी !

श्री मथुरादास माथुर : इसमें मेरी तरमीम हैं वह एक स्टीम टाइप की हैं। वह मैंने मूव कर दी है; they should be deemed to have been moved and they should be passed.

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्लॉज १६ (२) में क्या संशोधन स्वीकार किया गया है ?

श्री मथुरादास माथुर : वह हो गया है डेफर्ड।

श्री नत्थीसिंह : सिलेक्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट की है और जो आपने अमेंडमेंट किया है उसमें काफी फर्क है। सिलेक्ट कमेटी ने यह बात कही कि ऐसोसियेट और नोमीनेटेड मेम्बर्स हो उनको वोटिंग राइट नहीं होगा। आपने रूल्स पर यह बात छोड़ दी गवर्नमेंट पर। सिलेक्ट कमेटी ने जो पंचायत और पंचायत समिति के अधिनियम बने हैं उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज़ हैं उनको भी ऐसा अख़्त्यार नहीं दिया गया है और इसलिए यहां पर इसमें वोट का राइट हो जायगा तो कन्फ्यूज़िंग होगा। ऐसी बात है, वह बिल्कुल साफ सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में है। आपको एमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी समझ में नहीं आया ?

श्री मथुरादास माथुर : ऐसोसियेट मेम्बर्स और नोमीनेटेड मेम्बर्स का भी नहीं रखा है।

श्री नत्थीसिंह : रूल्स में आप कर सकते हैं। इस पर पाबन्दी लगाई है सिलेक्ट कमेटी ने, उसको आपने हटा दिया है।

श्री मथुरादास माथुर : Notwithstanding anything contained in Sec. 19, a comperative society may admit a prescribed person as a nominal member or a prescribed person nor local authority as an associate member"

वह २२ में आगे है :

" Every member of a cooperative society shall have one vote in the affairs of the society, provided that a nominal or an associate member shall not have the right of vote,"

यह २२ आ गया है, सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में।

श्री नत्थीसिंह : सिलेक्ट कमेटी में तो है। सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में आपने यह लिखा है, "substitute for clause 20"

श्री मथुरादास माथुर : २२ में यह चीज साफ कह दी है, इसलिये यहां रखने की जरूरत नहीं। २२ (ए) को देखिये :

"a nominal or an associate member shall not have the right to vote,"

२२ में रख दिया इसलिए रिपीट नहीं किया।

(श्री मथुरादास माथुर)

तो क्लॉज २० जो मैंने रखा है, माननीय सभापति महोदया, उसको स्वीकार किया जाय ।

**श्रीमती सभानेत्री** : प्रश्न यह है कि खण्ड २० में जो प्रभारी मंत्रीजी ने संशोधन मूव किया है उसको स्वीकार किया जाय ।

[ इस खण्ड में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

**श्री मथुरादास माथुर** (सहकारी-मंत्री) :

For clause 20, substitute the following clause, namely:

"20. Nominal and associate member :-(1) Notwithstanding anything contained in section 19, a co-operative society may admit-

(i) a prescribed class of persons as a nominal member, or

(ii) a prescribed class of persons or a prescribed local authority as an associate member.

(2) A service co-operative society, a marketing society and a central cooperative bank as classified under the rules, shall respectively have the Sarpanch of the Panchayat of the village, Pradhan of the Panchayat Samiti and the Pramukh of the Zila Parishad of the district concerned, as an associate member.

(3) A nominal or an associate member shall not be entitled to any share in any form whatever in the assets or profits of the society.

(4) Save as provided in this section, a nominal or an associate member shall have such privileges and rights of a member and be subject to such liabilties of a member as may be specified in this Act, rules or bye-laws of the society ]"

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड २०, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

खण्ड २०, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप में जोड़ा गया ।

(विराम)

अब आप १६ को लेंगे ।

**श्री मथुरादास माथुर** : १६ के नीचे प्रोवीजो में एड कर दिया जाय । बाकी तो ठीक है :

"provided in the byelaws.'

इसमें लिख दिया है ।

(श्री मथुरादास माथुर)

१६ का प्रोविजो है :

"porvided that nothing contained in this sub-section shall apply to an application for admission as a member of a Farming or Producers' Society, as prescribed under the rules."

सभापति महोदया, १६ को अभी डेफर रखिये, २१ पर चलिये ।

**श्रीमती सभानेत्री** : खंड २१, श्री विजयसिंह झाला ।

(अनुपस्थित)

**श्री मथुरादास माथुर** : सभानेत्री महोदया, मैं खंड २१ में अपनी तरमीम पेश करता हूं :—

"For clause 21 substitute, the following clause, namely:—

"Member not to exercise rights till due payment made. No member of a cooperative society shall exercise the rights of a member unless he has made such payments to the society in respect of membership or has aquired such interest in the society, as may be specified in the bye-laws"

**श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : आपने अमेन्डमेन्ट रखा है उसमें मैंने भी एक अमेन्डमेन्ट दिया है, वह यह है कि सिलेक्ट कमेटी ने ३ महीने का ग्रेस पीरियड दिया है वह आपने अमेंडमेंट में हटा दिया, इससे प्रेक्टिकल डिफिकल्टीज़ क्रियेट होंगी । ३ महीने का ग्रेस पीरियड फसल का ध्यान रख कर दिया है, इसलिये यह ३ महीने की बात रखी जाय ।

**श्री मथुरादास माथुर** : ३ महीने का ग्रेस पीरियड देने की जरूरत नहीं है । लोन फसल पर ही मिलता है और फसल पर ही लिया जाता है ।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : एक अमेंडमेंट मैंने पहले दिया था वह इसमें आया नहीं ।

**श्रीमती सभानेत्री** : आपका अमेंडमेंट सर्क्यूलेट नहीं हुआ है ।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : बोल तो सकता हूं ।

**श्री नत्थीसिंह** : इसमें दिक्कत यह होगी कि जो आदमी एग्ज़ीक्युटिव कमेटी पर है वे क्या तरकीब करेंगे कि जिनका वोट नहीं दिलाना चाहते हैं उनके रुपये लेकर डेफर कर देंगे इसलिये तीन महीनों का प्रोविज़न जरूरी है ।

**श्री मथुरादास माथुर** : इसको एड कहां कर दें ?

**श्री नत्थीसिंह** : डिफॉल्ट फोर थ्री मंथ्स होना चाहिये, नहीं तो एग्ज़ीक्यूटिव वाले गड़बड़ कर जायेंगे ।

**श्री सभापति** : प्रभारी मंत्री कुछ कहना चाहते हैं क्या ?

**श्री मथुरादास माथुर** : मैं मंजूर करता हूं।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : मेरा कहने का मतलब यह है कि मैंने जनरल डिबेट में कहा था कि जो मेम्बर डिफॉल्टर है उसको किसी भी जगह चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिये। इसमें यह लिखा है कि जिस संस्था का डिफॉल्टर है उसमें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। मैं यह चाहता हूं कि जो आदमी एक साल से ज्यादा डिफॉल्टर है उसको पंचायत के किसी इलेक्शन को लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिये। ऐसे डिफॉल्टर जो हजारों रुपये सहकारी समितियों के ले जाते हैं फिर पंचायत में सरपंच या प्रधान बन जाते हैं और वहां जाकर डिफॉल्टर कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ के होते हैं उनसे पैसा वसूल करने का सवाल था रिज़ोल्यूशन पंचायत समिति में रखा जाता है तो प्रधान की हैसियत से वह कह सकता है कि ऐसा प्रस्ताव आना नहीं चाहिये, वसूली होनी नहीं चाहिये और जिसके पास पैसा है उसी के पास रहना चाहिये। इस तरह का पैसा लेकर डिफॉल्टर होता है। मैं चाहता हूं कि एक साल से ज्यादा समय तक पैसा अपने पास रखले और डिफॉल्टर हो जाय तो उसको पंचायत या पंचायत समिति के चुनाव में खड़ा नहीं होने देना चाहिये, इस बात की रोक लगानी चाहिये। वह रोक नहीं लगाई तो आज करोड़ों रुपये जो बकाया है वे वसूल नहीं होंगे और ज्यादा बकाया होते जायेंगे। इसलिये मैं मन्त्रीजी से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का प्रोविज़न डालना चाहिये।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत): मैं भी इस क्लॉज़ के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। क्लॉज़ २१ में जो प्रावधान हमने रखा है, जिस प्रकार सरकार ने पेश किया है, मेरा निवेदन है कि कुछ सहकारी समितियां विशेष तौर से इसलिये बनती हैं, छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं, कोटेज इन्डस्ट्रीज़ हैं जैसे मोची है, उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई लोन लेने के लिये क्योंकि सहकारी समितियों का उद्देश्य पूंजी या ऋण देना है, ऐसी सोसाइटी के मेम्बर्स के लिये आपने रोक लगादी कि ३ महीनों से ज्यादा डिफॉल्टर होगा तो वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा यह प्रोविज़न आपने रखा है। इसमें जो इन्डस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वे एक्सेप्शन के तौर पर होनी चाहिये। मन्त्रीजी सुनिये मैंने क्या निवेदन किया ? मैं कह रहा था कि जो प्रावधान रखा है उसका मतलब यह है कि ३ महीनों से ज्यादा डिफॉल्टर हो गया तो चुनाव नहीं लड़ सकेगा। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, आज २० मोचियों ने कोआॅपरेटिव सोसाइटी बना ली और उनका उद्देश्य यह है कि छोटे मोटे इम्प्लीमेंट्स के लिए रकम देना और जूतियां बनाकर बाहर भेजना, यहां की जूतियें सोवियत रूस तक जाती हैं, उनको लोन देने के लिये सोसाइटी बनाई है तो वे साल दो साल तक कम से कम लोन का उपयोग कर सकें तो ऐसी सोसाइटीज़ के लिये यह प्रावधान बाधक होगा।

**श्री मथुरादास माथुर** : आप "ड्यू पेमेन्ट" पढ़ लीजिये। १० साल का है तो

(श्री मथुरादास माथुर)

१० साल में ड्यू होगा और ५ साल का है तो ५ साल बाद ड्यू होगा। लोन जो दिया जाता है वह साल, दो साल या तीन साल या ज्यादा साल के लिए दिया जाता है और इतना समय निकलने के बाद ड्यू होता है। इसके लिए "ड्यू" होने के बाद ३ महीने का प्रावधान रखा है इसमें आगे जाकर दफा ३४ में रख दिया है इसलिये काम आपका पूरा हो जायगा। ढाबरियाजी कहते हैं उसको हटाया जाय।

एक माननीय सदस्य : सदन में कोरम नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोरम नहीं रह सकेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं निवेदन करना चाहता हूं :

"Due payments to the society to which it is due."

"ड्यू" का दो बार उपयोग हुआ है, उसके दो अर्थ हैं। पहला "ड्यू" पेमेन्ट जब करता है वहां मतलब यह है कि उस पीरियड के लिये जिसके लिए दिया है उसमें नहीं दिया वहां "ड्यू पीरियड" है। आगे लिखा है 'पीरियड विच इज़ ड्यू'। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि ड्यू पेमेन्ट का एक्सप्लेनेशन जोड़ दिया जाय और विभिन्न तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ काम कर रही हैं उनको एप्राइज़ किया जाय। विभिन्न तरह की जो सहकारी समितियां काम कर रही हैं उनको मद्देनजर रखते हुए छोटा मोटा हैन्डीक्राफ्ट का काम करने वाली इन्डस्ट्रीज़ के इन्ट्रेस्ट को वाच करने के लिए एक्सप्लेनेशन जोड़ना अत्यन्त आवश्यक समझता हूं।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : सभापति महोदया, मेरे ख्याल में सुराणा जी का विचार 'ड्यू' के बारे में है वह सही है। जो कोई भी सोसाइटी रजिस्टर होती है उस वक्त कोई एप्लीकेशन दे और शेअर मनी नहीं दे तो उस वक्त एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लें और मेम्बर बना लें। शेअर मनी नहीं देता है तो उसको देखना है कि शेअर मनी लिया है या नहीं, बना लिया है मेम्बर तो शेअर मनी बाकी रहा है या नहीं ?

श्री नत्थीसिंह : 'ड्यू' का हैडिंग में सवाल है और बाकी में नहीं। इसमें दिक्कत नहीं है।

श्री मोतीलाल चौधरी : 'ड्यू' में शेअर मनी नहीं देवे, सब्सक्रिप्शन नहीं देवे तो मेम्बर एक्सेप्ट कैसे हुआ ? यह बाइलॉज़ में देंगे क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सभापति महोदया, यह लोन का नहीं है, मेरे ख्याल में यह पेमेन्ट शेअर का है ?

श्री नत्थीसिंह : मेम्बरशिप का है २० !

श्री मथुरादास माथुर : सो तो २१ के अन्दर जो मैंने अमेंडेड क्लॉज़ रखा है वह सब्स्टीट्यूट करके पूरे को उसमें जोड़ें। यह है :

(श्री मथुरादास माथुर)

"For clause 21, substitute the following clause, namely—"21. Member not to Exercise rights till due payment made.-No member of a cooperative society shall exercise the rights of a member unless he has made such payments to the society in respect of membership or has acquired such interest in the society, as may be specified in the bye-laws."

जो बाइलॉज में स्पेसीफाई होगा। उसके साथ साथ इन रेस्पेक्ट ऑफ मेम्बरशिप को उसमें देने का सवाल है। इसमें यह दी हुई है वह इसमें नहीं है। दूसरा यह कहा कि ऑफिस बिअरर है वह पंचायत समिति के ऑफिस बिअरर हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑफिस बिअरर हैं वह पंचायत समिति में एक्स ऑफिशियो मेम्बर होते हैं। अब पंचायत समिति में इलेक्शन से किसी को डिबार कर दे तो वह पंचायत समिति एक्ट में कर सकते हैं, हम उसमें बाधा नहीं कर सकते। तो पंचायत समिति के ऑफिस बिअरर हैं वे मेम्बर हमारे यहां होंगे।

**श्री नत्थीसिंह** : सभापति महोदया, मैं इसमें निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें एक बात की जा सकती है जो उस वक्त डिस्कस हुई थी जिस वक्त पंचायत समिति एण्ड जिला परिषद बिल डिस्कस हो रहा था कि जो सदस्य सोसाइटी में रिप्रेजेंटेटिव रहता है वह सरपंचों में से रखते है। जो पंचायत समिति में सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव जाता है वह सरपंचों में से जाता है, सेवा सहकारी समितियों में। हम इसमें कर सकते हैं कि वह किसी अन्य संस्था में नहीं जा सकता। जो सरपंच डिफॉल्टर है वह कोऑपरेटिव में प्रतिनिधि होकर जा सकता है। उसमें यह निश्चित रूप से रखें कि एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी का मर्जर हो तो दोनों सहकारी समिति का सम्मिलित रिप्रेजेंटेटिव आपकी पंचायत में जाय इसमें थोड़ी दिक्कत हो जायगी।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : यहां तब तक अब मैं नहीं समझता कि सहकारी समिति का रिप्रेजेंटेटिव पंचायत में रखा जाय।

**एक माननीय सदस्य** : रखा नहीं जायगा।

**श्री मथुरादास माथुर** : यह तरमीम मंजूर करने में मैं असमर्थ हूं। और जो ओरीजिनल क्लॉज़ रखा है वह मेरे अमेंडमेंट के साथ पास करें।

**श्रीमती सभानेत्री** : प्रश्न यह है कि प्रभारी मन्त्रीजी ने जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड २१ स्वीकार किया जाय...

**श्री परसराम मदेरणा** : संशोधित रूप में ।

**श्रीमती सभानेत्री** : प्रश्न यह है कि खण्ड २१, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

( स्वीकृत )

संशोधित रूप में खण्ड २१ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

( विराम )

खण्ड २२

[ इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) :
(i) Omit part (b) of the proviso.

(ii) Sub-clause (b) be deleted.]

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : माननीय सभानेत्री महोदया, मेरा इसमें संशोधन यह है कि क्लॉज़ २२ (बी) जो है उसको डिलीट कर दिया जाय और क्लॉज़ २२ (बी) का अभिप्राय यह है कि राज्य सरकार सहकारी समितियों में जहां शेअर खरीदेगी वहां जितने भी नोमीनेशन करेगी उन्हें सहकारी समिति की बॉडी में उन सबको वोट देने का अधिकार होगा, उन सबको एक एक वोट देने का अधिकार होगा, यह हमारे क्लॉज़ की मन्शा है । मैं इस क्लॉज़ को डिलीट करना चाहता हूं । इस क्लॉज़ को डिलीट करने का अभिप्राय यह है कि आज राज्य सरकार ने इस बिल के एक क्लॉज़ ३५ में यह लिखा है कि राज्य सरकार जितना भी रुपया सब्स्क्राइब करेगी तो प्रत्येक परिस्थिति में तीन आदमी बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर की तरफ से मनोनीत किये जायेंगे । मतलब यह है कि तीन आदमियों को नॉमीनेट किया तो उसके तीन वोट हो गये बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में और यदि ६ आदमियों का, ८ आदमियों का या दस आदमियों का बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स है तो राज्य सरकार को इतना बड़ा वेटेज मिलता है जिससे कोऑपरेटिव मूवमेंट राज्य सरकार के ऑफिशियलडम और सरकारी अधिकारियों के ऑफिशियलडम से मुक्त नहीं हो सकता है । राज्य सरकार शेअर खरीदती है सरकारी समितियों के तो उससे हम चाहते हैं कि शेअर मनी कॉन्ट्रीब्यूट करे उससे ज्यादा से ज्यादा सहकारी आन्दोलन को बल मिले । लेकिन लेने–देने में राज्य सरकार का भाव यह होना चाहिये कि कोऑपरेटिव मूवमेंट को, कोऑपरेटिव आन्दोलन को बढ़ावा मिले एक तरह से । लेकिन वह जो प्रतिनिधियों को वहां भेजती है वह किस नियत से भेजती है । वह इसलिए भेजती है कि सहकारी समिति ठीक तरह से नियमों के अनुसार फंक्शन करती है, पैसे का दुरुपयोग नहीं करती है और सोसाइटी के फंक्शन का मेथड है वह उसमें करप्ट मेथड यूज़ न करे । मैं समझता हूं कि बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में ऐसे आदमी नहीं हैं कि राज्य सरकार जो रुपया दे वह उसे काम में ले लें । अगर आप इसमें अपने दो तीन प्रतिनिधि रखें तो मैं समझता हूं कि उनको वोट देने का अधिकार देना उचित नहीं होगा । मैं आपके सामने, नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल की जो रिपोर्ट है, उसकी चार पांच लाइनें पढ़ कर सुनाना चाहता हूं ।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

उसमें साफ तौर से यह लिखा है कि राज्य सरकार को इस तरीके से बोर्ड के अन्दर को वोटिंग पॉवर वगैरह नहीं रखनी चाहिये। उसके ऑब्ज़र्वेशन्स यह हैं :—

'It would be an advantage of these organisations to Government where to nominate one or two representatives. They should be there as observers and for purposes of assisting and helping on the spot. They should have no right of veto and even to vote......'

यह प्रस्ताव किसका है ? यह प्रस्ताव हमारे नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल का है। हिन्दुस्तान के अन्दर जो बहुत बड़ी ऑथोरिटी रखता है, और जो सहकारी आन्दोलन है, उसको यह सबसे बड़ी ऑथोरिटी किस तरह आगे बढ़ाना चाहती है। वह कहती है, एक वोट नहीं रखना, दो वोट नहीं रखने, तीन वोट नहीं रखने। मैं निवेदन करना चाहता हूं, वह सारा थिंकिंग है इससे राज्य सरकार क्यों पीछे ले जाना चाहती है-यह समझ में नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, जो इन्टरनेशनल ऑथोरिटी है उसका सहकारी आन्दोलन के बारे में थिंकिंग है उसके अनुसार सहकारी आन्दोलन का विकास हो और सहकारी आन्दोलन ज्यादा विकासशील हो, उसकी व्यवस्था करने के लिए सहकारी समितियों में ज्यादा पार्टीसिपेट करना पड़ेगा राज्य सरकार को। और इस पार्टीसिपेशन में राज्य सरकार को अपना ऑफिशियलडम इम्पोज़ नहीं करना चाहिये। यह जो सहकारी विधेयक है, इसमें सभानेत्री महोदया, जो क्लॉज़ है मैं इसका विरोध करना चाहूंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को कोई वोटिंग पॉवर हो। इस तरह जो सहकारी समितियों में जाते हैं उन राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को यदि वोटिंग पॉवर होती है तो जो राज्य सरकार के अधिकारी आ जायेंगे तो वह हावी हो जायेंगे। सरकारी प्रतिनिधि इसमें इन्क्लूड हो जायेंगे तो इसका मतलब यह है कि सहकारी आन्दोलन में एक तरह की गुटबाजी और राजनैतिक बू और गन्दगी आ जाती है। इसलिये हमें इनसे सहकारी आन्दोलन को मुक्त रखना चाहिये। बहुत बड़ी पॉवर्स राज्य सरकार को अलग अलग क्लॉज़ेज़ में दे दी गई हैं। हम यह चाहते हैं कि जो उम्मीदवार हैं राज्य सरकार के उनको वहां पर बैठने का अधिकार हो, उनको अपनी बात कहने का अधिकार हो। इसलिए यह वोटिंग पॉवर अपने बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स के प्रतिनिधियों के लिए राज्य सरकार न रखे। यही मेरा संशोधन है।

**श्री मथुरादास माथुर** : माननीय सभानेत्री महोदया...

**श्रीमती सभानेत्री** · बर्फाजी कह रहे हैं कुछ।

**श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा)** : सभानेत्री महोदया...

**श्री मथुरादास माथुर** : भई मोड़ो मत करे। रात में क्यूं जगावे ?

**श्री चन्द्रसिंह बर्फा** : संशोधित इस धारा की मन्शा है वह बिल्कुल स्पष्ट है कि

(श्री चन्द्रसिंह वर्फा)

सहकारी समिति में जो भागी हैं, शेअर होल्डर होते हैं, उनके अलावा मनोनीत सदस्य होना आवश्यक है। जिस तरह से एक शेअर होल्डर को वोट देने का अधिकार होता है उसी तरह से सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य को वोट देने का अधिकार होना वाजिब है। मैं यहां तक कहूंगा कि धारा २२ और ३५ दोनों वाजिब है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जितने शेअर होल्डर हैं वे एक जिम्मेदार सहकारी समिति के प्रतिनिधि हैं और उतनी ही जिम्मेदारी गवर्नमेंट नोमीनेटेड डाइरेक्टर की होना लाजिमी है। वर्ना एक शेयर होल्डर का वोटिंग राइट एक ही हो सकता है और जब उनका वोटिंग राइट होता है तो लाजमी तौर पर वे उसमें भाग लेंगे ही। इसलिए धारा २२ और ३५ इक्वली लायेबल हैं। जब हम चेयरमैन के ऊपर केस चला सकते हैं, ट्रेजरार और दूसरे सदस्यों को दोषी ठहरा देते हैं और उसमें गवर्नमेंट नोमिनी भी मौजूद है तो फिर उनको कार्यवाही करने में बाधा नहीं है तो फिर तीन तीन वोटिंग रखने की आवश्यकता तो प्रतीत नहीं होती।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उनको ऑफिस इन्चार्ज बना दें। चेयरमैन, सेक्रेट्री, ट्रेज़रार बना दें, काम हो जायेगा अपने आप।

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) : माननीय सभानेत्री महोदया, क्लॉज २२ में जो श्री सुराणाजी ने संशोधन मूव किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय महोदया, अगर नोमीनेटेड मेम्बर्स को अपना २ वोट देने का अधिकार दिया जाता है तो मैं इसका विरोध करता हूं और मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो सदस्य होते हैं वे शेयर होल्डर होते हैं और उन्हें अपना वोट देने का अधिकार होता है। सरकार अपने नोमीनेटेड सदस्य रखती है तो रखे, लेकिन मनोनीत सदस्यों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिये, यह मेरी मान्यता है।

श्री नत्थीसिंह : सभानेत्री महोदया, माननीय सुराणाजी ने जो अमेंडमेंट मूव किया है आज की स्थिति में इसे तो सरकार भी मानती है और राज्य सरकार के भी ऐसे सर्कूलर्स हैं कि उनके जो नोमीनीज़ हैं डिफरेंट बोर्ड्स में वे अपने वोटिंग राइट्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक तरफ तो यह स्थिति है और ऐसे ही सर्कूलर जारी किये गये हैं, एन. डी. सी. का जो रिज़ोल्यूशन है उसके आधार पर सरकार ने सर्कूलर जारी भी कर दिया है और उस स्थिति को माना है। लेकिन अब कानून में इस प्रकार का प्रावधान करना कि सरकार के हर एक प्रतिनिधि को, हर एक नोमिनी को एक एक वोट का अधिकार रहेगा तो फिर यह तो जो आपके सर्कूलर हैं वह इसके खिलाफ हो जायेगा। इसलिए जो (बी) क्लॉज़ है उसको डिलीट कर दिया जावे।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : माननीय सभापति महोदया, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मैं भी थोड़ा सा सहमत हूं सुराणा साहब से। जो हमारी नीति

(श्री मोतीलाल चौधरी)

है कि गवर्नमेंट का पार्टनरशिप कोऑपरेटिव्ज़ में रहे, इसको भी आम तौर पर मानते हैं कि कोऑपरेटिव्ज़ में पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब किसी भी बड़े से बड़े शेयर होल्डर का एक वोट होता है तो फिर गवर्नमेंट का भी एक ही वोट होना चाहिए, उसके तीन प्रतिनिधि कार्यकारिणी में नहीं जाने चाहिए। किसी भी कोआपरेटिव में गवर्नमेंट का जहां पांच हजार का शेयर होता है वहां उसके तीन प्रतिनिधि होंगे तो दूसरे भी कहेंगे कि हमारे भी इतने ही प्रतिनिधि होने चाहिए, जब कि किसी भी शेयर होल्डर का एक से अधिक वोट नहीं हो सकता। आपने इसके क्लॉज़ ३५ में रखा है कि तीन आदमी नोमीनेट करेंगे। अब बिड़लाजी कह दें कि मैं पचास हजार के शेयर लेता हूं, मेरे भी तीन आदमी रखो, या यों समझ लीजिए कि एक आदमी है, मोतीलाल चौधरी ही मेम्बर है, अब गवर्नमेंट के पचास हजार के शेयर पर तीन आदमी हैं तो मैं भी पचास हजार के शेयर खरीद कर कहूंगा कि मेरे वोट भी तीन हों, मेरे भी तीन आदमी होने चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर गवर्नमेंट का पार्टनरशिप रखना है कोऑपरेटिव्ज़ में रखना है तो रखिए, लेकिन एक ही वोट रखिए एक शेयर का। गवर्नमेंट को लीगल पर्सन माना है तो लीगली भी एक कमेटी के अन्दर एक आदमी ही जाना चाहिए। सेक्शन ३५ में जो प्रावधान है उसमें मेग्ज़िमम तीन या वन थर्ड ऑफ दी नम्बर मनोनीत करेंगे। जब किसी को भी, एक शेयर होल्डर को एक ही वोट का अधिकार है तो फिर गवर्नमेंट को तीन वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जब एक कमेटी में एक आदमी आता है तो उसका एक वोट होता है, तो फिर इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए और सुराणाजी का जो संशोधन हैं उसे मान लिया जाय।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : यह जो नोमीनेशन किया जायेगा वह कोऑपरेटिव विभाग के अधिकारी नोमीनेट करेंगे, बैंक का भी प्रतिनिधि होगा तो मेरे ख्याल से तो तीन नोमीनेट होना अनिवार्य है।

श्री मथुरादास माथुर : सभानेत्री महोदया, यह जो मानिकचन्दजी साहब ने अमेंडमेंट रखा है कि इस क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जाये तो इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि इन्होंने जो एन. डी. सी. को कोट दिया है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने कोआपरेटिव का मोडल बिल बना कर भेजा था उसमें उन्होंने इन्सिस्ट किया है कि गवर्नमेंट की पार्टनरशिप जहां हो वहां गवर्नमेंट का इफेक्टिव रिप्रेज़ेन्टेशन वोट का होना चाहिए। यह मैं मानता हूं और इसे हमने सर्कुलर्स के जरिए कहा भी है कि इलेक्शन के मामलों में हम नहीं पड़ेंगे, गवर्नमेंट जिनको नोमीनेट करेंगे वे गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स ही होंगे और कोई नहीं होंगे, नोन ऑफिशियल वगैरह नहीं होंगे। जो यह प्रावधान किया गया है कि गवर्नमेंट के तीन नोमनी होंगे और वे गवर्नमेंट सर्वेंट्स होंगे तो उसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि इलेक्शंन्स के सिलसिले में सरकार की तरफ से कोई भी वोट नहीं डालेंगे।

**श्री नाथूलाल करील** : अगर एक ही रह जायेगा तो क्या होगा ?

**श्री मथुरादास माथुर** : मैं आपको बताता हूं कि जैसे सोसाइटी में रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और अपेक्स बैंक का प्रतिनिधि होता है और इसी तरह से हम भी सहकारी अधिकारियों को ही रखेंगे, औरों को नहीं। इन तीन अधिकारियों को रखने से सरकार को सहायता मिलती है उन पर इफेक्टिव कण्ट्रोल रखने में। मैं आपको बताऊं कि कहीं ऐसा होता है कि वे प्रस्ताव पास कर लें कि मोटर खरीदी जावे। उनका रुपया तो होता नहीं, राज्य का रुपया होता है, जब मोटर खरीदी जावे तो किससे खरीदी जावे, सोसाइटी तो घाटे में चलती है और वे मोटर खरीदने का प्रस्ताव पास कर लें तो क्या होगा। इसलिए अगर वहां हमारे आदमी हों तो वे इफेक्टिव राय तो दें। अगर एक आदमी रखते हैं और वह बीमार हो जाय तो क्या होगा, गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स हैं वे छुट्टी वगैरह भी जा सकते हैं। हां, इलेक्शन्स के मामलों में तो मैं अश्योरेंस दिला देता हूं कि सरकार इलेक्शन्स के मामलों में न खड़ी होगी, न वोट लेगी, न वोट देगी। इलेक्शन्स के मामलों में गवर्नमेंट नहीं पड़ेगी, यह मैं आपको आश्वासन देता हूं। गवर्नमेंट तो मनी को प्रोटेक्ट करने के लिए ही जिम्मेदार है। सोसाइटीज में लाखों रुपया है और उसमें कुछ गड़बड़ हो जायेगी तो फिर आप ही कहोगे कि यह हो गया, लेकिन मेरे तो वहां आदमी ही नहीं होंगे, वहां मुझे सूचना देने वाला ही नहीं होगा तो फिर मैं क्या कर सकूंगा ? इसलि मैं निवेदन करूंगा कि भारत सरकार से जो मोडल बिल बन कर आया था और एन. डी. सी. की भी उसमें सहमति थी उसी के आधार पर हमने इस चीज को रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य अपनी तरमीम वापिस ले लेंगे और जो मूल क्लॉज़ है उसको पास करेंगे।

**श्रीमती सभानेत्री** : ( श्री सुराणा की ओर इंगित ) आप अपनी तरमीम वापिस लेते हैं ?

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा)** : सभानेत्री महोदया, जैसा कि मंत्री महोदय ने फरमाया है, मैं यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने लाखों रुपये इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर रखे हैं वहां पर भी वह अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजती है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रुपया देती है तो वहां तीन तीन आदमी भेजती है और उनको अलग वोटिंग राइट है, यह कहां का न्याय है ?

**श्री मथुरादास माथुर** : Where the Government is a member of the cooperative society, each person nominated by the Government on the committee of the Cooperative. Societey shall have one vote; यह 'बी' में दिया हुआ है।

**श्री नत्थीसिंह** : मंत्री महोदय ने जैसा अभी कहा है कि एक गवर्नमेंट का प्रतिनिधि है, एक अपेक्स बैंक का है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपेक्स बैंक का आदमी मार्केटिंग सोसाइटी में तभी होता है जब कि उनके थ्रू शेयर पार्टनरशिप हो। आज

(श्री नत्थीसिंह)

अपेक्स बैंक का कोई भी नोमिनी किसी भी सेंट्रल बैंक में नहीं है। तो एक तरफ तो यह मानते हैं कि शेयर होल्डर एक होगा और किसी भी शेयरर का एक वोट होगा। आज जो कोऑपरेटिव्ज़ की स्थिति है उसमें गवर्नमेंट के तीन वोट रखना गलत बात है; आप एक ही वोट रखिए। आप अपने विभाग का एक ही आदमी रखिए। यह तीन तीन आदमी रखना कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के खिलाफ है

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप गवर्नमेंट का वोटिंग राइट रखना चाहते हैं तो रखिए लेकिन एक का वोटिंग राइट रखिए। आप मनी प्रोटेक्ट करने के लिए तीन आदमी रखना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि वोटिंग राइट तो एक का रखिए, ओब्ज़र्वर आप चाहे जितने रखिए; तीन रखिए, चार रखिए, पांच रखिए, चाहे जितने ओब्ज़र्वर रखिए। आप अपने इंटरेस्ट को वाच करने के लिए पांच आदमियों को भेज दीजिए लेकिन, जहां तक वोटिंग राइट का सवाल है आपको एक का ही अधिकार रखना चाहिए। आप सोसायटीज़ के काम में इंटरफियर तो और भी तरीकों से कर सकते हैं, आपने कानून के द्वारा भी इसका प्रावधान रखा है कि उनके काम में इंटरफियर कर सकते हैं। आपने जो अभी कहा है कि इलेक्शन्स में उनका ताल्लुक नहीं रखा है तो यह तो अच्छी बात है, इसके लिए आपने एश्योरेंस भी दे दिया है कि वे इलेक्शन्स में वोट नहीं देंगे और खड़े भी नहीं होंगे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को आप अपने पांव पर खड़ा होने दें और कोई इंटरफियरेन्स वोट के जरिए न रखिए, यह हमारी भावना है। आप अपने ओब्ज़र्वर चाहे जितने रखें, इसमें हमें मना नहीं है। तीन, चार, पांच रखिए, इसमें हम मुमानियत नहीं करना चाहते। यह एन. डी. सी. की भावना के अनुकूल भी होगा यदि आप यह संशोधन कर दें कि जितने व्यक्ति होंगे उनका एक एक वोट होगा और साथ ही यह भी रखें कि गवर्नमेंट का एक ही वोट होगा। वह वोट संस्था के इलेक्शन में काम में नहीं आएगा। यदि इस तरीके से माननीय मंत्री महोदय संशोधन करना स्वीकार कर लें तो यह सदन की भावना के अनुकूल होगा और सहकारी आन्दोलन की जो विचारधारा देश में बन रही है, यह उसके अनुकूल होगा।

सभानेत्री महोदया, हम नोमीनेट कर रहे हैं एक एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट का आदमी होता है, एक फाइनेन्स का और एक रजिस्ट्रार होता है। इनके रखने का मतलब यह है कि अगर कोई सोसाइटी बन्द होती है या उसकी हालत खराब होती है तो उसकी जानकारी हमको उनसे मिल जाती है। इसलिये हम इस तरह से तीन आदमियों को नोमीनेट करते है। अब आप कहते हैं कि तीन आदमी आ सकते, है मगर वोट का अधिकार एक को ही होना चाहिये।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : आपका उसमें सहकारी विभाग का प्रतिनिधि होगा उससे आपको सब सूचना मिल सकती है।

**श्री मथुरादास माथुर** : यह बात कहीं पर डालनी होगी। क्योंकि गवर्नमेंट की पूंजी बहुत ज्यादा लगी है तीन वोट गवर्नमेंट की उस पूंजी को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर इसके लिये तीन रखें तो मैं समझता हूं कि कोई बात नहीं है। राज्य सरकार की मंशा यह नहीं है कि वे लोग उन पर हावी हो जावें। मैं तो यह कहूंगा कि अगर हावी होते हैं तो कोई बात होती है। हावी नहीं होते हैं इस बात की आपकी शिकायत है। आपकी यह शिकायत है कि आपके नोमीनी वहां पर कुछ नहीं करते हैं और हमारे नोमीनी ऊंघते रहते हैं। मैं समझता हूं कि आप अपनी तरमीम को वापिस लेंगे।

**श्रीमती सभानेत्री** : आप अपना संशोधन वापिस ले रहे हैं ?

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : यह सिद्धान्त का प्रश्न है, मैं इसको वापिस लेने में असमर्थ हूं।

**श्रीमती सभानेत्री** : प्रश्न यह है कि जो तरमीम श्री मानिकचन्द सुराणा ने क्लॉज २२ में रखी है स्वीकार की जाए।

(अस्वीकृत)

तरमीम गिर गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड २२ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड २२ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड २३

**श्री मथुरादास माथुर** : सभानेत्रीजी, खण्ड २३ में मेरा संशोधन है :

For clause 2 (b), substitute the following clause, namely:

"(b) A local authority or body, which is a member of a co-operative society under section 19, may, subject to any rules made under this. Act, appoint any person to vote on its behalf in the affairs of such society."

**श्रीमती सभानेत्री** : प्रश्न यह है कि खण्ड २३ में प्रभारी मंत्री ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड २३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड २३, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

(श्रीमती सभानेत्री)

खण्ड २४ ।

श्री विजयसिंह झाला ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड २४ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

खण्ड २४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

खण्ड २५ ।

**श्री मथुरादास माथुर** : खण्ड २५ में मेरा एक अमेंडमेंट है :

In sub-clause (1) delete the expression "belonging to the category mentioned in clause (a) of sub-section (1) of section 19".

**श्रीमती सभानेत्री** : प्रश्न यह है कि खण्ड २५ में जो संशोधन है उसे स्वीकार किया जाए ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड २५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

खण्ड २५, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

खण्ड २६ ।

**श्री मथुरादास माथुर** : सभानेत्री महोदया, खण्ड २६ में मेरा संशोधन इस प्रकार है :

For sub-clause (3) substitute the following sub-clause, namely :-

"(3) Where such nominee, heir or legal representative, as the case may be, is not admitted as a member of the society under sub-section (1), the society shall pay him all other moneys due to the deceased member from the society."

**श्रीमती सभानेत्री** : प्रश्न यह है कि खण्ड २६ में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने रखा है उसे स्वीकार किया जाए ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड २६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

खण्ड २६, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

(श्रीमती सभानेत्री)

प्रश्न यह है कि खण्ड २७ और २८ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड २७ और २८ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

खण्ड २९, श्री मानिकचन्द।

[इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

श्री मथुरादास माथुर (सहकारी मंत्री): After the words "co-operative society shall", insert the expression, "subject to the provisions of this Act and the rules"

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) :
(i) Substitute the expression "General Meeting" for the expression "General Body",

(ii) Proviso to the clause be deleted.]

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री इसको वैसे ही स्वीकार कर लेंगे। अगर वे इसको वैसे ही स्वीकार करते हैं तो मुझे भाषण देने की जरूरत नहीं रहे। जनरल बॉडी की जगह जनरल मीटिंग।

श्री मथुरादास माथुर : दफा २९ में तरमीम यह है आपकी...

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने संशोधन रखा है उसमें आपने लिखा है कि-

After the words "cooperative society shall" insert the expression "subject to the provisions of this Act and the rules."

अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जितनी अपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उसमें जनरल बॉडी ऑफ मेम्बर्स क्या होंगे ? उसमें जनरल मेम्बर्स हो नहीं सकते। मैं यह निवेदन करूंगा कि एक तो बीकानेर में उपभोक्ता भंडार है और दूसरा जयपुर में। इसलिये मैंने यह अमेन्डमेंट रखा है कि जनरल मीटिंग ऑफ दी मेम्बर्स, जनरल बॉडी ऑफ मेम्बर्स नहीं।

श्री मथुरादास माथुर : जनरल बॉडी में रिप्रेज़ेन्टेटिव बॉडी बनावेगी और वे ही वहां पर बैठेंगे। सोसाइटी थोड़े ही बैठती है। इसलिये इसको लिया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह जो जनरल बॉडी ऑफ मेम्बर्स किया है यह विदेशी भाषा है, इसलिये पूरा सेन्टेन्स आप सुनिये :

"The final authority in a co-operative society shall vest in the general body of the members."

अभिप्राय क्या होगा ? मेरा संशोधन यह है कि "General body of members" के बजाय आप यह 'general meeting of members' में वेस्ट हो।

**श्री मथुरादास माथुर** : सदन की मीटिंग में सत्ता नहीं है, सदन के सदस्यों में सत्ता है ।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : यह जो है एक मीटिंग में सत्ता है । आप १७६ सदस्य हैं, अपने घरों पर बैठे हुए सोवरिन पॉवर नहीं है, जो सत्ता है वह मीटिंग में है । इसलिये जनरल बॉडी ही नहीं है जनरल मीटिंग है । इसलिये एक तो मेरा संशोधन यह है ।

दूसरा आपने प्रोविजन दिया है :

"Provided that where the bye-laws of a cooperative society provide for the consitution of a smaller body consisting of delegates of members of the society elected in accordance with such bye-laws, the smaller body shall exercise such powers of the general body as may be prescribed or as may be specified in the bye-laws of the society."

मतलब यह है कि जनरल बॉडी ऑफ मेम्बर्स के काम की तादाद को, इस तरह की प्रक्रिया है; सब-कमेटी,बोर्ड के मेम्बरों द्वारा गठन कर दिया जावे तो उसको भी सारे पॉवर्स डेलीगेट किये जा सकते हैं । मैं यह कहूंगा कि यह सब-कमेटी बना दी जावे :

"consisting of the delegates of members of the society."

इसको आप समस्त पॉवर्स डेलीगेट करना चाहते हैं, यह उचित नहीं है । फाइनल ऑथोरिटी जनरल बॉडी में रखी जावे । छोटी बॉडी है; जैसे बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स है, मैं पूछना चाहता हूं कि जनरल बॉडी कोई फैसला उसके खिलाफ लेना चाहती है तो उस छोटी सी चुनी हुई कमेटी को आपने ऑथोरिटी दे दी तो जनरल बॉडी को कोई अधिकार नहीं रहेगा । इसलिये मैं समझता हूं कि जो संशोधन मैंने पेश किया है उसे स्वीकार किया जाय ।

**श्री मथुरादास माथुर** : मुझे दोनों संशोधन स्वीकार करने में इसलिये असमर्थता पैदा होती है कि स्पेशल मीटिंग होती है और इसलिये मीटिंग में कभी भी पॉवर वेस्ट नहीं करते । पॉवर बॉडी में होता है । अगर सदन कमेटी बना कर पूरा अधिकार दे दे तो हो सकता है । २००० मेम्बर्स हैं तो छोटी संस्था को अधिकार दे दिया तो उस संस्था को पूरा अधिकार है ।

(६.०० म. प.)

**श्रीमती सभानेत्री** : माननीय सुराणा जी आप अपना संशोधन वापिस लेंगे ?

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : जी हां । मैं अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं ।

**श्रीमती सभानेत्री** : क्या सदन की अनुमति है कि श्री सुराणाजी को अपना संशोधन वापिस लेने की इंजाजत दी जाए ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

(६.०१ म. प.)

## हड़तालियों की हड़ताल तुड़वाने विषयक-सूचना

**श्री हरिराम चारू** (सिवाना-सु०) : पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन .......

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके द्वारा सदन को सूचना के तौर पर अर्ज कर रहा हूं कि भूख हड़ताल पर जो दो महतराणियां बैठी थी, उनकी भूख हड़ताल तुड़वा दी है। उप-मंत्रीजी ने आश्वासन दिया तो मैंने भूख हड़ताल तुड़वा दी है और घर भेज दी है। सरकार की और कांग्रेस की जय बोला दी है।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत): जो दोषी हैं, उन्हें दण्ड जरूर दें।

## राजस्थान सहकारी संस्था विधेयक, १९६४
( पूर्वक्रम से विचार विमर्श एवं पारित )

**श्रीमती सभानेत्री** : प्रश्न यह है कि खण्ड २९ में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड २९, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड २९, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड ३०

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ३० विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड ३० विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड ३१, प्रभारी मंत्रीजी!

**श्री मथुरादास माथुर** (सहकारी मंत्री): मेरा संशोधन यह है :

"For the expression 'not less than one fifth of the total number of members or such number of members as may be specified in the bye-laws, whichever is less, substitute the expression "such number of members, not being less than one fifth of the total number of members as may be specified in the bye-laws.''

यह टेक्निकल है।

**श्रीमती सभानेत्री** : प्रश्न यह है कि खण्ड ३१ में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

(श्रीमती सभानेत्री)

प्रश्न यह है कि खण्ड ३१, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड ३१, यथासंशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ३२ और ३३ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड ३२ और ३३ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

खण्ड ३४, श्री मुराणा।

[इस खण्ड पर सहकारी मंत्री का संशोधन इस प्रकार है :

(i) In sub-clause (3) for the words "more than one such society", substitute the words "of such societies."

(ii) Re-number sub-clause (4) as sub-clause (9);

(iii) Re-number sub-clause (5) to (7) as (6) to (8), respectively;

(iv) before sub-clause (6) as so re-numbered, insert the following sub-clause, namely :—

"(4) No person shall be eligible for being elected or appointed as a member of a Committee if he is in default to the society or to any other society, in respect of any loan or loans taken by him for such period as is specified in the bye-laws of the society concerned or in any case for a period exceeding three months and such a member or aforesaid shall cease to hold office as soon as he has incurred the disqualification mentioned in this sub-section.

(5) (a) No money-lender as defined in the Rajasthan Money Lenders Act, 1964, shall be eligible for being elected or appointed as an officer of a service co-operative society, as classified under the rules, nor shall he continue as an officer thereof upon the commencement of this Act.

(b) Where an officer of such society as aforesaid, at any time after the commencement of this Act, starts money lending business, he shall, thereupon, cease to be an officer of such society.";

(v) for sub-clause (7) (a) to (d) as so re-numbered substitute the following clause, namely :-

"(7) No member of a committee who has been removed under sec-

(श्री सहकारी मंत्री)

tion 36 shall be eligible for election or appointment to the committee for a period of three years from the date of expiry of the period of removal.".]

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : मैं इस संशोधन को मूव नहीं करना चाहता।

**श्री मथुरादास माथुर** : खण्ड ३४ में मेरा संशोधन है उसे स्वीकार किया जाय।

**श्रीमती सभानेत्री** : प्रश्न यह है कि खण्ड ३४ में जो प्रभारी मन्त्रीजी ने संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ३४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खन्ड ३४, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड ३५

[इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुआ :

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : In sub-clause (1) add the words "and shall not have a right to vote" after the words "shall only be Government servants".]

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : सभापति महोदया, क्लॉज़ २२ के पार्ट बी, के डिलीशन का जिस तरह का मेरा संशोधन था उसी सिलसिले का ६४ में है कि सरकार के नोमिनेटेड व्यक्तियों को वोट का अधिकार नहीं रहे। मैं सारी बहस दुबारा नहीं करना चाहता हूं, पर मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार वोटिंग देने के अधिकार रखने के लिये कोई ग्राउन्ड्स नहीं है। इसलिये मैंने जो संशोधन रखा है उसे मैं वापिस लेने में असमर्थ हूं।

**श्रीमती सभानेत्री** : प्रश्न यह है कि खण्ड ३५ में श्री मानिकचन्द सुराणा ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ३५ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड ३५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

(श्रीमती सभानेत्रा)

खण्ड ३६

[इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

श्री नत्थीसिंह ( भरतपुर ) : Sub-clauses (7) and (8) be deleted.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) :
(i) Delete the words ' or member thereof" in the title of the clauses;

(ii) in sub-clause (1) delete the words "or any member of such Committee' in 2nd and 3rd lines and also delete the words "or the member" in the lst line and delete part (b) thereof;

(iii) delete sub-clause (7);

(iv) delete sub-clause (8);

श्री मथुरादास माथुर (सहकारी मंत्री):
(1) For sub-clause (1) (a), substitute the following sub-clause, namely :—

"(a) remove the committee, and appoint a Government servant as an Administrator, to manage the affairs of the society for a period not exceeding one year as may be specified in the order, which period may, with the previous approval of the Government, be extended by the Registrar from time to time, so however, that the aggregate period does not exceed two years; or";

(ii) in sub-clause (2), delete the word "such" between the words "have" and "powers":

(iii) in sub-clause (7), for the expression "sub-section (6) of section 34", substitute the expression "sub-section (7) of section 34".]

श्री नत्थीसिंह !

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : सभापति महोदया, खण्ड ३६ में मेरा संशोधन यह है कि इसके उप-खण्ड (७) और ८ को डिलीट किया जाय क्योंकि ये दोनों उपखण्ड आधार भूत जो सिद्धान्त हैं उनके विपरीत हैं, इनको रख कर आप आधारभूत गल्ती कर रहे हैं। मंत्री महोदय (७) में यह प्रावधान लिख रहे हैं :

"No member of a committee in respect of which proceeding for removal under this section are pending shall be eligible for election or appointment to the committee till the termination or such proceedings.

(८) में भीय ही रिपीट किया है। समिति का कोई सदस्य, जिसे हटाने के लिये धारा ३६ के अन्तर्गत कार्यवाहियां विचाराधीन हैं, उस समय तक उस समिति में चुने जाने अथवा नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा, जब कि कार्यवाहियां समाप्त न हो जायं।

ऐसा प्रावधान कहीं नहीं है। गवर्नमेंट नोमिनी को पूरा वोटिंग का अधिकार दिया है। यदि कोई कमेटी या कमेटी का

(श्री नत्थीसिंह)

सदस्य कोई गल्ती करता है तो रजिस्ट्रार उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्ज़ स्टार्ट करेगा और जब तक उसके खिलाफ वह प्रोसीडिंग्ज़ समाप्त न हो जाय तब तक उस समिति में चुने जाने से डिबार करेगा इस तरह कमेटी के चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिया जाना अनुचित है। इसके परिणाम ये होंगे कि जब कभी किसी कमेटी के चुनाव होंगे वाले होंगे उस समय किसी भी सदस्य के खिलाफ प्रोसीडिंग्ज़ स्टार्ट कर दी जायगी। इसलिये (७)और(८)को डिलीट किया जाना चाहिये। इसमें मंत्री महोदय ने जो संशोधन दिया है वह और भी गलत है, उससे तो मामला और भी गड़बड़ हो जाता है। आज यह है कि किसी कमेटी के खिलाफ या किसी कमेटी के किसी सदस्य के खिलाफ प्रोसीडिंग्ज़ स्टार्ट करते हैं तो नोटिस देंगे, सुनवाई का मौका देंगे, पर आपने इसमें यह पेश किया है कि यों ही सस्पेन्ड कर देंगे यह अनुचित है, इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि पार्ट (७) और (८) को डिलीट कर दिया जाय।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोनायत): माननीय सभानेत्रीजी, यह संशोधन सब क्लॉज (७) और (८) को डिलीट करने का माननीय सदस्य ने रखा है, और इसी तरह का संशोधन मैंने भी रखा है. इस संशोधन को मैं पेश करना चाहूंगा। मुझे ताज्जुब है कि इस तरह का सब-सेक्शन इस तरह का क्लॉज़ मायुर साहब ने पेश किया है उसमें और दुबारा कानून पेश किया है भी उसे वापिस नहीं लिया है। क्रिमिनल लॉ का भी प्रोसीजर है कि यदि कोई क्राइम करता है तो उसको प्रोसीक्यूट कर सकते है, पर जब कन्विक्शन हो जाय तभी उसे किसी प्रकार के अधिकारों से डिबार किया जा सकता है पर क्लॉज़ ३६ के अन्दर किसी के खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू हो जाय तो प्रोसीडिंग शुरू होते ही उसको सस्पेन्ड कर दिया जाता है। और जब तक प्रोसीडिंग्ज़ पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक उसे उसके अधिकारों से डिबार रखा जाता है। ये प्रोसीडिंग्ज़ किस तरह से लम्बी चलती हैं। इसके अनेकों उदाहरण हैं। जयपुर उपभोक्ता भण्डार के खिलाफ इस तरह की प्रोसीडिंग्ज़ पौने दो वर्ष से चल रही है। और प्रोसीडिंग्ज़ शुरू हो गई तो उसको चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है तो यह सहकारी आन्दोलन की स्पिरिट के खिलाफ है। कानून के जो सामान्य सिद्धान्त हैं, उन सारे सिद्धान्तों की हत्या यदि यह सब क्लॉज़(७)और (८) पास करते हैं तो होगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई जनतान्त्रिक सरकार और मंत्री इस तरह का ब्लेक लॉ और प्रोविज़ो को इनकोर्पोरेट करने के लिये सदन से अनुग्रह नहीं करेंगे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि दोनों क्लॉज़ को डिलीट किया जाय। अन्यथा यह सहकारी आन्दोलन की हत्या होगी, जनतन्त्र की हत्या होगी।

**श्री मथुरादास माथुर** (सहकारी मंत्री): सब-क्लॉज़ (७) व (८) बारे में माननीय सदस्यों ने सुझाव रखे हैं उनका मकसद भी पूरा हो जाय और जैसा कि नत्थीसिंहजी जानते हैं कि यह रोज समस्या आती है। इन्क्वायरी से बरी हो जाय। अध्यक्ष था, चेयरमैन था। इन्क्वायरी रुलके खाती है। मैं भी आपसे एग्री करता हूं। बिना सुने ही

(श्री मथुरादास माथुर)

किसी को सजा न दे दी। इसलिए (७) व (८) को एमलगेमेट करके क्लॉज़ बनाया है। दोनों डिलीट होकर एक ही क्लॉज बन जावेगा :

"No member of a Committee in respect of which or against whom pooceedings for removal under this section are pending shall be ineligible for election or appointment to the committee till the termination of such proceedings, unless the Registrar, after giving to such member, an opportunity of being heard disqualifies him for such election or appointment."

**श्री नत्थीसिंह** : यह फ्रेज्योलोजी डिस्कस की है। आप डिस्कस कर लीजिये। इनएडिक्वेट है। स्टे के पॉवर्स ले लीजिये।

**श्री मथुरादास माथर** : हम यही कर रहे हैं। उस मेम्बर को स्टे कर रहे हैं। उस चुनाव लड़ने से डिबार कर रहे हैं।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : दुबारा इसको और पढ़ लीजिये।

**श्री मथरदास माथर** : "No member of a committee in respect of which or against whom proceedings for removal under this section are pending shall be ineligible for election or appointment to the committee till the termination of such proceedings, unless the Registrar, after giving to such member, an opportunity of being heard, disqualifies him for such election or appointment."

**श्री नत्थीसिंह** : यह तो मैं अर्ज करता हूं....

**श्री मथुरादास माथुर** : आगे एक्स्प्लेनेशन सुनिये। थोड़ी सी सब्र की बात है। 'Explanation- A member of such committee—

(i) who is nominated to the committee by the Government or the Registrar under this Act or by an apex or Central society, as classified under the rules; or

(ii) Who, in the opinion of the Registrar is not guilty of and act or omission specifies under sub-section (i) of this section, shall not be deemed to be disqualified under sub-sec. (7) of sec. 34;

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : माननीय नत्थीसिंहजी का यह कहना है 'shall disqualify for election' यह लिखिये। he shall be disqualified for contesting election.

**श्री मथुरादास माथुर** : यही तो किया है :

"...till the termination of such proceedings, unless the Register after giving to such member, an opportuniiy of being heard disqualifies him for such election or appointment..."

(श्री मथुरादास माथुर)

मतलब आपका वही का वही निकलता है। कान यों पकड़ या यों करके यों पकड़े। नत्थीसिंहजी की बात सुन कर दिमाग लड़ा कर तो कानून बनाया। माननीय सभापति महोदया, माननीय नत्थीसिंहजी और माननीय सुराणाजी को इस तरमीम पर पूरा विश्वास है। इसलिये दोनों को डिलीट करके इस अमेंडमेंट क्लॉज़ को मंजूर किया जावे।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : "After giving him an opportunity of being heard..." उसको डिस्क्वालिफाई कर दिया जायेगा। उसकी डिस्क्वालिफिकेशन का आधार क्या होगा ? रिमूवल की कार्यवाही भी की है। रिमूवल में जवाब देगा। रिमूवल तो अवश्यम्भावी है। प्री-जजमेंट हो जावेगा यह।

**श्री मथुरादास माथुर** : जब डिबार करेंगे। जयपुर वाले की इन्क्वायरी चल रही है। उसने देखा है कि अच्छा है, इन्क्वायरी आये। टाइम आया, चुनाव करवा दो। दुबारा खड़ा हो जाय। डिबार करने से पहले लिख दिया है : "shall be heard" आर्बिट्रेरी चीज है जिसको चाहें उसको हटा दे, वह नहीं रहेगी।

**श्री नत्थीसिंह** : आपकी दिक्कतें हैं उनको मैं पूरी तरह मानता हूं। उसके लिये आप यह पॉवर ले लीजिये। उस कमेटी का चुनाव आप रख दें। भंग करने के अधिकार हैं उस पीरियड में प्रोसीडिंग्ज़ को टर्मिनेट कर लें. बीच में इससे चुनाव नहीं हो सकते।

दूसरी बात और सुनिये। एक आदमी को रोक दिया। चुनाव रुका दिये। वह खड़ा नहीं हुआ। प्रोसीडिंग्ज़ टर्मिनेट हुई, इसके माने यह हुए कि निर्दोष था। यह बिल्कुल गलत होगा।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : यह आर्बिट्रेरी और डिस्क्रिमिनेटरी अमेंडमेंट होगा। बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में ६ मेम्बर हैं। उनके खिलाफ रिमूवल की कार्यवाही की। छः को अधिकार दे दिया कन्टेस्ट करें। तीन को सिलेक्ट करके नोटिस दे दिया तीन जिनको रखा है वे पोस्ट होल्डर नहीं हैं। पोस्ट होल्डर्स हैं उनको अधिकार दे दिया कि लड़ सकते हैं जब कि उनकी जिम्मेदारी आती है। इसका क्राइटेरिया क्या होगा ? किस आधार पर एक व्यक्ति डिस्क्वालिफाई हो जाय।

**श्री मथुरादास माथुर** : नत्थीसिंहजी कहते हैं, ऐसा कर देंगे तो जुल्म हो जावेगा। एक आदमी की इन्क्वायरी हो रही है।

**श्री नत्थीसिंह** : दो प्रोविज़न्स हैं। एक कमेटी और एक मेम्बर। (७) और (८) इसीलिये लाये हो। एक मेम्बर का सवाल है, वह बात तो दूसरी है। पूरी कमेटी के भंग होने का सवाल आ जाता है। एक आदमी को रोकते हो और बाकी को अधिकार दे देते हैं। बाद में वह निर्दोष पाया गया तो यह डिस्क्रिमिनेटरी हो जावेगा। You can suspend the committee as well as disqualify a member. दो अधिकार लिये हैं। इससे घपला होगा।

**श्री मथुरादास माथुर** : चेयरमैन का चुनाव हुआ। हम यह कहते हैं कि चुनाव

(श्री मथुरादास माथुर)

करवायेंगे। उस आदमी को चुनाव लड़ने की ऑपोर्चुनिटी दी जावेगी। वह आदमी बरी हो सकता है। दुबारा लड़ ले। चुनाव ही रोक दिया है।

श्री नत्थीसिंह : टाइम देते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : इन्क्वायरी में साल छः महीने लग जायें। इसलिये यह ऑर्डर वाजिब रखा गया है। मेरा ख्याल है कि हिन्दुस्तान के दूसरे सूबों और प्रान्तों में ऐसा प्रोविजन है उसको देख कर किया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस क्लॉज में डिस्क्वालिफिकेशन तो डालिये कि किन परिस्थितियों में डिबार करेंगे ? मनी स्पेन्ड करना इन्डिस्क्रिमिनेटरी बर्गलिंग करना आदि जिससे सहकारी समिति को नुकसान हुआ हो। जब तक प्राइमा-फेसी केस न हो तब तक किसी मेम्बर को रोक देना वाजिब नहीं है। इसलिये आप सर्टन क्राइटेरिया रखिए रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो तो स्टे ऑर्डर कर सकता है, एलीजिबल कर सकता है। इस तरह के अधिकारों का ठीक ढंग से प्रयोग हो सकेगा। अगर इस तरह के पॉवर से इन्तजाम करना है तो निश्चित रूप से सेक्शन में डाल दें। इस तरह पॉवर इस्तेमाल किये जायेंगे और ये पॉवर्स विशेष परिस्थितियों में ही इस्तेमाल किये जाने चाहिये। जयपुर में कार्यवाही चल रही है, रोक लगाना जरूरी है, यहां जो पुराने मेलेशियस ढंग से चल रहे हैं, डेढ़ साल में जवाब दिया, दूसरा नोटिस दे दिया। पिछले आधार पर नोटिस दे दिया गया; कितना छिछला कारण बताया कि मोटर खरीदने का विचार कर रहे हैं। इस तरह के ग्राउन्ड्स रजिस्ट्रार लिखता है। ऐसी हालत में रजिस्ट्रार के लिये निश्चित आधार रखने होंगे, उसके लिये लेजिस्लेचर द्वारा निश्चित कराना जरूरी है कि किन परिस्थितियों में इनका उपयोग किया जायगा।

श्री मथुरादास माथुर : unless the Registrar, after giving to such member, an opportunity of being heard, is satisfied that prima facie charges are proved against him debars him for such election or appointment.

प्राइमाफेसी केस एस्टेब्लिश हो जाय।

मैं समझता हूं, रूल मेकिंग पॉवर में यह सब हो जायगा। "The qualifications of individuals, who may be admitted as members of the society;" इस सिलसिले में रूल्स के अन्दर डिटेल्स आ जायेंगे।

श्री नत्थीसिंह : इसको भी साफ कर लीजिये ; 'डिस्क्वाली-फाइ' वर्ड मत लाइये

'A member contesting election...' "स्टे" के बजाय "डिसक्वालिफाइ" लाइये।

श्री मथुरादास माथुर : डिसक्वालिफाइ हो गया; he has been disqualified to contest that election.

श्री मानिकचन्द सुराणा : 'डिबार' शब्द प्रयोग कर लिया जाय। जो समझदार लोग एप्रोप्रियेट वर्ड दें, 'डिसक्वालिफिकेशन' और, 'डिबार' में काफी फर्क है, उसे ध्यान में रख कर 'डिबार' रख लीजिये।

**श्री मथुरादास माथुर** : चाहे पत्थर से मारो या हथौड़े से मारो; एक ही बात है ।

**श्री नत्थीसिंह** : इसकी भी अपील रखेंगे ।

**श्री मथुरादास माथुर** : माननीय सदस्य ने कहा है. उसके अनुसार वर्ड्स तरमीम में एड हो गये हैं ।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : सभापति महोदया, मैं अपना संशोधन वापिस लेने के लिए आज्ञा चाहता हूं ।

**श्रीमती सभानेत्री** : क्या सदन की राय है कि श्री सुराणा को संशोधन वापिस लेने दिया जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : मैं अपने संशोधन को वापिस लेता हूँ ।

**श्रीमती सभानेत्री** : खंड ३६ में प्रभारी मंत्रीजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ३६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

खंड ३६, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ३७ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

खंड ३६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

खंड ३८, ३६ व ३६ एवं ४०

[ इन खण्डों पर सहकारी मंत्री ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किये :—

**खण्ड ३८**

(i) For sub-clauses (1) and (2), sub-stitute the following subclause, namely:-

"38. First charge of co-operative society on certain assets.-(1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, but subject to any prior claim of the Government in respect of land revenue or any money recoverable as land revenue.—

(a) any debt or outstanding demand owing to a co-operative society by any member or past member or deceased member shall

(श्री सहकारी मंत्री)

be a first charge upon the crops and other agricultural produce, cattle, fodder for cattle, agricultural or Industrial implements, or machinery, raw materials for manufacture and any finished products manufactured from such raw materials, belonging to such member, past member or forming part of the assets of the deceased member, as the case may be; and

(b) any outstanding demands or dues payable to a co-operative society formed with the object of providing its members with dwelling houses by any member or past member in respect of rent, shares, loans or purchase money or any other rights or amount payable to such society shall be a first charge upon his interest in the immovable property of the society."

(ii) Re-number the sub-clauses (3), (4) and (5) as (2), (3) and (4), respectively.

खण्ड ३६

(i) In sub-clauses (a) and (b) after the words "other than a short term loan", insert the words "as defined in section 82".

खण्ड ३६ ए

After clause 39, insert the following new clause, namely:--

"39A-Vesting of Lands in joint farming society and registration of agreement. (1) Notwithstanding anything contained in this Act or in any other Law for the time being in force, every member of a joint farming society as classified under the rules, whose lands have been pooled in the manner set out in the bye-laws of the society concerned, shall execute an agreement with the joint farming society specifying the period for which the land shall vest in the joint farming society, and the basis on which the share of his income shall be determined and such other matters as may be specified in the bye-laws.

(2) The agreement executed under sub-section (1) shall be sent by registered post by the joint farming society to the Sub-Registrar having jurisdiction over the area in which the lands are situated.

(3) On receipt of the agreement, the Sub-Registrar shall, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, register such agreement and issue a copy thereof to the joint farming society.

(4) Any agreement executed under sub-section (1) which has not been registered under sub-section (3) shall, notwithstanding anything contained in this Act or in any other law for the time being in force, be null and void.".

(श्री सहकारी मंत्री)

खण्ड ४०

In sub-clause (3), for the words "liability of the employee", substitute the words "liability of the employer".]

प्रश्न यह है कि खंड ३८, ३९, ३९, ए और ४० में जो संशोधन प्रभारी मंत्री जी ने रखे हैं स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ३८, ३९ व ४०, संशोधित रूप में विधेयक के अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड ३८ से ४०, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ४१ से ५० तक विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड ४१ से ५० विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ५१ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड ५१ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड ५१ ए

**श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत):** [संशोधन इस प्रकार है :—
Add the following new clause after clause 51:—

"51A. Rights of a preferential Share Holder.-A preference shareholder who is a member with the object to promote the co-operative movement is entitled only to an amount calculated at a fixed rate in addition to the preferential right to receive his paid up capital in the event of its being wound-up, amalgamated or divided."]

सभानेत्री महोदया, अभी मंत्री महोदय ने नोन मेम्बर्स के डिपोजिट्स का रखा है। गैर सदस्य डिपोजिट्स प्रिफरेन्शियल शेयर्स खरीदने का प्रावधान होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं जो डिपोजिट्स रख रहे हैं नोन-मेम्बर्स सहकारी समितियां एग्जामिन कर लें उन डिपोजिट्स को नेगोशियेबल बनाया जा सकता है। उसको यदि बेचता है या ट्रान्सफर करता है, ये सब अधिकार दिये जा सकते हैं। इतना निवेदन मैं करना

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

चाहता हूँ डिपोजिट्स के लिए कि जो व्यवस्था की है वह बहुत अपूर्ण है। इसमें जो रेट्स ऑफ इन्टरेस्ट देना चाहते हैं नेगोशियेबल नहीं बनाना चाहते हैं। जहां आपका पूंजी आकर्षित करने का ध्येय है उस उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते हैं साफ तौर से, इस तरह के डिपोजिट्स नेगोशियेबल हैं। कानून के तहत उनको नेगोशियेबल बनाया जाना चाहिये।

यदि कोई कानून में नेगोशियेबल नहीं है तो उसको बनाने में फायदा है। आज पूंजी के प्रति जो एटीट्यूड है मैं उससे एग्री नहीं करता। पूंजी के प्रति आपको अपना दृष्टिकोण बदलना होगा।

सहकारी समितियों के मैनेजमेन्ट को कन्ट्रोल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि छोटे छोटे लोग जावें और मैनेज करें, पर वे क्या करें अगर पूंजी नहीं आ रही है तो? आज मोतीलालजी के क्रय विक्रय संघ को दो करोड़ रुपया चाहिये। आपकी सरकार तो दिवालिया है। बीस लाख भी नहीं दे पावेगी।

**श्री मोतीलाल चौधरी** (डीडवाना): "दिवालिया" कैसे कहा?

**श्री मानिकचन्द सुराणा**: "दिवालिया" से मतलब यह थोड़े ही है कि सचमुच में दिवालिया है। आपकी मांग की पूर्ति चूंकि वह नहीं कर सकती, इस सेंस में दिवालिया है।

अब यदि आप ये दो करोड़ के फाइनेन्शियल प्रिफरेन्शिल शेअर बेच दें तो दो करोड़ आपको मिल जावेगा। आप भी कमावेंगे और जनता को भी अपना इन्टरेस्ट मिल जावेगा। देना तो सिर्फ आपको व्याज है। इससे आपकी सहकारी संस्थाएं पनपेंगी। आज बिड़ला, डालमिया, टाटा की ये बड़ी बड़ी कम्पनियां सरकार के और आपके हमारे पैसे से थोड़े ही बनी हैं। वे जनता के पैसे से बनी हैं जिनमें प्रिफरेन्शियल शेअर का पैसा है। बड़े बड़े पूंजीपतियों की मोनोपोली जो आज व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में है और जो दिनो दिन कमजोर होने के और मजबूत होती जा रही है उसको अगर आपको तोड़ना है और जनता के पैसे को उधर से रोकना है तो आपको सहकारी संस्थाओं के लिये कानून में ऐसा प्रावधान रखना होगा और इसके लिये वह गारन्टी जो मेन धारा ५१ (ए) में पास की हैं वह गारन्टी ५१ ए में भी रहनी चाहिये। यह प्रिफरेन्शियल शेअर सहकारी आन्दोलन में रहे या न रहे, यह आप परिभाषा का निर्णय मानेंगे और सुनेंगे तो यह नीति का प्रश्न है और नीति का प्रश्न बहुत बड़ा है। हिन्दुस्तान के और किन्हीं राज्यों में सहकारी कानून में यह प्रावधान है या नहीं, मैं नहीं कह सकता। पर इसके दृष्टिकोण को बदलने के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे टाटा कम्पनी के शेअर बिकते हैं वैसे क्रय-विक्रय संघ के भी बिकें और अगर क्रय-विक्रय संघ का मैनेजमेन्ट अच्छा है और वह अच्छी कमाई कर रही है, अच्छा मुनाफा शो कर रही है और इससे उसके शेअर की वेल्यू शेअर मार्केट में भी बढ़ती है तो क्या ऐतराज है इसमें आपको?

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

शेअर से और शेअर मार्केट से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह तो खुशी की बात है, इससे आपका मैनेजमेन्ट जिसके बारे में आप काफी चिन्तित हैं, जिसकी व्यवस्था के लिये आप काफी स्टाफ रखते हैं, रोज रोज नये नये तरीके, कायदे कानून बनाते रहते हैं, पर फिर भी घोटाले आपके घटते नहीं, बढ़ते ही जाते हैं, सुधरेगा, अच्छा बनेगा अपने आप और अगर खराब मैनेजमेन्ट हुआ तो वैसे ही जनता उसमें पैसा नहीं लगावेगी और वह अपने आप समाप्त हो जावेगी। हां, यह जरूर है कि सट्टेबाजी शेअरों में हो तो उसे आप कानून से रोकिये।

आप जो पूंजी राजस्थान में लगी है इस आन्दोलन में अगर आपने प्राइवेट पूंजी के लिये रास्ता इस तरह से खोल दिया तो इससे दस गुना ज्यादा पूंजी इसमें लगेगी। उम्मीद करता हूं, आप मेरे संशोधन पर इस पृष्ठभूमि में विचार करेंगे।

**श्री मथुरादास माथुर** : माननीय सभापति महोदया, जहां तक सहकारी आन्दोलन में पूंजी आवे, यह प्रश्न है, वहां तक तो मैं उसका स्वागत करता हूं। पर वह पूंजी किस तरह से आवे यह बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रिफरेन्शियल शेअर में वोट का अधिकार होता है कम्पनी लॉ में। हमने डिबेन्चर्स रखा है, उनको वोट का अधिकार नहीं होता। लैंड डेवलपमेंट बैंक में डिबेन्चर प्रिफरेन्शियल अलाऊ किये हैं।

**श्री मानिकचन्द्र सुराणा** : आप ऐसी रोक लगा दें कि वोटिंग राइट रुक जावे, वह न दें आप। आप मना कर दीजिये।

**श्री मथुरादास माथुर** : प्रिफरेन्शियल शेयर एक टैक्निकल वर्ड है, जो कम्पनी लॉ में काम में इसी अर्थ में लिया जाता है। तो कोई प्रिफरेन्स सहकारवाद में नहीं आना चाहिये।

अब आप में और हमारे में कोई अन्तर नहीं है यह मैं बताऊं। आप कहते हैं प्रिफरेन्शियल शेअर विदाउट वोट और शेअर विदाउट वोट हम कहते हैं। प्रिफरेन्शियल इसलिये कहते हैं कि पहले चार्ज होता है।

हम वोट का हक नहीं देते तो आप उसे डिपोजिट मान लो। तो यही चीज बन गई। अब डिपोजिट करा दें, इन्टरेस्ट ले लें, पहले चार्ज हो यह हम मान लें तो हमारा आपका पर्पज सर्व हो जाता है। इस कारण से प्रिफरेन्शियल शेअर को मन्जूर नहीं करते हैं, आपकी भावना को मन्जूर करते हैं।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : तो फिर आप इसे डिपोजिट शेअर क्यों नहीं कहते? आखिर उसका सर्टीफिकेट भी अगर आप कर दें और उसे नेगोशिएबल बना दें, चलो ऐसा कर दें। 'प्रिफरेन्शियल शेअर' वर्ड को जाने दीजिये। डिपोजिट को आपने स्वीकार किया है, इन्टरेस्ट स्वीकार किया है और पहले चार्ज हो, यह स्वीकार किया है; तो चलो आप यह और स्वीकार कर लें कि उसका सर्टीफिकेट आप इश्यू कर दें और उसे एक नेगोशियेबल इन्स्ट्रूमेंट मान लें।

**श्री मथुरादास माथुर** : सेलेबल सर्टीफिकेट मार्केट में स्पेकुलेशन बढ़ाता है; For co-operative movement, it is

(श्री मथुरादास माथुर)

most detrimental to this movement. धान और गेहूं का काम करता है सहकारी क्षेत्र और उसमें अगर स्पेकुलेशन शुरू करवा दिया तो यह आन्दोलन वैसे ही नष्ट हो जावेगा तो इस मूवमेंट को खुदा के वास्ते ऐसा मत सुझाव दीजिये।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : शेअर माकट से घबराते क्यों हैं, आप अपना मैनेजमेंट स्ट्रोंग बनाइये न। यह चीज तो मैनेजमेंट को ही ठीक कर देगा। कमजोर मैनेजमेंट को अपने आप ही नहीं चलने देगा। आप मैनेजमेंट को ठीक करने से घबराते क्यों हैं ?

टाटा का आयर्न स्टील के शेअर का भाव घटता-बढ़ता रहता है, अगर वह बढ़ता है तो इसका मतलब यह है कि कम्पनी मुनाफे में है। इसी तरह से सहकारी समिति है कोई और उसका दस रुपये का या सौ रुपये का शेअर है और बाजार में उसका भाव बीस, पच्चीस या सवा सौ, डेढ सौ या दो सौ है तो यह तो खुशी की बात है, उस का प्रबन्ध अच्छा है यह साबित करता है, अच्छे प्रबन्धकर्त्ताओं को प्रोत्साहन मिलेगा इससे तो और अगर उसकी कीमत बाजार में पांच या पचास की हो जावे तो इसका मतलब यह है कि निश्चित रूप से वह घाटे में है। तो यह शेअर मार्केट तो एक तरह का इन्डीकेशन हो सकता है कि यह घाटे में है या मुनाफे में है। आपको डर यह होगा कि क्रय विक्रय संघ है अगर उसके शेअर की वेल्यू गिर गई तो जनता के सामने यह बात आ जावेगी कि उसमें जबर्दस्त घोटाले हैं; एक करोड़ का नहीं तो पचास और चालीस लाख का हो गया है। तो इससे तो डरने की बात नहीं है। क्रय विक्रय संघ इसके होते ही मुनाफे में चलने लग जावेगा, उसके घोटाले बन्द हो जावेंगे, उसका मैनेजमेंट चुस्त बन जावेगा। तो इसलिये शेअर मार्केट और पूंजी के मार्केट से घबराने और दूर भागने की जरूरत नहीं है, इसको तो कन्ट्रोल करने की बात है। इसे कन्ट्रोल करिये, इस पर आप स्वयं हावी होइये न। अपना मैनेजमेंट सुधारिये, इन घोटालों को प्रोत्साहन मत दीजिये। तो इसलिये आप डिपोज़िट की बात रखिये, पर इसके सर्टीफिकेट को नेगोशियेबल इन्स्ट्रमेंट कर दीजिये। मुझे इसमें एतराज नहीं। इसे आइडिया को आप और सोचिये। यह आवश्यक है इस आन्दोलन में से घोटालों की समाप्ति के लिये मैनेजमेंट में अच्छे आदमियों को लाने के लिये। आपका सिरदर्द, जो आज इसके घोटाले बने हुए हैं वह दूर हो जावेगा। आपको पूंजी के कन्ट्रोल से डरने की आवश्यकता नहीं है।

**श्री मथुरादास माथुर** : काफी बहस हो चुकी है। मैं फिर निवेदन चाहता हूं कि अगर आपकी मंशा हमें मन्जूर होती तो यह कोऑपरेटिव एक्ट लाते नहीं। कम्पनी अमेंडमेंट बिल लाते।

दूसरा निवेदन करता हूं कि कोऑपरेटिव प्रिन्सिपल सोश्यल जस्टिस और इक्विटी की बात करता है।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : तो फिर मैं अपना संशोधन विथ्ड्रा करना चाहता हूं। क्योंकि उन्होंने जिद्द पकड़ ली है।

**श्रीमती सभानेत्री :** प्रश्न यह है कि श्री सुराणा ने जो संशोधन पेश किये हैं उनको वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुमति दी जाती है।

**श्री मानिकचन्द सुराणा :** मैं वापिस लेता हूं।

मैंने तो मोतीलालजी की तकलीफ को दूर करने के लिये प्रावधान रखा था।

**श्री मथुरादास माथुर :** ५२ से ७० तक कोई संशोधन नहीं है।

**श्रीमती सभानेत्री :** प्रश्न यह है कि खण्ड ५२ से ७० तक विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड ५२ से लेकर ७० तक विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

**श्री मथुरादास माथुर :** खण्ड ७१ पर मेरा एमेंडमेंट है उसको मूव करता हूं।

[इस खण्ड पर संशोधन इस प्रकार है:—

Insert the words " of such bank" after the word "committee" ]

**श्रीमती सभानेत्री :** प्रश्न यह है कि खण्ड ७१ में प्रभारी मंत्रीजी में जो संशोधन रखा है उसके स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ७१, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

संशोधित रूप में, खण्ड ७१ विधेयक के अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड ७२, ७३ व ७४

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ७२, ७३ और ७४ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड ७२, ७३ व ७४ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

खण्ड ७५ व ७६

[खण्ड ७५ व ७६ पर इस प्रकार संशोधन प्रस्तुत हुए—

**श्री मथुरादास माथुर** (सहकारी मंत्री): In sub-clause (c), delete the words " a nominated committee or"

खण्ड ७६

For sub-clause (2), substitute the following sub-clause, namely:-

"(2) The Registrar may withdraw any reference transferred or referred for disposal under sub-section (1) snd either decide it himself or transfer or refer it again for disposal

(श्री मथुरादास माथुर)

to another person or arbitrator mentioned in clause (b) or (c) or that sub-section if the person or arbitrator to whom the dispute was first transferred or referred.

(i) dies, resigns or transferred; or

(ii) has became incapable of acting or against whom a complaint has been received, regarding his misconduct or corruption; or

(iii) neglects or refuses to act."]

**श्री मथुरादास माथुर :** [ खण्ड ७५ और ७६ में मैंने जो एमेंडमेंट रखे हैं उनको मूव करता हूं ।

**श्रीमती सभानेत्री :** प्रश्न यह है कि खण्ड ७५ और ७६ में प्रभारी मंत्रीजी ने जो संशोधन रखे हैं उनको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ७५ और ७६, संशोधित रूप में, विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

खण्ड ७५ और ७६, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ७७ और ७८ विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

खण्ड ७७ और ७८ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

खण्ड ७४

**श्री मथुरादास माथुर :** [ खण्ड ७९ में इस प्रकार संशोधन प्रस्तुत हुआ :

In sub-clause (2) for the proviso substitute the following proviso, namely:—

"Provided that no liquidator shall determine the contribution, debt or dues to be recovered from a member, past member, or a nominee, heir or representative of a deceased member unless opportunity has been given to such member, past member or nominee, heir or representative of the deceased member of being heard."]

I move my amendment in clause 79.

**श्रीमती सभानेत्री :** प्रश्न यह है कि खण्ड ७९ में जो प्रभारी मंत्रीजी ने संशोधन पुट अप किया है उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

(श्रीमती सभानेत्री)

प्रश्न यह है कि खण्ड ७६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड ७६, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया

(विराम)

खण्ड ७६ ए

**श्री मथुरादास माथुर :** खण्ड ७६ए जो कि सिलेक्ट कमेटी ने एड किया है उसको मूव करता हूं, उसको पास किया जाय।

**श्रीमती सभानेत्री :** प्रश्न यह है कि खण्ड ७६-ए विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड ७६-ए विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ८० और ८१ विधेयक का अंग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड ८० और ८१ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

खण्ड ८२

[इस खण्ड पर प्रभारी मंत्री, के निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

(i) In sub-clause (a) (iii), insert the words "or agriculturists" after the word "tenants";

(ii) after sub-clause (b), in the Explanation,-

(a) in paragraph (i), for the words "eighteen" substitute the words fifteen";

(b) in paragraph (ii), for the words "three years", substitute the words "fifteen months".]

**श्री मथुरादास माथुर :** I move my amendment in clause 82.

**श्रीमती सभानेत्री :** प्रश्न यह है कि प्रभारी मन्त्रीजी ने जो संशोधन खण्ड ८२ में रखे हैं उनको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड ८२ में संशोधन स्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ८२, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड ८२, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

( गैरसरकारी ... )

प्रश्न यह है कि खण्ड ८३ और ८४ विधेयक के अंग बनें ।

खण्ड ८३ और ८४ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

खण्ड ८५

[ इस खण्ड पर प्रभार मंत्री का निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुआ :

In sub-clause (2), delete the expression, "or reserving to the committee the right to redeem at any time in advance of the date fixed for debenture not less than three months notice in writing".]

श्री मथुरादास माथुर : I move my amendments in clause 85.

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि खण्ड ८५ में जो संशोधन पुट अप किया गया है उनको स्वीकार किया जाय ।

( स्वीकृत )

तरमीम मन्जूर की गई ।

( विराम )

प्रश्न यह है कि खण्ड ८५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

( स्वीकृत )

खण्ड ८५, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

( विराम )

प्रश्न यह है कि खण्ड ८६, ८७ और ८८ विधेयक के अंग बनें ।

( स्वीकृत )

खण्ड ८६, ८७ और ८८ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

श्री मथुरादास माथुर : [ संशोधन इस प्रकार है :

Delete sub-clause (3) ]

मैं क्लॉज़ ८६ पर अपना अमेंडमेंट मूव करता हूँ ।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि जो अमेंडमेंट इस क्लॉज़ में प्रभारी मन्त्री जी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ।

( स्वीकृत )

खण्ड ८६ में संशोधन स्वीकार किया गया ।

( विराम )

प्रश्न यह है कि खण्ड ८६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

( स्वीकृत )

खण्ड ८६, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम )

(श्रीमती सभानेत्री)

प्रश्न यह कि खण्ड ९० विधेयक का अंग बने।

( स्वीकृत )

खण्ड ९० विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

( विराम )

खण्ड ९१

[ इस खण्ड पर प्रभारी मंत्री का निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुआ :

In sub-clause (2), substitute the word "mortgage" for the word "mortgagee" and the words "rights of the mortgagee" for the words "rights of the mortgage".]

**श्री मथुरादास माथुर** : I move my amendment in clause 91.

**श्रीमती सभानेत्री** : प्रश्न यह है कि जो अमेंडमेंट खण्ड ९१ में रखा गया है उसको स्वीकार किया जाय।

( स्वीकृत )

संशोधन स्वीकार किया गया।

( विराम )

प्रश्न यह है कि खण्ड ९१, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

( स्वीकृत )

खण्ड ९१, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

( विराम )

प्रश्न यह है कि खण्ड ९२ विधेयक का अंग बने।

( स्वीकृत )

खण्ड ९२ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

( विराम )

खण्ड ९३

[ इस खण्ड पर प्रभारी मंत्री का निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुआ :

(i) In the heading, insert the words "and leases" after the words "mortgages";

(ii) after the words "register mortgages", insert the words "or leases";

(iii) after the words "is mortgaged", insert the words "or let out";

(iv) after the words "property mortgaged", insert words "or let out".]

**श्री मथुरादास माथुर** : I move my amendment in clause 93.

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि जो संशोधन ६३ में रखा गया है उसको स्वीकार किया जाय ।

( स्वीकृत )

संशोधन खण्ड ६३ में स्वीकार किया गया।

( विराम )

प्रश्न यह है कि खण्ड ६३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

( स्वीकृत )

खण्ड ६३, संशोधित रूप में, विधेयक में, अंग रूप से जोड़ा गया ।

( विराम )

प्रश्न यह है कि खण्ड ६४ से ६७ विधेयक के अंग बनें ।

( स्वीकृत )

खण्ड ६४ से ६७ तक विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

( विराम )

खण्ड ६८ ।

[ इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

श्री नत्थीसिंह ( भरतपुर ) । In sub-clause (1) the expression "information writing of the Bank" be replaced by the expression "information in writing to the Bank" and the words "and subject to such terms......on any such property" be deleted.

श्री मथुरादास माथुर (सहकारी मंत्री) : In sub-clause (1)-

(i) for the words "information writing of", substitute the words "information in writing to";

(ii) delete the words "and subject to such terms and conditions as the Bank may impose". ]

श्री नत्थीसिंह ( भरतपुर ) : खण्ड ६८ में मेरा यह संशोधन है कि यह जो "information writing" के बाद में "To" आना चाहिए 'ऑफ' के बजाय और उसके बाद में वह लाइन डिलीट कर दें। माननीय प्रभारी मन्त्रीजी ने मेरे इस संशोधन को मान लिया है क्योंकि इन्होंने भी इन्हीं वर्ड्स के बारे में संशोधन मूव किया है ।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा यह संशोधन है :

In sub-clause (1)-

(i) for the words "information writing of", substitute the words "information in writing to";

(ii) delete the words "and subject to such terms, and conditions as the Bank may impose".

**श्रीमती सभानेत्री** : ( श्री नत्थीसिंह से ) आप अपना संशोधन वापिस लेते हैं ?

**श्री नत्थीसिंह** : जी हां।

प्रश्न यह है कि इनको संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी जाय ।

( स्वीकृत )

संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी गई ।

**श्री नत्थीसिंह** : मैं अपना यह संशोधन वापिस लेता हूं ।

**श्रीमती सभानेत्री** : प्रश्न यह है कि खण्ड ९८ में प्रभारी मन्त्री ने जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार किया जाय ।

( स्वीकृत )

खण्ड ९८ में संशोधन स्वीकार किया गया ।

( विराम )

प्रश्न यह है कि खण्ड ९८, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

( स्वीकृत )

खण्ड ९८, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

( विराम )

प्रश्न यह है कि खण्ड ९९ से लगाकर १०४ विधेयक के अंग बनें ।

( स्वीकृत )

खण्ड ९९ से लगाकर १०४ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

( विराम )

खण्ड १०५

[ इस खण्ड पर प्रभारी मंत्री का निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुआ :

In sub-clause (2), insert the following proviso, at the end, namely:-

"Provided that where the Registrar is the Trustee, he shall submit such report to the Goverment and the Goverment may confirm the sale or cancel it." ]

**श्री मथुरादास माथुर** : I move my amendment.

**श्रीमती सभानेत्री** : खण्ड १०५ में जो तरमीमें रखी गई हैं उनको स्वीकार किया जाय ।

( स्वीकृत )

तरमीमें स्वीकार की गई ।

( विराम )

प्रश्न यह है कि खण्ड १०५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

( स्वीकृत )

(श्रीमती सभानेत्री)

खण्ड १०५, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि १०६ में लगाकर ११६ खण्ड को स्वीकार किया जाय।

**श्री परसराम मदेरणा** ( उप-मन्त्री वित्त ) : ११० को आप पहले लें। १११ को वोट डाउन कराना है।

**श्रीमती सभानेत्री** : प्रश्न यह है कि १०६ से ११० तक विधेयक के अंग बनें।

( स्वीकृत )

खण्ड १०६ से लगाकर ११० विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

खण्ड १११।

(विराय)

प्रश्न यह है कि खण्ड १११ को स्वीकार किया जाय। जो इसके पक्ष में हों वे 'हां' कहें।

**कुछ माननीय सदस्य** : हां।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : सबको नींद आ रही है।

**श्रीमती सभानेत्री** : जो इसके विपक्ष में हों वे 'ना' कहें।

**कुछ मनानीय सदस्य** : No.

**श्रीमती सभानेत्री** : 'ना' पक्ष जीता, खण्ड गिर गया।

**श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : (सहकारी मंत्री से) आप तो सोचें कि आप क्या कर रहे हैं।

**श्रीमती सभानेत्री** : प्रश्न यह है कि खण्ड ११२ से लगाकर ११६ तक विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड ११२ से लगाकर ११६ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

खण्ड ११७।

[ इस खंड पर प्रभारी मंत्री का निम्न-लिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :—

In sub-clause (2), before the word "transfer," insert the word "private".]

**श्री मथुरादास माथुर** : I move my amendment.

**श्रीमती सभानेत्री** : प्रश्न यह है कि खंड ११७ पर जो संशोधन रखा गया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

# Page No 226



(श्रीमती सभानेत्री)

प्रश्न यह है कि खंड ११७, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खंड ११७, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ११८ से लगाकर १३२ तक विधेयक के अंग बनें।

**श्री परसराम मदेरणा** (उप-मंत्री, वित्त) : १२१ तक।

**श्रीमती सभानेत्री** : प्रश्न यह है कि खंड ११८ से लगाकर १२१ तक विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खंड ११८ से लगाकर १२१ तक विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

खंड १२२.

श्री नत्थीसिंह।

[इस खंड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :—

**श्री मथुरादास माथुर** (सहकारी मंत्री) : (i) For sub-clause (2), substitute the following sub-clause, namely:—

"(2) The Tribunal may consist of one person or of such number of persons as the Government may think fit and where the Tribunal consists of two or more members one of them shall be appointed as the Chairman.";

(ii) in sub-clause (3) (b), insert the words "is or" between the word "he" and the words "has been;"

(iii) for sub-clause (4), substitute the following sub-clause, namely:—

"(4) Any vacancy other than a casual vacancy in the membership of the Tribunal shall be filled by the Government and the proceeding may be continued before the Tribunal from the stage at which the vacancy is filled."

(iv) In sub-clause (6), after part (d) add the following new part, namely:-

"(e) an order of the Registrar removing the committee or a member of a Co-operative Society or debarring a member from election or appointment to a committee under section 36."

**श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : -In suq clause (6) of the clause, after the word, figures and semicolon "section 76;" insert the following new parts (e) to (j) and the words beginning with and ending with "to the Tribunal" "may within sixty days" be put in a seperate para :-

(श्री नत्थीसिंह)

(e) an order of the Registrar made under section 32;

(f) a decision under sub-section (5) of section 34;

(g) an order of the Registrar removing the Committee or a member of a Co-operative Society made under section 36;

(h) an order made by the Registrar under section 72;

(i) an order made under sub-section (2) of section 14-

(j) an order of the Registrar made under sub-section (1) of section 17;".]

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : सभानेत्री महोदया, १२२ में अभी जब माननीय सदस्य बहस कर रहे थे और माननीय मंत्री जवाब दे रहे थे तो कहा था कि कुछ डिफीकल्टीज़ की वजह से रजिस्ट्रार या गवर्नमेंट की पॉवर बढ़ा रहे हैं और उनको हमारे कोऑपरेटिव मूवमेंट के हित में मानें । लेकिन यह जरूरी बात है कि जहां जितनी सोसाइटियों के उप-नियम बनाने का सावाल है, किसी सोसाइटी के एमेल्गेमेशन का सवाल है, किसी सोसाइटी को भंग करने का सवाल है और किसी सदस्य को हटाने का सवाल है इस तरह के यहां सवाल हैं उन सवालों को हल करने के लिये ट्रिब्यूनल की स्थापना की है उससे यह मंशा फुलफिल हो जाती है कि यदि मैनेजमेंट को दूषित समझा जाय तो जो शक्तियां सरकार ने या सरकार के अधिकारियों ने ली हैं उनके अनुसार वह कार्यवाही कर सकते हैं । अगर उनसे ऊपर अपील के मुद्दे को ट्रिब्यूनल को नहीं देते हैं तो जो ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है वह गलत हो जाती है । इस संशोधन के द्वारा कहा है :

" (e) an order of the Registrar made under section 32;

(f) a decision under sub-section (5) of section 34;"

अब इसमें जोड़ दिया जाना चाहिये : 'debarring the members' जो माननीय मंत्रीजी ने माना है अभी तक :

"(g) an order of the Registrar removing the committee or a member of a Co-operative Society made under section 36, debarring the member;

(h) an order made by the Registrar under section 72;

(i) an order made under sub-section (2) of section 14;

(j) an order of the Registrar made under sub-section (i) of section 17;"

तो मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपने बहुत सारी पॉवर्स ले ली हैं और मैं तो कहता हूं कि आपके इस एक्ट

(श्री नत्थीसिंह)

के द्वारा रजिस्ट्रार को ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब कुछ बना दिया है और अगर आप चाहते हैं कि महेश की पॉवर कम हो तो निश्चित रूप से ट्रिब्यूनल के लिए अपील का राइट होना चाहिए...

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): महेश की पॉवर ज्यादा होंगी तो भस्म कर देंगे।

श्री नत्थीसिंह : मेम्बर को हटाने, सोसाइटी के दायरे बदलने, एमेलगेमेंट करने आदि के सम्बन्ध में जो पॉवर्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाय, यह कर रहे हैं। लेकिन चैक के रूप में ट्रिब्यूनल को अधिकार दीजिये, इसलिए इस १२२ में प्रावधान जोड़ने के लिए यह संशोधन दिया है।

श्री मथुरादास माथुर ; सभानेत्री महोदया, १२२में जो मेरी तरमीम है उस तरमीम को मैं मूव करता हूं और वह मूव हुई समझी जाय !

अब यहां माननीय सदस्य ने जो विचार रखा है और उनकी जो तरमीम है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि ट्रिब्यूनल को यह पॉवर दी जाय, गवर्नमेंट को नहीं दी जाय। इसके उपर आपके और हमारे बीच सिलेक्ट कमेटी में चिन्तन हुआ। राज्य सरकार की यह मंशा नहीं है कि बहुत पॉवर ली जाय राज्य सरकार के पास में सदन की दी हुई बहुत सत्ता है मगर इस कोऑपरेटिव बिल के अन्दर दो तरह की स्कीम ऑफ थिंकिंग से विचार किया है — जो जुडिशियल नेचर के टाइम की हों, मोर डिस्प्यूटेड हों वे ट्रिब्यूनल में दी जायं और एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप की हों वह गवर्नमेंट में रख दें। जो बिल का मोडल बन कर आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसमें स्कीम ऑफ थिंकिंग वह थी। अब मोडल बिल की स्कीम ऑफ थिंकिंग को न माना जाय तो दूसरे स्टेट्स को ले लें - मद्रास में जायं, महाराष्ट्र में जायं, गुजरात में जायं, और वहां और यहां जायं तो जो कुछ मोडल बिल में रखा गया है और राज्य सरकारों ने किया है वह ठीक है। आज तक इस मूवमेंट को राज्य सरकार ने चलाया है और कई ऑफिसर राज्य सरकार के इस काम को करने के लिये रहे हैं। इसलिए इस मूवमेंट में ऐसा अधिकार रजिस्ट्रार के पास होना चाहिए और किसी डिस्प्यूट को रजिस्ट्रार तय नहीं कर सके तो गवर्नमेंट के पास उसकी अपील हो सकती है ताकि गवर्नमेंट की दिलचस्पी इस मूवमेंट में रहे और इसे आगे बढ़ा सके। इसके साथ ही साथ आप १४६ को पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि आगे जाकर सब अधिकार अपेक्स बैंक को, अपेक्स सोसाइटी को दे देंगे। इसलिए यह खतरा पैदा नहीं होता है। मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि अगर सारी की सारी शक्ति गवर्नमेंट अपने हाथ में रखना चाहती तो वह इस बिल में १४६ नहीं रखती। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को यह पॉवर सरकार के पास रखने में क्या आपत्ति है ? सरकार इन पावर्स का दुरुपयोग करेगी-ऐसा प्रिज्यूम न करें और ट्रिब्यूनल को पॉवर्स दे देंगे तो वह इन्साफ ही देगी - यह भी प्रिज्यूम न करें। राज्य सरकार ने ट्रिब्यूनल को बनाया है और उस के लिए जो प्रावधान है उसमें यह कहा गया है :

(श्री मथुरादास माथुर)

"where the Tribunal consists of two or more members, one of them shall be appointed as the Chairmen."

तो यह भी कर दिया है ।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत): सभानेत्री महोदया, ये ३६-३६ आपने नये बनाये हैं; इसमें ७, ८ डिलीट करके नया प्रावधान ३६में डाला हैं जिसमें डिबार कर रहे हैं इलेक्शन में पार्टीसिपेट करने से। आप क्या यह नहीं समझते कि यह सारी कार्यवाही की जा रही है यह जुडिशियल नेचर की कार्यवाही है इसलिए इसकी अपील, मैं समझता हूं, ट्रिब्यूनल को उचित रूप से प्रोवाइड करनी चाहिए । धारा ३६ की उप धारा (७) जो है और ३६ में जितने ऑर्डर्स हैं या डिबार करते हैं, डिस्क्वालिफाई करते हैं कि चुनाव नहीं लड़ सकते, तो मैं समझता हूं कि ये सारे अधिकार अपील ट्रिब्यूनल को देने चाहिए । आप यह अगर चाहते हैं कि मनमाने तरीके से लोगों को डिस्क्वालिफाई न किया जाय, डिबार न किया जाय तो मैं सोचता हूं कि इनकी अपील राज्य सरकार के पास न जाकर ट्रिब्यूनल के पास जाय । इसमें आपको एतराज नहीं होना चाहिए । हम किसी मामले में न्याय कर रहे हैं, इतना सोचना ही काफी नहीं है लेकिन लोगों को भी यह महसूस होना चाहिए कि उनके साथ न्याय किया जा रहा है । आप डिबार कर दें तो ठीक है कि राज्य सरकार बहुत सोच-विचार कर डिबार करेगी लेकिन डिबार करे तो उसके बाद में न्याय का दरवाजा खुला रखिये, जहां वह जाकर न्याय प्राप्त करने के लिए रिट कर सके और उसके साथ जस्टिस हो, इसके लिए हाई कोर्ट के जज को और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज उसकी बात को सुन कर उसके पक्ष में फैसला देते हैं तो उसमें आपको एतराज क्यों हो ? तो ३६ के प्रावधान जो हैं और जो ऑर्डर दिये जायें-इन सबके अन्तर्गत एक प्रावधान ट्रिब्यूनल में अपील करने का रखना चाहिए ताकि कम से कम यह दिखावा तो रहे कि हम न्याय कर रहे हैं ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभानेत्री महोदया, माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है इसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक मेम्बर्स की डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल है तो उसकी अपील की व्यवस्था जरूर ट्रिब्यूनल के पास रखनी चाहिए । इसके विपरीत जो अपील की व्यवस्था गवर्नमेंट के पास रखी है वह चल नहीं सकती क्योंकि एप्रोप्रियेट जुरिस्डिक्शन ट्रिब्यूनल का है, कोर्ट का है । तो मैं समझता हूं कि जो इलेक्टेड मेम्बर्स की डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल है, जो खास तौर से जो रिप्रेजेंटेटिव के अधिकार हैं उनके लिये मैं निवेदन करूंगा कि इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव का यह दफा ३६ का डिस्क्वालिफिकेशन का झगड़ा है उसके बारे में अपील की व्यवस्था निश्चित रूप से ट्रिब्यूनल के पास रखनी चाहिए । और जो अपील की व्यवस्था है वह एक्जीक्यूटिव में ले लीजिये लेकिन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिवके राइट्स का सवाल है, उसके बारे में जब झगड़ा होता है तो उसकी अपील ट्रिब्यूनल के पास होनी चाहिए । क्योंकि रजिस्ट्रार जो आज्ञा देता है वह सरकारी अधिकारी है और सरकारी अधि-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कारी की अपील सरकार के पास जाय तो यह उचित नहीं होगा। इसलिए यह संशोधन माननीय सदस्य ने रखा है इसका मैं समर्थन करता हूं और माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि ३६ के अन्तर्गत दिये हुए ऑर्डर्स की अपील का प्रश्न है वह निश्चित रूप से ट्रिब्यूनल के पास रखनी चाहिए।

**श्री मथुरादास माथुर** : मैं इस क्लॉज़ को एण्ड में ले लूंगा। Let me think.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अच्छा ! धन्यवाद !

**श्रीमती सभानेत्री** : प्रश्न यह है कि खण्ड १२२, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड १२२, यथासंशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

खण्ड १२३

[इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :—

**श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : In sub-clause (1) parts (c), (d), (f), (g), (h) and (i) be deleted.

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : (i) add a new part (n) to sub-clause (1) as follows :—

"(n) an order made by the Registrar under sub-section (5) of section 30.";

(ii) in sub-clause (2) (a) substitute the word "Tribunal" for "Government." ]

**श्री नत्थीसिंह** : सभानेत्री महोदया, इसमें जो अमेंडमंट है वह उसी प्रकार का है, उन पॉवर्स को गवर्नमेंट के पास रखा है इसलिए मैंने संशोधन रखा है कि इन पॉवर्स के क्लॉज़ेज हैं उनको डिलीट कर दिया जाय। माननीय सदस्य सतीशचन्द्रजी ने जिस ढंग से अपनी बात रखी उसके बाद विधि मंत्री इतने रीज़नेबल हो जाते हैं कि कम से कम ३६ के अधिकार हैं और ३६ के जो ऑर्डर हैं उनकी अपील भी ट्रिब्यूनल को दे देते हैं और हमारी बात को मान जाते हैं तो जहां तक इलेक्टेड रिप्रेज़ेंटेटिव को हटाने का प्रश्न है, कमेटी को भंग करने का प्रश्न है उसकी अपील ट्रिब्यूनल को दी जानी चाहिए और यह संशोधन पास किया जाना चाहिए।

**श्री मथुरादास माथुर** : अपील किसको होनी चाहिए ?

**श्री नत्थीसिंह** : ट्रिब्यूनल को।

**श्री मथुरादास माथुर** : गवर्नमेंट को हो तो क्या हर्ज है ?

**श्री नत्थीसिंह** : गवर्नमेंट और रजिस्ट्रार में क्या फर्क है ?

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : एक फैसला रजिस्ट्रार करता है और उसकी

# Page No 231



सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अपील मंत्री को करते हैं तो वह उसको संरक्षण देगा। पब्लिक के अन्दर इस तरह की भावना होगी और वह इस प्रकार की मान्यता रखेगी कि इस तरह अधिकारियों के फैसले का पूरा संरक्षण रहेगा।

**श्री मथुरादास माथुर** : अपील गवर्नमेंट को नहीं है, रिवीजन गवर्नमेंट को है।

**श्री नत्थीसिंह** : वह इसमें नहीं है।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : इस सम्बन्ध में मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार जुडिशियस ढंग से काम करेगी, यह आपकी मान्यता हो सकती है; लेकिन इस सम्बन्ध में आती है कि राज्य सरकार जुडिशियस ढंग से नहीं कर सकी इसलिये जहां तक जुडिशियस ढंग से करने का प्रश्न है वह ट्रिब्युनल को देना चाहिये। हमारे लिये डिस्क्वालिफिकेशन के सम्बन्ध में प्रश्न आता है तो हमारी दर्ख्वास्त गवर्नर तक जाती है, फिर हाई कोर्ट में भी सुनवाई हो सकती है। पोपुलर मेम्बर्स के डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है इसलिये ट्रिब्यूनल के पास जाना चाहिये। क्लॉज ३५ और ३६ के सारे अधिकार ट्रिब्यूनल को दे रहे हैं तो अपील में उसके पास जाना चाहिये।

**श्री मथुरादास माथुर** : माननीय सदस्य जो जयपुर से आते हैं उन्होंने और नत्थीसिंहजी ने सुझाव दिया, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपने खुद ने ऐसा कानून बनाया है जिला परिषद् और पंचायत समिति के लिये, उसमें क्या किया है?

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : उसको छोड़िये, उसको भीखाभाई ने पाइलोट किया था; भीखाभाई नहीं समझते थे....

**श्री मथुरादास माथुर** : मैंने समझ कर गलती की?

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : पंचायत बिल बना था उस समय भी रात को १० बजे थे, हमने सरकार से कहा कि संशोधन स्वीकार कर लो, उस समय शायद भीखाभाई सोच कर आये थे संशोधन स्वीकार नहीं करना है ...

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : भीखाभाई की चली नहीं।

**श्री मथुरादास माथुर** : आज मेरी नहीं चलती है। मैं इस बात को मानता हूं कि इलेक्टेड रिप्रजेन्टेटिव्ज दफा ३६ में आते हैं उनको रजिस्ट्रार डिबार कर दे तो इलेक्टेड रिप्रजेन्टेटिव्ज के लिये किसी तरह का प्रोटेक्शन देने में खतरा है तो मैं दफा ३६ में अपील या रिविज़न जो कुछ भी रखें वह ट्रिब्यूनल में हो जायगा, इसको मैं मान-लेता हूं। बाकी को आप विद्ड्रा करलें।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : हम सब विद्ड्रा कर लेते हैं।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : १२३ में रजिस्ट्रार के सामने अपील जायगी उसका उसका जिक्र आया है, कौन कौनसी बातें अपील में जायेंगी। क्लाज ३० (५) में ऑर्डर है, तीन साल के लिये किसी आदमी को डिबार करते हैं। नियमानुसार जनरल

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

मीटिंग कॉल नहीं की, डिफॉल्ट किया, इसलिये तीन साल के लिये डिस्क्वालिफिकेशन का क्लॉज ३६ में शामिल है और १२३ में रजिस्ट्रार के सामने अपील करनी चाहिये थी, अब कोई अपील हो तो गवर्नमेंट के सामने हो सकेगी। इसमें संशोधन किया है रीजनेबल समझेंगे तो रजिस्ट्रार का ऑर्डर तीन साल का हो जाय तो राज्य सरकार जजमेन्ट ले सके इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये, यह मेरा संशोधन है।

**श्री नत्थीसिंह** : इसमें सब-क्लाज (एच) हट जायगा।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : क्लॉज १२३ का सब क्लॉज (एच) पेज नं. ३६ इसको डिलीट कर दीजिये क्योंकि यह कॉन्सीक्वेन्शियल अमेन्डमेंट है। और क्लॉज ३० (५) में अपील सरकार के पास मान लीजिये।

**श्री मथुरादास माथुर** : १२२ में चला जायगा।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : क्लॉज (एच) को ठीक तरह से अमेन्ड करके रखिये, जिसमें यह भावना आ जाय।

**श्री मथुरादास माथुर** : जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाने में फेल हो जाय तो अपील किस बात की ?

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : कहना यह है कि राइटली डिबार किया या रोंगली, इसकी अपील गवर्नमेन्ट के पास हो जाय।

**श्री नत्थीसिंह** : कमेटी को बुलाने में उसकी गलती थी या नहीं, इस बात को डिबार किया है, उसकी अपील हो जाय।

**श्री मथुरादास माथुर** : जनरल बॉडी फैसला कर लेगी।

**श्री नत्थीसिंह** : जनरल बॉडी को पावर नहीं है।

**श्री मथुरादास माथुर** : क्लॉज ३५ है उसमें रजिस्ट्रार को दिया है।

**श्री नत्थीसिंह** : इसकी अपील को हो।

**श्रीमती सभानेत्री** : प्रश्न यह है कि खंड १२४, १२५ और १२६ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खंड १२४, १२५ और १२६ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

खंड १२७

**श्रीमती सभानेत्री** : श्री मानिकचन्द सुराणा।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : I withdraw.

**श्रीमती सभानेत्री** : प्रश्न यह है कि खंड १२७ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

(श्रीमती सभानेत्री)

खंड १२७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खंड १२८

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड १२८ विधेयक का बने।

(स्वीकृत)

खंड १२८ विधेयक अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खंड १२९

**श्री मथुरादास माथुर** : [इस खंड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुआ: In sub-clause (c), for the expression "comply with sub-section (2) of", substitute the expression "make deduction under".] I move my amendment.

प्रश्न यह है कि प्रभारी मन्त्रीजी का संशोधन स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि संशोधित रूप में खंड १२९ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खंड १२९, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खंड १३० से १४४

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड १३० से १४४ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खंड १३० से १४४ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

खण्ड १४५, १४६

**श्री माणिकचन्द सुराणा** : I withdraw.

**श्रीमती सभानेत्री** : प्रश्न यह है कि खण्ड १४५ को स्वीकार किया जावे।

**श्री मथुरादास माथुर** : १४६ को भी साथ ले लीजिये।

**श्रीमती सभानेत्री** : प्रश्न यह है कि खण्ड १४५ और १४६ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

# Page No 234



(श्रीमती सभानेत्री)

खण्ड १४५ और १४६ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

खण्ड १४७ ।

**श्री मथुरादास माथुर** : [इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुआ : In sub-clause (2) in item (xi) omit the words "joint members", in item (xxiv) omit the words "a new Committee or."] I move my amendment.

**श्रीमती सभानेत्री** : प्रश्न यह है कि १४७ में जो संशोधन प्रभारी मन्त्रीजी ने पेश किया है उसको स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १४७, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

खण्ड १४७, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १४८ से १५२ विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

खण्ड १४८ से १५२ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

डेफर्ड क्लॉज १९

**श्री मथुरादास माथुर** : In amendment No. 21, in sub-clause (iii), in the proviso to sub-clause (3) proposed to be substituted, add the following further proviso, namely:—

"Provided further that if a Committee of such society refuses admission [illegible] member or fails to communicate its decision within the time specified in sub-section (2), an appeal or application, as the case may be, shall lie, within the prescribed period and in the prescribed manner, to the General body of the Society, against such refusal or failure to communicate such decision."

यह प्रावीजो और एड कर दिया है ।

**श्रीमती सभानेत्री** : प्रश्न यह है कि जो संशोधन रखा है...

**श्री मथुरादास माथुर** : पहले जिन चार-पांच लोगों के संशोधन हैं वे वापस तो लें ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : सब वापस ले लिए, साहब ।

**श्रीमती सभानेत्री** : प्रश्न यह है कि डेफर्ड क्लॉज १९ (१) में जो संशोधन प्रभारी मन्त्रीजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

(श्रीमती सभानेत्री)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्रीमती सभानेत्री : खण्ड १६(२)।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इस क्लाज १६(२) में मेरा संशोधन है कि मेम्बरशिप की एप्लीकेशन प्राप्त होने के थर्टी डेज में डिसीजन दे दें।

श्री मथुरादास माथुर : हमने उसमें यह रखा है कि पहली मीटिंग में तय करें। अगर मीटिंग तीन दिन के अन्दर हो जाय, तो उसमें हो जायगा, अगर तीन दिन में मीटिंग न हो सके तो क्या होगा, इसीलिए हमने संशोधन रखा है कि पहली मीटिंग में तय करें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अगर दो महीने में मीटिंग होती है तो ?

श्री मथुरादास माथुर : थर्टी डेज में बुला कर तय कर देंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अगर तीन दिन तक ही दर्ख्वास्तें आती रहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या मिलते ही रहेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : जिस दिन दर्ख्वास्त आती है उसके तीस दिन के अन्दर तय हो जाना चाहिए।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि खण्ड को, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड १६, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड १२२.

श्रीमती सभानेत्री : खण्ड १२२।

श्री मथुरादास माथुर : In sub-clause (6), after part (d), add the following new part, namely:—

"(e) an order of the Registrar removing the Committee or member of a co-operative society or debarring a member from election or appointment to a committee under section 36 or being an officer or a member of the Committee or of imposing a penalty on a servant of the society under sub-clause (5) of clause 30,"

श्री परसराम मदेरणा : यह ३० का सब क्लॉज (५) है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें लिख दें।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि खण्ड १२२ में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड १२२ में संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १२२, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड १२२, संशोधित रूप में विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड १२३।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्योंकि माननीय मंत्रीजी ने मेरा संशोधन अपनी लेंग्वेज में मान लिया है मैं उसको विथड्रॉ कर रहा हूं।

(संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी गई)

श्री मथुरादास माथुर : मेरा ड्राफ्ट एप्रूव नहीं हो रहा है, मै अभी बताता हूं।

एक माननीय सदस्य : थर्ड रीडिंग कर लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ( जौहरी बाजार, जयपुर ) : कहो तो दो दो हाथ हो जावें।

श्री मथुरादास माथुर : 123. In sub-clause (I), for clause (h), subtitute the following:—

"(h) an order declaring an officer or member of a committee as disqualified from being elected or being an officer or a member of the committe or imposing a penalty on a servant of the society."

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि खण्ड १२३ में प्रभारी मंत्रीजी ने जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १२३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड १२३, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक का खण्ड १, अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना, नाम इत्यादि विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

विधेयक का खण्ड (१), अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना, नाम इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री मथुरादास माथुर : सभानेत्री महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी संस्था विधेयक, १९६४ को पारित किया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभानेत्री महोदया, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे एक बार और इस बात का आश्वासन दें कि सहकारी संस्थाओं का सुधार करने और भ्रष्टाचार को रोकने का आश्वासन दिया था उसको एक बार आप फिर दोहरा दें कि अगली बार जिस समय सदन की बैठक होगी उस समय सहकारी विभाग में कम से कम भ्रष्टाचार और पक्षपात होंगे और जितने सदस्यों ने घोटाले किये हैं और जो जो गलत तरीके से सहकारी समितियां बनाई गई हैं उन सब को शुद्ध करके सहकारी आन्दोलन को सीधे रास्ते पर चलाने का आश्वासन देंगे। उसी आश्वासन को आप तीसरी रीडिंग पर फिर एक बार कह दीजिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): सभानेत्री महोदया, मैं इसके सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सदन के प्रत्येक वर्ष में सहकारिता पर बहस होती है और हमने नया बिल सहकारिता का सदन में पेश कर दिया है और कुछ नये सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। हमने रजिस्ट्रार को पॉवर्स अलग दियें हैं और कोऑपरेटिव बनाकर भी उनकी सेपरेट एन्टिटी की परम्परा को भी कायम किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज लाखों रुपया शेयर मनी के रूप में जा रहा है और सरकार का उन पर कोई कन्ट्रोल नहीं है। एपेक्स की जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनकी कोई ऑडिट रिपोर्ट सदन के सामने नहीं आती, जबकि सारी सरकारों की आती हैं लेकिन एपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की कोई रिपोर्ट नहीं आती। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि प्रत्येक वर्ष एपेक्स सहकारी समिति की ऑडिट रिपोर्ट सभी सदस्यों को मिलनी चाहिये और एक रिपोर्ट सदन के सामने भी रखी जानी चाहिये।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : सबको शेयर मनी के रूप में देते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपको कोई खतरा नहीं हो सकता। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस संघ के आप अध्यक्ष हैं, सहकारी समितियों को हम करोड़ों रुपया दे चुके हैं और इसकी रिपोर्ट हमारे सामने आनी चाहिये, ताकि कोई ऐसी कमेटी नहीं हो जिसका घोटाला सदस्यों के सामने नहीं आये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज-कल जुर्मों का तरीका बदल रहा है। सहकारी समितियों में जुर्मों का तरीका बदला जा रहा है। माल खरीदते कुछ हैं और वाउचर कुछ और लेते हैं और उसकी कोई जांच नहीं होती है। आज सबसे बड़ा घोटाला, खरीद की जाती है उसमें किया जाता है। उसको हमें रोकना चाहिये। इसके लिये हमें इस बारे में गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। सहकारी समिति माल खरीदती कुछ है और अपने वाउचर में कुछ और दिखाते हैं। माल खराब खरीदते

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

है और अपने वाउचर अच्छे के देते हैं। इसके लिये लॉ बनना चाहिये। हम लाखों रुपयों के घोटाले कर रहे हैं और इसके लिये मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। बीकानेर का सहकारी उपभोक्ता भंडार है, वहां पर वारां की सहकारी समिति से गेहूं और चावल खरीदे। उसको खरीदने के लिये कुछ लोग गये। वहां पर भाव ११२) के थे और रेकार्ड में १४५) के बताये और उन्होंने १००० बोरिया चावलों की खरीदी। अगर एक एक बोरी में इतना घोटाला किया तो हजार बोरियों में कितना बड़ा घोटाला हुआ। ३० हजार का घोटाला तो बीकानेर के सहकारी उपभोक्ता भंडार में हो गया। मैं बड़े भंडार की बात नहीं कहना चाहता। मैं तो हमारे यहां पर जो सहकारी उपभोक्ता भंडार था उसकी बात कहता हूं। जितने भी सहकारी भंडार शहरों में काम करते हैं उनमें बहुत घोटाले हैं और राज्य सरकार को उनको रोकने के लिये कोई नये तरीकों को काम में लेना चाहिये। और ऑडिट डिपार्टमेंट से काम नहीं चल सकता; इसलिये...

**एक माननीय सदस्य** : घोटाले कब हुए ? आपके समय में ही तो हुए हैं :

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : मेरे समय में ही घोटाले हों और मैं ही सदन में उन घोटालों को रखूं, उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है ? इसलिये जो अपील मैंने रखी है उसको राज्य सरकार जांच कराने की हिम्मत करें।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आमेंद) : खत्म करो न यार।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : माननीय सदस्य सद्भावना से कह रहे हैं। मैं सहकारी समिति का साल डेढ़ साल भर तक रहा, राज्य सरकार के बहुत लम्बे हाथ है। अगर कोई घोटाले मेरे समय के हों तो सरकार सोई हुई हो तो जग जाए और रिपोर्ट सदन के सामने पेश करे।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारी मंत्रीजी को सहकारी समितियों की खरीद और फरोख्त के तरीकों को रोकने का नया तरीका ईजाद करना चाहिये और उनकी रिपोर्ट सदन के सामने आनी चाहिये। इन दोनों सुझावों के साथ मैं इस बिल को पारित करने का समर्थन करता हूं।

**श्री मोतीलाल चौधरी** : सहकारी संस्थाओं के बारे में हाउस में यह बिल पेश हुआ है। इस बिल के पेश होने से विभिन्न प्रकार से विचार सामने आते हैं। अभी माननीय सदस्य ने एक सुझाव दिया कि कोऑपरेटिव सम्बन्धी जितनी भी ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वे सदन के सामने रखी जावें और सदस्यों के सामने आवें एपेक्स की। मैं यह कहूंगा कि ऑडिट रिपोर्ट कम से कम हमारे सामने आए, इसमें कोई दो मत नहीं होंगे। लेकिन मैं हाउस को जानकारी देना चाहता हूं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज की ऑडिट रिपोर्ट है उसी तरह से पब्लिक सेक्टर में भी करोड़ों रुपये सरकार के लगे रहते हैं उनके लिये भी...

# Page No 239



**श्री माणिकचन्द सुराणा :** उसके लिये भी हम तो कहते हैं। उसके भी पक्ष में है कि वह भी आनी चाहिये।

**श्री मोतीलाल चौधरी :** मैं भी तो आपके मत का हूं, मैं भी आपका हामी हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्राइवेट कोऑपरेटिव में तीन सदस्य जावेंगे, जब कि कम्पनी में एक ही सदस्य जाता है और वहां पर जितना भी करते हैं उनको प्रिविलेज होता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर यह कहा जाता है कि मेवा सब खा गये। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको ताज्जुब होगा कि आज तक जितना क्रय विक्रय संघ को मेवा मिला वह १ लाख १५ हजार का मेवा मिला है। इतने में क्या घोटाला करें? एक पैसे का मेवा हमने किसी व्यक्ति को नहीं दिया। हमने मार्केट में भेजा है और उसके बाद भी आपको भ्रम होता है। सारा मेवा इम्पोर्ट लाइसेन्स से होता है और क्रय-विक्रय संघ को जो मेवा मिला वह २ पर्सेन्ट मिला। ९८ पर्सेन्ट मेवा बाजार मे मिलता है। हमारे यहां तो सारे हिन्दुस्तान भर का दो पर्सेन्ट आता है....

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** हमने क्रय विक्रय संघ पर कोई चार्ज यहां पर नहीं लगाया है। हम सारे बोल नहीं रहे हैं, काफी समय हो गया है और आप बोल रहे हैं।

**श्री मोतीलाल चौधरी :** इस दृष्टिकोण से हमने नीति बनाई है। कोऑपरेटिव बेंक, कॉमर्शियल बेंक पर नहीं है। मैंने कई दफा कहा कि कोऑपरेटिव बैंक ब्लैक...

**श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) :** एक्सपोर्ट कर दिया।

**श्री मोतीलाल चौधरी :** श्री भैरोंसिंह जी ने कहा कि एक्सपोर्ट कर दिया। ८० पर्सेन्ट रुपया बेंक का लगता है, सरकार उनको कन्ट्रोल नहीं करती। सरकार से मेरा निवेदन है और शिकायत भी है कि उसने कोऑपरेटिव सेक्टर को कुछ भी नहीं दिया है। कोऑपरेटिव सेक्टरों में न कोई शुगर मिल है, न कोई टेक्सटाइल मिल है, न कोई फर्टीलाइज़र फेक्टरी है और न किसी प्रकार की और कोई इन्डस्ट्री है। प्राइवेट सेक्टर में सब बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज़ और फेक्टरीज़ है और प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी बड़ी बड़ी केपिटलिस्ट्स की इन्डस्ट्रीज़ हैं, बिड़ला आदि बड़े बड़े सेठों की इन्डस्ट्रीज हैं उनमें १० पर्सेन्ट से २० पर्सेन्ट तक ही पूंजी इन सेठों की लगी हुई है बाकी ८० पर्सेन्ट जनता की पूंजी उन इन्डस्ट्रीज़ में लगी हुई है। आज स्थिति यह है कि जितना कुल लोन कोऑपरेटिव सेक्टर में दिया हुआ है उतना तो केवल एक बीकानेर बेंक में होगा; टाटा, बिड़ला आदि की तो बात ही छोड़ दीजिये।

तो मेरा निवेदन है कि जो यह बिल लाये हैं, ठीक किया है, पर सरकार को कोऑपरेटिव सेक्टर में अधिकाधिक सहायता देकर इन्डस्ट्रीज़ लगानी चाहिये तभी कोऑपरेटिव मूवमेंट पनप सकता है। कोऑपरेटिव सेक्टर में घोटाले होते हैं तो जरूर इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये, पर कोऑपरेटिव मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिये कोऑपरेटिव सेक्टर में बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज़

(श्री मोतीलाल चौधरी

की आज आवश्यकता है। राजस्थान लेवल पर कोआॅपरेटिव मूवमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिये एक बोर्ड बैठाया जाय. पंचायत समितियों के जरिये कोआॅपरेटिव मूवमेंट में सहयोग करें तो कोआॅपरेटिव मूवमेंट में एक कदम आगे होगा।

तो मानिकचन्दजी ने जो कहा है उसका विरोध नहीं करते हुए मैं सरकार से कहूंगा कि जिस प्रकार प्राइवेट कन्सर्न्स को इन्डस्ट्रीज में सरकार ने सहायता दी है, हर प्रकार का सहयोग दिया है, वैसा ही सहयोग कोआॅपरेटिव सेक्टर में नहीं दिया है, कम से कम सरकार को वैसा सहयोग तो कोआॅपरेटिव सेक्टर में देना चाहिये। जो लोग कोआॅपरेटिव मूवमेंट के खिलाफ हैं वे इस मूवमेंट के खिलाफ कई प्रकार के प्रचार करेंगे, उनके दृष्टिकोण को नहीं सुनते हुए सरकार को चाहिये कि कोआॅपरेटिव सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा सहायता दें।

**श्री मथुरादास माथुर** (सहकारी मंत्री) : माननीय सभापति महोदया, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि रात के साढ़े दस बजे तक बैठ कर आपने इस बिल को पारित करवाया। मैं इसी प्रकार सदन के माननीय सदस्यों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने न केवल इस बिल को पारित करने में सहयोग दिया बल्कि इस बिल को पारित करवाने में ऐसे सुझाव दिये जिनसे यह बिल सही ढंग से इस प्रकार का बना कि यह सही माने में सहकारी आन्दोलन को बल दे सके, आगे बढ़ा सके और हम आगे चल कर इस बिल से सहकारी आन्दोलन को आगे चला कर सहकारिता की भावना को पूरा कर सकें; इसके लिये सदन के माननीय सदस्यों ने सहयोग दिया है उसके लिये मैं उनके प्रति आभार प्रदर्शन करता हूं। माननीय सदस्यों के सहयोग से यह बिल अपने आप में, केवल राजस्थान में ही नहीं जिन परिस्थितियों में हम गुजर रहे हैं और और रियासतों के जितने बिल हैं उनसे अच्छा बिल बना है, इसका एक मात्र कारण यह है कि इस सदन के माननीय सदस्यों ने इस बिल में दिलचस्पी ली। मैं मानता हूं कि कई खामियां इस बिल में हो सकती हैं। जो आॅटोनोमी कोआॅपरेटिव सोसाइटीज को मिलनी चाहिये, अमेरिका, इज़राइल में इसकी मिसालें देखते हैं तो मुझे भी आॅटोनोमी देने में एतराज नहीं है। पर साथ ही साथ माननीय सदस्यों ने मिसालें पेश कीं; गड़बड़ियों की, भ्रष्टाचार की, करप्शन की, उनको भी मद्देनजर रखना होगा। २२ हजार सहकारी समितियां हैं, सहकारी संस्थाएं हैं मुख्तलिफ पैटर्न की संस्थाएं हैं, जैसा देश के व्यक्तियों का मोरल है, वैसा ही मोरल संस्थाओं में होगा, एक दिन में ही कोई नया इन्कलाब होने वाला नहीं है जब तक कि अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जायं। इसलिये कई प्रकार की गल्तियां, गड़बड़ियां होने की संभावनाएं हैं। घोटाले, करप्शन आदि की शिकायतें आ सकती हैं, इसलिये अपील आदि का प्रावधान इसमें रखा है। यदि कोई सोसाइटी सरकार द्वारा दिये हुए धन का दुरुपयोग करती है तो यह सदन राज्य सरकार के द्वारा अपना बरद हस्त उन्हें सुधारने के लिये, आगे बढ़ाने के लिये उन पर रख सके, इस तरह के

(श्री मथुरादास माथुर)

प्रावधान इसमें रखे गये हैं। राज्य सरकार के सामने जब कभी भी इनके खिलाफ इस प्रकार की शिकायतें आई हैं तो राज्य सरकार ने उनके खिलाफ जांच करने में, एक्शन लेने में कभी हिचकिचाहट नहीं की। हमेशा जांच करवाती रही है और जांच करने के बाद जिस प्रकार की रिपोर्ट आती है और जो कार्यवाही कानून के मातहत राज्य सरकार कर सकती है वह करती है।

दूसरे डिपार्टमेंट्स के खिलाफ गवर्नमेंट डाइरेक्टली इन्टरफियर करके एक्शन ले सकती है, पर ये चुनाव द्वारा बनी हुई संस्थाएं हैं, इसके खिलाफ एक्शन लेने में कई प्रकार की चीजें सामने आती हैं, फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि ऑटोनोमी भी रखनी है, भ्रष्टाचार को भी रोकना है, सहकारी आन्दोलन को पनपाना है, इन सारे मुद्दों को साथ लेकर हम इस दिशा में आगे तभी चल सकेंगे जब कि सदन के इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों का पूर्ण सहयोग होगा।

कहा गया कि कोऑपरेटिव सेक्टर में इन्डस्ट्रीज के लिये कोई काम नहीं होता है। मेरा यह निवेदन है कि कोऑपरेटिव आन्दोलन के अन्दर काम करने वाले सेवक होते हैं, तो जो लोग इस क्षेत्र में सेवा करने वाले हैं, सेन्ट्रल एप्रेक्स बैंक में हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप धारा सभा के सदस्य हैं, और इन संस्थाओं के कर्णाधार हैं, ठीक तरह से एक मोडल के रूप में इन संस्थाओं को चलायेंगे तो यह देश में मिसाल होगी। मैं अपने विभाग की तरफ से राज्य सरकार के सहयोग का आश्वासन देता हूं और कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी, उन पर स्ट्रोंग हैंड रख कर सुधार किया जायगा।

इन्हीं लफ्जों के साथ में सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस विधेयक को पारित करें।

**श्रीमती सभानेत्री** : प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी संस्था विधेयक, १९६४ पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान सहकारी संस्था विधेयक, १९६४ पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर रात्रि को १०.४० बजे सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई)

१०३५३ ]

## परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६४४ का उत्तर देखिये)

### सूची

निम्नलिखित स्टाफ कार्य कर रहा है:—

| क्रम सं० | पद | स्वीकृति सं० | मौजूदा स्टाफ |
|---|---|---|---|
| (१) | डॉक्टर | ३ | ३ |
| (२) | कम्पाउन्डर ग्रेड द्वितीय | २ | १ |
| (३) | कम्पाउन्डर ग्रेड तृतीय | ५ | ४ |
| (४) | स्टाफ नर्स | १ | १ |
| (५) | मिडवाइफ | १ | १ |
| (६) | दाई | १ | १ |
| (७) | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | १० | १० |

## परिशिष्ट २

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

### जालोर नगर में पीने के पानी की फ्लेट रेट से वसूली

६५६. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि जालोर नगर में जल प्रदाय विभाग द्वारा पीने के पानी की फ्लेट रेट वसूल की जा रही है ? अगर हां, तो वह रेट क्या है ?

(२) क्या यह सच है कि पहले नगर जालोर में नगरपालिका द्वारा २ रु० ५० न. पै. फ्लेट रेट वसूल की जाती थी और फिर बाद में नया बोर्ड आने पर दुगुनी रेट लागू कर दी गई ? अगर हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

(३) क्या यह सच है कि जालोर का जल कार्य विभाग नगरपालिका से सरकार अपने अधिकार में लेना चाहती है ? अगर हां, तो इस विभाग को सरकार शीघ्र अपने हाथ में लेकर नगरवासियों की कठिनाइयों को दूर क्यों नहीं करती ? इस विषय में अंतिम निर्णय कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) जी, नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता ।

(२) जी नहीं ।

(३) जी हां, सरकार द्वारा दिनांक ५-३-६५ को आदेश जारी कर दिए गए हैं ।

### पुस्तकालय भवन सम्बन्धी मामला

६६०. कुमारी उमा माथुर (रामगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम बहादुरपुर, तहसील अलवर के पुस्तकालय भवन के सम्बन्ध का एक केस एसचीट एक्ट के तहत ए. डी. एम., अलवर के कोर्ट में कई साल से चल रहा है ?

(२) क्या यह सही है कि करीब दो साल पहले इस केस को ए. डी. एम. अलवर ने रिपोर्ट के लिये तहसीलदार अलवर के पास भेजा था ?

(३) क्या यह भी सही है कि इतना लम्बा समय बीत जाने के पश्चात् भी न तो तहसीलदार की रिपोर्ट ही आई है और न ही इस केस का फैसला हो पाया है जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक पुस्तकालय भवन काम में नहीं आ सका है ?

(४) यदि हां, तो सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(श्री गृह मन्त्री)

उत्तर

(१) हां, यह सही है।

(२) जी हां, तहकीकात एवं रिपोर्ट हेतु पत्रादि तहसील अलवर में भेजे गये थे।

(३) जी नहीं, तहसील की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा राजस्थान राजगामी सम्पत्ति नियमन अधिनियम की धारा ६ (१) (ख) के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

(४) समय समय पर पूरी रिपोर्ट व जांच न होने व सम्बन्धित व्यक्तियों के न मिलने से देरी हुई।

**करौली में वजीरपुर दरवाजे के बाहर की जमीन का नीलाम**

**६६१. वैद्य श्री गोविन्दसहाय** (गंगापुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि करौली नगरपालिका में जब एस. डी. एम. करौली एडमिनिस्ट्रेटर थे उस समय वजीरपुर दरवाजे के बाहर की कुछ खाली जमीन नीलाम नहीं की जाकर एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा १७५ रु० में बेची गई ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त जमीन को खरीदने के लिये दो हजार रुपये की दरख्वास्त भी की गई थी ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच करवाई है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

उत्तर

(१) यह सही नहीं है।

(२) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(३) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

**स्टॉक असिस्टेन्ट के पद के लिए इन्टरव्यू तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों की नियुक्तियां**

**६६२. श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा-सु.) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या तारीख ८, ९ व १० जुलाई, ६४ को भेड व ऊन विभाग द्वारा स्टाक असिस्टेन्ट के लिये इन्टरव्यू लिया गया था ? अगर हां, तो कितनों का सिलेक्शन किया और किस किस जिले से कितने कितने लड़कों का सिलेक्शन हुआ ?

(२) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के कितने लड़के सिलेक्ट किये और किस किस जिले से कितने कितने ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) इन्टरव्यू किस जगह व किसके द्वारा लिया गया व इन्टरव्यू के लिये कितने लड़कों को पत्र भेज कर बुलाया गया ? यह भी बतायें कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

जनजाति के कितने लड़कों को बुलावा-पत्र भेजा व भेजने की तारीख व नामों की सूची सदन की मेज पर रखें ? कृपया यह भी बतावें कि कुल कितने लड़कों का सिलेक्शन किया व किस जाति के लड़कों का ? इन लड़कों में कितने कितने लड़के शहर, कस्बा और गांव के हैं ?

उत्तर

१. दिनांक ८, ६, व १० जुलाई, १६६४ को भेड़ व ऊन विभाग द्वारा स्टॉक असिस्टेन्ट के प्रशिक्षण के लिये इन्टर्व्यू लिया गया था तथा १२० अभ्यर्थियों का चयन किया गया। जिनकी जिलेवार सूची निम्न प्रकार से है—

| | | |
|---|---|---|
| १. | चूरू | ३ |
| २. | सीकर | २२ |
| ३. | झुंझुनू | १ |
| ४. | नागौर | २० |
| ५. | पाली | ३ |
| ६. | जोधपुर | ३ |
| ७. | जैसलमेर | २ |
| ८. | बाड़मेर | १ |
| ६. | जालौर | २ |
| १०. | भीलवाड़ा | २ |
| ११. | सवाईमाधोपुर | २ |
| १२. | टोंक | २ |
| १३. | भरतपुर | १६ |
| १४. | अलवर | २ |
| १५. | जयपुर | ३० |
| १६. | अजमेर | ४ |
| १७. | अलीगढ़ (यू० पी०) | २ |
| | योग :- | १२० |

(३) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जातियों के १० अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इनकी जिलेवार सूची निम्न प्रकार से है—

| | |
|---|---|
| सीकर | ६ |
| भरतपुर | १ |
| जयपुर | ३ |
| योग :- | १० |

(३) इन्टरव्यू कार्यालय संचालक, भेड़ व ऊन विभाग, राजस्थान, जयपुर में हुआ जो कि श्री निरंजनसिंह जी, संचालक, भेड़ व ऊन एवं श्री ए० सी० दुबे, सहायक संचालक, भेड़ व ऊन द्वारा लिया गया था। इन्टरव्यू के लिये ८०४ अभ्यर्थियों को पत्र भेजकर बुलाया गया, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों को पत्र क्रमांक पी० एण्ड डी० ।१। भेड़-ऊन । ६४-६५ । १५३००-१५८०० दिनांक २-६-६४ के द्वारा इन्टरव्यू के लिये बुलाया गया जिसकी सूची साथ में संलग्न है।

१२० अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए चयन किया गया जिसमें से १० अनु-

# Page No 246



(श्री कृषि मंत्री)

सूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थि हैं। बाकि ११० अन्य जातियों के अभ्यर्थि हैं।

चयन किये हुए अभ्यार्थियों की सूची शहर, कस्बे और गांव के आधार निम्न प्रकार से हैं।

| | |
|---|---|
| १. शहर | २६ |
| २. कस्बे | २० |
| ३. गांव | ७१ |
| योग :— | १२० |

अन्य जाति के अभ्यार्थियों के सम्बन्ध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभ्यार्थियों से आवेदन पत्रों में जाति के विषय में उल्लेख करने के लिये नहीं कहा गया था। अतएव प्रत्येक अभ्यर्थी के जाति व सम्बन्ध में इस विभाग में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(सूचि विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

## निम्बाहेड़ा में भवन निर्माण हेतु भूमि

६६३. श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या निम्बाहेड़ा नगरपालिका बेघर नागरिकों को भूमि भवन निर्माण हेतु देने का विचार रखती है।

(२) क्या निम्बाहेड़ा में कांग्रेस कमेटी को कोई जमीन फरोख्त की गई है ? अगर हां, तो कौन से सन् में और किस भाव में दी है ?

(३) क्या सरकार निम्बाहेड़ा नगरपालिका से दी हुई इस जमीन को बेघर नागरिकों को देने का विचार रखती है ?

(४) क्या इस जमीन पर भवन निर्माण हो चुका है ?

(५) क्या यह भी सही है कि इसी जमीन के पास नगरपालिका का नया कार्यालय बनाया गया है ?

### उत्तर

(१) जी हां।

(२) वर्ष १९४६ में ५१२ वर्गगज भूमि ८१६) रु० में बेची गई थी।

(३) जी नहीं।

(४) इस जमीन के कुछ हिस्से में ३ कच्ची दूकानें बनी हुई है।

(५) बनाया जा रहा है।

## नदबई में चीनी का वितरण

६६४. श्री नत्थीलाल (नदबई) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री नत्थीलाल)

(१) क्या यह सच है कि नदबई नगरपालिका क्षेत्र में प्रति यूनिट प्रति माह १५० ग्राम चीनी दी जा रही है ?

(२) क्या यह भी सच है कि और नगरपालिकाओं को प्रति यूनिट प्रति माह १ किलो चीनी दी जा रही है ?

(३) यदि हां, तो नदबई को कम चीनी क्यों दी जा रही है और क्या सरकार चीनी की मात्रा बढ़ाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी, हां।

(२) जी, नहीं।

(३) केन्द्रीय सरकार से इस राज्य को चीनी का कोटा उसकी मांग से कम प्राप्त होता है। अतः चीनी की मात्रा बढ़ाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

## स्टालों के लिए जमीन तथा उसका किराया

९६५. श्री **जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या स्टालों के लिए भूमि किराये पर दिये जाते समय नगरपालिका निवाई द्वारा कोई शर्तनामा लिखवाया जाता है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह भी सच है कि शर्तनामे की एक यह भी शर्त है कि प्रार्थी किरायेशुदा जमीन को खुद ही काम में ले सकता है ? यदि हां, तो क्या कोई ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने बोर्ड से सस्ते किराये पर स्टाल के लिए जमीन लेकर उसको किसी अन्य आदमी को अधिक किराये पर दे रखी है ? यदि हां, तो उनके नाम बताने की कृपा करें।

(३) क्या श्री हनुमानदास जी रोडवाल व श्री भगवानदास जी रोडवाल व श्री गोपालदास जी रोडवाल के नाम से मोटर स्टेन्ड, निवाई पर कोई स्टाल बोर्ड द्वारा किराये पर दी हुई है ? यदि हां, तो कितने माहवार किराये पर और उसमें किस प्रकार की दूकान किसकी लगती है ?

उत्तर

(१) जी हां। प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२) जी हां। किरायेनामे की शर्त नं० ६ में यह स्पष्ट है। श्री भगवानदास टौडवाल ने सस्ते किराये पर स्टाल लेकर अधिक किराये पर दे रखा है।

(३) श्री भगवानदास टोडवाल के नाम से सन् १९६३ में एक स्टाल ५) रुपये माहवार किराये पर था। यह जमीन भूतपूर्व बोर्ड द्वारा उक्त किरायेदार को ही २६५) रु० ७८ न० पै० में बेच दी गई थी। अब इसमें श्री जीवनराम सिन्धी किराये पर बैठते हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

## जिला सवाई माधोपुर में अकाल सहायता के अधीन दी गई धनराशि

६६६. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु.): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला सवाई माधोपुर में सन् १९६२ से १९६४ तक अकाल सहायतार्थ कुल कितनी २ धन-राशि दी गई है ?

(२) जिले में अकाल की किस किस तहसील में घोषणा की गई ?

### उत्तर

(१) सन् १९६२-६३ व ६३-६४ में कोई धनराशि नहीं दी गई। सन् १९६४-६५ में निम्नलिखित धनराशि दी गई थी :-

| | |
|---|---|
| पानी की व्यवस्था | १०,०००) रु० |
| चारा व्यवस्था | १० ०००) रु० |
| तकावी | ५०,०००) रु० |

(२) सन् १९६२-६३- व ६३-६४ में सवाई माधोपुर जिले में अभाव की स्थिति नहीं थी। सम्वत् २०२० की रवी की फसल नष्ट होने के कारण निम्न तहसीलों के गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये थे:-

| | |
|---|---|
| (१) बोंली | ३२ गांव |
| (२) खंडार | ५ गांव |
| (३) गंगापुर | १६ गांव |
| (४) नादोती | ४० गांव |
| (५) बामनवास | १४० गांव |
| (६) महुआ | १४२ गाव |
| कुल | ३७५ गांव |

## राजस्थान नगरपालिका (चैनल आफ-कोरेस्पोन्डेन्स) रूल्स, १९६४ को निरस्त करने का प्रस्ताव

६६७. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान नगरपालिका (चैनल ऑफ कोरेस्पॉन्डेन्स) रूल्स, १९६४ को लागू करने से सरकार को क्या सहूलियत हो गई है ?

(२) क्या यह सही है कि नगरपालिकाओं के हितों को देखने वाली राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था ने सरकार के पास प्रस्ताव पास करके भेजा है कि इन नियमों को निरस्त कर दिया जावे ?

(३) सरकार ने राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था के इस प्रस्ताव पर क्या निर्णय लिया है ? और अगर नहीं लिया तो कब तक ले लिया जावेगा ?

(४) जो नगरपालिकायें उक्त नियमों की अवहेलना करके सीधा पत्र-व्यवहार करती हैं उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

### उत्तर

(१) पत्र पहुंचने में पूर्वापेक्षा विलम्ब स्वाभाविक है।

(२) जी हां।

(३) मामला अभी विचाराधन

(श्री स्वायत शासन मत्री)

(४) कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। जो पत्र सीधे आते हैं उन्हें सम्बन्धित उप-जिलाधीशों । जिलाधीशों के मारफत भेजे जाने हेतु लौटा दिया जाता है।

### नगरपालिकाओं और नगरपरिषदों के सफाई मजदूर

**६६८. श्री हरिराम घारू** (सिवाना–सु०) :क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान की नगरपालिकाओं और नगर परिषदों में कार्य कर रहे सफाई मजदूरों की नौकरी स्थाई होती है या अस्थाई ?

(२) अगर अस्थाई है तो क्यों ? एवं क्या सरकार इस बारे में कोई आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१)नगरपालिकाओं में सफाई कर्मचारियों के पद स्थायी, अस्थायी व पार्ट-टाइम, आवश्यकतानुसार, होते हैं।

(२)यह आवश्यकता एवं स्थिति अनुसार होता है। आवश्यक कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

### नगरपालिका क्षेत्र लाखेरी और आनन्द नगर की बस्ती

**६६६. श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि लाखेरी, जिला बूंदी में म्युनिसिपल क्षेत्र से लगे हुए आनन्दनगर की बस्ती है जिसमें सिनेमा, मकान, दूकानें आदि हैं और जिसकी आबादी ५०० के करीब है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र की जनता अब तक न तो नगरपालिका के लिये मतदान करती है और न किसी पंचायत के लिये ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के नगरपालिका सीमा में शामिल करने हेतु कलेक्टर बूंदी ने राज्य सरकार को लिखा था और उसी के आधार पर राज्य सरकार ने उक्त क्षेत्र को नगरपालिका लाखेरी में शामिल करने हेतु १६ जुलाई, १९६४ के राज-पत्र भाग ६(ख), पृष्ठ सं० ५५(३०) के अनुसार एतराज मांगे थे ?

(४) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई एतराज प्रस्तुत हुए हैं और क्या अब उक्त क्षेत्र को नगरपालिका क्षेत्र में शामिल करने में कोई आपत्ति है ?

(५) क्या यह सही है कि उक्त आबादी का एस. डी. ओ. बूंदी की सिफारिश पर कलेक्टर बूंदी ने अपनी आज्ञा क्रमांक एफ १५-१ (५) रेवे ।६५।३६३।६५। रेवेन्यू दिनांक १६–२–६५ के द्वारा सीमैन्ट कम्पनी के नाम पर दर्ज करने के आदेश जारी किये हैं ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(श्री स्वायत शासन मंत्री)

(३) जी हां।

(४) प्रश्न विचाराधीन है ?

(५) जी हां, परन्तु आदेश निरस्त करा दिये गये है।

## नगरपालिका जालौर को सहायता तथा कर्ज के रूप में दी गई धनराशि

९७०. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जालौर नगरपालिका को गत ५ वर्षों में कितनी धनराशि कर्ज और सहायता के रूप में दी गई है ? इसकी एक तालिका प्रत्येक वर्ष की दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि जिस मद के हेतु यह रकम दी गई उस मद में ये रकमें खर्च नहीं की गई है ?

(३) क्या यह सही है कि इन वर्षों सम्बन्धी ऑडिट रिपोर्ट्स में अनेक गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं और उन पर अभी तक भी कोई कारगर कार्यवाही नहीं की गई है ?

(४) नगरपालिका के ऊपर इस समय कुल कितनी बकाया सरकार की निकलती है ?

उत्तर

(१) नगरपालिका जालौर को गत ५ वर्षों ऋण के रूप में १,३५,७२० रु० एवं सहायता के रूप में १,३९,५३३) रु० दिये गये हैं। जल वितरण योजना के लिए २,७१,८१२रु० ५८ पैसे का ऋण पालिका के नाम दिया गया था। दिये गये ऋणों एवं सहायताओं की सूचियां संलग्न हैं। जल वितरण योजना हेतु दिये गये ऋण की राशि का व्यय जल विभाग द्वारा किया गया है।

(२) यह सही नहीं है।

(३) इन वर्षों की ऑडिट रिपोर्टों में अनियमितताएं बतलाई गई हैं, जिन पर जिलाधीश जालौर द्वारा जांच करवाई जा रही है।

(४) ऋण की बकाया ४,३९,५१३ रु० ५० पै० ब्याज की बकाया ४,३३८० रु०, अन्य बकाया १०,३२१.०० रु०।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

## नगरपालिका क्षेत्र कुचामन में जमीन अस्थाई किराया उप-नियम के तहत बकाया की वसूली

९७१. **श्री हनुमानसिंह चौधरी** (नावां) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नगरपालिका क्षेत्र कुचामन में नगरपालिका द्वारा जमीन अस्थाई किराया उप-नियम कब से लागू किया गया ?

(श्री हनुमानसिंह चौधरी)

(२) इस उप-नियम के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों में कुल कितनी कितनी रकम आज तक बकाया है ?

(२) क्या नगरपालिका इस रकम की वसूली नहीं कर रही है? यदि हां, तो राज्य सरकार नगरपालिका के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

उत्तर

(१) फरवरी, १९५७ से।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी नहीं। नगरपालिका द्वारा वसूली की कार्यवाही शीघ्र अमल में लाई जा रही है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

## गांधीनगर जयपुर में दूकानों के प्लाट्स

९७२. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि दिसम्बर, १९५७ में जयपुर शहर में गांधीनगर मार्केट में कुछ प्लॉट्स दूकानें बनाने के लिये अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड जयपुर द्वारा नीलाम किये गये थे ?

(२) इस नीलाम के समय शर्तें क्या २ रखी थीं ? कृपया शर्तों की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या यह सही है कि ये सब प्लॉट्स एक जैसी शर्तों पर नीलाम किये गये थे ?

(४) क्या यह सही है कि इन प्लाट्स के खरीदने वालों में से कुछ लोगों को तो पट्टा जारी कर दियास गया है और कुछ को जारी नहीं किया गया है ?

(५) क्या यह सही है कि इन प्लॉट्स खरीदने वालों में से कुछ लोगों ने दूकानें बनाली हैं और कुछ लोगों ने दूकाने नहीं बनाई है ? यदि हां, तो बनाने वालों की संख्या कितनी है और नहीं बनाने वालों की संख्या कितनी है ?

(६) क्या यह सही है कि जिन प्लॉट्स पर दूकानें नहीं बनाई गइ हैं उनमें कुछ लोगों को सन् १९६४ में ३१-१२-६४ तक दूकानें बना लेने के नोटिस जारी किये गये हैं और नोटिस में यह भी लिखा गया है कि इस अवधि में दूकानें न बनाने की सूरत में प्लाट्स रिज्यूम कर लिये जावेंगे ?

(७) इन नीलामशुदा प्लॉट्स पर दूकान नहीं बनाने वाले खरीददारों में कुछ को ३१-१२-६४ तक तामीर कराने का नोटिस देने और कुछ को नोटिस नहीं देने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(१) जी हां।

# Page No 252



(श्री स्वायत शासन मंत्री)

(२) प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी हां।

(४) जी हां।

(५) दूकानें बनाने वालों की संख्या १६ और न बनाने वालों की ३३ है तथा ३ का निर्माण कार्य जारी है।

(६) जी हां। प्लॉट जिनके विक्रय पत्र (पट्टे) दे दिये गये उनकी शर्तों के अनुसार ही नोटिस दिये गये।

(७) चूंकि नीलामी की शर्तों में प्लॉट्स वापिस लेने की शर्तें नहीं थी और ये शर्तें विक्रय-पत्र में दी थी अतः जिनको विक्रय पत्र दिये गये कानूनन उन्हीं को निर्धारित अवधि में बनाने के लिए नोटिस द्वारा विवश करना सम्भव था।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

## आलनिया तथा कालीसिंध बांध योजनाओं से सिंचाई

६७३. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) रबी की फसलों के लिये इस वर्ष क्रमशः आलनिय तथा कालीसध परयोजनाओं से काश्तकारों को पहला पानी कब दिया था ?

(२) इस वर्ष देरी से पानी देने के क्या कारण थे ? आलनिया तथा कालीसिंध परियोजनाओं से गत तीन वर्षों में क्रमशः भूमि का कितना क्षेत्र सिंचाई के पानी से आवृत्त किया गया ?

(३) क्या यह सही है कि अनेक स्थानों पर नहरों व कैनाल के अन्तिम छोर (टेल एन्ड) प्राकृतिक जलोत्सरणों (नेचुरल ड्रेनेज), नालों-नदियों में नहीं छोड़ा गया है जिसके परिणामस्वरूप पानी खुले खेतों तथा पट्टियों में फल जाता है जिससे काश्कारों को अत्यधिक असुविधा होती है; विशेषतः तहसील सांगोद के गांव रियाहेड़ा में आमनी छोटी नहर का अंतिम छोर (टेल) तथा तहसील सांगोद में ही उजार नदी के बजाय बागदा नला में व किशोरपुरा छोटी नहर का अंतिम छोर प्राकृतिक जलोत्सारण में नहीं छोड़ा गया है ?

(४) क्या सरकार सिंचाई प्राधिकारियों को, जहां कहीं काश्तकार ऐसी समस्या अनुभव करते हैं, वहां अंतिम छोरों के पानी को प्राकृतिक जलोत्सारणों में मोड़ने हेतु अनुदेश देगी ?

उत्तर

(१) पहले पानी के लिए क्रमशः दिनांक १६-१०-६४ व २१-१०-६४ को नहरें खोल दी गई।

(२) पानी समय पर ही दिया गया है।

(श्री सिंचाई मंत्री)

आलनियां तथा कालीसिंध परियोजनाओं से गत तीन वर्षों में जो सिंचाई हुई हैं वह निम्न प्रकार हैं:—

| | |
|---|---|
| ६१-६२ | ६०५ एकड़ |
| ६२-६३ | ३६६० ,, १६६५ ,, |
| ६३-६४ | ३१६० ,, १८५६ ,, |
| ६४-६५ | ५५०० ,, ३७०२ ,, |
| | अभी तक अभी तक |

(३) नहरों की टेल ऐसे स्थान पर छोड़ दी जाती है जहां से बचे हुए रकवे में पानी धोरों द्वारा मिलाया जा सके नहरों में पानी तो खेतों में पिलाई के लिए छोड़ा जाता हैं अत: उनकी टेलों को खालों से मिलाकर पानी जाया करना उचित नहीं है। कथितमाइनरों की टेल से इसलिए कठिनाई है कि वहा अभी तक काश्तकारों ने टेल के धोरे नहीं बनाये हैं। अब इन धोरों को सरकार बनायेगी और उस की लागत उनसे वसूल करेगी।

(४) जी नहीं, यदि आवश्यकता हो तो कृषक स्वयं धोरों को खालों तक बढ़ा लेवें।

## खोये हुए माइक्रोस्कोप यन्त्र की खोज

६७४. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि एस० एम० एस० मैडिकल कॉलेज, जयपुर के पैथोलोजी विभाग से लगभग १६००) रु० के मूल्य का एक माइक्रोस्कोप यन्त्र माह नवम्बर, १९६० में खोया हुआ बताया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि यह यन्त्र पैथोलोजी विभाग के अध्यक्ष, डॉ० टी० पी० भारद्वाज के कब्जे में था ?

(३) क्या यह सही है कि यह यन्त्र विभाग की ताला लगी एक अलमारी में रखा जाता था जिसका ताला यन्त्र के खोये जाने की सूचना के समय टूटा हुआ नहीं बताया गया था ?

(४) क्या यह सही है कि इसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई गई थी, जिसने यथाविधि जांच करके अपना प्रतिवेदन सरकार के पास भेज दिया है ? कृपया प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(५) क्या माइक्रोस्कोप यन्त्र का पता वास्तव में लगा लिया गया, अपराधी ढूंढ निकाला गया तथा दण्डित किया गया ?

### उत्तर

(१) जी हां।

(२) पैथोलोजी विभाग में था जिसका अधिकांश प्रयोग डॉ० भारद्वाज करते थे। परन्तु उनके अधीनस्थ डॉक्टर और पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थी भी उसका यदा-कदा प्रयोग करते थे।

(३) एक बक्स में इस यन्त्र को रखने को था जिसमें ताला लगाने की भी व्यवस्था थी।

(४) जी हां। रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है।

(श्री स्वास्थ्य मंत्री)

(५) पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार अपराधी का कोई पता नहीं लगा, अतः दण्ड देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

## सूची

### प्रतिलिपि पत्र पी. एस. मानक चौक थाना

श्रीमान् प्रिन्सीपल साहिब,
एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर

आपके पत्र संख्या २५१२८ । एम सी । दिनांक २६-१२-६० के प्रसंग में सूचना की जाती है कि उक्त पत्र के प्राप्त होने पर मुकदमा नम्बरी ५०५ जुर्मदफा ३८० आई. पी. सी. कायम किया जाकर तफतीश की गई बावजूद दफा काफी कोशिश माल मुलजिमान का कोई पता नहीं चलने से फाइनल रिपोर्ट नम्बरी १७ ता० २०-२-६१ को दे दी गई है ।

द० एस. एच. ओ.
पुलिस स्टेशन मानक चौक
जयपुर

## स्थगित-प्रश्न

( दिनांक ७-४-६५ व १३-४-६५ )

### पेट्रोल पर खर्चा

७५०. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राजस्थान विद्युत् मण्डल के रतनगढ़ डिवीजन में एक श्री आर० के० नायर नामक असिस्टेन्ट इंजीनियर ने वर्ष १९६२ में सिर्फ एक महीने में ६००) रु० का पेट्रोल जीप में खर्च किया ? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच की गई ? अगर नहीं, तो क्यों ?

## उत्तर

श्री आर० के० नायर द्वारा पेट्रोल, विद्युत् मण्डल के हित में खर्च किया गया ।

## स्थगित-प्रश्न

( १५-४-६५ )

### मौजा रामनिवासपुरा के जागीरदार की जागीर के पुनर्ग्रहण पर एन्यूइटी

६२६. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि मौजा रामनिवासपुरा, तहसील चाकसू के जागीरदार श्री जगदीशचन्द कथाभट्ट को इस जागीर के पुनर्ग्रहण पर एन्यूइटी स्वीकृत हुई है ? यदि हां, तो कब और कितनी ?

(२) इस जागीर का पुनर्ग्रहण कब २ हुआ ? यदि एक से अधिक बार इसके पुनर्ग्रहण की आज्ञा जारी हुई है, तो क्यों ?

(श्री राजस्व मंत्री)

(३) यह किस प्रकार की जागीर थी और इसकी एन्यूइटी किस किस आधार पर स्वीकृत हुई ? कृपया पट्टे की नकल जो एन्यूइटी के लिये पेश की गई उसकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

उत्तर

(१) जी हां। दिनांक ८-७-६२ को २३४८-३१न० पै० की स्वीकृति हुई है।

(२) यह जागीर ५०००)रु० से १०,०००) रु० तक की आय वाली श्रेणी में होने से इसी प्रकार अन्य की जागीरों के साथ दिनांक १५-८-५४ को रिज्यूम होनी थी, पर जागीरदार के ऐतराज पर कि उसकी जागीर में २ गांव रामनिवासपुरा व जैतपुरा धार्मिक जागीर के हैं। उक्त दोनों गांव मुक्त कर दिये गये और इसके फलस्वरूप पूरी जागीर की आय ५०००) रु० से कम हो जाने के कारण यह जागीर भी रिज्यूम होने से स्वतः मुक्त हो गई।

ग्राम रामनिवासपुरा का, धार्मिक जागीर में होने के कारण फिर बाद में आज्ञा दिनांक १-८-६० के अनुसार पुनर्ग्रहण किया गया। जो गांव धार्मिक जागीर नहीं थे वे उससे पहले ही आज्ञा दिनांक १-११-५८ के अन्तर्गत पुनर्ग्रहण कर लिये गये।

(३) यह धार्मिक जागीर थी जो जागीर रिज़म्पशन एक्ट के दूसरे शिड्यूल के सातवें क्लॉज़ की परिभाषा में आती है और उसी कानून के अनुसार वार्षिक वृत्ति (annuity) मंजूर की गई, चूंकि सम्बन्धित पत्रावली इस अल्प समय में उपलब्ध नहीं हो सकी, इसलिये पट्टे की नकल पेश करने से मजबूरी है।

## शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण शुक्रवार, दिनांक, १६ अप्रेल, १९६५)

| स्कम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्धि | शुद्धि |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| ९८७२ | ५ | चार | वार |
| ,, | १४ व अन्तिम | श्री भैरोसिह् | श्री भैरोंसिंह् |
| ९८७४ | शीर्ष | (श्री कृष्णकुमार गोयज) | (श्री कृष्णकुमार गोयल) |
| ,, | ८ | ओर | और |
| ,, | १० व अन्तिम | श्री भैरोसिह् | श्री भैरोंसिंह् |
| ,, | १६ | कन्डीशरस | कन्डीशन्स |
| ९८७५ | ६ व २३ | श्री भैरोसिह् | श्री भैरोंसिंह् |
| ९८७६ | १२ | श्री योगेन्द्नाथ हांडा | श्री योगेन्द्रनाथ हांडा |
| ,, | अन्तिम से ५ | श्री दौलतगम सारण | श्री दौलतराम सारण |
| ९८८२ से | | | |
| ९८८५ | शीर्षक | १४ अप्रेल, | १६ अप्रेल, |
| ९८८४ | ६ | (चरू) | (चूरू) |
| ९८८६ | १३ | सल्या | संख्या |
| ,, | ६ | बिछाने | बिछौने |
| ,, | अन्तिम से ३ | कये | किये |
| ९८८९ | १० | ३०.१६५ | ३०-१-६५ |
| ९८९० | अन्तिम से ४ | (श्रीमती प्रमा मिश्रा) | (श्रीमती प्रमा मिश्रा) : |
| ९८९१ | १३ | कार्यवाही | कार्यवाही |
| ९८९८ | २२ | अबन | अबंन |
| ९९०० | शीर्षक | अप्रंल | अप्रेल |
| ,, | ४ | टाऊन | टाउन |
| ९९०१ | ४ | ३०-३१-५३ | ३१-११-५३ |
| ९९०२ | शीर्ष | (श्री परसराम भदेरणा) | (श्री परसराम मदेरणा) |
| ,, | अन्तिम से ६ | ईअर स्मार्क | ईयरमार्क |
| ९९०३ | १७ | कनवर्ट | कन्वर्ट |
| ,, | १८ | रखतीं | रखती |
| ,, | २१ | श्री रामानन्द् अग्रवल | श्री रामानन्द् अग्रवाल |
| ,, | २४ | हा | हो |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ६६०३ | २६ | स्वय | स्वयं |
| ६६०४ | ७ | कार्यं | कार्य |
| ,, | ८ | कनवर्शन | कन्वर्शन |
| ,, | १५ | स्फटिनी | स्कुटिनी |
| ,, | २५ | श्री रामानन्द अग्रवाल | श्री रामानन्द अग्रवाल |
| ६६०५ | अन्तिम से ८ | वया | क्या |
| ६६०६ | १४ | गया। | गया ? |
| ६६०७ | अन्तिम से ५ | लड्ढा; | लड्ढा : |
| ६६०६ | ३ | श्री रामप्रसाद लड्ढा | श्री रामप्रसाद लड्ढा |
| ६६१० | २० व २१ | श्रीमती प्रभा मिश्रा): | (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : |
| ६६११ | ६ | (चचट) | (चेचंट) |
| ६६१२ | शीर्षक | अप्रल | अप्रेल |
| ,, | अन्तिम | नेक्सट | नेक्स्ट |
| ६६१४ | १३ | मंत्रीं | मंत्री |
| ६६१५ | ७ | वक्त ! | वक्त |
| ,, | अन्तिम | फमा | फर्मों |
| ६६१६ | अन्तिम से ६ | श्री बरतुल्ला खां | श्री बरकतुल्ला खां |
| ६६१८ | २ | unfortunat | unfortunate |
| ,, | ४ | पंच।यत | पंचायत |
| ,, | १६ | कोटी | कमेटी |
| ६६१६ | ६ | नहीं तो, | नहीं, तो |
| ,, | १०,१६ | जवार | ज्वार |
| ,, | २१ | कौ | की |
| ६६२० | शीर्षक | अप्र'ल | अप्रेल |
| ,, | १० | जवार | ज्वार |
| ६६२२ | शीर्षक | अप्रल | अप्रेल |
| ,, | शीर्ष | (श्री भैरोंसिंह) | (श्री भीमसिंह) |
| ,, | ७ | बताऊ | बताऊं |
| ,, | १३ | ठी | ठीक |
| ,, | अन्तिम से २ | श्री भीमसिंह | श्री भीमसिंह |
| ६६२३ | १ | श्री उपाध्य : | श्री उपाध्यक्ष : |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ६६२३ | ५ | एक्जामिन | एग्ज़ामिन |
| ,, | ६ | लिला | लिया |
| ६६२४ | ७ | Nex | Next. |
| ६६२८ | अन्तिम से २ | मत्रिगण | मंत्रीगण |
| ६६३३ | ,, ,, १० | हू | हूं |
| ६६३४ | १ | श्री मोहनलाल सुखाड़िया | — |
| ६६३६ | शीर्षक | १५ अप्रेल | १६ अप्रेल |
| ६६३६ | २ | प्रोपर्टी | प्रोपर्टी |
| ,, | १७ | इम्पोर्टट | इम्पोर्टेन्ट |
| ६६४० | अन्तिम से ६ | में | मैं |
| ६६४२ | ६ | अनापार्लियामेंट्री | अनपार्लियामेंट्री |
| ,, | अन्तिम से ६ | श्री निरजननाथ आचार्य | श्री निरंजननाथ आचार्य |
| ६६४६ | ५ | करेगा | करेंगे |
| ६६४७ | अन्तिम से ८ | स्थगत | स्थगन |
| ६६४८ | शीर्ष | (श्री मानिकचन्द सूराणा) | (श्री मानिकचन्द सुराणा) |
| ,, | अन्तिम से २ | आउटे | आउट |
| ६६४६ | १७ | एक्सपन्ज | एक्सपन्ज |
| ६६५० | शीर्षक | अप्रेंल | अप्रेल |
| ,, | १८ | बहिर्गन) | बहिर्गमन) |
| ,, | २२ | Clearificatian | clarification |
| ,, | ,, | ब्यबस्था | व्यवस्था |
| ६६५१ | १६ | व्यत | व्यक्त |
| ,, | ,, | विरीध | विरोध |
| ६६५२ | शीर्षक | अप्रल | अप्रेल |
| ,, | १ | net | not |
| ,, | ४ | i | I |
| ६६५३ | ५ | Say | Day |
| ,, | अन्तिम से ६ | इस । सम्बन्ध | इस सम्बन्ध |
| ,, | अन्तिम | विरोधी | विरोधी |
| ६६५४ | शीर्षक | प्रश्नात्तर | प्रश्नोत्तर |
| ६६५५ | ५ | भाइ | भाई |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ६६५५ | अन्तिम से ६ | सीमित, रहे | सीमित रहे |
| ६६५६ | शीर्षक | प्रश्नात्तर –१६ अप्रल | प्रश्नोत्तर –१६ अप्रेल, |
| ,, | ५ | Hon'ble | Hon'ble |
| ,, | १५ | संपत्तियों | सम्पत्तियों |
| ,, | अन्तिम | बाक | वाक |
| ६६५७ | २ | विजनेस | बिजनेस |
| ,, | १२ | धिवाद | विवाद |
| ६६५८ | शीर्षक | अप्रल | अप्रेल |
| ६६६० | शीर्षक | ।प्रेल | अप्रेल |
| ६६६८ | १६ | ट्र जरी | ट्रेजरी |
| ६६७१ | ५ | tirelyin the | tirely in the |
| ,, | ८ | क। | का |
| ६६७६ | शीर्ष | (श्री लल्मीचन्द्) | (श्री लक्ष्मीचन्द) |
| ६६७८ व | | | |
| ६६६० | शीर्षक | मालपुर | मालपुरा |
| ,, | ४ | लिले | जिले |
| ,, | ६ | अमरासिह् | अमरसिंह |
| ,, | १८ | भंड् | भंडू |
| ६६८१ | शीर्षक | घिषयक | विषयक |
| ६६८२ | शीर्षक | कषकों | कृषकों |
| ,, | ,, | अप्रांल | अप्रेल |
| ६६८८ | अन्तिम से ६ | व्यबस्था | व्यवस्था |
| ६६६० | १ | चार–'। आदमी । आगये | चार आदमी आ गये |
| ,, | शीर्षक | अनधिकृ | अनधिकृत |
| ६६६० व | | | |
| ६६६१ | ,, | १६ अपेल, ६५-स्थगन प्रस्ताव | १६ अप्रेल, ६५– पर आपत्ति |
| ६६६६ | ६ | वात | बात |
| १०००४ | १३ | पम्पराय | परम्परायें |
| १००१२ | १८ | माघ्मम | माध्यम |
| १००२१ | अन्तिम | nex tbusiness | next business |
| १००२५ | २३ | रही । सड़ताल | है हड़ताल |

( ५ )

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| १००३० | १३ | मुख्य मंची जी | मुख्य मंत्रीजी |
| १००३२ | १६ | श्रस्ताव | प्रस्ताव |
| १००३४ | ४ | २८–३–६ | २८–३–६५ |
| १००३५ | २० | निनेदन | निवेदन |
| १००३८ | १८ | श्री भीमसिंह (नवलगढ़) | श्री भीमसिंह (उप-मंत्री, यातायात) |
| १००४१ | अन्तिम से ६ | हालत | हालत |
| १००४७ | १६ | चजावें | चलावे |
| ,, | १७ | आह | आप |
| १००४६ | शीर्षक | प्रद्रताव | प्रस्ताव |
| १००५२ | ,, | १६ अप्रेल, ६४ | १६ अप्रेल, ६५ |
| १००६० | स्कम्भ | १६०६० | १००६० |
| १००६२ | शीर्षक | विद्युत मंडल के आय-व्ययक | हिन्दूमल कोट रेल्वे लाइन |
| १००६४ | ११ | वात में | बात से |
| ,, | अन्तिम से ४ | वाले | वाले |
| १००६६ | ६ | एटर्टेनमंट | एन्टर्टेनमेन्ट |
| १००७० | शीर्षक | प्रदर्चन | प्रदर्शन |
| १००७३ | ,, | ध्यानाकपंण | ध्यानाकर्षण |
| १००७५ | ,, | प्रस्ताब | प्रस्ताव |
| १००८१ | २१ | स्यागन | स्वागत |
| १००८२ | अन्तिम से ५ | प्रढशंन | प्रदर्शन |
| १००८६ | ८ | प्रशसा | प्रशंसा |
| १००६० व | | | |
| १०१०६ | शीर्षक | अप्रल | अप्रेल |
| १०१०६ | शीर्षक | विपयक | विषयक |
| ,, | अन्तिम से ४ | कुत्रांनी......लोंग | कुर्बानी......लोग |
| १०१२० | अन्तिम से ५ | श्री बालष्कृण | श्री बालकृष्ण |
| १०१२१ | ,, | ध्यानाकषरा | ध्यानाकर्षण |
| १०१२५ | ,, | प्रस्नान | प्रस्ताव |
| १०१३२ | ७ | करूंगा | करूंगा |
| ,, | १३ | श्रीमर्ती सभानेत्रीं | श्रीमती सभानेत्री |
| १०१३३ | शीर्षक | प्रस्वाव | प्रस्ताव |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| १०१३५ | ८ | जव | जब |
| १०१३६ | १८ | सुराणा; | सुराणा : |
| १०१३८ | अन्तिम से ६ | विपयक | विषयक |
| १०१३६ | १५ | 'न पक्ष | 'ना' पक्ष |
| १०१४० | स्कम्म | ० ११४० | १०१४० |
| ,, | शीर्ष | श्रीमती सभानेत्री | (श्रीमती सभानेत्री) |
| १०१४१ | १० | 'हा' | 'हां' |
| १०१४२ व | | | |
| १०१४५ | ६ | गोटवाल | गोठवाल |
| ,, | १६ | बरबड | बरवड़ |
| १०१४३ | शीर्षक | विभाज । | विभाजन |
| ,, | ४ | (वागीडौरा) | (बागीडोरा) |
| १०१४४ | २ | नियक्ति | नियुक्ति |
| ,, | १२ | घोषणा | घोषणा |
| ,, | १७ | श्री दिग्वजयसिह | श्री दिग्विजयसिंह |
| १०१४८ | शीर्ष | (श्री मानिकचन्द सुराणा) | (श्री मानिकचन्द सुराणा) |
| ,, | १२ | हत्यकांड | हत्याकांड |
| १०१५२ | अन्तिम से ३ | बलबीरसिंह | बलवीरसिंह |
| १०१५६ | ४ | श्री निरंजनाथ आचार्य | श्री निरंजननाथ आचार्य |
| १०१५८ | शीर्ष | (श्री योगेन्द्रनाथ हांडा) | (श्री योगेन्द्रनाथ हांडा) |
| १०१६२ | ६ | श्री निरंजनाथ आचार्य | श्री निरंजननाथ आचार्य |
| १०१६५ | ६ | न्याव | न्याय |
| ,, | २१ | बैंसी | वैसी |
| ,, | अन्तिम से ४ | मंत्री | मंत्री |
| १०१६९ | २१ | ऑगस्ट | ऑगस्ट |
| १०१७१ | ४ | Secertary | Secretary |
| ,, | १५ | ह | यह |
| ,, | २६ | टैकविनकल | टैक्निकल |
| १०१७३ | १ व ५ | की निरंजननाथ आचार्य | श्री निरंजननाथ आचार्य |
| ,, | ३ | की सतीशचन्द्र अग्रवाल | श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल |
| ,, | ७ | की मानिकचन्द सुराणा | श्री मानिकचन्द सुराणा |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| १०१८४ | शीर्ष | (महारावल श्री लक्ष्मणसिह) | (महारावल श्री लक्ष्मणसिंह) |
| १०१८५ | १६ | सोशियश्लिस्ट | सोश्यलिस्ट |
| १०१८६ | ३ | किया | किया |
| ,, | अन्तिम से ५ | मुख्य गंत्रीजी | मुख्य मंत्रीजी |
| १०१८६ | १३ | की उपाध्यक्ष | श्री उपाध्यक्ष |
| १०१९२ | अन्तिम | जेता | नेता |
| १०१९३ | १ | पार्टी | पार्टी |
| ,, | ११ | और | ओर |
| ,, | १५ | मत्री | मंत्री |
| ,, | अन्तिम से ३ | विपरीत | विपरीत |
| १०१९४ | ,, ,, ७ | प्रतिथ्ठा | प्रतिष्ठा |
| १०१९७ | शीर्षक | अविश्वास | अविश्वास |
| ,, | अन्तिम से २ | श्रा योगेन्द्रनाथ ह्रांडा | श्री योगेन्द्रनाथ ह्रांडा |
| १०२०० | शीर्षक | अप्रंल | अप्रेल |
| १०२०२ | ,, | मडल | मंडल |
| १०२०३ | ६ | की की | की |
| ,, | अन्तिम से ४ | हैं | हैं। |
| १०२०४ | १ | मै | मैं |
| ,, | ४ | मैने | मैंने |
| ,, | अन्तिम | मे | में |
| १०२०५ | १२ | वाद | बाद |
| ,, | १५ | आग्र | आग्रह |
| १०२०७ | १ | Cooperaive | Co-operative |
| १०२०९ | १३ | सोशियलिज़म | सोश्यलिज्म |
| १०२१० | ८ | 'शल' | शैल |
| १०२१२ | अन्तिम से ३ | लैंग्वेज | लैंग्वेज |
| ,, | अन्तिम | इतल्ला | इत्तला |
| १०२१४ | शीर्षक | अप्रंल | अप्रेल |
| १०२१५ | १७ | (विराम) | (विराम) |
| ,, | अन्तिम से २ | अघिक | अधिक |
| १०२१८ | १२ | एजेम्प्ट | एग्जे़म्प्ट |

# Page No 263



| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| १०२१६ | शीर्षक | यिधेयक | विधेयक |
| १०२२३ | ,, | अप्रल | अप्रेल |
| १०२२६ | २३ | नामजूर | नामंजूर |
| १०२२७ | १८ | मत्री | मंत्री |
| १०२२६ | ४ | कुशल | कुशियल |
| १०२३० | २० | meeting. | meeting." |
| १०२३१ | शीर्ष | (श्रि मानीकचन्द सुराणा) | (श्री मानिकचन्द सुराणा) |
| ,, | ६ | बाइडर | वाइडर |
| १०२३३ | शीर्षक | अप्रल | अप्रेल |
| १०२३७ | १६ | श्री मथुरादस माथुर | श्री मथुरादास माथुर |
| ,, | २६ | developmet | development |
| १०२४२ | १४ | श्री मथुरादास माथर | श्री मथुरादास माथुर |
| ,, | १६ | फामिग | फामिंग |
| १०२४३ | अन्तिम से ५ | श्री मथुरादास माथुर | — |
| १२०४४ | अन्तिम से ६ | मजूर | मंजूर |
| १०२४५ | १ | श्री सभापति | श्रीमती सभानेत्री |
| १०२४६ | ६ | Comperative | Co-operative |
| १०२४७ | अन्तिम से ६ | respectivcly | respectively |
| १०२४८ | १० | spccified | specified |
| १०२४६ | २ | "Porvided | Provided |
| १०२५१ | १ | श्री सभापति | श्रीमती सभानेत्री |
| १०२५३ | शीर्षक | अप्रल | अप्रेल |
| १०२५५ | ७ | paymcnts | payments |
| ,, | ८ | respcct | respect |
| ,, | अन्तिम से २ | रिप्रेज़ेटेटिव | रिप्रेज़ेन्टेटिव |
| १०२६२ | १६ | बोंर्ड्स | बोर्ड्स |
| १०२६५ | शीर्षक | अप्रल | अप्रेल |
| ,, | १२ | ल | लें |
| ,, | अन्तिम | इसलि | इसलिये |
| १०२६६ | ७ | करेगे | करेंगे |
| ,, | १६ | रिप्रेज़ेटेटिव | रिप्रेज़ेन्टेटिव |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ०२६६ | २५ | Societey | society |
| २६८ | २८ | एओकल्चरल | एग्रीकल्चरल |
| २६९ | १३ | ऊघते | ऊंघते |
| २७१ | ६ | (वराम | (विराम) |
| २७५ | अन्तिम से ६ | जाव | जावे |
| २७९ | १० | णखड़ २३ | खण्ड३२ |
| २८० | ११ | Coneerned | Concerned |
| ,, | १४ | officc | office |
| | १५ | thc | the |
| ३ | शीर्ष | (श्रीमती समानेत्रा) | (श्रीमती समानेत्री) |
| | अन्तिम से ६ | &:ed | fied |
| ४ | ,, .. ६ | में भीय ही रिपोट | में भी यही रिपोट |
| ६ | ११ | डिस्वालिफाई | डिस्क्वालिफाई |
| | शीर्षक | अप्रल | अप्रेल |
| | ,, | विवेयक | विधेयक |
| | शीर्षक | अप्रंल | अप्रेल |
| | ७ | खंड ३६ | खंड ३७ |
| | १० | ३९ व ३९ एवं | ३९ व ३९ ए एवं |
| | ३ | Not with, tanding | Notwithstanding |
| | ६ | ३९, ए | ३९ ए, |
| | अन्तिम से ३ | श्री मानिकचन्द्र सुराणा | श्री मानिकचन्द सुराणा |
| | ८ | माकट | मार्केट |
| | १५ | इसे | इस |
| | अन्तिम से २ | मंत्री जी में जो | मंत्री जी ने जो |
| | अन्तिम | उसके | उसको |
| | ७ | के | में |
| | शीर्षक | अप्रल | अप्रेल |
| | शीर्ष | (श्रीमतीस भानेत्री) | (श्रीमती समानेत्री) |
| | ३ | (वाराम) | (विराम) |
| | १६ | (विराय) | (विराम) |
| | २ | विधेयक | विधेयक |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| १०३२२ | अन्तिम से ८ | suq | sub |
| १०३२३ | शीर्षक | ग्रप्रैल | अप्रैल |
| १०३२६ से | | | |
| १०३२८ व | | | |
| १०३३४ | शीर्षक | १६६५ | १६६४ |
| १०३२६ | १३ | वाम | काम |
| १०३२७ | १ | "whcre | "where |
| ,, | ,, | Co nsists | consists |
| १०३३२ | अन्तिम से १० | में | मैं |
| १०३३५ | ,, ,, ५ | प्रश्न यह है कि प्रमारी | श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न है कि प्रभारी |
| | | | विधेयक |
| १०३३६ | २ | विवेयक | विधेयक |
| १०३३७ | १ | विधेयक | संशोधित |
| १०३४१ | ६ | संशोधित | (श्री मोतीलाल चौधरी) |
| १०३४६ | शीर्ष | (श्री मोतीलाल चौधर ी) | आश्वासन |
| १०३५२ | ८ | आ श्वासन | अभ्यर्थियों |
| १०३६० | ४ | अभ्यार्थियों | |
| ,, | १२,१३व१४ | अभ्मायार्थियों | ,, |
| १०३६४ | अन्तिम से ८ | ग्रभावप्रस्त | ग्रभावग्रस्त |
| १०३६५ | १ | आफ | ऑफ |
| ,, | अन्तिम | विचाराधन | विचाराधीन है , |
| १०३६६ | शीर्षक | परिशिष्ट | परिशिष्ट |
| ,, | शीर्ष | (श्री स्वायत शासन मत्री) | (श्री स्वायत्त शासन म |
| १०३६७ | स्कम्भ | १०२६७ | १०३६७ |